

ग्रामीण विकास में  
रोजगार कार्यक्रमों का मूल्यांकन  
इलाहाबाद जिले के विशेष सन्दर्भ में

शोध प्रबन्ध

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की  
डाक्टर ऑफ फिलासफी (अर्थशास्त्र) उपाधि हेतु प्रस्तुत



शोधकर्त्री  
शैलेज गुप्ता  
अर्थशास्त्र विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

निर्देशक  
डॉ. प्रहलाद कुमार  
रीडर, अर्थशास्त्र विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,  
इलाहाबाद


**2001**

मेरे पूजनीय परमाराध्य गुरुदेव एव  
जगज्जननी माँ के दिव्य कर कमलो मे समर्पित

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।  
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥  
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता ।  
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

# प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शैलेज गुप्ता शोधछात्रा अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने अपना शोध प्रबन्ध "ग्रामीण विकास में रोजगार कार्यक्रमों का मूल्यांकन इलाहाबाद जिले के विशेष सन्दर्भ में" मेरे निर्देशन में सम्पन्न किया है।

  
26/05/2001

**डा. प्रह्लाद कुमार**  
रीडर अर्थशास्त्र विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

# भूमिका

हमारे देश की शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविध आर्थिक क्षेत्रों में विकास के लिए लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और इसके लिए योजनाबद्ध आधार पर प्रयास भी किये जा रहे हैं। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की इन अर्थव्यवस्थाओं का विकास अल्प-सन्तुलन की अवस्था में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इन क्षेत्रों में सुधार हुआ और विकास की उच्च दशाएँ प्राप्त हुईं, परन्तु वही आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नवीन समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जिनमें आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय विषमताएँ और बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्याएँ बढ़ी हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि और रोजगार अवसरों की कमी के कारण बेरोजगारी की समस्याएँ व्याप्त हैं। जो कि देश की आर्थिक विकास की एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आ रही है और अर्थव्यवस्था के लिए अधिक समस्या और तनाव उत्पन्न कर रही है।

शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी पायी जाती है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की यह समस्या अधिक व्यापक और गहन है। यह भी विदित है कि इन क्षेत्रों की मुख्य समस्या दीर्घकालिक बेरोजगारी की नहीं, अपितु अल्परोजगार और मौसमी बेरोजगारी की है। ग्रामीण क्षेत्र का व्यापक जनसमूह इस प्रकार का है, जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई स्थायी परिसम्पत्ति नहीं होती है अथवा अत्यन्त कम है, अतः इस वर्ग के लोगों को मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता पड़ती है। इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक प्रकार के रोजगार कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया यथा—आई आर डी पी ट्राइसेम, एन आर ई पी, आर एल ई जी पी इत्यादि जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त हो, और तीव्र विकासार्थ ग्रामीण अवस्थापनागत ढाँचा मजबूत करने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके।

अतः प्रस्तुत शोध में जिले के ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में उपर्युक्त इन्हीं रोजगार कार्यक्रमों के नीति प्रतिविनिधानों का विश्लेषण किया गया है। इस शोध को दस अध्यायों में विभक्त किया गया है। आरम्भिक अध्याय में ग्रामीण विकास के परिचयात्मक विश्लेषण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास का अर्थ, परिभाषाएँ, मुख्य घटक, विभिन्न देशों के मध्य ग्राम विकास की तुलना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। इसके पश्चात् गरीबी एवं बेरोजगारी तथा भारत एवं उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दिग्दर्शनों के तत्पश्चात् जिले में रोजगार कार्यक्रमों की स्थितियों का विश्लेषण किया गया है।

इन जानकारियों का विश्लेषण अद्यतन आकड़ों के आधार पर किया गया है जिन्हें राजकीय प्रकाशनों तथा सरकारी एवं गैर सरकारी वार्तालापों के माध्यम से एकत्र किया गया इसके अतिरिक्त जानकारियों एवं नवीनतम सूचनाओं के लिए विविध जर्नल, रिपोर्ट और सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि की भी सहायता ली गयी है इनका उल्लेख प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के अन्त में सन्दर्भ सूची में किया गया है। इनसे सम्बद्ध लोगों के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार एवं सम्मान ज्ञापित करती हूँ।

## कृतज्ञता

सर्वप्रथम इस शोध रचना के निर्देशक आदरणीय स्वर्गीय डा आर के द्विवेदी, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, के प्रति मैं अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस प्रस्तुत रचना में ग्रामीण क्षेत्रों एवं अन्य जानकारियों के विषय में, अपने सुझाव व परामर्श के द्वारा मुझे उनसे सहयोग के रूप में योगदान प्राप्त हुआ, परन्तु उनका आकस्मिक निधन हो जाने के कारण आदरणीय परम पूज्य डा प्रहलाद कुमार के अथक परिश्रम, सतत प्रयत्नों के परिणामस्वरूप यह रचना पूर्ण हो सकी। उनके प्रति मैं अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने इस शोध को तैयार करने में अपने समस्त कार्य में व्यस्त रहने के उपरान्त भी हमें कई तरह से सहयोग दिया और शोध कार्य के लिए निरन्तर प्रोत्साहित किया।

मैं अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष आदरणीय डा पी एन मल्होत्रा के प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

विभाग के आदरणीय डा अजय जैन, डा गिरीश त्रिपाठी, डा जगदीश नारायण, डा अलका अग्रवाल, डा रविशंकर श्रीवास्तव, डा प्रशान्त घोष एवं समस्त प्राध्यापकों के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अपने विशेष अनुग्रह के द्वारा अध्ययन अध्यापन से हमें अपनी शोध रचना के लिए उल्लेखनीय प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया।

मैं रमेश, सुनीता अग्रवाल जी के विशेष अनुग्रह की आभारी हूँ।

मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने न सिर्फ शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित प्रतिवेदनो एवं प्रकाशनों को उपलब्ध करवाया साथ ही साथ अपना बहुमूल्य समय देकर इस रचना से सम्बन्धित जिज्ञासाओं को शान्त किया। मैं इस सन्दर्भ में ग्राम्य विकास अभिकरण' जिला इलाहाबाद के कर्मचारियों एवं

ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने समय—समय पर रचना से सम्बन्धित अनेक जानकारियों से अवगत कराया।

इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष ऐग्रो एकनॉमिक्स रिसर्च सेन्टर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के प्रति अपार सहयोग और प्रोत्साहन के लिए आभार प्रकट करती हूँ।

मैं अपने परिवार के प्रति डा दीपक गुप्ता, डा अजू गुप्ता, डा आर एस गुप्ता, डा रूद्रा गुप्ता का भी आभार प्रकट करती हूँ, मैं आइडियल कम्प्यूटर प्वाइन्ट के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने कम्प्यूटर डिजाइनिंग एव टाइपिंग में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

मैं एक बार पुन विनम्रता पूर्वक परम् पूज्य डा प्रहलाद कुमार जी के प्रोत्साहन एव सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

तदर्थ मैं मुक्त हृदय से सभी के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट करती हूँ।

**शैलेज गुप्ता**

शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

# अनुक्रमणिका

		पृष्ठ सख्या
	भूमिका	I - II
	कृतज्ञता	III - IV
	तालिका सूची	VI - XI
	लेखाचित्र एव मानचित्रो की तालिका	XII - XIII
क्रमांक	अध्याय	
1	प्रस्तावना	2
2	शोध प्रविधि	56
3	भारत मे रोजगार—परक कार्यक्रमो का कार्यान्वयन	64
4	उत्तर प्रदेश मे रोजगार—परक कार्यक्रमो का दिग्दर्शन	104
5	इलाहाबाद जनपद मे रोजगार व आर्थिक स्थिति का निरूपण	131
6	चयनित ग्रामो की सामाजिक, आर्थिक एव रोजगार की स्थितियाँ	155
7	चयनित परिवारो की सामाजिक, आर्थिक दशाओ का दिग्दर्शन	170
8	चयनित परिवारो का रोजगार ढाँचा	184
9	रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन	202
10	निष्कर्ष एव सुझाव	213
	सन्दर्भ सूची	229
	प्रश्नावली	243



## तालिका-सूची

क्रम संख्या	तालिका - शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1 1	विश्व के विभिन्न देशों में कृषि में कार्यशील जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय में कृषि के प्रतिशत आकड़ों की तुलना।	17
1 2	विश्व के कुछ देशों में फसल उत्पादकता में अन्तर के आकड़े।	18
1 3	भारत तथा विश्व के कुछ देशों के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रम की उत्पादकता के तुलनात्मक आकड़े।	19
1 4	भारत में निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत	27
1 5	विभिन्न राज्यों में गरीबों की संख्या के आकड़े (वर्ष 1993—94)	27
1 6	भारत में बेरोजगारी की दर एवं प्रतिशत आकड़े	49
1 7	भारत में रोजगार चाहने वालों की संख्या के आकड़े	50
1 8	भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति में पुरुष व महिलाओं की बेरोजगारी दर के प्रतिशत आकड़े।	52
1 9	भारत के शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति में पुरुष व महिलाओं में बेरोजगारी की दर के प्रतिशत आकड़े।	52
1 10	भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी आयु वर्ग के अनुसार पुरुष—महिलाओं में बेरोजगारी के प्रतिशत आकड़े।	53
2 1	नमूना चयन की प्रक्रिया	61
3 1	भारत में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावितकेन्द्रीय व्यय योजना।	68
3 2	भारत में समन्वित ग्राम योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 1985—86 से 1991—92।	71

3 3	भारत मे आई आर डी पी की वित्तीय उपलब्धियों 1980-85 से 1997-98 तक ।	72
3 4	भारत मे आई आर डी पी की भौतिक उपलब्धियों 1980-85 से 1995-96 ।	72
3 5	भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 1985-86 से 1998-99 ।	75
3 6	भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ मे कुल कार्यों मे लगे युवाओ के आकडे एव उनका प्रतिशत 1985-86 से 1995-96 ।	78
3 7	भारत मे ट्राइसेम योजना की उपलब्धियों 1992-93 से 1997-98	79
3 8	भारत मे ट्राइसेम योजना मे भौतिक प्रगति के अन्तर्गत 1985-86 से 1995-96 तक स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे लगे व्यक्ति के आकडे एव उनका प्रतिशत ।	79
3 9	भारत मे एन आर ई पी के अन्तर्गत रिलीज वित्तीय एव भौतिक प्रगति 1985-86 से 1988-89 ।	84
3 10	भारत मे छठी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियों 1980-81 से 1984-85 ।	84
3 11	भारत मे एन आर ई पी की उपलब्धियों 1985-86 से 1988-89 ।	85
3 12	भारत मे आर एल ई जी पी के अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य एव पूर्ति ।	88
3 13	भारत मे आर एल ई जी पी की रोजगार सृजन की उपलब्धियों	89
3 14	भारत मे जवाहर रोजगार योजना की वित्तीय प्रगति 1989-90 से 1998-99 ।	92
3 15	भारत मे जवाहर रोजगार योजना की भौतिक प्रगति 1989-90 से 1996-97 ।	93

3 16	भारत मे प्रधानमन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियों	96
3 17	भारत मे सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियों वर्ष 1995-96 से 1998-99 ।	98
3 18	भारत मे ड्वाकरा के अन्तर्गत भौतिक एव वित्तीय प्रगति 1985-86 से 1991-92	100
3 19	भारत मे ड्वाकरा के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों 1992-93 से 1997-98 ।	100
4 1	उत्तर प्रदेश की आवश्यक जानकारी की विवरण तालिका ।	106
4 2	उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति 1985-86 से 1995-96 ।	108
4 3	उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति 1985-86 से 1991-92	110
4 4	उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ की संख्या के आकडे 1985-86 से 1995-96 ।	112
4 5	उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य मे लगे प्रशिक्षित युवा ।	113
4 6	उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियों 1980-81 से 1984-85	116
4 7	उत्तर प्रदेश मे एन आर ई पी के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों	118
4 8	उत्तर प्रदेश मे आर एल ई जी पी की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धि 1983-84 से 1984-85	120
4 9	उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की वित्तीय उपलब्धियों ।	121

4 10	उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों (1985-86 से 1988-89)	122
4 11	उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियों 1989-90 से 1995-96	125
4 12	उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 मे भौतिक उपलब्धियों ।	126
4 13	उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति 1985-86 से 1995-96 ।	128
4 14	उत्तर प्रदेश मे सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियों (1993-94 से 1995-96)	129
5 1	जनपद मे जनगणना के अनुसार प्रतिदशक आबाद ग्रामो की सख्या, जनसख्या तथा प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर (1901-1991)	133
5 2	इलाहाबाद जनपद मे कुल ग्रामीण जनसख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसख्या वृद्धि ।	134
5 3	इलाहाबाद जनपद मे अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसख्या एव परिवार ।	135
5 4	इलाहाबाद जनपद मे साक्षर व्यक्तियो का प्रतिशत 1971 से 1991 ।	135
5 5	इलाहाबाद जनपद मे चयनित विकासखण्डो की ग्रामीण जनसख्या वृद्धि जनगणना वर्ष 1991 के आधार पर ।	139
5 6	चयनित विकास खण्डो मे प्रमुख मदो का विवरण वर्ष 1991	139
5 7	चयनित विकासखण्डो मे प्रमुख मदो का विवरण वर्ष 1992-93	140

5 8	इलाहाबाद जनपद मे भूमि उपयोगिता वर्ष 1990-91 से 1996-97 ।	142
5 9	चयनित विकासखण्डो मे भूमि उपयोगिता वर्ष 1996-97 ।	143
5 10	इलाहाबाद जनपद मे रोजगार के अनुसार जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 1971-1991 तक	147
5 11	चयनित विकासखण्डो मे रोजगार के अनुरूप जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 1991 ।	148
5 12	इलाहाबाद जनपद मे औद्योगीकरण की प्रगति	152
5 13	ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रो मे औद्योगिक प्रगति (कृषि व गैर कृषि) के आकडे (आर्थिक जनगणना वर्ष 1990)	152
5 14	विभिन्न प्रकार की सरस्थाओ के आधीन कार्यशील औद्योगिक इकाईयो की सख्या एव कार्यरत व्यक्ति 1997-98	153
6 1	चयनित ग्रामो मे भूमि उपयोग सम्बन्धी आकडो का वर्गीकरण	167
6 2	चयनित ग्रामो मे 1981, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसख्या एव परिवारो के आकडे ।	168
6 3	चयनित परिवारो का जातिवार वर्गीकरण	168
7 1	कृषक गैर कृषक एव मजदूर वर्ग के परिवारो के प्रतिशत आकडे ।	172
7 2	परिवारो की सख्या और कर्मकरो का मानक वर्गीकरण	174
7 3	चयनित परिवारो मे व्यावसायिक वर्ग के आधार पर आय और परिसम्पत्तियो का विवरण ।	177
7 4	चयनित परिवारो के द्वारा स्वरोजगार और दैनिक मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय का विवरण ।	181
7 5	चयनित परिवारो के द्वारा कुल प्राप्त आय मे स्वरोजगार और दैनिक मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे ।	182

8 1	चयनित कर्मकर परिवारो का वार्षिक रोजगार	187
8 2	चयनित कर्मकर परिवारो के वार्षिक रोजगार दिवस के अन्तर्गत स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के आकडे ।	188
8 3	चयनित कर्मकरो का वार्षिक रोजगार ढॉचा ।	189
8 4	चयनित कर्मकर परिवारो का कुल मजदूरी रोजगार के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र के तुलनात्मक आकडे ।	189
8 5	विभिन्न फसल मौसमो मे चयनित कर्मकरो का स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार ।	191
8 6	चयनित कर्मकरो का व्यवसाय के अनुसार रोजगार ढॉचा ।	194
8 7	चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा कुल रोजगार से प्राप्त स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे ।	195
8 8	कर्मकर परिवारो के मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे ।	196
8 9	विभिन्न व्यावसायिक वर्गो से सम्बन्धित कर्मकर परिवारो मे बेरोजगारी के आकडे ।	198
9 1	चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत प्राप्त रोजगार	203
9 2	विभिन्न व्यावसायिक वर्गो मे सम्मिलित कर्मकरो द्वारा प्राप्त रोजगार ।	204
9 3	रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित कर्मकरो द्वारा विभिन्न मौसमो मे प्राप्त रोजगार ।	207
9 4	रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त चयनित परिवारो की आय ।	210
9 5	कुल आय मे मजदूरी रोजगार एव रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय के प्रतिशत आकडे ।	210

## लेखाचित्र एवं मानचित्रों की तालिका

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
1	कृषि क्षेत्र को दर्शाते हुए फाई—रेनिस मॉडल	34
2	श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य	35
3	श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में तीन अवस्थाओं में स्थानान्तरण को दर्शाते हुए फाई—रेनिस मॉडल	36
4	फाई—रेनिस मॉडल में सन्तुलित वृद्धि।	40
5	लुइस मॉडल	43
6	भारत में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना 1985—86 से 1997—98	68
7	भारत में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की भौतिक प्रगति वर्ष 1985—86 से 1995—96।	71
8	भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 1985—86 से 1998—99	76
9	भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं में से कुल कार्यों में लगे युवाओं के प्रतिशत वर्ष 1985—86 से 1995—96।	78
10	भारत में एन आर ई पी की रोजगार सृजन की उपलब्धियों वर्ष 1985—86 से 1988—89।	86
11	भारत में आर एल ई जी पी की रोजगार सृजन की उपलब्धियों	89
12	उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 1985—86 से 1995—96।	108
13	उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवा (वर्ष 1985—86 से 1995—96)	112
14	उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार में लगे युवा (वर्ष 1985—86 से 1995—96)	113

15	उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि (वर्ष 1980-81 से 1984-85)	116
16	उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति (वर्ष 1980-81 से 1984-85)	117
17	उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उपलब्धियाँ	122
18	उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धियाँ ।	125
19	उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन (वर्ष 1989-90 से 1995-96)	126
20	जनपद-इलाहाबाद की जनसख्या मे जनगणना के अनुसार प्रतिदशक जनसख्या मे वृद्धि (1901 - 1991)	133
21	जनपद इलाहाबाद मे कुल ग्रामीण जनसख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसख्या वृद्धि ।	134
22	जनपद-इलाहाबाद मे भूमि उपयोगिता (लाख हेक्टेयर) वर्ष 1992-93	144
23	जनपद इलाहाबाद मे विभिन्न साधनो द्वारा श्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल वर्ष 1996-97 ।	145
24	जनपद इलाहाबाद मे मुख्य कर्मकरो मे विभिन्न कर्मकरो के आकडे वर्ष 1991	149
25	चयनित परिवारो की सख्या और कर्मकरो का मानक वर्गीकरण ।	175
26	चयनित कर्मकर परिवारो के वार्षिक रोजगार दिवस के अन्तर्गत स्वरोजगार ।	188
27	चयनित कर्मकर परिवारो का व्यवसाय के अनुसार रोजगार ढॉचा (प्रति कर्मकर दिवस)	194
	<b>उत्तर प्रदेश का मानचित्र ।</b>	
	<b>जनपद-इलाहाबाद का मानचित्र ।</b>	



**प्रस्तावना**

# अध्याय 1

## प्रस्तावना

- 1.0. अध्ययन के विषय में
- 1.1. ग्रामीण विकास के मुख्य घटक
  - 1.1.1 कृषि विकास
  - 1.1.2. पशुपालन
  - 1.1.3 लघु एव कुटीर उद्योग
  - 1.1.4 कृषि वानिकी
  - 1.1.5 ग्रामीण विद्युतीकरण
  - 1.1.6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ससाधनो मे भूमि, सिचाई सुविधाएँ, सडक, पेयजल की व्यवस्था एव आवास तथा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना
  - 1.1.7 शिक्षा एव साक्षरता
  - 1.1.8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- 1.2 ग्राम विकास के प्रत्यागम
  - 1.2.1 सामुदायिक विकास सिद्धान्त
  - 1.2.2 महात्मा गॉधी का ग्राम विकास सिद्धान्त
  - 1.2.3 भूदान आन्दोलन
  - 1.2.4 जिला ग्राम विकास अभिकरण
  - 1.2.5 ग्राम विकास मे स्वयं सेवी सगठन एजेन्सी के योगदान की योजना
- 1.3 विभिन्न देशो मे ग्रामीण विकास का तुलनात्मक अध्ययन
- 1.4 ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 1.5 भारत मे गरीबी एव बेरोजगारी
  - 1.5.1 अनैच्छिक बेरोजगारी सिद्धान्त के प्रारूप नर्क्स के विचार  
फाई रेनिस मॉडल  
लुइस मॉडल
- 1.6 ग्रामीण बेरोजगारी
- 1.7 बेरोजगारी एव गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

## अध्याय 1

# प्रस्तावना

राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के अनुसार “भारत गॉवों में बसता है और जब तक गॉवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता।”

### 1-0 अध्ययन के विषय में

‘भारत गॉवों का देश है जहाँ गॉवों की संख्या लगभग 5 लाख 80 हजार है। इन गॉवों में बसने वाली जनसंख्या भी शहरी जनसंख्या की तुलना में लगभग तीन गुनी अर्थात् शहरी जनसंख्या 23 करोड़ के विपरीत ग्रामीण जनगणना 67 करोड़ है।<sup>1</sup> सामाजिक—आर्थिक रूप से उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण वहाँ की निर्धनता है। ग्रामीण निर्धनता गॉवों के चतुर्मुखी विकास के लिए अभिशाप है। अधिकांश ग्रामीण समुदाय अशिक्षा एवं अज्ञानता की सर्कीणता से समस्याओं को हल कर पाने में असमर्थ दिखायी देते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित किया, तथा ग्रामीण विकास पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति, कृषि विकास, रोजगार, निम्न वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा, संचार व्यवस्था, और आवास सुविधा जैसे कार्यक्रमों को सम्मिलित किया है। इस प्रकार आज ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। वस्तुतः गॉव में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का (वह चाहे कोई भी हो) आर्थिक, सामाजिक और नैतिक सभी तरह का विकास हो सके यही ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण विकास एक लम्बी और व्यापक प्रक्रिया है। भारतीय सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एक जटिल समस्या है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यापक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

ग्रामीण जनता के विकास पहलुओ को चार समूहो मे विभक्त किया जा सकता है -

- 1 कृषि, भूमि सुधार, पानी की व्यवस्था, परिवहन और कृषि सम्बन्धी गतिविधिया आदि ग्रामीण जनसख्या की जीविका का साधन है।
- 2 लघु और मध्यम स्तर पर कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देना जिसके द्वारा श्रमिको और अन्य लोगो को कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त व्यवसाय प्राप्त हो सके।
- 3 आवास, सडके, इन्जीनियरिंग, और तकनीकी को एक कार्यशक्ति के रूप मे लेना।
- 4 शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक, अनौपचारिक और प्रौढ शिक्षा का जनसख्या के आयु-वर्ग के आधार पर प्रबन्ध करना।

इस प्रकार ग्राम विकास अविकसित एव अर्द्धविकसित ग्रामीण गरीब जनता के विकास से सम्बन्ध रखता है। ग्राम विकास से सम्बन्धित विभिन्न अर्थशास्त्रियो व विद्वानो ने भिन्न-भिन्न मत प्रस्तुत किए है। जो इस प्रकार निम्नवत् है -

1 विश्वबैंक के अनुसार 'ग्राम विकास ग्रामीण क्षेत्र के एक विशेष घटक अर्थात् ग्रामीण गरीबो के आर्थिक एव सामाजिक जीवन स्तर को सुधारने हेतु बनाई गई रणनीति है, यह घटक सीमान्त एव लघु कृषक बटाईदार तथा कृषि मजदूरो को समाहित करता है'।<sup>1</sup>

2 उमा लेले ने ग्राम विकास के सम्बन्ध मे कहा है—'ग्राम विकास ग्रामीण निम्न आर्थिक स्तर की जनता के जीवन स्तर को सुधारने की योजना है'।<sup>2</sup>

3 गॉंधी जी ने ग्राम विकास के बारे मे अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा था कि 'ग्राम ग्रामीण सरकार जिसे हम पचायत कहते है, के द्वारा शासित होगा जो ग्रामीण क्षेत्र मे शिक्षा, सफाई, कृषि एव रोजगार आदि की व्यवस्था करेगी।'

1 World Bank [1975], Rural Development, Sector Policy Paper, 1975, p, 03,

2 Uma Lele [1975] The Design of Rural Development - Lessons froms World Bank, Africa )

4 शर्मा और मल्होत्रा ने ग्राम विकास को परिभाषित करते हुए कहा है 'ग्राम विकास, विकास की एक योजनाबद्ध प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत ग्राम का समग्र विकास किया जाता है समग्र विकास के अन्तर्गत न केवल आर्थिक क्रिया कलापो का समावेश है बल्कि इसके अन्तर्गत कृषि, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, शिक्षा, साक्षरता, नागरिक सुविधाएँ, परिवार नियोजन, आदि को सम्मिलित कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।'

5 मिश्रा और सुन्दरम् के अनुसार—'ग्रामीण विकास ग्राम की जनता के जीवन में सख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाना है। इसके अन्तर्गत सभी दृष्टिकोणों से दृश्य सामाजिक—आर्थिक तकनीकी आदि दृष्टि से अपेक्षित सुधार करना है'।

अतः समग्र ग्राम विकास का आशय ग्रामोद्धार के लिए सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है।

## 1.1 ग्रामीण विकास के मुख्य घटक

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यहाँ कि लगभग 73 प्रतिशत जनसख्या गाँवों में निवास करती है। अतः इस दृष्टिकोण से समय—समय पर सरकार एवं योजनाकारों ने ग्रामीण प्रगति करने के लिए ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जिसमें ग्रामीण विकास के मुख्य घटकों पर भी जोर दिया गया।

वस्तुतः ग्रामीण विकास के मुख्य घटकों का विवरण व महत्त्व कुछ इस प्रकार स्पष्ट है—

### 1.1.1 कृषि विकास

भारत के ग्रामीण विकास में योजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होते ही, कृषि क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। इसका स्पष्ट कारण, हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता एवं ग्रामीण समाज के वर्ग की आय का काफी बड़ा स्रोत है। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969—74) में कृषि सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया, और कृषि विकास

3 Ashok Kumar, Planning and Development of Rural India (1984-85) PP 4 )

4 Ashok Kumar, Planning and Development of Rural India (1984-85), PP 5 )

की दृष्टि में विभिन्न उपाय जैसे सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों, कृषि सम्बन्धी यंत्रों का विस्तार, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार, और न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति की घोषणा, द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास किए गए।

भारत में लाखों किसानों के रोजगार अवसरों व आय में वृद्धि, कृषि और उससे सम्बन्धित ग्रामोद्योग की सहायता में कृषि विकास का अत्यन्त महत्त्व है।

### 1.1.2. पशुपालन

ग्रामीण विकास में पशुपालन के क्षेत्र में मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, गाय पालन, भेड़ पालन, इत्यादि की अहम भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देश में कृषि से होने वाली राष्ट्रीय आय में पशुधन का योगदान करीब 10-12 प्रतिशत तक है। अतः कृषि का एक महत्त्वपूर्ण अंग पशुपालन है। इस दृष्टि से यह लघु और सीमान्त किसानों, ग्रामीण महिलाओं, और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

यह दूध, गोबर, अण्डे, ऊन, चमड़ा, खाल और हड्डियाँ देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है। जहाँ एक ओर बैल, ऊँट, घोड़े आदि हल जोतते हैं तो दूसरी ओर ग्रामीण पशु, कच्ची सड़कों पर यातायात के एकमात्र साधन भी हैं।

### 1.1.3. लघु एवं कुटीर उद्योग

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, अर्द्धबेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी के कारण गभीर परिस्थितियाँ विद्यमान हैं अतः लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूँजी के द्वारा अधिक हाथों को रोजगार दिया जाना संभव होता है। ग्रामीणों की शहरों की ओर पलायन की प्रक्रिया में कमी व छोटे उद्योगों की स्थापना से गाँव में महिला श्रम का सदुपयोग भी होता है। अतः ग्रामीण विकास के घटक में लघु एवं कुटीर उद्योग के महत्त्व को स्वीकार करते हुए महात्मा गाँधी का यह कथन—“भारत का मोक्ष उसके लघु एवं कुटीर उद्योगों में निहित है।” आज भी प्रासंगिक है।

### 1.1.4. कृषि वानिकी

ग्रामीण विकास के मुख्य घटको में कृषि वानिकी का भी महत्त्व है। फसलो के साथ-साथ उसी भूमि पर वृक्षों की संख्या को भी क्रमबद्ध तरीके से उगाना ही कृषि वानिकी कहलाता है। वृक्षों की कटाई से भारत वर्ष का वन क्षेत्र दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब भारत में समस्त भूमि के 13 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही वन रह गए हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में किसानों को अपनी भूमि पर कृषि वानिकी पद्धति को अपनाना चाहिए, क्योंकि कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को ईंधन उपलब्ध कराना, पर्यावरण को शुद्ध रखना, वन उपज एवं औषधि देने वाले पौधे लगाकर लघु उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त जानवरों की चारे की आवश्यकता पूर्ति के लिए फसलो के साथ-साथ पेड़ पौधों तथा उपयोगी झाड़ीनुमा पौधों को भी शामिल किया जाता है।

### 1.1.5. ग्रामीण विद्युतीकरण

किसी देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वहाँ की समृद्धि और प्रगति का मापदण्ड माना जाता है। बिजली ऊर्जा का सबसे सशक्त और महत्त्वपूर्ण साधन है। यद्यपि हमारा देश बिजली के उत्पादन में न केवल विकसित देशों से बल्कि अनेक विकासशील देशों से भी काफी पीछे है। उक्त तथ्यों की पुष्टि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में यह खपत 9348 किलोवाट, जापान में 4008, दक्षिण कोरिया में 2206, तथा भारत में केवल 223 किलोवाट है।<sup>1</sup> तथापि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बिजली का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सिंचाई तथा खेती बाड़ी के अन्य कार्यों में बिजली के उपयोग की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सड़कों और घरों में रोशनी और सूचना के माध्यमों तथा पढाई-लिखाई के लिए भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। गाँवों में बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी) तथा ग्रामीण बिजली सहकारी समितियों की स्थापना की गई।

### 1.1.6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संसाधनों में भूमि, सिंचाई सुविधाएं, सड़क, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं आवास तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना

ग्रामीण जनता के विकास पहलुओ मे इनकी अहम् व महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से बुनियादी न्यूनतम सेवाओ के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव मे शत-प्रतिशत शुद्ध पेयजल सुलभ करने, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने, आवासहीन व झोपड-पट्टियो मे रहने वाले लोगो तथा वृद्धो एव गरीब परिवारो को आवासीय सुविधा देने और परिवहन व यातायात सुविधा के अन्तर्गत गाँवो को पक्की सडको से जोडने की आवश्यकता है।

### 1.1.7. शिक्षा एवं साक्षरता

महात्मा गाँधी ने शिक्षा एव साक्षरता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था—“करोडो लोगो का निरक्षर रहना राष्ट्र के माथे पर कलक है तथा देश की स्वाधीनता के लिए खतरा, हमे इससे मुक्ति पानी ही होगी।” उक्त विचारो से स्पष्ट है कि देश का विकास तभी संभव है जब देश के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो के नागरिक शिक्षित और सुसस्कृत हो। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के योजनाकारो ने शिक्षा की प्राथमिकता को सवैधानिक स्थान दिया। परन्तु आज 47 वर्षो के बाद भी विश्व बैंक के अनुसार विश्व के सर्वाधिक निरक्षर लोग सिर्फ भारत मे है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो मे ग्रामीण विकास की अनेक योजनाए लागू होने के बाद भी प्रत्येक गाँवो मे न तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो पायी है और न ही प्राथमिक विद्यालयो की ठीक तरह से स्थापना की गई है। अत गाँवो मे रुढिवादी परम्पराओ को समाप्त करके शिक्षा एव साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का विकास कर गाँवो के भी विकास मार्ग को विस्तृत आयाम दे सकती है।

### 1.1.8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

ग्रामीण क्षेत्रो मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास के द्वारा गरीबो को आवश्यक वस्तुएँ सस्ती कीमतो पर उपलब्ध कराई जाती है अत मूल्यो मे स्थिरता लाने और निर्धनो को जरूरी चीजे वितरित करने मे इनके महत्त्व को देखते हुए प्रत्येक गाँवो मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करना आवश्यक है।



ग्रामीण विकास के मुख्य घटको के अतिरिक्त अन्य घटको के रूप में कार्यान्वित योजनाएँ जैसे—एकीकृत ग्राम विकास योजना, महिला एवं बाल विकास योजना एवं पुष्टा आहार योजना इत्यादि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक वर्ग को इन योजनाओं के साथ जोड़कर उन्हें विकास कार्यों में सहभागी बनाया जाता है। जिससे ग्रामीण समाज की दशा में चर्तुमुखी प्रगति उपलब्ध हो सके।

## 1.2 ग्राम विकास के प्रत्यागमं

भारत में समुचित ग्रामीण विकास की आवश्यकता दीर्घकाल से अनुभव की जा रही थी। विचारको और नीतिनिर्धारको का यह विचार था कि विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्यों में ग्राम वासियों को सहभागी बनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से स्वतंत्रता से पूर्व व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर जनसहभागिता की परिकल्पना में वर्धा, श्री निकेतन, मारतऽम, गुडगाँव, बडौदा, इटावा एवं फरीदपुर में ग्रामीण विकास की अनेक परियोजनाएँ व रणनीतियाँ बनायी गयीं। परन्तु विदेशी शासन की तटस्थ नीति और ससाधनों की कमी के कारण इसको अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही ग्राम विकास को व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया और इसके लिए योजनाएँ बनाई गईं और उन्हें प्रतिपादित किया गया, इनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है—

### 1.2.1 सामुदायिक विकास सिद्धान्त

सामुदायिक विकास से आशय उन सगठित एवं सुनियोजित क्रियाओं से है जिनमें विकास और कल्याणकारी क्रियाओं में जनसमुदाय के प्रयास के साथ—साथ राजकीय प्रयास को भी मिलाया जाता है। जनसमुदाय और सरकार की विकासगत और कल्याणकारी क्रियाओं के समन्वय को ही सामुदायिक विकास कहते हैं। इस प्रकार “सामुदायिक विकास सिद्धान्त एक प्रक्रिया, एक सिद्धान्त, एक कार्यक्रम तथा ग्राम विकास का एक आन्दोलन है।”<sup>1</sup>

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 में प्रयोगात्मक आधार पर 55 मार्गदर्शी योजनाओं

से आरम्भ किया गया था। इनमें 27388 गाँव और 164 करोड़ जनसंख्या सम्मिलित थी। प्रत्येक परियोजना का विस्तार—क्षेत्र लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर था। अप्रैल 1958 में इस ढाँचे में परिवर्तन लाया गया, जिसके अनुसार एक सामुदायिक विकास क्षेत्र में सामान्यतः 110 गाँव 92 हजार जनसंख्या और 620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। अब देश के समस्त गाँवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम फैला है इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को विकास खण्डों में विभाजित करके ग्राम स्तर पर कर्मचारियों को नियुक्त कर सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण उद्योग धंधों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई जाती हैं।

सामुदायिक विकास कार्य का संगठन और प्रशासन बहुस्तरीय है। कार्यक्रमों का व्यापक प्रतिरूप केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिला, खण्ड, एवं गाँव स्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की एक श्रृंखला होती है। ग्राम स्तर पर कार्यक्रम को लागू करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी लगभग 10 गाँवों में इस कार्यक्रम को चलाता है।

सामुदायिक विकास के अन्तर्गत विशेष तौर से उन विन्दुओं पर बल दिया गया जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आर्थिक स्तर की जनता से सम्बन्ध रखते थे। सामान्यतः सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में देश के आर्थिक विकास में कुछ सहयोग दिया जिसे सामान्य जनता में उन्नत जीवन के निर्माण की आशा निर्मित हुई। इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए नेहरू जी ने कहा था, “सामुदायिक परियोजनाएँ कान्तियुक्त अत्यन्त आवश्यक एवं गतिवान् चिन्तारिया हैं, जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणें प्रवाहित होती हैं।”<sup>2</sup>

यू.एन. टेक्निकल मिशन के अनुसार, “भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख प्रयोगों में से है, जिसके परिणामों में समस्त विश्व को रुचि है।”<sup>3</sup>

2. डा. बट्टी विशाल त्रिपाठी, भारतीय अर्थव्यवस्था, 1987, पृ. सं 385

3. डा. बट्टी बि. शाल त्रिपाठी, भारतीय अर्थव्यवस्था, 1987, पृ. सं 385

इन उपलब्धियों के बावजूद सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपेक्षित प्रगति नहीं कर सका। इस कार्यक्रम की प्रगति मद गति से हुई और इस कार्यक्रम का अधिकांश लाभ समाज के सम्पन्न वर्ग के लोगों को मिले है जबकि छोटे कृषक, भूमिहीन कृषक, मजदूर, शिल्पकार इत्यादि लोग अत्यन्त कम लाभ प्राप्त कर सके हैं। इस कार्यक्रम में समुचित प्राथमिकताओं के क्रम के आभाव के कारण ही अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रमों को पूरा नहीं किया जा सका, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों में सेवा भावना की कमी भी पायी गयी इस सम्बन्ध में प्रो एस सी दुबे ने गभीर विवेचन किया तथा उनका विचार है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर शाह की भांति कार्य करते हैं और वे सक्रिय समाज सेवा भावना द्वारा परिवर्तन के अभिकर्ता नहीं बने हैं। सामुदायिक विकास—विषयक अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इनमें आर्थिक विकास के अधिक आवश्यक कार्यक्रमों जैसे—उत्पादकता में वृद्धि, अधिक उपजाऊ किरमों के बीज, रोजगार की व्यवस्था इत्यादि को अधिक महत्त्व न देकर वरन् कल्याण कार्यक्रमों जैसे मनोरजन के साधन, अस्पताल आदि के विकास पर अधिक जोर दिया गया। अस्तु इनकी उपलब्धियों में कमी के कारण इसके स्थान पर विभिन्न स्थानीय महत्त्व की योजनाएँ प्रारम्भ की गईं जैसे आई आर डी पी, एन आर ई पी, आर एल ई जी पी, डी पी ए पी, डी डी पी डी डब्लू सी आर ए इत्यादि।

### 1.2.2. महात्मा गॉंधी का ग्राम विकास सिद्धान्त

गॉंधी जी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ-साथ ग्राम विकास पर भी बल दिया और समग्र ग्राम विकास हेतु रूप-रेखा तैयार कर 1920 में सेवाग्राम तथा 1938 में वर्द्धा में आदर्श केन्द्र स्थापित किए। 30 जनवरी 1948 को गॉंधी जी ने कांग्रेस की महासमिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि—“भारत को राजनैतिक आजादी तो मिल गई है लेकिन उसे अभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना बाकी है। वह भी, शहरों और कस्बों से भिन्न, उसके 7 लाख गँवों के सन्दर्भ में।”

जब देश में पंचवर्षीय योजना पर विचार शुरू हुआ तो गॉंधी जी ने चेतावनी देते हुए कहा था—“करोड़ों निर्धन जनता की परवाह न करने वाली कोई भी योजना न तो देश में समतोल कायम रख सकती है और न

सब इनसानो को बराबरी का दरजा दे सकती है।<sup>4</sup> इसीलिए गॉंधी जी ने ऐसी योजना की हिमायत की जिसमें गाँव को ही अर्थ रचना का केन्द्र माना जाए।

इस प्रकार गाँवों में उत्पन्न समस्याओं को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में देखा और अपनी यात्राओं के द्वारा उन पर विचार करके ग्राम विकास के लिए रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके कुछ विचार एवं कार्यक्रम इस प्रकार थे—

उन्होंने ग्राम विकास में ग्रामीण जनता के पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक ग्रामीण जनता, जिसके लिए विकास करना है स्वयं अपना विकास करने के लिए अग्रसर नहीं होगी, तब तक विकास की सरकारी योजनाएँ कारगर सिद्ध नहीं होंगी। उन्होंने स्वावलम्बन द्वारा अर्जित विकास को वास्तविक विकास की सज्ञा दी। उन्होंने कहा ग्रामीण अंचलों में सच्चा स्वराज्य तभी स्थापित हो सकेगा जब जनता स्वयं विकास के महत्त्व को समझेगी और स्वयं विकास करेगी।

गाँवों में जमींदारी प्रथा के कारण छोटे किसानों और मजदूरों का निरन्तर शोषण हो रहा था, गॉंधी जी ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। वे ग्राम विकास के लिए कृषकों की स्थिति में सुधार लाना परमावश्यक समझते थे। इसके अतिरिक्त मजदूरों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा—“पूँजी की अपेक्षा श्रम का महत्त्व कहीं अधिक है। बिना श्रम के सोना, चादी, तांबे का कोई महत्त्व नहीं। श्रमिक ही इन कीमती धातुओं को धरती के गर्भ से निकालते हैं। सोना नहीं श्रम अनमोल है। श्रम के साथ जब तक पूँजी का गठबंधन न हो तब तक पूँजी का कोई महत्त्व नहीं। दोनों के सहयोग से आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते हैं। इस सहयोग के लिए दोनों के बीच बाइज्जत समानता जरूरी है।<sup>5</sup> सब लोगों का उदय या “सर्वोदय” ही गॉंधी जी का लक्ष्य था उनके मतानुसार सर्वोदय का अर्थ आदर्श समाज व्यवस्था है इस समाज व्यवस्था में सब बराबर के सदस्य होंगे किसी भी व्यक्ति या समूह का दमन या शोषण नहीं किया जाएगा, इस प्रकार यदि आदर्श ग्राम सेवक तैयार हो जाए तो आदर्श गाँव की स्थापना हो सकती है।

4 हरिजन सेवक, 26 मार्च, 1947

5 महात्मा गॉंधी द लास्ट फेज, खण्ड-1

उनका विचार था कि देश का आर्थिक भविष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हो, इसलिए वे कुटीर और ग्रामोद्योग पर बल देते थे। उन्होंने “हाथ से कमाओ और सीखो” पर बल दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए गॉंधी जी ने जो कार्यक्रम तैयार किए वे इस प्रकार थे—खादी का प्रयोग, ग्रामोद्योग में धान फूटकर चावल तैयार करना, गुड बनाना, नीम का तेल निकालना, हाथ से कपड़ा बुनना, मृत पशुओं का उपयोग, हाथ द्वारा कागज बनाना, ऊँची कम्बल तैयार करना, प्रारम्भिक और प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना, नारी कल्याण कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आरोग्य शास्त्र की शिक्षा, आर्थिक रामानता लाने की गतिविधियाँ, छुआछूत दूर करना, साम्प्रदायिक शांति, नशाबन्दी, मातृ और राष्ट्रभाषा का प्रसार आदि।

गॉंधी जी ने ग्राम-विकास के लिए अक्षर ज्ञान की भी चर्चा की। सिचाई साधनों का अधिकाधिक विकास होना चाहिए वे कहते थे कि देश की नदियों की उपयोगिता बाध-बाधकर की जा सकती है इससे कम समय में अधिक खेती को पानी दिया जा सकता है और उपज में वृद्धि की जा सकती है जो कि कृषि विकास में सहायक सिद्ध होगी।

वे गाँवों में पंचायती राज के समर्थक थे, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर ही आजाद भारत की संविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए गए। और पंचायत राज्य कानून में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया।

वे मानते थे कि “जब गाँवों का पूरा-पूरा विकास हो जाएगा, तो देहातियों की बुद्धि और आत्मा को सन्तुष्ट करने वाले कला के धनी स्त्री-पुरुषों की गाँव में कमी नहीं रहेगी”। गॉंधी जी के शब्दों में—“यदि आदर्श गाँव का मेरा स्वप्न पूरा हो जाए तो भारत के सात लाख गाँवों, गाँव में से हर एक समृद्ध प्रजातंत्र बन जाएगा।”<sup>6</sup> गॉंधी जी के ग्राम विकास सम्बन्धी उपर्युक्त विचार एवं कार्यक्रम गाँवों के चर्तुमुखी विकास में सहायक हैं।

### 1.2.3. भूदान आन्दोलन

विनोवा भावे दूर दृष्टा, दर्शन और तर्कशास्त्र के मर्मज्ञ थे, उन्होंने जहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, वही धार्मिक स्तर पर गीता का सार भी लिखा। वे खादी ग्रामोद्योग, गोपालन, आचार्य कुल स्वावलम्बन जैसे अनेक कार्यक्रमों के सूत्रधार भी थे। वे सम्पूर्ण जगत का कल्याण चाहते थे। विनोवा भावे जी ने भारतीय दरिद्रनारायण की रक्षार्थ एव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु भूदान आन्दोलन का सूत्रपात किया। जिसके अन्तर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक गाँव में ऊसर, बन्जर, चारागाह तथा अन्य उपयोग में लाने हेतु बेकार पड़ी हुई भूमि को सुधारा जाए, और उसे गरीब एव कृषि मजदूरों में वितरित किया जाए, ताकि उनकी सामाजिक एव आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके।

इस प्रकार देश में विनोवा जी ने भूदान का सदेश दिया। वे गाँव में भूमिदान से कहते—“घर में आप पाच सदस्य हैं, भूमिहीनों के प्रतिनिधि के रूप में मुझे छठा मानिए और इसलिए उनकी खातिर अपनी जमीन का छठा हिस्सा मुझे दीजिए।” उन्होंने कहा—“दान सविभाग (दान माने समान वितरण)। उन्होंने वेद का हवाला देकर कहा—माता भूमि पुत्रोऽह पृथिव्या अर्थात् (भूमि हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं)।

भूमिहीनों के लिए लगभग चालीस लाख एकड़ जमीन विनोवा जी को मिली। इसमें से आधी के करीब बाटी जा चुकी है। इस भूदान आन्दोलन के विषय में अर्थशास्त्री प्रोफेसर डी आर गाडगिल ने दिसम्बर 1957 में कहा है कि—“भूदान आन्दोलन कल्पना की दृष्टि से ऐसा मौलिक है, शैली की दृष्टि से इतना अद्भुत है और उद्देश्य की दृष्टि से इतना क्रांतिकारी है कि इसको समझने और सही सन्दर्भ में रखने के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत है।”

सरकार ने भूदान के प्रति अपना अधिक सहयोग नहीं दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि आज देश में भूमि विषमता बढ़ी है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि गाँव-गाँव की भूमि पर किसी व्यक्ति या सरकार का स्वामित्व न होकर ग्राम पंचायत का होना चाहिए और भूमि की खरीद व बिक्री समाप्त होनी चाहिए। भूमि जोतने वाले को दी जानी चाहिए और गाँव के उद्योग धन्धे पशु-पालन, शिक्षा आदि के लिए भूमि निर्धारित की जाए जिससे गाँव में कोई बेरोजगारी न रहे। इसके अतिरिक्त यदि राज्य ग

केन्द्र सरकार या किसी अन्य समुदाय को भूमि की आवश्यकता होने पर उसका निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा ही करना चाहिए।

#### 1.2.4. जिला ग्राम विकास अभिकरण

1980 के दशक में भारत सरकार ने ग्राम विकास हेतु जनपद स्तर पर कार्यरत सभी विभागों को संगठित कर, जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक जनपद में जिला ग्राम विकास अभिकरणों की स्थापना की। इस योजना के अन्तर्गत विकास के लिए मुख्य रूप में जिलाधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया।

जिला ग्राम विकास अभिकरण के माध्यम से ग्रामों का समग्र विकास करने हेतु जिलाधिकारियों को और अधिक प्रशासकीय एवं आर्थिक शक्ति सम्पन्न बनाया गया। जिलाधिकारी को विकास कार्यों में सहयोग देने के लिए 'मुख्य विकास अधिकारी' का पद सृजित किया गया। जिसे जिला अधिकारी के स्थान पर विकास कार्यों के लिए विशेष दायित्व सौंपा गया।

#### 1.2.5. ग्राम विकास में स्वयं सेवी संगठन एजेन्सी के योगदान की योजना

ग्रामीण विकास एक जटिल कार्य है जिसे सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए न तो अपेक्षित संसाधन हैं और न ही अपेक्षित सक्षम मशीनरी। ग्रामीण विकास के कार्य को स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से काफी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से 1980 के उत्तरार्द्ध में ग्रामीण विकास कार्यों में स्वयंसेवी संगठनों को भागीदारी सौंपी गई। स्वयंसेवी संगठन स्थानीय लोगों को विकास कार्यक्रमों से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण विकास के कार्यों में लगी स्वयंसेवी एजेन्सियों को वित्त लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् कार्पाट के माध्यम से दिया जाता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पंजीकृत संस्था है।

जनवरी 1994 में कार्पाट द्वारा 11733 परियोजनाएँ बनायी गईं और इसी अवधि में लगभग 4285 स्वयंसेवी संगठन एजेन्सियों को 233 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई। इस वर्ष सरकार द्वारा कार्पाट को ग्रामीण विकास में लगी एजेन्सियों की सहायता के लिए 7250 करोड़

रुपये भी दिए गए, जबकि पिछले वर्ष 61 करोड रुपए ही मिले थे। इस प्रकार स्वयंसेवी सगठनों को वित्तीय सहायता देकर विभिन्न ग्राम विकास कार्यों के लिए नियुक्त किया गया।

वर्तमान में स्वयंसेवी संस्थाएँ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में शिक्षा, सफाई, मनोरंजन, भूमि सुधार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, पर्यावरण सुरक्षा, आदि क्षेत्रों में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं।

### 1.3 विभिन्न देशों में ग्रामीण विकास का तुलनात्मक अध्ययन

विश्व के किसी भी देश का ग्रामीण विकास वहाँ के आर्थिक विकास दर पर निर्भर करता है। चूँकि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें निर्धनता दूर करना, वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि करना, आर्थिक असमानता में कमी लाना, उपभोग का न्यूनतम स्तर लाना, विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं समृद्धि में भारी अन्तर को कम करना, अर्थव्यवस्था का विभेदीकरण तथा आधुनिकीकरण आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न विश्व स्तर के देशों में आर्थिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण विकास की सम्भावनाओं में काफी अन्तर पाया जाता है। अतः इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम—विकसित और द्वितीय अल्पविकसित अर्थव्यवस्था।

विकसित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत नागरिकों को भोजन, कपड़ा व मकान की आवश्यकताएँ सरलता से सन्तुष्ट कर देती हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं में निर्धनता एवं बेरोजगारी नियंत्रित रहती है। विकसित देशों में अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन आदि आते हैं।

इसके विपरीत संसार में ऐसे भी देश हैं जहाँ नागरिकों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। जीवन स्तर बहुत नीचा है, और बेरोजगारी एवं अशिक्षा अधिक मात्रा में पायी जाती है ऐसे देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा आदि आते हैं, ये सभी देश अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं।



विश्व के अन्य देशों के साथ भारतीय ग्रामीण विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि व्यवसाय में लगा होता है। भारत में लगभग 67 प्रतिशत जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी है जिसका राष्ट्रीय आय में योगदान 34 प्रतिशत है। इसके पूर्व विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 1983, 1988 के अनुसार 'कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत भाग इंग्लैण्ड में 2 प्रतिशत जिसका कुल राष्ट्रीय आय में योगदान 2 प्रतिशत है इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 प्रतिशत सोवियत संघ में 14, व जापान में 12 प्रतिशत है' जिनका कुल राष्ट्रीय आय में योगदान क्रमशः 3, 16 व 4 प्रतिशत है जबकि भारत में इन्हीं योजनावधि के अन्तर्गत 71 प्रतिशत चीन में 74 प्रतिशत और ब्राजील में 30 प्रतिशत था। अतः इन आंकड़ों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या लगी है अतः कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होने के बावजूद कृषि विकास का स्तर नीचा ही है अर्थात् कृषि का पिछड़ापन है, फलतः कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली आय इस व्यवसाय में लगी हुई जनसंख्या के अनुपात से नीची है। अतः आय के नीचे स्तर के कारण आर्थिक विकास की गति अल्पविकसित अवस्था में होने से ग्रामीण विकास की प्रगति भी इन देशों की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी है क्योंकि कृषि के मौसमी व्यवसाय होने के कारण अधिकांश ग्रामीण जनता को सालभर में 5—6 महीने ही काम उपलब्ध हो पाता है शेष खाली महीनों के समय में उन्हें अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अभाव के कारण बेराजगार रहना पड़ता है फलतः उनके आय एवं उपभोग के स्तर में गिरावट आती है। विभिन्न देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत आंकड़ों को तालिका 11 में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय ग्रामीण ढाँचे में कृषि के आंकड़ों की तुलना अन्य देशों से भूमि की उत्पादकता और कृषि में लगे श्रम की उत्पादकता के आधार पर करने पर यह बात सिद्ध होती है कि भारत में भूमि की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। तालिका 12 के आंकड़ों के तुलनात्मक अध

ययन से ऐसा स्पष्ट होता है, भारत में गेहूँ और गन्ने की उत्पादकता अमेरिका की तुलना में तीन-चौथाई है। चावल और मूँगफली की उत्पादकता भारत में तो अमेरिका की तुलना में केवल एक-चौथाई है। भारत में उत्पादकता कई अन्य अल्पविकसित देशों जैसे चीन, मिस्र, और इंडोनेशिया की तुलना में भी कम है। उदाहरण के लिए भारत में गेहूँ की उत्पादकता मिस्र में उत्पादकता का मात्र 56.7 प्रतिशत है, चावल की उत्पादकता चीन में उत्पादकता का केवल 26.9 प्रतिशत है, गन्ने की उत्पादकता इंडोनेशिया की तुलना में मात्र 67.9 प्रतिशत है तथा मूँगफली की उत्पादकता चीन में उत्पादकता का केवल 44.7 प्रतिशत है बाकी के फसलों में भी लगभग यही स्थिति पाई जाती है।

### तालिका 11

विश्व के विभिन्न देशों में कृषि में कार्यशील जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय में कृषि के प्रतिशत आकड़ों की तुलना (वर्ष 1981)

देश	कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत भाग	कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रतिशत भाग
इंग्लैण्ड	2	2
स राज्य अमेरिका	2	3
सोवियत संघ (1980)	14	16
जापान	12	4
भारत	71	37
चीन	74	35
ब्राजील	30	13

स्रोत World Bank, World Development Report, 1983, Table-3, pp 152-3  
World Bank, World Development Report 1988, Table 21, pp 214-5

## तालिका 12

विश्व के कुछ देशो मे फसल उत्पादकता मे अन्तर के आँकडे (वर्ष 1985)

फसल	-	(किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)
		उत्पादकता
गेहूँ	फ्रांस	6 454
	मिस्र	3 300
	अमेरिका	2 600
	भारत	1 870
चावल	जापान	6 414
	अमेरिका	5 520
	चीन	5 271
	भारत	1 417
गन्ना	अमेरिका	84 238
	इंडोनेशिया	85 345
	चीन	62 001
	भारत	57 673
मूँगफली	अमेरिका	3 270
	जापान	1 787
	चीन	2 007
	भारत	898

स्रोत

Government of India, Indian Agricultural in Brief, 21st edition, Table 3 6, pp 377-79

## तालिका 13

भारत तथा विश्व के कुछ देशों के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रम की उत्पादकता के तुलनात्मक आकड़े (वर्ष 1985)

देश	प्रति पुरुष श्रमिक उत्पादन
भारत	22
जापान	131
कनाडा	1152
अमेरिका	1235
अर्जेंटाइना	429
आस्ट्रेलिया	1258
इंग्लैण्ड	573
जर्मनी	496
नार्वे	334
ताइवान	81

स्रोत S N Kulshreshtha and D D Tiwari, "Agriculture in India Problems and Prospects", in J S Uppal (ed) India's Economic Problems, (New Delhi, Reprint 1987) Table 5 12, p 107

भारत में कम उत्पादकता के ये स्तर इस बात के प्रतीक हैं कि भारतीय गाँवों में उचित युक्ति नीतियाँ इन देशों की अपेक्षा कम विकसित हैं। जिससे भारतीय ग्रामीण विकास की प्रगति इन देशों की तुलना में कम है।

इसी प्रकार भारतीय कृषि में लगे श्रम की उत्पादकता भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, ऐसा तालिका 13 के आकड़ों से स्पष्ट है। 1985 में भारत में श्रम की उत्पादकता अमेरिका में श्रम की उत्पादकता का मात्र 18 प्रतिशत जापान में श्रम की उत्पादकता का मात्र 16.8 प्रतिशत तथा ताइवान में श्रम की उत्पादकता का मात्र 27.1 प्रतिशत थी।

भारत में पूँजी का अभाव है इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1989-90 में पूँजी निर्माण की दर 15.3 प्रतिशत थी जबकि जापान में 33 प्रतिशत एवं कनाडा में 21 प्रतिशत है। अतः विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में पूँजी निर्माण की दर

नीची है, इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ न पहुँचाने का कारण पूजा निर्माण की नीची दर व पूजा के अभाव को माना जाता है। इसके कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। उद्योग स्थापना के लिए, पानी, बिजली, सड़के जैसी आधारभूत सुविधाएँ आवश्यक होती हैं, क्योंकि उद्योग पति इन सुविधाओं को ध्यान में रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में अधिक मात्रा में पूजा की आवश्यकता पड़ती है। पूजा के अभाव के कारण औद्योगिक विकास में बाधा आती है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास अवरूद्ध होता है। सम्भवतः यही कारण है कि विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन मौजूद है।

भारत में जनसंख्या का घनत्व, विकसित देशों की तुलना में अधिक है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रतिवर्ग किलोमीटर में 267 व्यक्ति रहते हैं जबकि अमेरिका में यह संख्या 22 और सोवियत संघ में 11 है। भारत के न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी, अज्ञानता और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अधिक सफलता नहीं मिल पायी है, जिससे शहरी जनसंख्या के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

यदि विश्व के अन्य कृषि प्रधान देशों की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट है कि पिछले तीस वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में जनसंख्या जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसके कारण इन देशों के ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार की विशेष सम्भावनाएँ नहीं हैं और रहन-सहन का स्तर गिर गया है। इस दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि यदि किसी देश में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 2 प्रतिशत है तो प्रति व्यक्ति आय को स्थिर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आय में कम से कम 2 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए जिसके लिए कम से कम 8 प्रतिशत राष्ट्रीय आय का निवेश होना चाहिए जो कि पिछड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सम्भव नहीं होता है जिससे आर्थिक विकास को प्राप्त करना कठिन होता है और ग्रामीण विकास के तीव्रता की सम्भावना कम बनी रहती है।

यदि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तुलना विश्व के अन्य विकसित देशों के कृषि के तकनीकी दृष्टिकोण से की जाए तो स्पष्ट है कि भारतीय

तकनीक पिछड़ी अवस्था में है क्योंकि अन्य अल्पविकसित देशों की तरह भारत में भी पूँजी का अभाव और श्रम की अधिकता के कारण नये तकनीक का प्रयोग सम्भव नहीं हो पाता और वे गरीबी के कारण पुरानी तकनीक को ही अपनाए रहते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी देशों में ग्रामीण कृषक उत्पादन की नई रीति अथवा मशीनों के प्रयोग को आसानी के साथ अपना लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन देशों की कृषि उत्पादन में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आर्थिक विकास एवं ग्रामीण विकास की प्रगति में सहायक हुई है।

विश्व के कई विकसित देशों में से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन इत्यादि रूढ़िवादी देश नहीं हैं, परन्तु भारत देश के सामाजिक ढाँचे में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़िवादिता अभी भी बनी हुई है यद्यपि देश में भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए तथापि ग्रामीण संरचना ज्यों की त्यों है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वित्त प्रदान करने के विशिष्ट संस्थाओं के अतिरिक्त महाजनो की जकड़ पूर्ववत् बनी हुई है।

उपर्युक्त तत्त्वों के परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामीण विकास की प्रगति विश्व के अन्य देशों की तुलना में धीमी व अल्पविकसित है।

#### 1.4. ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ह्रास लगभग दो सौ वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ जब हमारा देश उपनिवेशवादी शासन के चंगुल में फँस गया था, मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्वायत्तता में लगातार हस्ताक्षेप करके उस पर गहरे घाव छोड़ दिए थे।

यद्यपि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर और अतिरेक वाली अर्थव्यवस्था थी। अधिकांश आवश्यकताओं के सन्दर्भ में गाँव आत्मनिर्भर थे। भू-राजस्व का समयानुसार भुगतान करना ग्रामवासियों का मुख्य दायित्व था। विभिन्न प्रकार की धातुओं के मिश्रण और उन पर आधारित निर्माण कार्य, स्वर्ण और चांदी के आभूषण ताबे की कलात्मक वस्तुओं का व्यवसाय, इत्यादि अत्यन्त विकसित थे।

ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की उपरोक्त व्यवस्था की सबल और सन्तुलित आर्थिक स्थिति के कारण ही इसे प्रभूत धन सम्पदा वाला देश माना जाता था। यद्यपि इसके वैज्ञानिक और पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं

परन्तु इसका कुछ आभास तत्कालीन आर्थिक साहित्य, जिसका विवरण मुख्यतः दूसरे देशों से आये हुए प्रमुख पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों से मिलता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के आरम्भ में आने वाले विदेशी पर्यटकों ने प्रायः इस बात का उल्लेख किया है कि उस समय भारत के गाँव अत्यन्त समृद्ध थे। औरगजेब के मुख्य चिकित्सक मनूची ने अलग-अलग प्रान्तों का विवरण लिखा है। बंगाल का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि “मुगल शासकों के सभी राज्यों में से बंगाल अपनी समृद्धि के लिए फ्रांस में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बंगाल की बेहद उर्वरता का प्रमाण उसकी अपूर्व सम्पदा है जो वहाँ से यूरोप भेजी जाती है। वह किसी भी सन्दर्भ में मिश्र से कम नहीं है, बल्कि सिल्क, कपास, चीनी और नील के उत्पादन में वह मिश्र से भी आगे है। यहाँ फल, दाल, अनाज, मलमल, जरी तथा रेशम के कपड़े आदि सभी चीजों से बाजार भरी पड़ी है।”<sup>1</sup>

सत्रहवीं शताब्दी में भारत की यात्रा का विवरण देते हुए टेवर्नियर ने अपनी पुस्तक “ट्रेवल्स इन इंडिया” में लिखा है कि “छोटे-छोटे गाँवों में भी चावल, आटा, मक्खन दूध और विभिन्न सब्जियाँ पर्याप्त मात्रा में मिल सकती हैं” 1916-18 के प्रथम औद्योगिक आयोग ने इस वक्तव्य के साथ अपनी रिपोर्ट आरम्भ की है कि ऐसे समय जब आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान यूरोप में असभ्य जातियाँ बसा करती थीं, भारत अपने शासकों की समृद्धि और अपने करीगरो की अत्यन्त कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था।<sup>2</sup>

इस प्रकार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रेक्षकों एवं आयोगों के विवरण की सत्यता पर कतिपय प्रतिशत में सन्देह किया जा सकता है।

लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन, ग्रामीण भारत पर ब्रिटिश प्रभाव बहुत व्यापक और दूरगामी रहा। उपनिवेशवादी नीतियों ने ग्रामीण व्यवस्था और सामुदायिक एकता के मेरूदण्ड को ही तोड़ दिया था, इसका उल्लेख ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य विलियम फुल्लर्टन ने किया था, “बीते

1 Quoted by R. Plam Dutt in India Today p 44

2 Indian Industrial Commission p 6

दिनों में यहाँ के गाँव में विभिन्न जातियों के लोगों से भरे पूरे थे और वाणिज्य धनसंपदा तथा उद्योगों के भंडार थे लेकिन हमारे कुशासन ने 20 वर्षों में ही इन गाँवों के बहुत सारे हिस्सों को बजर बना दिया। खेतों में अब खेती नहीं की जाती, काफी इलाकों में झाड़ियाँ उगी पड़ी हैं, किसान लुट चुके हैं, औद्योगिक निर्माताओं का दमन किया जा चुका है। बार-बार अकाल पड़े हैं और फलस्वरूप जनसंख्या कम हुई है।”<sup>3</sup>

एडमंड बर्क ने इनके शोषण की निन्दा करते हुए कहा था कि—“यदि हमें भारत छोड़कर भागना पड़े तो हमारे शासन काल के शर्मनाक वर्षों की कहानी कहने के लिए जो प्रमाण बचे रहेंगे उनसे यही पता चलेगा कि यहाँ का शासन किसी भी अर्थ में औरांग-उटांग या चीते के शासन से अच्छा नहीं था।”<sup>4</sup>

ब्रिटिश शासकों ने क्रमबद्ध तरीके से ग्रामीण उद्योगों और हस्त-शिल्पों को नष्ट कर दिया था इसका उल्लेख अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं उदाहरण स्वरूप डी एच बकानन के अनुसार “भारत में बड़ी संख्या में लोग लोहा गलाने का काम करते थे लेकिन सस्ते ढंग से तैयार किए गए यूरोपीय लोहे ने लोहा गलाने के उद्योग को भारी धक्का पहुँचाया और इस काम को करने वाले लोग अकुशल मजदूर बनकर रह गए। इस तरह औद्योगिक पतन से ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि नगरों की आबादी में भारी कमी हुई क्योंकि दस्तकार अपना धन्धा छोड़कर गाँवों में चले गए।”<sup>5</sup>

इस प्रकार 1900 ईस्वी तक ग्रामीण भारत छिन्न-भिन्न हो चुका था, गाँवों की स्वावलम्बन क्षमता नष्ट हो गई थी, कृषि का आधार नष्ट हो गया था क्योंकि किसानों को अंग्रेजों और उनके दलालों द्वारा निर्धारित नितान्त नीची कीमत पर अपने उत्पादन को बेचना पड़ता था और उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करना इनकी बाध्यता थी। उस समय, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक एकता भी छिन्न-छिन्न हो गयी थी।

उपर्युक्त तथ्यों से यह तात्पर्य नहीं कि उन दिनों ग्रामीण भारत में जो कुछ था वह महान था बल्कि उनमें अनेक कमियाँ थीं। जिसमें परिवर्तन

3 William Fullarton, Quoted in R. Palme Dutt, of cit p 108

4 Edmund Burke, Quoted in R. Palme Dutt, of cit p 108

5 D. H. Buchanan, Quoted in R. Palme Dutt of cit p 109



लाने और सुधार करने की आवश्यकता थी परन्तु ब्रिटिश राज ने सुधार न करके उसमें और अस्थिरता लाकर ग्रामीण आय के स्रोतों को ही बरबाद कर दिया।

ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में जब औद्योगिक क्रान्ति आयी उसके अनुभवों का लाभ उठाते हुए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विपरीत दिशा में धकेल दिया उन्होंने भारत की विविधता पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शहरी अर्थव्यवस्था तथा केन्द्रित उद्योगों की अर्थ-व्यवस्था थोप दी। औद्योगिक क्रान्ति के इन प्रभावों से भारत में ग्रामीण लोगों की हालत बिगड़ती ही गयी।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का जो ढाँचा है उसमें आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कृषि कार्य में सुविधा लगाने की छूट, शिक्षा व स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था और समानता का अधिकार आदि अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ति की आशा सरकार से ही की जाने लगी।

स्वतंत्रता से पहले गाँव में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर जमींदारों, सामंतों, और बड़े भूपतियों का स्वामित्व था। स्वतंत्रता के पश्चात् गाँव में किसानों का शोषण रोकने के लिए सबसे पहला कदम 1948 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के रूप में उठाया गया। इस कदम से किसानों मजदूरों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए नई योजनाएँ कार्यान्वित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जमींदारी उन्मूलन के साथ ही भूमि के उचित वितरण के लिए भूमि सुधार आन्दोलन चलाया गया विभिन्न राज्यों में वहाँ की भूमि व्यवस्था के आधार पर भिन्न-भिन्न सुधार कानूनों को पास किया गया।

1950 और 60 के दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण में औचित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया। विकास के लिए एजेन्सियाँ बनाई गईं, कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया आरम्भ की गई। अनेक प्रकार के अनुदान, सरकारी ऋण विकास-पत्र आदि जारी किए गए। कृषि, उद्योग, यातायात शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार व प्रयास आरम्भ किया गया। नवीन कृषि निवेशों का प्रयोग बढ़ा और उन्नत फसल व्यवस्था युक्त नवीन तकनीक हरित क्रान्ति के समावेश से उत्पादन और उत्पादितता बढ़ी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती

राज सरस्थाओ को बुनियादी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास एव लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना गया। इसके बाद पचायती राज की तीन स्तर वाली सरचना को अपनाया गया जिसमे गाँव को मूल इकाई एव दूसरे स्तर पर विकास खण्ड तथा तीसरे स्तर पर जिले को रखा गया।

इस प्रकार सरकार ने ग्रामीण विकास नीति के अन्तर्गत, ग्रामीण समुदायो को साधनो की उपलब्धता के अनुसार विकास कार्यक्रमो के द्वारा लाभ पहुँचाने का प्रयास किया था। परन्तु फिर भी हमारे देश मे व्यापक गरीबी व बेरोजगारी जो लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही विद्यमान है इनको समाप्त करने का प्रयास वर्षो से किया जा रहा है, इस दृष्टि से 1970 के दशक मे राज्य द्वारा गरीब वर्गो और आर्थिक दृष्टि से पिछडे लोगो को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये। इन कार्यक्रमो से पहले एक दृष्टि डालना होगा भारत मे गरीबी रेखा से नीचे जनसख्या का प्रतिशत एव बेरोजगारी के विषय मे।

## 1.5 भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी

गरीबी सामाजिक विषमता और बेरोजगारी का ही सीधा परिणाम है परन्तु सर्वप्रथम इस बात को जाना जाए कि गरीबी है क्या ?

“जीवन मे स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए उपयोग की न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति करने मे अयोग्यता ही निर्धनता अर्थात् गरीबी है।”

गरीबी रेखा को पहली बार छठी पचवर्षीय योजना (1980—85) मे निर्धारित किया गया था। गरीबी रेखा से तात्पर्य योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल "Task Force on Minimum Needs and Effective Consumption Demand" की रिपोर्ट के अनुसार "ग्रामीण क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रो मे प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन जिन्हे भी न्यूनतम मात्रा मे आवश्यक कैलोरी नही मिल पाती है उन्हे गरीबी रेखा से नीचे माना गया है।"<sup>1</sup>

भारत के ग्रामीण व शहरी दोनो क्षेत्रो मे गरीबी स्पष्ट रूप से देखी

1 Planning Commission Task force on Minimum Needs and Effective Consumption Demand

जा सकती है। भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के सम्बन्ध में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा लगाए गए अनुमान में काफी विभिन्नता है देश में निर्धनता के सम्बन्ध में सरकारी आकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आकलन पर आधारित होते हैं। एन एस एस के सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न वर्षों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत तालिका 14 में दिये गये हैं—इसके अतिरिक्त योजना आयोग के नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 1987-88 के बाद देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या व इसके प्रतिशत में कमी आयी है।

तालिका 14 के आकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) के 50वें चक्र के सर्वेक्षण पर आधारित आकलन के अनुसार वर्ष 1993-94 में देश में 18.96 प्रतिशत जनसंख्या ही गरीबी की रेखा से नीचे थी, इससे पहले NSS के 48वें दौर में यह 1991 में 38 प्रतिशत तथा 1992 में 40 प्रतिशत थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन वर्षों में निर्धनता रेखा के प्रतिशत में वृद्धि हुई थी। परन्तु जैसा कि तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 1993-94 में यह घटी। 1987-88 में यह अनुपात (25.49) प्रतिशत (संशोधित अनुमान) था। आकड़ों के अनुसार 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 37.27 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 32.36 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी।

एन एस एस ओ के सर्वेक्षण पर आधारित योजना आयोग के नवीनतम संशोधित आकलन के अनुसार 1987-88 में देश में कुल 20.141 करोड़ जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्र में 16.830 करोड़ व शहरी क्षेत्र में 3.311 करोड़ जनसंख्या) गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही थी, अनन्तिम आकलन के अनुसार 1993-94 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे कुल जनसंख्या 16.857 करोड़ ही थी, इसमें 14.105 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में व 2.752 करोड़ शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे थे।

योजना आयोग के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि निर्धनता का अनुपात पूरे देश में समान नहीं है, विभिन्न राज्यों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या व इनके प्रतिशत को तालिका 15 में प्रदर्शित किया गया है।

## तालिका 14

भारत में निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत

क्षेत्र	1972-73	1977-78	1983-84	1987-88	1993-94
ग्रामीण	54.1	51.2	40.4	28.37	37.27
शहरी	41.2	38.2	28.1	16.82	32.36
अखिल	51.5	48.3	37.4	25.49	18.96
भारत					

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग के अनुमान

## तालिका 15

विभिन्न राज्यों में गरीबों की संख्या के आकड़े (वर्ष 1993-94)

राज्य	कुल जनसंख्या (करोड़ में) 1991	गरीबों की संख्या (करोड़ में)	गरीबी का प्रतिशत %
असम	2.24	0.96	40.87
अरुणाचल प्रदेश	0.08	0.04	39.35
अण्डमान निकोबार	0.02	0.01	34.47
बिहार	8.63	4.93	54.96
आन्ध्रप्रदेश	6.65	1.53	22.19
नागालैण्ड	0.12	0.05	37.92
मणिपुर	0.18	0.06	33.78
मिजोरम	0.06	0.01	25.66
त्रिपुरा	0.27	0.11	39.01
मेघालय	0.17	0.07	37.92
सिक्किम	0.04	0.01	41.43
जम्मू-कश्मीर	0.77	0.20	25.17
हिमाचल प्रदेश	0.51	0.15	28.44
पश्चिम बंगाल	6.80	2.54	35.66
पाण्डिचेरी	0.08	0.03	37.40
तमिलनाडु	5.58	2.02	35.03
उड़ीसा	3.16	1.60	48.56
मध्यप्रदेश	6.62	2.98	42.52
पंजाब	2.02	0.25	11.77

चडीगढ	0 06	0 008	11 35
उत्तर प्रदेश	13 91	6 04	40 85
दिल्ली	0 94	0 15	14 69
दादरा एव नागर हवेली	0 01	0 008	50 84
हरियाणा	1 64	0 44	25 05
राजस्थान	4 40	1 28	27 41
गुजरात	4 13	1 05	24 21
दमन एव दीव	0 01	0 002	15 80
महाराष्ट्र	7 89	3 05	36 86
गोवा	0 12	0 02	14 92
कर्नाटक	4 49	1 56	36 86
केरल	2 00	0 76	25 43
लक्षद्वीप	0 50	0 001	25 04
<b>भारत</b>	<b>84 63</b>	<b>32 04</b>	<b>35 97</b>

स्रोत 'कुरुक्षेत्र' मासिक पत्रिका

उपरोक्त आकडो के विश्लेषण एव विशेषज्ञो के अध्ययन अनुसार विगत वर्षो मे निर्धनता अनुपात मे वृद्धि का मुख्य कारण मूल्य स्तर मे विशेषकर खाद्यान्नो के मूल्यो मे तीव्र वृद्धि हुई है। यह तथ्य बडा महत्त्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोग व्यय का लगभग 65 प्रतिशत खाद्यान्नो पर ही व्यय होता है।

निर्धनता अनुपात मे वृद्धि के कारण दूसरी ओर भारत मे विगत वर्षो मे न केवल बेरोजगारी की सख्या मे वृद्धि हुई है वरन बेरोजगारी की दर मे भी वृद्धि हुई है इस दृष्टिकोण से विश्लेषण मे सुविधा की दृष्टि से हम भारत मे बेरोजगारी को दो श्रेणियो मे रखना चाहेगे—

- 1 शहरी बेरोजगारी
- 2 ग्रामीण बेरोजगारी

शहरी बेरोजगारी दो प्रकार की है —

- 1 शिक्षित लोगो मे बेरोजगारी
- 2 औद्योगिक मजदूरो और शारीरिक श्रम करने वाले लोगो मे बेरोजगारी।

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से तीन प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती है —

प्रथम—मौसमी बेरोजगारी, द्वितीय-छिपी हुई बेरोजगारी, तृतीय — अर्द्धबेरोजगारी।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली उपरोक्त बेरोजगारी के स्वरूपों को देखते हुए इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान श्रम अतिरेक देश में विशेषकर अनैच्छिक, छिपी हुई व प्रच्छन्न बेरोजगारी की प्रधानता है ऐसा कृषि में अतिरिक्त जनसंख्या के दबाव के कारण है। इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी के विषय में विस्तृत अध्ययन के दृष्टिकोण से नक्स के विचारों फार्ड—रेनिस व लुइस मॉडल को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है जिनका आलोचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार प्रस्तुत है—

### 1.5.1 अनैच्छिक बेरोजगारी सिद्धान्त के प्रारूप

#### नक्स के विचार

नक्स ने प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा को विकास के संदर्भ में प्रयोग किया है उनके अनुसार कृषि प्रधान देशों में कृषि कार्य में जितने लोग लगे हुए हैं उन सभी का उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए इस व्यवसाय में लगा रहना आवश्यक नहीं है, फिर भी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में कृषि पद्धति में सुधार के द्वारा श्रम शक्ति को कम करके कृषि पद्धति में सुधार के द्वारा श्रम शक्ति को कम करके कृषि उत्पादन के स्तर को स्थिर रखा जा सकता है, परन्तु अतिरेक जनसंख्या वाले अर्थात् अल्पविकसित देशों में स्थिति ऐसी है कि यदि उत्पादन तकनीक में कोई सुधार नहीं भी किया जाए तो भी कुछ लोगों को खेती से हटा लेने के पश्चात् उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है। चूँकि इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के लोगों की खेती में उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उनके श्रम को फालतू श्रम अर्थात् अतिरेक श्रम (Surplus Labour) कहा जाता है। अतिरेक श्रम की खेती में उपस्थिति से साधनों की बर्बादी होती है और इस प्रकार के श्रम की कृषि क्षेत्र में सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष किसान परिवार के

7 सदस्य मिलकर खेती करते हैं और वर्ष में 25 क्विन्टल चावल का उत्पादन करने में समर्थ हैं और यदि कृषि पद्धति में परिवर्तन न करने के उपरान्त भी परिवार के 6 सदस्य इतना ही उत्पादन करने में सफल हो जाते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि सातवें व्यक्ति की उत्पादकता शून्य होगी और वह प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएगा। आर नर्से का विचार है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात् अदृश्य बेरोजगारी पूजा निर्माण का एक प्रमुख स्रोत है। वे इसे 'छिपी हुई बचत शक्ति' भी मानते हैं। उनका मत है कि भूमि पर लगी हुई इस 'अतिरिक्त शक्ति' को भूमि से निकाल कर पूजा निर्माण के कार्य जैसे भवन, सड़क, सिंचाई फैक्टरी निर्माण परियोजनाओं इत्यादि पर लगाया जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि एक ओर भूमि पर से जनसंख्या का दबाव कम होगा, तथा दूसरी ओर वास्तविक पूजा का निर्माण भी होगा।

परन्तु नर्से के अनुसार प्रमुख समस्या यह है कि वास्तविक पूजा निर्माण से सम्बन्धित उपरोक्त परियोजनाओं को चलाने के लिए आवश्यक पूजा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए क्योंकि उन परियोजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों की खाद्य पदार्थों की व्यवस्था के रूप में यह समस्या उत्पन्न होती है।

अतः सभी अल्पविकसित देशों में थोड़ी बहुत ऐच्छिक बचत के द्वारा इन श्रमिकों की खाद्य पदार्थों की आंशिक रूप से व्यवस्था हो सकती है और सरकार विलासिता से सम्बन्धित वस्तुओं के उपयोग पर कर लगाकर कुछ साधनों को इकट्ठा कर सकती है। परन्तु नर्से के अनुसार इस प्रकार के अनिवार्य बचत के द्वारा पर्याप्त राशि एकत्रित कर पाना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार एक उपाय यह है कि विदेशी पूजा के आयात के द्वारा बचत के अभाव को दूर किया जाए परन्तु नर्से इसे अनिश्चितता के कारण अनुपयुक्त मानते हैं।

नर्से का विचार है कि जिन श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से हटाकर नई पूजा निर्माण परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्य दिया जाता है उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने का एक तीसरा उपाय यह है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में निहित प्रच्छन्न सभाव्य बचत प्रयोग कृषि से स्थानांतरित होने वाले व्यक्तियों की खाद्य व्यवस्था के लिए किया जाए।

अतः नक्सल ने इस प्रच्छन्न सभाव्य बचत की उपस्थिति को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। यदि किसी परिवार के पास 3 हैक्टर का खेत है जिस पर परिवार के पांच व्यक्ति मिलकर 20 क्विन्टल चावल का उत्पादन करते हैं इस परिवार के जब तीन व्यक्ति खेती करते हैं तो भी उत्पादन 20 क्विन्टल ही रहता है परन्तु जब 2 व्यक्ति काम करते हैं तो उत्पादन 16 क्विन्टल हो जाता है ऐसी स्थिति में चौथे तथा पाचवे व्यक्तियों की उत्पादिता शून्य है इन्हें अनुत्पादक श्रमिक और अन्य तीन व्यक्तियों का श्रम उत्पादक कहा जाता है।

अतः स्पष्ट है कि उत्पादक श्रमिक अपने उपभोग से अधिक उत्पादन करते हैं यदि यह मान लिया जाए कि परिवार के सभी सदस्य बराबर उपभोग करते हैं तो परिवार के उत्पादक सदस्यों का उपभोग जहाँ 12 क्विन्टल चावल होगा वहाँ अनुत्पादक सदस्य 8 क्विन्टल चावल का उपभोग करेगा इस प्रकार उत्पादक श्रमिकों की वास्तविक बचत 8 क्विन्टल चावल के बराबर है परन्तु यह बचत परिवार के अनुत्पादक सदस्यों के भरण—पोषण पर व्यय हो जाने के कारण व्यर्थ नष्ट हो जाती है।

दूसरी ओर यदि किसान परिवार के अनुत्पादक सदस्यों को कृषि कार्य से हटाकर वास्तविक पूँजी निर्माण परियोजनाओं के अन्तर्गत काम करने के लिए भेज दिया जाता है और जब परिवार के उत्पादक सदस्य खाद्यान्न भेजकर इनका भरण—पोषण करते हैं तो एक ओर जहाँ अनुत्पादक श्रम उत्पादक श्रम का रूप धारण कर लेगा, वही दूसरी ओर किसान परिवार के उत्पादक सदस्यों की वास्तविक बचत व्यर्थ नष्ट नहीं होगी बल्कि प्रभावशाली बचत बन जाएगी। इस प्रकार परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग की मात्रा पहले जितनी ही रहेगी परन्तु कृषि क्षेत्र का अनुत्पादक श्रम पूँजी निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादक बनकर राष्ट्रीय आय के साथ—साथ राष्ट्रीय बचत में वृद्धि करेगा और साथ ही कृषि क्षेत्र की अतिरिक्त जनसंख्या का अनुत्पादक उपभोग उत्पादक उपभोग कहलाएगा।

इस सभाव्य बचत को उपर्युक्त ढंग से वास्तविक रूप से कृषक परिवारों के उत्पादक सदस्यों को अपने उपभोग में कमी करने की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें यह करना चाहिए कि जब उन पर आश्रित परिवार के अनुत्पादक सदस्य कृषि कार्य छोड़कर पूँजी निर्माण परियोजनाओं



पर काम करने के लिए चले जाते हैं तो उत्पादक सदस्य अपने उपभोग में वृद्धि न करे और उनके भरण-पोषण के लिए पहले की भांति खाद्य सामग्री उपलब्ध करते रहे इस प्रकार कृषि से स्थानान्तरित श्रमिक को अपने उपभोग के लिए अपने उत्पादक सदस्यों पर ही आश्रित रहने चाहिए, इस व्यवस्था से किसी को भी अपने उपभोग में कमी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु इस प्रकार श्रम का पुर्नआबटन हो जाने से पूजा निर्माण में सहायता प्राप्त होती है।

### फाई-रेनिस मॉडल

फाई-रेनिस मॉडल का सबध एक विकासशील श्रम-अतिरेक तथा ससाधनहीन अर्थव्यवस्था से है। जिसमें अधिकतर जनसख्या विस्तृत बेरोजगारी और जनसख्या की ऊँची वृद्धि दरों के बीच कृषि में कार्यरत है। कृषि अर्थव्यवस्था गतिहीन है। जहाँ लोग पारम्परिक कृषि व्यवसाय में सलग्न रहते हैं। इसे अतिरिक्त कृषि रहित व्यवसाय भी पाए जाते हैं किन्तु उनमें कम पूजा का उपयोग होता है जिसमें एक सक्रिय तथा गत्यात्मक औद्योगिक क्षेत्र भी है। जहाँ से कृषि अतिरेक श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र को पुनः स्थानान्तरण किया जाता है, जिनका कृषि उत्पादन में योगदान शून्य होता है।

फाई-रेनिस ने अपने मॉडल को प्रस्तुत करते हुए यह मान्यता दी है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन केवल भूमि तथा श्रम का फलन होता है। भूमि में सुधार के अतिरिक्त कृषि में पूजा का सचय नहीं होता है। भूमि की पूर्ति स्थिर है। कृषि में पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन केवल पूजा तथा श्रम का फलन है और इन क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है यह कृषि क्षेत्र की प्रारम्भिक वास्तविक आय के बराबर होती है उन्होंने इसे सस्थानिक (institutional) मजदूरी कहा है।

उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर फाई तथा रेनिस ने अतिरिक्त श्रम वाली अर्थव्यवस्था के विकास को तीन अवस्थाओं में प्रस्तुत किया है। प्रथम अवस्था में, अदृश्य बेरोजगार श्रमिक (जो कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करते) को निरन्तर सस्थानिक मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया है।

द्वितीय अवस्था में कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन में वृद्धि तो करते


हे किन्तु प्राप्त सरस्थानिक मजदूरी से कम उत्पादन करते हैं, ऐसे श्रमिकों को भी औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिया जाता है। फाई—रेनिस ने यह स्पष्ट किया है कि यदि श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर स्थानान्तरण किया जाता रहता है, तो अन्त में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जब खेतिहर श्रमिक सरस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादन करते हैं, इसी से तृतीय अवस्था प्रारम्भ होती है, जो कि आत्मजनक वृद्धि का प्रारम्भ और उत्कर्ष की अन्तिम स्थिति है। इस अवस्था में जबकि खेतिहर मजदूर सरस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन करने लगते हैं, अतः श्रम अतिरेक समाप्त हो जाता है और कृषि क्षेत्र का व्यापारिककरण होता है।

फाई—रेनिस मॉडल को चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। लेखा चित्र—I (A) में फाई—रेनिस ने कृषि क्षेत्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है जहाँ श्रम (L) तथा भूमि (Z) द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। श्रम के माप को अनुलम्ब अक्ष पर तथा भूमि को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया है। उत्पादन की अवस्था को वक्र OR दर्शाती है वक्र ABC कृषि वस्तुओं के उत्पादन की परिधि रेखा है OZ रेखा पर भूमि को स्थिर मानकर श्रम ON1 अधिकल्प उत्पादन करता है।

चित्र—I (B) में TP वक्र श्रम की कुल उत्पादकता को प्रस्तुत करता है। यदि OZ भूमि के साथ N1 के बाद अधिक श्रम लगाया जाता है जो उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि TP वक्र पर M बिन्दु के बाद श्रम की कुल उत्पादकता स्थिर हो जाती है और सीमान्त उत्पादकता शून्य की ओर चला जाता है।


कृषि क्षेत्र को दर्शाते हुए फाई रेनिस मॉडल

लेखाचित्र (I) (A) & (B)






श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य

लेखाचित्र - II



श्रमिको को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र मे तीन अवस्थाओ मे स्थानान्तरण को दर्शाते हुए फार्ड-रेनिसिस माडल  
लेखाचित्र - III (A), (B) & (C)



लेखाचित्र-2 में यह प्रदर्शित किया गया है कि श्रम की सीमान्त उत्पादकता किस प्रकार से शून्य होती है। अतः लेखाचित्र से यह स्पष्ट होता है कि जब OL श्रम की मात्रा नियुक्त की जाती है तब TP कुल उत्पादन वक्र क्षैतिज हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि OL पर श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य हो जाती है इस बिन्दु से परे और श्रम नियुक्त करने का कोई लाभ नहीं है इस प्रकार  $L_2L_1$  मजदूर प्रच्छन्न बेरोजगार है। और L बिन्दु पर श्रम की (MP) सीमान्त उत्पादकता शून्य और  $L_2L_1$  परिसीमा के अन्तर्गत श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता कुछ नहीं है।

अतः मजदूर की सीमान्त उत्पादकता (MP) शून्य होती है और इस सीमान्त पर श्रम की उत्पादकता ठीक शून्य के बराबर होती है। और यही से अदृश्य व प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रारम्भ होता है। फाई-रेनिस के अनुसार कृषि क्षेत्र से इन अदृश्य बेरोजगार मजदूरों को औद्योगिक क्षेत्रों में तीन अवस्थाओं में स्थानान्तरित कर दिए जाने पर अर्थव्यवस्था का अर्थात् आर्थिक विकास होता है। फाई-रेनिस के माडल की इन तीन अवस्थाओं को लेखाचित्र-3 में प्रस्तुत किया गया है। लेखाचित्र -3 में (A), (B) तथा (C) भागों में दर्शाया गया है जहाँ भाग (A) औद्योगिक क्षेत्र को और भाग (B) तथा (C) कृषि क्षेत्र को दर्शाते हैं। पहले भाग (C) पर श्रम शक्ति को बाई ओर क्षैतिज अक्ष ON पर, तथा कृषि उत्पादन को O से नीचे की ओर अनुलम्ब अक्ष OY पर मापा गया है। वक्र OCX कृषि क्षेत्र की कुल भौतिक उत्पादकता का वक्र (TPP) है। वक्र CX का समानान्तर भाग यह प्रदर्शित करता है कि इस क्षेत्र में कुल उत्पादकता स्थिर है, इसलिए वक्र MN पर श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य है। इस प्रकार MN अतिरेक श्रम है तथा इसे औद्योगिक क्षेत्र में लाने पर अर्थात् स्थानान्तरित करने पर कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि यह मान लिया जाता है कि सम्पूर्ण श्रम शक्ति ON कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तो यह कृषि उत्पादन उत्पादित करता है। यह लेखाचित्र-I (B) का उल्टा किया हुआ OTP वक्र है यह मानते हुए कि समस्त उत्पादन NX कुल श्रम शक्ति ON द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, तो वास्तविक मजदूरी  $NX/ON$  अथवा किरण OX की ढाल है यह सस्थानिक मजदूरी है।

उत्कर्ष के पश्चात आबटन प्रक्रिया को लेखा चित्र-3 के भाग (B) के माध्यम से दर्शाया गया है। जहाँ कुल श्रम शक्ति को दाईं ओर से बाईं ओर अनुलम्ब अक्ष ON पर तथा औसत उत्पादन को क्षैतिज अक्ष NV पर मापा गया है NMRU वक्र श्रम की सीमात भौतिक उत्पादकता MPP) को दर्शाती है। NW सरस्थानिक मजदूरी वक्र पर मजदूरी को इस क्षेत्र में लगाया जाता है। अवस्था I में चित्र के भाग (B) में NM वक्र पर श्रमिक अदृश्य बेरोजगार है और उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है जिसे MPP अथवा TPP वक्र लेखा चित्र 3 के भाग (C) में CX द्वारा दर्शाया गया है। अतिरिक्त श्रम शक्ति NM जिसे भाग (A) के OM में दर्शाया गया है उसी सरस्थानिक मजदूरी OW (=NW) पर स्थानान्तरित की गई है।

इस मॉडल के लेखा चित्र 3 के भाग (B) में जैसा कि यह प्रदर्शित किया गया है कि अवस्था II में, MPP वक्र NMRU पर MK कृषि मजदूरी की सीमात भौतिक उत्पादकता वक्र MR रेज़ में धनात्मक है लेकिन यह सरस्थानिक मजदूरी KR (=NW) जो प्राप्त करते हैं से कम है कुछ अदृश्य बेरोजगार श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है। किन्तु इस अवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में सरस्थानिक मजदूरी के बराबर नहीं होगी, यह इस कारण से है कि श्रम के औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरण से कृषि उत्पादन कम प्राप्त होता है परिणाम स्वरूप कृषि वस्तुओं की कमी हो जाती है जिससे औद्योगिक वस्तुओं की सापेक्षता में उनकी कीमते बढ़ जाती है इससे औद्योगिक क्षेत्र की व्यापार की शर्तें खराब हो जाती हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य मजदूरी में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य मजदूरी OW से LH तथा KQ तक सरस्थानिक मजदूरी से अधिक बढ़ जाती है इसे श्रम के पूर्ति वक्र WT से H तथा Q से ऊपर  $W_1$  तक भाग A में दर्शाया गया है। जब ML तथा LK मजदूर धीरे-धीरे औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित हो जाते हैं तो T से ऊपर की ओर श्रम का पूर्ति वक्र  $WTW_1$  पर गति लुइस का मोड बिन्दु कहलाता है।

जब तीसरी अवस्था III प्रारम्भ होती है तो फाई-रेनिस के अनुसार कृषि मजदूर कृषि उत्पादन को सरस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादित करना शुरूकर देते हैं और अन्ततः सरस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं यह उत्कर्ष का अन्त तथा आत्मजनक वृद्धि का प्रारम्भ है इसे

भाग (B) में RU वक्र के माध्यम से दर्शाया गया है जो कि सरस्थानिक मजदूरी KR (=NW) से अधिक है। परिणामस्वरूप KO श्रम को चित्र के भाग (A) में KQ से ऊपर बढ़ती हुई सामान्य मजदूरी पर कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिया जायेगा यह कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिया जाएगा यह कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम को समाप्त करता है जिससे पूरी तरह व्यापारिककरण हो जाता है।

फाई—रेनिस के अनुसार जब कृषि श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो कृषि वस्तुओं का अतिरेक प्रारम्भ होता है कृषि वस्तुओं के अतिरेक को (Total Agricultural Surplus or TAS) लेखा चित्र-3 के भाग-C में रेखा OX तथा TPP वक्र OCX के बीच की अनुलम्ब दूरी से मापा गया है। अवस्था-I में TAS है BC वक्र और अवस्था II में TAS DE तथा FG है।

इसके अतिरिक्त औसत कृषि अतिरेक भी उत्पन्न होता है इस प्रकार AAS वक्र को WASO वक्र के रूप में चित्र के भाग B में प्रदर्शित किया गया है। AAS वक्र अवस्था I में सरस्थानिक मजदूरी के वक्र WA के साथ समरूप है अवस्था II में यह A से S तक गिरती है और अवस्था III में भाग (B) में AAS अधिक तीव्रता से S से O तक कम होता है। और भाग (C) में यह FG वक्र से O तक सिकुड़ने पर TAS भी कम हो जाता है कृषि श्रमिकों की MPP सरस्थानिक मजदूरी से अधिक बढ़ने के कारण AAS तथा TAS दोनों में कमी होती है जो कि अन्ततः बचे हुए अतिरिक्त श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में ले जाती है।

फाई तथा रेनिस अवस्था I तथा अवस्था II के बीच की सीमा को 'दुर्लभता बिन्दु' कहते हैं जो कि AAS (WASO वक्र का AS भाग) के न्यूनतम सरस्थानिक मजदूरी (NW) से नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। और अवस्था II तथा अवस्था III के बीच की सीमा व्यापारिककरण बिन्दु है।


फाई—रेनिस अपने मॉडल में यह भी प्रदर्शित करते हैं कि यदि कृषि उत्पादकता बढ़ती है तो दुर्लभता बिन्दु तथा व्यापारिककरण बिन्दु मिल जाते हैं। लेखाचित्र 3 के भाग (B) में MRU तथा ASO वक्र ऊपर की ओर इस प्रकार से स्थानान्तरित हो जाते हैं कि दुर्लभता बिन्दु A तथा व्यापारिककरण बिन्दु R मिल जाते हैं तथा अवस्था II समाप्त हो जाएगी।



फाई तथा रेनिस के मतानुसार द्वितीय अवस्था के समाप्त होने का आर्थिक महत्त्व यह है कि यह अर्थ व्यवस्था को आत्मजनक वृद्धि से चलने की योग्यता प्रदान करता है।

संतुलित वृद्धि

लेखान्दित- IV



संतुलित वृद्धि

फाई-रेनिस मॉडल ने यह दर्शाया है कि सन्तुलित वृद्धि की अवस्था में कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश आवश्यक है। इसे लेखा चित्र 4 में दर्शाया गया है जहाँ  $PP$  श्रम का प्रारम्भिक माग वक्र तथा  $S_1, S_2$  श्रम का प्रारम्भिक पूर्ति वक्र है ये दोनों वक्र बिन्दु  $a$  पर काटते हैं जहाँ  $OM$  श्रम शक्ति औद्योगिक क्षेत्र में काम में लगी है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के इस स्तर पर  $S_1, aP$  क्षेत्र के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यह लाभ अर्थव्यवस्था का कुल उपलब्ध निवेश कोष है। इस कोष का एक भाग

कृषि क्षेत्र को आबटित करने पर कृषि उत्पादकता में वृद्धि से श्रम का पूर्ति वक्र औद्योगिक क्षेत्र में नीचे दाई ओर  $S_1S_1$  से  $S_2S_2$  पर स्थानान्तरित होता है। निवेश कोष के शेष बचे हुए भाग को औद्योगिक क्षेत्र में आबटित करने पर औद्योगिक माग वक्र को ऊपर  $PP$  से  $P_1P_1$  तक स्थानान्तरित करता है। ये दोनों ही  $S_2S_2$  तथा  $P_1P_1$  वक्र सन्तुलित वृद्धि पथ  $S_1q_3$  पर स्थित बिन्दु  $a_1$  वक्र को काटते हैं। इस प्रकार जब काल पर्यन्त निवेश कोष दोनों क्षेत्रों को लगातार आबटित किए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था सन्तुलित वृद्धि पथ पर चलेगी। कभी-कभी वास्तविक वृद्धि पथ सन्तुलित पथ से विचलित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि औद्योगिक क्षेत्र में अति निवेश के फलस्वरूप श्रम-माग वक्र  $P_2P_2$  पर स्थानान्तरित हो जाता है तथा  $a_2$  पर श्रम पूर्ति वक्र को  $S_2S_2$  पर काटता है जिसके कारण वास्तविक वृद्धि पथ सन्तुलित वृद्धि पथ से ऊपर होगा इससे कृषि वस्तुओं में कमी होगी तथा औद्योगिक क्षेत्र की व्यापार शर्तों में गिरावट आएगी इससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश हतोत्साहित होगा कृषि क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित होता है इसके द्वारा वास्तविक पथ सन्तुलित वृद्धि पथ  $a_3$  के स्तर पर आ जाएगा।

फाई-रेनिस मॉडल की कई आधारों पर आलोचना की गई है—

फाई तथा रेनिस यह मानते हैं कि विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि की पूर्ति स्थिर होती है। दीर्घ अवधि में, फसल एकड़ उत्पत्ति का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि भूमि की मात्रा स्थिर नहीं रहती उदाहरणार्थ फसल क्षेत्र का सूचकांक (आधार 1961-62) 1950-51 में 82 था जो कि बढ़कर 1970-71 में 107.3 हो गया।

यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि विकास प्रक्रिया की अवस्था-I तथा II के अन्तर्गत सस्थानिक मजदूरी स्थिर होती है तथा MPP से अधिक होती है परन्तु वास्तव में श्रम अतिरेक देशों में कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी MPP से अधिक होती है परन्तु वास्तव में श्रम अतिरेक देशों में कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी MPP से कहीं अधिक कम होती है।

इस मॉडल में यह भी माना गया है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने के बावजूद पहली दो अवस्थाओं में सस्थानिक मजदूरी स्थिर रहती है यह अत्यधिक अवास्तविक है क्योंकि कृषि उत्पादकता में सामान्य वृद्धि के

कारण फार्म मजदूरी का बढ़ना सुनिश्चित है। उदाहरणार्थ, पंजाब में हरित क्रान्ति के पश्चात किए गए फार्म सर्वेक्षण से यह प्रमाणित होता है कि विभिन्न कृषि वर्गों के लिए दैनिक वास्तविक मजदूरी की दरें 41.7 प्रतिशत से 55.2 प्रतिशत हो गई थी।


फाई रेनिस का मॉडल बन्द अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है जहाँ विदेशी व्यापार नहीं होता यह मान्यता इस कारण से सार्थक नहीं है क्योंकि अल्पविकसित देश बन्द अर्थव्यवस्थाएँ न होकर खुली अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं जहाँ कमी आने पर कृषि वस्तुओं को आयातित किया जाता है।

फाई तथा रेनिस मानते हैं कि भूमि की स्थिर मात्रा के साथ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा आकार होगा जो कि MPP को शून्य बनाएगा। परन्तु शुल्ज इस मत से सहमत नहीं है कि श्रम-अतिरेक अर्थव्यवस्थाओं में MPP शून्य है उनके अनुसार यदि ऐसा होता तो संस्थानिक मजदूरी भी शून्य होती है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिलती है जो भले ही वस्तु के रूप में हो यदि नकदी के रूप में नहीं। अतः यह कहना नितान्त असत्य है कि कृषि क्षेत्र में MPP शून्य होती है।

फाई-रेनिस मॉडल की उपरोक्त कमियाँ इनके महत्त्व को हीन नहीं करती हैं, अपितु यह मॉडल अल्पविकसित देशों के कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के परस्पर प्रभावों की विकास प्रक्रिया का उत्कर्ष से आत्मजनक वृद्धि का व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि यह मॉडल लुइस के मॉडल का एक सुधरा हुआ रूप है क्योंकि लुइस मॉडल कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में न रखते हुए केवल औद्योगिक क्षेत्र पर ही केन्द्रित रहता है। जबकि यह दोनों क्षेत्रों के परस्पर प्रभाव को दर्शाते हैं। इस मॉडल की मुख्य श्रेष्ठता यह है कि यह अल्पविकसित देशों अर्थात् श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी के संचय के लिए कृषि वस्तुओं के महत्त्व को प्रकट करता है।

## लुइस मॉडल

लेखनिका - V



## लुइस मॉडल

लुइस का मॉडल यह स्पष्ट करता है कि अल्प विकसित देशों में पूँजी संचय किस प्रकार होता है जहाँ श्रम का अतिरेक (बाहुल्य) और पूँजी की दुर्लभता हो। वे यह मानते हैं कि अल्पविकसित देशों में निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है जब श्रम को निर्वाह क्षेत्र से हटाकर पूँजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है तब पूँजी संचय होता है।

उन्होंने अपने मॉडल में यह भी स्पष्ट किया है कि पूँजीवादी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो पुन उत्पादित होने वाली पूँजी का प्रयोग करता है और पूँजीपतियों को उसके प्रयोग के लिए भुगतान करता है यह क्षेत्र लाभ अर्जित करने के लिए श्रमिकों को मजदूरी देकर उन्हें खानो, फैक्ट्रियो, रोपणो (Plantation) में लगाता है।

निर्वाह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो पुन उत्पादित होने वाली पूँजी का प्रयोग नहीं करता इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन पूँजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है।

लुइस के अनुसार निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ण लोचदार पूर्ति का क्लासिकी मॉडल अनेक अविकसित देशों में सही ठहरता है क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी तथा प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होती है, और श्रम की असीमित पूर्ति के कारण श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य और कभी-कभी ऋणात्मक होती है।

इसलिए चालू मजदूरी पर बिना किसी सीमा के निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को निकालकर पूँजीवादी क्षेत्र में लगाकर, नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। चालू मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक निर्वाह क्षेत्र से कमाते हैं। इसके अतिरिक्त लुइस यह मानते हैं कि जब आर्थिक विकास होगा तो जिन स्रोतों से निर्वाह मजदूरी पर श्रमिक आएंगे वे हैं "कृषक, आकस्मिक श्रमिक, छोटे मोटे व्यापारी नौकर-चाकर (घरेलू तथा वाणिज्यिक), घरेलू-काम काज करने वाली औरतें तथा जनसंख्या वृद्धि" परन्तु पूँजीवादी क्षेत्र को कुशल श्रमिक भी चाहिए इसलिए लुइस यह तर्क देते हैं कि कुशल श्रम 'आशिक अडचन' है जो अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करके दूर की जा सकती है।

निर्वाह-मजदूरी किस प्रकार निर्धारित होती है श्रमिकों की निर्वाह-मजदूरी आवश्यक न्यूनतम कमाई द्वारा निर्धारित होती है। यह स्पष्ट है कि निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी-स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन (कुल उत्पादन Total Production) से कम नहीं हो सकता दूसरे शब्दों में निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी स्तर के सम्बन्ध में दो सम्भावनाएँ व्यक्त की गई हैं— प्रथम यह कि निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन से कम नहीं हो सकता। और दूसरा मजदूरी-स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन से अधिक

भी हो सकता है। उन रिश्तियों में जबकि, कृषकों को लगान का भुगतान करना हो अथवा उनके खाने में खर्च की अधिकता या यदि वे यह महसूस करते हैं कि घर छोड़ने की मानसिक कष्ट कारिताए अधिक है।

यद्यपि निर्वाह मजदूरी पूँजीवादी मजदूरी की न्यूनतम सीमा निश्चित करती है। परन्तु व्यवहार में निर्वाह—मजदूरी से पूँजीवादी मजदूरी 50 प्रतिशत अधिक होती है। (1954 के लेख में लुइस ने इस अन्तर को 30 प्रतिशत आगणित किया था वास्तव में इस अन्तर का सही—सही परिणाम नहीं बताया जा सकता क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों के साथ यह बदलता रहता है।) क्योंकि (i) निर्वाह क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादन में होने वाली वृद्धि वास्तविक आय को बढ़ाकर श्रमिकों को इसलिए प्रेरित कर सकती है कि वे रोजगार कार्यों में हिस्सा लेने से पहले अधिक ऊँची मजदूरी की माग करे।

(ii) यदि निर्वाह क्षेत्र से श्रम हटा लेने पर कुल उत्पादन पहले जितना ही रहता है तो पीछे रह जाने वालों का औसत उत्पादन और उनकी वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी और हटाए गए श्रमिक पूँजीवादी क्षेत्र में अधिक मजदूरी की माग कर सकते हैं।

(iii) यह भी हो सकता है कि ऊँचे निर्वाह—व्यय और मालिक मानव हितों के दृष्टि से प्रेरित होकर श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी बढ़ा दे अथवा सरकार श्रमिक संघ को प्रोत्साहन दे और उनकी मजदूरी के लिए सौदेबाजी के प्रयत्नों का समर्थन करे तो भी वर्तमान पूँजीवादी मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्ण लोचदार मानी जाती है। पूँजीवादी मजदूरी की तुलना में पूँजीवादी क्षेत्र में श्रम की सीमान्त उत्पादकता अधिक होती है। इसका परिणाम पूँजीवादी अतिरेक होता है।

लुइस ने अपने मॉडल में यह भी स्पष्ट किया है कि पूँजी निर्माण पूँजीवादी अतिरेक पर निर्भर करता है जब पूँजीवादी अतिरेक नई पूँजीवादी परिसम्पत्तियों (assets) में पुनः आयोजित होता है तब पूँजी का निर्माण होता है। और निर्वाह क्षेत्र से और श्रमिक रोजगार पर लगाए जाते हैं यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूँजी श्रम अनुपात नहीं बढ़ जाता और श्रम की पूर्ति लोच रहित नहीं बन जाती। लुइस मॉडल की व्याख्या लेखाचित्र 5 की सहायता से की जा सकती है।

OX क्षैतिज अक्ष पर रोजगार पर लगे श्रम की मात्रा को मापता है और OY अनुलम्ब अक्ष पर श्रमिकों की मजदूरी और सीमान्त उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। SS वक्र औसत निर्वाह कमाई (निर्वाह मजदूरी) को प्रकट करता है और WW वक्र पूँजीवादी मजदूरी को। पूँजीवादी क्षेत्र में श्रम की मात्रा  $ON_1$  पर श्रम की सीमान्त उत्पादकता शुरू में  $P_1Q_1$  है इस अवस्था पर  $WQ_1P_1$  पूँजीवादी अतिरेक के रूप में प्राप्त होता है और जब यह आलेख पुनः आयोजित किया जाता है तो सीमान्त उत्पादकता का वक्र ऊपर को  $P_2Q_2$  पर सरक जाता है अतः अब पूँजीवादी अतिरेक और रोजगार पहले से अधिक हो जाते हैं जो कि क्रमशः  $WQ_2P_2$  तथा  $ON_2$  है। इसके उपरान्त पुनः और अधिक निवेश सीमान्त उत्पादकता वक्र तथा रोजगार के स्तर को बढ़ाकर  $P_2Q_4$  तथा  $N_4$  पर ले जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई अतिरेक श्रम न बचे।

इस प्रकार पूँजीवादियों द्वारा अर्जित लाभों से पूँजी का निर्माण होता है।

यह मॉडल प्रकट करता है कि वृद्धि की प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए नहीं चलती रह सकती इसे रूकने के लिए लुइस ने बताया है कि

- 1 यदि पूँजी निर्माण के परिणामस्वरूप कोई अतिरेक श्रम न बचे,
- 2 यदि पूँजीक्षेत्र इतनी तेजी से विकास करे कि निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या बिल्कुल घट जाए क्योंकि उत्पादन को बाटने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। और इस प्रकार पूँजीवादी क्षेत्र में मजदूरी बढ़ जाए (चित्र में SS तथा WW वक्र ऊपर की ओर सरक जाए और लाभों को घटा दे।
- 3 यदि निर्वाह क्षेत्र की सापेक्षता में पूँजीवादी क्षेत्र का विस्तार होने के परिणामस्वरूप व्यापार की स्थितियाँ पूँजीवादी क्षेत्र के विरुद्ध हो जाएँ और कच्चे माल तथा अन्न की बढ़ती हुई कीमतों के साथ पूँजीपति को अधिक ऊँची मजदूरी का भुगतान करना पड़े।

यदि निर्वाह क्षेत्र उत्पादन की नई तकनीकें अपना ले, जिससे पूँजीवादी क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी बढ़ जाए तथा इस प्रकार पूँजीवादी अतिरेक कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि श्रमिक पूँजीवादी क्षेत्र में ऊँची मजदूरी के लिए संघर्ष करे और सफल हो जाएँ तो पूँजी-निर्माण की दर और पूँजीवादी अतिरेक कम हो जाएँगे।

लुइस के मॉडल की कुछ मान्यताएँ इनकी व्यवहार्यता को सीमाबद्ध करती हैं—

- 1 लुइस यह मानते हैं कि अल्पविकसित देशों में श्रम की असीमित पूर्ति होती है परन्तु दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के थोड़ी आबादी वाले अनेक देशों के सम्बन्ध में यह धारणा अयथार्थिक है।
- 2 लुइस ने अपने मॉडल में अकुशलश्रम का अस्तित्व माना है और कुशल श्रम को अस्थायी अडचन माना गया है। परन्तु अल्पविकसित देशों में कुशल श्रम की थोड़ी पूर्ति होती है तथा कौशल—निर्माण एक गंभीर समस्या प्रस्तुत करता है क्योंकि ऐसे देशों में बहुसंख्या को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने में बहुत अधिक समय लगता है।
- 3 अल्पविकसित देशों में पूँजीपति वर्ग मौजूद रहता है वृद्धि की समस्त प्रक्रिया ऐसे वर्ग के अस्तित्व पर निर्भर रहती है जिससे पूँजी—संचय की आवश्यक कुशलता हो वस्तुतः अल्पविकसित ऐसे देशों में उद्यम तथा उपक्रम की बहुत कमी पाई जाती है।
- 4 लुइस मॉडल श्रम की सीमान्त उत्पादकता को शून्य मानता है जबकि अति जनसंख्या वाले अविकसित देशों में श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य नहीं होती है यदि ऐसा होता तो निर्वाह मजदूरी भी शून्य होती।
- 5 लुइस के अनुसार जब अतिरिक्त श्रम निर्वाह क्षेत्र से पूँजीवादी क्षेत्र में चला जाता है तो निर्वाह क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि वास्तविकता यह है कि श्रमिकों को खेतों से हटाने पर उत्पादन में कमी होती है।
- 6 लुइस का यह मत भी है कि पूँजी—निर्माण के लिए स्फीति स्वयं विनाशकारी होती है जबकि स्फीति स्वयं विनाशकारी नहीं होती।
- 7 लुइस का यह कथन है कि कराधान बढ़ती हुई आय को इकट्ठा करता है माना नहीं जा सकता क्योंकि अल्पविकसित देशों में कर प्रशासन इतना कुशल और विकसित नहीं होता कि पूँजी—संचय के लिए पर्याप्त मात्रा में कर इकट्ठा कर सकता है।



उपरोक्त मॉडलो के अध्ययन के पश्चात भारत में निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी को भी जानना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी के अनुमान को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। जिसमें अर्थशास्त्रियों एवं आयोगों के अनुमानों को भी प्रस्तुत किया गया है। बेरोजगारी पर अध्ययन के दृष्टि से, बेरोजगारी की गम्भीरता को समझते हुए विलियम बेवरिज ने लिखा था—“लोगों को बेरोजगार रखने के स्थान पर उनसे गढ़े खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज्यादा अच्छा है।”

बेरोजगारी सम्बन्धी अनुमानों के विषय में योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति (The Committee of Experts on Unemployment Estimates 1970) ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक कहा था कि इस देश की पेचीदा अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति, रोजगार और बेरोजगारी की प्रकृति इतनी भिन्न है कि सभी रोजगारों को एक ही श्रेणी में रखकर देखना ठीक नहीं<sup>1</sup>।

योजना आयोग का कुल बेरोजगारी के सन्दर्भ में यह अनुमान है कि 1951 में देश की कुल जनसंख्या 36 करोड़ में से कुल बेरोजगारी की संख्या 3 करोड़ थी। तालिका 16 में पहली और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि की बेरोजगारी की दर एवं प्रतिशत आकड़ों को दर्शाया गया है। आकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी वही छठी योजना (1980-85) में यह बढ़कर 68 करोड़ हो गयी और इस अवधि में कुल बेरोजगारी 2 करोड़ अर्थात् 3 प्रतिशत थी।

सातवीं योजना अवधि (1985-90) में बेरोजगारी की संख्या बढ़कर 39 करोड़ हो गई।

---

1 Planning Commission Report of the Committee of Experts on Unemployment Estimates, P 31)

## तालिका 16

## भारत में बेरोजगारी की दर एवं प्रतिशत आकड़े

वर्ष	कुल जनसंख्या (मिनियन में)	कुल बेरोजगारी (मिनियन में)	कुल बेरोजगारी (प्रतिशत में)
1951-56	36.3	3.3	9.0
1980-85	68.0	2.0	3.0
1990-95	91	3.67	4.0

स्रोत योजना आयोग भारत सरकार '1994-95'

योजना आयोग के अनुसार आठवी योजना (1992-97) में 3.5 करोड़ अतिरिक्त श्रमशक्ति के उत्पन्न होने का अनुमान है। परिणाम स्वरूप गत लगभग 20 वर्षों में बेरोजगारी का भार प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

योजना आयोग ने सन् 2002 तक सभी के लिए रोजगार (Jobs for all) का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। वर्तमान समय में रोजगार चाहने वालों की संख्या को तालिका 17 में प्रदर्शित किया गया है। इन आकड़ों के अध्ययनानुसार बेरोजगारी में वृद्धि के फलस्वरूप जहाँ वर्ष 1992-93 में रोजगार चाहने वालों की संख्या 2.3 करोड़ थी वही आठवी योजना (1992-97) में यह 3.5 करोड़ और नवी योजना 1997-2002 तक 3.6 करोड़ रोजगार चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार इन कुल वर्षों की अवधि में (1992-2002) कुल 9.4 करोड़ लोगों को रोजगार की तलाश में होने का अनुमान है।

आयोग के एक अनुमान के अनुसार नवी योजना में कम से कम 95 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रतिवर्ष सृजित करने होंगे इससे सन् 2002 तक पूर्ण रोजगार की स्थिति बन जाएगी।

**तालिका 1.7**  
**भारत में रोजगार चाहने वालों की संख्या के आंकड़े**  
**(1992-93, 1997-2002)**

वर्ष	रोजगार चाहने वालों की संख्या (करोड में)
1992-93	2 3
1992-97	3 5
*1997-2002	3 6
<b>कुल अवधि</b>	<b>9.4</b>

स्रोत भारत सरकार योजना आयोग '1994-95'  
नोट \*अनुमानित (1997-2002, नवी पचवर्षीय योजना)

## 1.6 ग्रामीण बेरोजगारी

हमारे देश में तीन चौथाई जनसंख्या के गाँवों में होने के कारण इस समस्या की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापकता स्वाभाविक है। यद्यपि ग्रामीण बेरोजगारी के समयबद्ध क्रमवार आंकड़े, उपलब्ध नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (48वाँ चक्र जनवरी-दिसम्बर 1992) के अनुसार देश में ग्रामीण श्रमिकों की कुल संख्या 244 करोड़ थी। एन.एस.एस. ने अपने नवीनतम सर्वेक्षणों में बेरोजगारी की दो अवधारणाओं को अपनाया है—

सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी। जिसमें सामान्य स्थिति के अनुसार लगभग 26 लाख अर्थात् (106 प्रतिशत) व्यक्ति बेरोजगार थे और साप्ताहिक स्थिति के अनुसार यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में 59 प्रतिशत और दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की कुल संख्या का लगभग 19 अर्थात् लगभग 46 लाख अनुमानित की गई।

भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्तियों में पुरुष व महिलाओं की (विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार) बेरोजगारी की दर के प्रतिशत आंकड़ों को (वर्ष 1977-78 से जुलाई-दिसम्बर 1991 तक) तालिका 18, 19, 110 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 18 में प्रदर्शित भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न आयु वर्ग के श्रम शक्ति में बेरोजगारी के प्रतिशत आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि जहाँ भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अन्य आयु वर्गों की अपेक्षा 15-29 आयु वर्ग

के अन्तर्गत आने वाले पुरुषों में बेरोजगारी की दर वर्ष 1977-78 में 4.9 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 1983 में 4.7 प्रतिशत और 1987-88 में बढ़कर 6.2 प्रतिशत तथा 1989-90 में यह घटकर पुन 1977-78 के समान 4.9 प्रतिशत हो गई, परन्तु वर्ष 1990-91 में 1989-90 की तुलना में बेरोजगारी कम होकर 3.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 में जुलाई से दिसम्बर के अन्तर्गत बेरोजगारी पुन बढ़कर 4.6 प्रतिशत आकी गयी।

इसी प्रकार तालिका 19 के आकड़ों के विश्लेषण के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों की श्रम शक्तियों में भी विभिन्न आयु वर्गों की अपेक्षा 15-29 आयु के पुरुषों में वर्ष 1977-78 में 14.0 प्रतिशत बेरोजगारी थी। जो कि ग्रामीण क्षेत्र से इन वर्षों में इन्ही आयु वर्ग के अन्तर्गत आने वाले पुरुषों की अपेक्षा अधिक बेरोजगारी थी।

1990-91 वर्ष की तुलना में (11.3 प्रतिशत) यह घटकर जुलाई-दिसम्बर 1991 तक 9.2 प्रतिशत हो गयी।

तालिका 18 के आकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि इसी प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी की दर वर्ष 1977-78 में 8.5 प्रतिशत थी जो कि चालू वर्षों की तुलना में अधिक थी। परन्तु वर्ष 1991 में जुलाई से दिसम्बर में यह घटकर 1.8 प्रतिशत हो गयी। जबकि (तालिका 16) शहरी क्षेत्रों में इस आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी की दर 1977-78 वर्ष में 31.4 प्रतिशत थी जो कि अन्य चालू वर्षों की अपेक्षा सबसे अधिक थी। जुलाई से दिसम्बर 1991 के वर्षों में यह 4.6 प्रतिशत आकलित की गयी थी।

इन आकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त ऐसा स्पष्ट होता है कि भारत में वर्ष 1977-78 से जुलाई-दिसम्बर 1991 योजना की अवधियों में विभिन्न आयु वर्गों की अपेक्षा 15-29 आयु के अन्तर्गत आने वाले स्त्री पुरुषों में बेरोजगारी की दर ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक अनुमानित की गई।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन के तालिका 110 के आकड़ों के अध्ययन के अनुसार भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1977-78 से जुलाई-दिसम्बर 1991 तक, श्रमशक्ति में सभी आयु वर्गों के अन्तर्गत आने वाले स्त्री-पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर अधिक आकलित की गयी है।

तालिका 1-8

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति में पुरुष व महिलाओं की बेरोजगारी दर के प्रतिशत आंकड़े

वर्ष	पुरुष आयु वर्ग के अनुसार (सालों में)					महिलाएँ आयु वर्ग के अनुसार (सालों में)				
	5-14	15-19	30-44	45-59	60-A	5-14	15-29	30-44	45-59	60-A
1977-78	2.0	4.9	0.6	0.4	0.3	4.7	8.5	4.1	3.0	2.0
1983	2.8	4.7	0.5	0.2	0.2	1.2	2.8	0.5	0.4	0.6
1987-88	3.2	6.2	0.9	0.5	0.5	2.9	5.4	2.4	1.9	1.8
1989-90	1.9	4.9	0.5	0.0	0.6	1.4	1.5	0.4	0.6	-
1990-91	0.6	3.2	0.3	0.3	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0
July to Dec	2.6	4.6	0.4	0.05	0.14	1.4	1.8	0.4	0.3	-
1991 तक										

स्रोत नेशनल सैम्पिल सर्वे ऑर्गनाइजेशन '1990-91

तालिका 19

भारत के शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति में पुरुष व महिलाओं की बेरोजगारी दर के प्रतिशत आंकड़े

वर्ष	पुरुष आयु वर्ग के अनुसार (सालों में)					महिलाएँ आयु वर्ग के अनुसार (सालों में)				
	5-14	15-19	30-44	45-59	60-A	5-14	15-29	30-44	45-59	60-A
1977-78	7.7	14.0	1.3	1.0	1.5	7.8	31.4	10.4	4.8	2.2
1983	10.6	12.2	1.4	0.7	0.6	2.3	15.5	2.1	0.7	9.1
1987-88	9.3	13.6	1.2	0.7	4.1	4.1	18.8	3.5	1.1	1.1
1989-90	11.1	9.7	0.9	0.9	1.8	-	7.9	1.1	0.5	-
1990-91	9.0	11.3	0.8	0.3	0.9	0.0	13.2	1.4	0.4	0.0
July to Dec	12.1	9.2	1.1	0.5	0.2	4.6	11.6	2.5	-	-
1991 तक										

स्रोत नेशनल सैम्पिल सर्वे ऑर्गनाइजेशन '1990-91

### तालिका 1.10

भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी आयुवर्ग के अनुसार पुरुष व महिलाओं में बेरोजगारी के प्रतिशत आंकड़े

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	पुरुष	महिलाएँ	पुरुष	महिलाएँ
1977-78	22	55	65	178
1983	21	14	59	69
1987-88	28	35	61	85
1989-90	16	08	44	39
1990-91	13	04	45	44
जुलाई से दिसम्बर 1991 तक	20	08	43	56

स्रोत नेशनल सैम्पिल सर्वे आर्ग-नाइजेशन '1990-91

अतः इस दृष्टिकोण से बेरोजगारी की व्यापकता को देखते हुए सरकार का यह प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी को दूर किया जाए यह तभी सम्भव है जबकि रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किए जाए इस दृष्टि से पंचवर्षीय योजनाओं तथा सरकारी स्तर पर रोजगार के अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं -

### 1.7 बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम	(1952)
खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम	(1957)
पैकेज कार्यक्रम	(1960)
गहन जिला कृषि कार्यक्रम	(1964)
जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम	(1972)
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	(1972)
काम के बदले अनाज कार्यक्रम	(1977)

मरुभूमि विकास कार्यक्रम	(1977)
ट्राइसेम कार्यक्रम	(1979)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	(1979)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	(1980)
नया बीस सूत्री कार्यक्रम	(1982)
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम	(1982)
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	(1983)
जवाहर रोजगार योजना	(1989)
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	(1993)
सुनिश्चित रोजगार योजना	(1993)
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	(1999)

शोध प्रविधि



## अध्याय 2

### 2.0 शोध प्रविधि

2.1 अध्ययन की आवश्यकता

2.2 अध्ययन का महत्त्व

2.3 अध्ययन के उद्देश्य

2.4 परिकल्पनाएँ

2.5 समग्र

2.6 प्रतिदर्श

2.7 आकड़ों का सकलन

2.8 आकड़ों का विश्लेषण

2.9 अध्ययन की रूपरेखा

## अध्याय 2

# शोध प्रविधि

### 2.1 अध्ययन की आवश्यकता

भारत में रोजगार के अवसर पैदा करना विकास योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। रोजगार चाहने वालों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि के कारण बेरोजगारी की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। बेरोजगारी व्यक्तियों का नैतिक पतन करती है और वे आत्म-सम्मान खो देते हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी अनेक सामाजिक बुराइयों को उत्पन्न करती है, तथा अर्थतंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है अतः टिकाऊ विकास को तभी सुनिश्चित समझा जा सकता है जबकि बेरोजगारी की भयंकर समस्याओं पर अकुश लगाया जा सके। हमारी योजना प्रक्रियाएँ भी इस धारणा पर आधारित हैं कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि और श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या की रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकेंगी, इसी दृष्टिकोण से चूँकि अब तक बेरोजगारी समाप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये हैं उनका बेरोजगारी पर कितना प्रभाव पड़ा है इसके अध्ययन की आवश्यकता है विशेष रूप से जिले के सन्दर्भ में ताकि सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें।

इससे पहले कि सर्वेक्षण द्वारा इनका विश्लेषण किया जाए एक दृष्टि डालना होगा इस विषय के 'अध्ययन के महत्त्व पर।

### 2.2 अध्ययन का महत्त्व

आज भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या की अधिकता के कारण बेकारी व बेरोजगारी की समस्या निरन्तर बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप गरीबी, राजनैतिक अस्थिरता, अराजकता इत्यादि के गम्भीर परिणाम समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विषय के अध्ययन के महत्त्व को प्राथमिकता देने का मुख्य तर्क इस प्रकार है कि जब अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ता है तो आय में भी वृद्धि होती है और जनसाधारण की बढ़ी हुई आय स्थानीय उत्पादित आधारभूत

उपभोगता वस्तुओ की माग मे वृद्धि करती है क्योकि ऐसी वस्तुए श्रम गहन होती है इसलिए रोजगार के अधिक सुअवसरो का निर्माण करती है तथा आय मे वृद्धि करती है इस प्रक्रिया के द्वारा अन्तत अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन और रोजगार के स्तरो मे वृद्धि होती है।

रोजगार सुअवसरो का निर्माण आय के पुन वितरण के लिए अच्छा उपाय है। सरकार द्वारा अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का अभिप्राय यह है कि समाज मे आयो का अधिक प्रसार और परिणामस्वरूप आय का सही वितरण करना।

इसके अतिरिक्त रोजगार के सुअवसर काम के स्थान निर्धारण से भी सम्बन्धित होते है अधिकतर बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रो मे रहते है जिन्हे श्रम गहन तकनीक जैसे सडक निर्माण, भवन निर्माण, डेरी पालन इत्यादि के माध्यम से रोजगार प्रदान करने चाहिए। दूसरी ओर शहरी बेरोजगारी जैसी दीर्घकालीन समस्या के समाधान मे श्रम व पूजी गहन तकनीक सहायक हुई है।

अत उपरोक्त तथ्यो की दृष्टि से अध्ययन का विशेष महत्त्व है।

## 2.3 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन मे निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए है—

- 1 रोजगार परक कार्यक्रमो के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
- 2 लक्षित परिवारो की सामाजिक एव आर्थिक स्थिति का दिग्दर्शन करना।
- 3 ग्रामीण बेरोजगारी पर रोजगार कार्यक्रमो के प्रभाव का मूल्याकन करना।
- 4 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत लक्षित परिवारो की आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
- 5 रोजगार कार्यक्रमो के कार्यान्वयन मे उत्पन्न बाधाओ इत्यादि का विश्लेषण करना।
- 6 ग्रामीण जनता एव कर्मचारियो के रोजगार कार्यक्रमो के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- 7 रोजगार कार्यक्रमो को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए नीति-परख सुझाव प्रस्तुत करना।

## 2.4 परिकल्पनाएं

- 1 रोजगार परक योजनाओं से ग्रामीण बेरोजगारी नियंत्रित हुई है।
- 2 रोजगार परक कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों का पलायन रूका है।
- 3 रोजगार परक कार्यक्रमों से मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- 4 रोजगार योजनाएँ सुचारू रूप से कार्यान्वित की गई हैं।
- 5 रोजगार योजनाओं के लिए वांछित वित्तीय एवं भौतिक साधन उपलब्ध कराए गए हैं।

## 2.5 समग्र

इलाहाबाद जनपद को भौगोलिक दृष्टिकोण से तीन सम्भागों में बाटा गया है—

- 1 जमुनापार सम्भाग
- 2 द्वाबा सम्भाग
- 3 गगापार सम्भाग

जनपद के ये तीनों सम्भाग सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं। अतः रोजगार-परक कार्यक्रमों का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए जनपद के इन तीनों भागों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक सम्भाग से औसत दो-दो ग्रामों का चयन किया गया। चयनित ग्रामों से लाभान्वित परिवारों की सूचीयों तैयार की गईं, सूचीयों में सम्मिलित परिवारों एवं उन परिवारों में उपलब्ध कर्मकरों को सम्मिलित कर समग्र तैयार किया गया।

## 2.6 प्रतिदर्श

इलाहाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को 28 विकास खण्डों में बाटा गया है। इनमें 2375 ग्राम सभा सम्मिलित हैं। इन 28 विकास खण्डों को तीन सम्भागों गगापार, जमुनापार और द्वाबा के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इनमें गगापार सम्भाग में आने वाले 11 विकास खण्डों में—

- 1 धनूपुर
- 2 हडिया
- 3 प्रतापपुर
- 4 सैदाबाद
- 5 बहादुर पुर
- 6 फूलपुर
- 7 होलागढ
- 8 बहरिया
- 9 कौडिहार
- 10 मऊआइमा
- 11 सोराव

सम्मिलित है तथा द्वाबा सम्भाग मे आने वाले 8 विकास खण्ड मे—

- 12 चायल
- 13 नेवादा
- 14 मूरतगज
- 15 कौशाम्बी
- 16 मझनपुर
- 17 सरसवा
- 18 कडा
- 19 सिराथू

और जमुनापार सम्भाग मे आने वाले 9 विकास खण्ड मे सम्मिलित है—

- 20 चाका
- 21 करछना
- 22 कौधियारा
- 23 जसरा
- 24 शकरगढ
- 25 कोरौव
- 26 माण्डा
- 27 मेजा
- 28 ऊरवा

प्रस्तुत सर्वेक्षण के लिए बहु स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया गया है। जिनमें प्रथम स्तर पर इलाहाबाद जनपद के तीन सम्भाग द्वाबा, गगापार और जमुनापार लिए गये। दूसरे स्तर पर प्रत्येक सम्भाग से एक-एक विकासखण्ड का चयन किया गया। तीसरे स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड से दो-दो गाँवों का चयन किया गया। जिसमें एक शहर के समीप और दूसरा दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। चतुर्थ स्तर पर 6 चुने गए गाँवों में कुल 2169 परिवार पाये गये जिसमें 433 परिवार रोजगार कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए, इनमें से 20 प्रतिशत नमूने के द्वारा कुल 87 परिवारों का एक प्रतिदर्श लिया गया, जिनमें कृषक, गैर कृषक और मजदूर परिवार सम्मिलित थे।

प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित गाँवों के नाम इस प्रकार हैं—

### 1. फूलपुर विकास खण्ड —

#### अ कालूपुर ग्राम

(जिला मुख्यालय से 59 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 16 किमी)

#### ब. सिकन्दरा ग्राम

(जिला मुख्यालय से 56 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 13 किमी)

### 2. मूरतगज विकास खण्ड

#### अ. पल्हना ग्राम

(जिला मुख्यालय से 44 किमी ब्लाक मुख्यालय से 10 किमी)

#### ब. मौली ग्राम

(जिला मुख्यालय से 47 किमी ब्लाक मुख्यालय से 11 किमी)

### 3. जसरा विकासखण्ड

#### अ. इरादतगंज ग्राम

(जिला मुख्यालय से 13 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 6 किमी)

#### ब. अमरेहा ग्राम

(जिला मुख्यालय से 21 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 2 किमी)

## तालिका 2.1

## नमूना चयन की प्रक्रिया

समभाग	तहसील	ब्लाक	चयनित ग्राम	कुल जनसख्या	कुल परिवार	रोजगार कार्यक्रमो से लाभान्वित परिवार	चयनित परिवार
गगापार	फूलपुर	फूलपुर	कालूपुर	2890	412	85	17
			सिकन्दरा	2010	287	70	14
द्वाबा	चायल	मूरतगज	पल्हना	2782	397	78	16
			मौली	2774	375	65	13
जमुनापार	बारा	जसरा	इरादतगज	2353	366	70	14
			अमरेहा	2266	332	65	13
<b>कुलयोग</b>				<b>15075</b>	<b>2169</b>	<b>433</b>	<b>87</b>

स्रोत सर्वेक्षण

## 2.7 आंकड़ों का संकलन

इलाहाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1995 में किए गए सर्वेक्षण से प्रतिपादित जानकारी को आंकड़ों के आधार पर एकत्र किया गया है, जिसके अनुसार इस जिले के चयनित ग्रामों में परिवार का आकार, उनकी परिसम्पत्ति और आय का विवरण, स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार, रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय सृजन के आंकड़े, ग्रामीणों एवं कर्मचारियों के मन्तव्य इत्यादि बातों को जाना गया। द्वितीयक समको का एकत्रीकरण 'ग्राम्य विकास अभिकरण इलाहाबाद जनपद, विकासखण्डों इत्यादि के आफिसियल रिकार्ड से एकत्र किया गया है।

## 2.8 आंकड़ों का विश्लेषण

सकलित आंकड़ों का विश्लेषण प्रमुख धन्धे, आर्थिक स्तर एवं प्राप्त रोजगार दिवसों के आधार पर समूह बनाकर किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकीय सूत्रों जैसे औसत, प्रतिशत, चार्ट्स, ग्राफ, आदि का भी प्रयोग किया गया। तालिकाओं के माध्यम से सूचनाएँ प्रस्तुत की गयीं।

## 2.9 अध्ययन की रूपरेखा

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित अध्याय तैयार किये गए हैं—

### अध्याय - 1

प्रस्तावना

### अध्याय - 2

शोध प्रविधि

### अध्याय - 3

भारत में रोजगार—परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

### अध्याय - 4

उत्तर प्रदेश में रोजगार परक कार्यक्रमों का दिग्दर्शन

### अध्याय - 5

इलाहाबाद जिले की रोजगार एवं आर्थिक स्थिति का निरूपण

### अध्याय - 6

चयनित ग्रामों की सामाजिक-आर्थिक एवं रोजगार की स्थितियाँ

### अध्याय - 7

चयनित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन

### अध्याय - 8

चयनित परिवारों का रोजगार ढँचा

### अध्याय - 9

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन

### अध्याय - 10

निष्कर्ष एवं सुझाव



भारत में रोजगार  
परक कार्यक्रमों  
का कार्यान्वयन

## अध्याय 3

### 3.0 भारत में रोजगार-परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

- 3 1 रोजगार कार्यक्रमों का महत्त्व
- 3 2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
  - 3 2 1 भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय योजना
  - 3 2 2 भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
- 3 3 ग्रामीण युवा-स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - 3 3 1 भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति
  - 3 3 2 भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 3 4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
  - 3 4 1 भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
  - 3 4 2 भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ
- 3 5 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम
  - 3 5 1 भारत में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति
  - 3 5 2 भारत में आर एल ई जी पी के अन्तर्गत भौतिक प्रगति
- 3 6 जवाहर रोजगार योजना
  - 3 6 1 भारत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति
  - 3 6 2 भारत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियाँ
- 3 7 प्रधानमंत्री रोजगार योजना
  - 3 7 1 प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियाँ
- 3 8 सुनिश्चित रोजगार योजना
  - 3 8 1 भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ।
- 3 9 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम
  - 3 9 1 भारत में ड्वाकारा कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
- 3 10 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

## अध्याय - 3

# भारत में रोजगार-परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

### 3.1 रोजगार कार्यक्रमों का महत्त्व

वर्तमान में भारत की ग्रामीण जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की दो तिहाई है। इसमें एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करता है। इसी कारण अब तक गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन देश की आर्थिक योजनाओं तथा विकास प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय महात्मा गाँधी ने लिखा था—“जिस दिन मैं गावों से गरीबी दूर करने में कामयाब हो जाऊँगा मैं समझूँगा कि मैंने स्वराज प्राप्त कर लिया।” पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए जो नीतियाँ बनायीं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी व बेरोजगारी दूर करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। बेरोजगारी के कारण गावों से शहरों की ओर पलायन और देहाती क्षेत्रों में गरीबी की दयनीय दशा ऐसी समस्याएँ हैं जिनमें सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन डी सी) ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान एवं रोजगार सवर्धन हेतु उपाय सुझाने के लिए 1991 के प्रारम्भ में एक समिति का गठन किया था जिसने लगभग 10 वर्षों की अवधि में पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय सुझाये थे। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं—

- 1 उत्पादकता रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना।
- 2 द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों का विस्तार करना।
- 3 महिलाओं, सीमान्त कृषकों और मजदूरों आदि की आवश्यकताओं पर पुनः बल देना।
- 4 श्रम बाजार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाना।
- 5 शिक्षित महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराना।
- 6 चल रहे विशेष कार्यक्रमों का व्यापक पुनर्गठन करना।

अतः वर्तमान सरकार ने उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के खर्च में लगातार वृद्धि की है। वर्ष 1992-93 में ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने 50 अरब रुपये की धनराशि आवंटित की। वर्ष 1993-94 में यह धनराशि बढ़कर 65 अरब रुपये हो गयी। चालू वित्त वर्ष (1994-95) में ग्रामीण विकास के लिए 85 अरब रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कुल 30 अरब रुपये की धनराशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यवस्था के अनुसार गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को रोजगार और आय के एक निश्चित न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाने और स्थायी आधार पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर योजनावधि में अधिक ध्यान दिया गया और समय-समय पर रोजगार सृजित करने के विशेष कार्यक्रम चलाए गए। भारत में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का वर्णन प्रस्तुत अध्याय में किया जा रहा है।

### 3.2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करने व उत्पादन परिसम्पत्ति उपलब्ध करवाने हेतु, आई आर डी पी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में की गयी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पता लगाए गए ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने के लिए समर्थ बनाना है। आई आर डी पी की शुरुआत इनके अन्तर्गत उपलब्ध कार्यक्रमों की विविधता है। प्राथमिक क्रियाएँ जैसे कृषि, बागवानी, रेशमी कीड़े पालना, पशुपालन, आदि द्वितीयक क्रियाएँ जैसे सेवाएँ एवं व्यापार क्रियाएँ, इत्यादि सम्मिलित हैं। आई आर डी पी के कुल परिव्यय का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र और शेष 50 प्रतिशत भाग राज्यों द्वारा दिया जाता है। यह योजना देश के सभी विकास खण्डों में चलाया जा रहा है।

#### लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियों के चयन में लघु तथा सीमान्त किसान, कृषि मजदूर, तथा ग्रामीण कारीगर, शामिल हैं। गरीबी की रेखा वर्तमान में 11,000 रुपये की वार्षिक आय पर निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 8,500 रुपये से कम और इसके साथ-साथ 6,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले मदद दी जाती है।

चयनित लक्षित समूह में लाभान्वित होने वाले परिवारों में कम से कम 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। इसके अलावा विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि सहायता प्राप्त करने वालों में से कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों में 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग लोग लिए जाने चाहिए।

सहायता देने में फालतू भूमि के आबंटियों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के ग्रीन कार्ड धारकों के परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

मुक्त बधुवा मजदूरों को भी सहायता देने में प्राथमिकता दी जाती है।

### **सब्सिडी की पद्धति**

इस कार्यक्रम में सब्सिडी की पद्धति के अनुसार छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए 33 1/2 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

### **पूँजी निवेश**

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बन्धित व्यवसाय के लिए 15,000/- रुपए तथा उद्योग-सेवा, व्यवसाय सेक्टर के लिए 25,000 रुपए की सीमा तक जमानत मुक्त ऋण अनुमान्य है। प्रत्येक दशा में प्रति परिवार पूँजी निवेश न्यूनतम 16,000/- रुपए सुनिश्चित किया जाता है। जिससे लाभार्थी परिवार वास्तविक रूप से गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके।

### **लाभार्थी सलाहकार समिति का गठन**

विशेष अभियान चलाकर न्याय, पचायत स्तर, बैंक शाखा क्षेत्र, तथा विकास खण्ड स्तरीय, लाभार्थी सलाहकार समितियों का गठन कर लिया जाता है इन समितियों की यथा निर्धारित बैठके आयोजित कराकर प्राप्त सुझावों के अनुरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार लाया जाता है।

### **खातों का संचालन, रख रखाव व सम्प्रेक्षण**

इस कार्यक्रम की समस्त धनराशि निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से बैंको में ही रखी जाती है। यह धनराशि डाकघर कोषागार के पी एल ए अथवा अन्य किसी भी वित्तीय संस्था में जमा नहीं की जाती है।

## कार्यान्वयन एजेंसी

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। राज्य स्तर की समन्वय समिति (एस एल सी सी) कार्यक्रम की निगरानी करती है निधियों के केन्द्रीय अंश को रिलीज करने, नीति बनाने, समूचा मार्गदर्शन करने तथा कार्यक्रम की निगरानी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की है।

आई आर डी पी योजना के अन्तर्गत दो और सहायक कार्यक्रम चलाए गए इनमें स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम (ड्वाकारा), सम्मिलित है।

### 3.2.1 भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय योजना

भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना, तालिका 3.1 में प्रदर्शित की गई है इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1985-86 में केन्द्र सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 21250 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया था, जो कि वर्ष 1986-87 में बढ़कर 28750 करोड़ रुपये हो गया। इन आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1985-86 से 1991-92 योजनावधि के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए प्रस्तावित व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, इस वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 1991-92 में 39040 करोड़ रुपये के व्यय हेतु बजट प्रस्तावित किया गया।

वर्ष 1985-86 को मूल वर्ष मानकर 1986-87 में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित व्यय 28750 करोड़ रुपये के लिए 13529 सूचकांक आकलित किया गया था प्रत्येक वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्तावित व्यय में निरन्तर वृद्धि के कारण वर्ष 1991-92 में 39040 करोड़ रुपये व्यय के लिए 18372 के सूचकांक में वृद्धि हुई। उपरोक्त विश्लेषण को लेखाचित्र-6 के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

## तालिका 3 1

भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना

(मूल वर्ष 1985-86)


वर्ष	प्रस्तावित व्यय (करोड रु मे) (Approved outlay during)	सूचकांक (Index Number)
1985-86	212 50	100 00
1986-87	287 50	135 29
1987-88	320 25	150 71
1988-89	355 00	167 06
1989-90	390 00	183 53
1990-91	390 00	183 53
1991-92	390 40	183 72
*1997-98	611 00	287 52
*1998-99	800 00	376 47

स्रोत ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट - 1991-92'

\*आर्थिक सर्वेक्षण - 1998-99

भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना

लेखाचित्र -6



### 3.2.2 भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

तालिका 3 2 में प्रदर्शित, भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा इस योजना को वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में 407 36 करोड़ रुपये के आबटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 441 10 करोड़ रुपये व्यय हुए जो कि व्यय का 108 28 प्रतिशत था। वर्ष 1986-87 में 543 83 करोड़ रुपये लक्ष्य के विरुद्ध 613 38 (112 79 प्रतिशत) करोड़ रुपये व्यय हुए। इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) की अवधि तक वित्तीय प्रगति के आबटन लक्ष्य एवं पूर्ति में निरन्तर वृद्धि हुई, परन्तु वर्ष 1990-91 में वित्तीय आबटन में कुछ कमी के कारण 747 31 करोड़ रुपये लक्ष्य के विरुद्ध 809 49 (108 32 प्रतिशत) करोड़ रुपये व्यय हुआ जो कि लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 1990-91 की तुलना में, 1991-92 में इस योजना में व्यय धनराशि कम होकर 773 09 (109 87 प्रतिशत) करोड़ रुपये हो गयी, क्योंकि लक्ष्य 703 61 करोड़ रुपये अर्थात् वर्ष 1990-91 की लक्ष्य की तुलना में (747 31 करोड़ रुपये) कम निर्धारित किया गया।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति के उद्देश्य से जिन परिवारों को सहायता दी गई थी, उनमें वर्ष 1985-86 में 24 71 लाख सहायता दिए जाने वाले परिवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 30 61 लाख परिवारों को सहायता की उपलब्धि प्राप्त हुई जो कि इस उपलब्धि का 123 87 प्रतिशत थी। तालिका में प्रदर्शित आकड़ों व लेखाचित्र 7 से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक सहायता दिए जाने वाले परिवारों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों में वृद्धि हुई थी। परन्तु वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक इन भौतिक प्रगति में कुछ कमी हुई, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1991-92 की योजनावधि में 22 52 लाख परिवारों को सहायता दिए जाने के लक्ष्यों के विरुद्ध 25 37 अर्थात् 112 65 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई।

उपर्युक्त जानकारी से यह भी ज्ञात होता है कि इस भौतिक प्रगति की उपलब्धियों में कमी का कारण यह है कि वर्ष 1991-92 में वित्तीय लक्ष्य कम निर्धारित किया गया था।



इस कार्यक्रम की वित्तीय उपलब्धियों की तालिका 3 3 के आकड़ों के अनुसार 1980-85 वर्ष के अन्तर्गत आबटन राशि का लक्ष्य 1,766 81 करोड़ रुपए आकलित किया गया। जबकि खर्च 1,661 17 करोड़ रुपए ही हुआ (व्यय का 94 02 प्रतिशत)। इन वर्षों में ही कार्यक्रमों के संचालन के लिए 3,101 61 करोड़ रुपए कार्यवृत्त ऋण उपलब्ध किया गया था। वर्ष 1985-90 की कुल अवधियों के अन्तर्गत आबटन धनराशि का लक्ष्य 3,000 29 करोड़ रुपए के विरुद्ध 3,315 82 करोड़ (110 51 प्रतिशत) रुपए व्यय हुए इनमें कार्यवृत्त ऋण की मात्रा 5,372 53 करोड़ रुपए उपलब्ध थी। वर्ष 1992-93 और 1993-94 में आबटन धनराशि का लक्ष्य 662 22, 1,089 90 करोड़ रुपए के विरुद्ध वर्ष 1992-93 में 693 08 (104 6 प्रतिशत) करोड़ रुपए व्यय हुआ।

तालिका 3 4 में योजना आयोग, भारत सरकार '1994-95', की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धियों के स्पष्टीकरण के द्वारा वर्ष 1980-85 से 1985-90 की कुल अवधियों में क्रमशः 151 02, 151 38 लाख परिवारों को सहायता दिए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 165 62, 181 77 की उपलब्धि प्राप्त हुई, जो कि इन उपलब्धियों की क्रमशः 109 67 प्रतिशत, 120 07 प्रतिशत थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 से 1993-94, और 1994-95 (नवम्बर 1994 तक) इन तीन वर्षों के आकड़ों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इन तीन वर्षों के अन्तर्गत सबसे अधिक भौतिक प्रगति वर्ष 1993-94 योजनावधि में लक्ष्य 25 73 लाख के विरुद्ध 25 38 लाख की उपलब्धि प्राप्त हुई यह उपलब्धि 98 64 प्रतिशत थी। वर्ष 1994-95 में यह घटकर 46 86 प्रतिशत हो गई। इसमें केवल 21 15 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 9 91 लाख परिवारों को ही सहायता प्रदान की गई। इस योजना की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों (1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 योजना अवधि) के अन्तर्गत वित्तीय आबटन राशि 543 83 करोड़ रुपए लक्ष्य के साथ 375 81 करोड़ रुपए की उपलब्धि प्राप्त हुई। जो कि उपलब्धियों का 69 10 प्रतिशत थी। इस आबटन धनराशि में से केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त 277 3 करोड़ रुपए लक्ष्य के विरुद्ध 278 76 करोड़ रुपए की उपलब्धि (व्यय का 100 54 प्रतिशत) को आकलित किया गया। इसी समयावधि के अन्तर्गत इन कुल वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिशत परिवारों को दी जाने वाली सहायता से 30 00 लाख लक्ष्य से अधिक 41 12 लाख की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1995-96 में 20 50 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई जिसे 92 प्रतिशत आकलित किया गया है। (तालिका 3 4)

## तालिका 3 2


भारत में समन्वित ग्राम विकास योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति  
(1985-86 से 1991-92 तक)

वर्ष	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति सहायता दिए जाने वाले परिवार लाखों में		
	लक्ष्य (करोड रु)	पूर्ति (करोड रु)	प्रतिशत	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	407 36	441 10	108 28	24 71	30 61	123 87
1986-87	543 83	613 38	112 79	34 99	37 47	107 08
1987-88	613 38	727 44	118 59	39 64	42 47	107 13
1988-89	687 95	768 47	111 70	31 94	37 72	118 09
1989-90	747 75	765 43	102 37	29 09	33 51	115 19
1990-91	747 31	809 49	108 32	23 71	28 98	122 23
1991-92	703 61	773 09	109 87	22 52	25 37	112 65

स्रोत Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92

भारत में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

लेखाचित्र 7



## तालिका 3 3

भारत मे आई आर डी पी की वित्तीय उपलब्धिया  
(1980-85 से 1997-98 तक)

अवधि	आबटित राशि का लक्ष्य	पूर्ति (करोड रु मे)	प्रतिशत	कार्यवृत्त ऋण (करोड रु मे)
1	2	3	4	5
1980-85	1,7,66 81	1,6,61 17	94 02	3,101 61
1985-90	30,00 27	3,3,15 82	110 51	5,372 53
1992-93	662 22	693 08	104 66	1,036 80
1993-94	1,089 90	NA	-	NA
1994-95	NA	NA	-	NA
Nov 1994- # 1997-98	145 28	541 87	37 21	-

स्रोत Government of India Planning Commision '1994-95'  
# Economic Survey - '1998-99'

## तालिका 3 4

भारत मे आई आर डी पी की भौतिक उपलब्धियाँ  
(1980-85 से 1995-96 तक)  
भौतिक प्रगति - सहायता पदत परिवार  
(लाख मे)

अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1980-85	151 02	165 62	109 67
1985-90	151 38	181 77	120 07
1992-93	18 75	20 69	110 35
1993-94	25 73	25 38	98 64
1994-95	21 15	9 91	46 86
1995-96	22 15	20 50	92 55

स्रोत Government of India Planning Commision '1995-96'

### 3.3 ग्रामीण युवा-स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ट्राइसेम)

ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक अंग है, जिसका सूत्रपात ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार व प्रदेश सरकार के 50-50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से वर्ष 1979-80 से देश के समस्त विकास खण्डों में स्वतंत्र रोजगार स्थापित करने हेतु लागू किया गया था।

#### उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमान्त कृषकों, खेतिहर ग्रामीण शिल्पकारों, तथा ग्रामीण नवयुवकों को जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों को उत्पादक तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

#### लाभार्थियों का आच्छादन

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के जनपदों में 52 प्रतिशत, तथा उत्तराखण्ड जनपदों में 30 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों एवं समस्त जनपदों में 40 प्रतिशत महिलाओं जिसमें से 60 प्रतिशत महिलाएं अनुसूचित जाति/जनजाति की होंगी तथा 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का न्यूनतम आच्छादन किया जाता है।

#### प्रशिक्षार्थियों की चयन प्रक्रिया

ट्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों के चयन के समय निम्नलिखित बिन्दुओं में अंकित शर्तों, प्रतिबन्धों तथा प्राविधानों का अनुपालन किया जाता है।

- 1 इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की सहायता पहले करना है अतः जिन परिवारों की आय 6000/- रुपये वार्षिक के अन्दर है उन्हें ट्राइसेम योजना में पहले चयन कर वरीयता दी जानी चाहिए।

- 2 चयन करते समय महिलाओ, अनु जाति/जनजाति युवक युवतियो, विधवाओ, परित्यक्ताओ, विकलाग आदि को प्राथमिकता दी जाती है।
- 3 एक परिवार से केवल एक ही सदस्य चयन किया जाता है।
- 4 चयन करते समय प्रशिक्षार्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को दृष्टि में रखना आवश्यक है।

### प्रशिक्षण अवधि

सामान्यतः प्रशिक्षण की अवधि 6 माह अधिकतम होती है किन्तु प्रशिक्षण विशेष की आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अनुमोदन से यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

## वित्तीय सहायता

### छात्रवृत्ति

प्रशिक्षण अवधि के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को 150/- रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय होती है। यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था किसी दूरस्थ क्षेत्र 5 किलोमीटर बाहर क्षेत्र में की जाए तो वह 250/- रुपए प्रतिमाह और वह छात्रावास की सुविधा का लाभ न उठाना चाहे तो उसे प्रतिमाह 300/- रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी।

### अनुश्रवण

ट्राइसेम योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के लिए जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में एक ट्राइसेम उप समिति का गठन किया जाता है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे

- 1 जिलाधिकारी—अध्यक्ष
- 2 अपर जिलाधिकारी (परि) परियोजना निदेशक
- 3 जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबन्धक
- 4 लीड बैंक के अधिकारी
- 5 जनपद स्तरीय प्रशिक्षण सरस्थानों में प्रधानाचार्य
- 6 जिला सेवायोजन अधिकारी

इस उपसमिति का कार्य, ट्राइसेम सम्बन्धी सभी विषयों पर मार्ग निर्देश देना तथा प्रशिक्षण कार्य का अनुश्रवण करना है।

### 3.3.1 भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

भारत में ट्राइसेम योजना को, विभिन्न वर्षों में भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तालिका, 3.5 के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम पर कुल 19.97 करोड़ रुपए के व्यय को आकलित किया गया था। जिसमें केन्द्रीय और राज्याश व्यय क्रमशः 0.62 (3.11 प्रतिशत), 19.35 (96.90 प्रतिशत), करोड़ रुपए है।

इस कार्यक्रम के विकास के लिए समय-समय पर वित्तीय प्रगति में वृद्धि की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय अंश 8.00 (16.39 प्रतिशत) और राज्याश 40.79 (83.60 प्रतिशत) करोड़ रुपए व्यय हुआ, जो कि कुल मिलाकर व्यय की हुई धनराशि का 48.79 करोड़ रुपए होता है। उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत हुई वित्तीय प्रगति को लेखाचित्र-8 में प्रदर्शित किया गया है।

#### तालिका 3.5

भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति (1985-86 से 1998-99)


वर्ष	केन्द्रीय अंश (करोड़ रु.)	राज्याश (करोड़ रु.)	कुल व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1985-86	0.62 (3.11)	19.35 (96.90)	19.97 (100.00)
1986-87	4.93 (21.95)	17.53 (78.05)	22.46 (100.00)
1987-88	4.53 (18.35)	20.15 (81.65)	24.68 (100.00)
1988-89	6.89 (22.61)	23.58 (77.39)	30.47 (100.00)
1989-90	6.54 (20.91)	24.73 (79.09)	31.27 (100.00)
1990-91	4.41 (13.52)	28.20 (86.48)	32.61 (100.00)
1991-92	8.00 (16.39)	40.79 (83.60)	48.79 (100.00)
1998-99	45.00 (50.12)	44.76 (49.06)	89.76 (100.00)

स्रोत Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92  
Table No - 46, P No 36

नोट (कोष्ठक में प्रतिशत आकड़े दिए गए हैं)

## भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति (1985-86 से 1998-99)

### लेखाचित्र 8



### 3.3.2 भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत में ट्राइसेम योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत जैसा कि बताया जा चुका है कि इस कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों के चयन के समय विभिन्न शर्तों, प्रतिबन्धों, तथा प्राविधानों का अनुपालन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व कुल कार्यो में लगे युवाओं के अंकित आकड़े एवं उनके प्रतिशत की जानकारी तालिका 36 से प्राप्त होती है अथवा ययनोपरान्त आकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 1985-86 के वर्षों में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या 1,77,510 लाख थी, जिसमें से कुल कार्यो में 99,383 युवा लगे हुए थे, जो कि कुल कार्यो में लगे युवाओं का 55.99 प्रतिशत आकलित किया गया।

इस प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त (तालिका 38) यह भी ज्ञात हुआ कि कुल कार्यो में लगे 99,383 युवाओं में इसी वर्ष इसमें से 82,028 अर्थात् 82.55 प्रतिशत युवा स्वरोजगार में, तथा 17,355 (17.46 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार में लगे हुए थे।

विभिन्न वर्षों में आकड़ों के अध्ययन के अनुसार वर्ष 1985-86 से 1991-92 तक प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि 1990-91 में 2,36,177 लाख युवाओं को कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, और 1,65,278 लाख (69.98 प्रतिशत) युवा कुल कार्यों में लगे हुए थे, वही वर्ष 1991-92 में 2,97,347 लाख प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में वृद्धि तो हुई, परन्तु कुल कार्यों में कुछ कम, 1,61,993 युवा लगे हुए थे, अर्थात् 54.47 प्रतिशत।

तालिका 3.8 के विश्लेषण के अनुसार 1990-91 में 1,23,785 युवा स्वरोजगार में अर्थात् 74.89 प्रतिशत और 41,493 (26.10 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार में कार्यरत थे, कुल मिलाकर 1,65,278 युवा कुल कार्यों में लगे हुए आकलित किये गये हैं। जबकि 1991-92 में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार में लगे युवाओं की संख्या कम आकी गयी थी, इसका कारण यह था कि कुल कार्यों में लगे युवाओं की संख्या कम थी, अर्थात् 1,61,993 लाख थी।

तालिका 3.7 वर्ष 1992-93 में 2.76, 1993-94 में 3.04, 1994-95 में 3.22, लाख युवा प्रशिक्षित किये गये थे। अतः इस कार्यक्रम की प्रशिक्षण व्यवस्था का अनुमान वर्ष 1985-86 से 1991-92 तक के लेखाचित्र-9 के माध्यम से भी लगाया जा सकता है।



## तालिका 3 6


भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं में से कुल कार्यों में लगे युवाओं के  
 अंकड़े एवं उनका प्रतिशत (1985-86 से 1995-96)

वर्ष	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	कुल कार्यों में लगे युवा	प्रतिशत
1	2	3	4
1985-86	1,77,510	99,383	55.99
1986-87	1,84,598	1,06,412	57.64
1987-88	1,96,145	1,25,910	64.19
1988-89	2,27,050	1,32,745	58.47
1989-90	2,10,657	1,30,681	62.03
1990-91	2,36,177	1,65,278	69.98
1991-92	2,97,347	1,61,993	54.47
1993-94	3,03,821	1,50,923	49.67
1994-95	2,81,874	1,31,431	46.62
1995-96	2,91,450	1,41,105	48.41

स्रोत - Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92, Table No 101-104, 1995-96 Table No 46,

भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं में से कुल कार्यों में लगे युवाओं के  
 प्रतिशत वर्ष (1985-86 से 1995-96)

## लेखाचित्र 9



तालिका 3 7  
भारत में ट्राइसेम योजना की उपलब्धियाँ (1992-93 से 1997-98)

अवधि	प्रशिक्षित युवा (लाखों में)
1992-93	2 76
1993-94	3 04
1994-95	3 22
1997-98	41 5

स्रोत योजना आयोग भारत सरकार

तालिका 3 8

भारत में ट्राइसेम योजना में भौतिक प्रगति के अन्तर्गत (1985-86 से 1995-96) स्वरोजगार और मजदूरी में लगे व्यक्ति के आँकड़े एवं उनका प्रतिशत

अवधि	प्रशिक्षित युवाओं में कार्य में लगे व्यक्ति		
	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	कुल
1985-86	82028 (82 55)	17355 (17 46)	99383 (100 00)
1986-87	88538 (83 20)	17874 (16 79)	106412 (100 00)
1987-88	99868 (79 32)	26042 (20 68)	125910 (100 00)
1988-89	97775 (73 66)	34970 (26 34)	132745 (100 00)
1989-90)	95827 (73 33)	34854 (26 67)	130681 (100 00)
1990-91	123785 (74 89)	41493 (25 10)	165278 (100 00)
1991-92	115773 (71 47)	46220 (28 53)	161993 (100 00)
1993-94	107919 (71 50)	43004 (28 49)	150923 (100 00)
1994-95	86466 (65 78)	44965 (34 21)	131431 (100 00)
1995-96	92655 (65 66)	48450 (34 33)	141105 (100 00)

स्रोत Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92 1995-96 Table No 46 P No 36 Table No 101-104

नोट— (कोष्ठक में प्रतिशत आंकड़े हैं।)

### 3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को अक्टूबर 1980 में पूर्णतः चलाए गए कार्यक्रमों जैसे—ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित योजना, प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और काम के बदले अनाज कार्यक्रम से प्राप्त हुए अनुभवों के साथ लागू किया गया था।

31 मार्च 1981 के अन्त तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार ने पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता दी थी। 1-4-81 से यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का एक नियमित अंग बन गया था, तब से इसे केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में केन्द्र और राज्यों के बीच 50-50 अनुपात के आधार पर चलाया जाता रहा। छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुल 1620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, इस कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम में भी सम्मिलित कर लिया गया था।

#### उद्देश्य

इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख उद्देश्य रखे गये थे—

- 1 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्परोजगार वाले व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना।
- 2 ग्रामीण आधारभूत ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना।
- 3 ग्रामीण गरीबों के पोषाहार स्तर तथा रहन सहन के स्तर में सुधार करना।

### संगठनात्मक ढाँचा तथा निगरानी

#### केन्द्र स्तर पर समिति

कार्यक्रम के निगरानी हेतु एक केन्द्रीय समिति गठित की गई थी।

#### राज्य स्तर पर समिति

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की आयोजना कार्यान्वयन तथा निगरानी आदि की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की थी।

## जिला ग्रामीण विकास एजेसी

कार्यक्रम की आयोजना समन्वय पर्यवेक्षण तथा निगरानी से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को सौंपी गयी थी।

### मजदूरों को खाद्यान्नों का वितरण

एन आर ई पी कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को खाद्यान्नों का वितरण निम्न निर्देशों के अनुसार किए गये थे—

- 1 राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों को मजदूरों को खाद्यान्नों के वितरण में सभी स्तरों पर पर्याप्त निगरानी रखनी चाहिए जहाँ तक सम्भव हो खाद्यान्नों का वितरण उचित दर दुकानों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- 2 भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्यान्नों को उठाने और उन्हें कार्य-स्थलों तक ले जाने की व्यवस्था इस तरह की जानी चाहिए कि इस पर परिवहन लागत कम से कम आए।

### मजदूरी का भुगतान

निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी के कुछ भाग का भुगतान खाद्यान्नों में तथा शेष भाग का भुगतान नगदी में किया गया, मजदूरी के एक भाग का भुगतान प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1 किलोग्राम खाद्यान्नों में किया गया और शेष धनराशि का भुगतान नगद किया गया था।

जहाँ किसी कारण से मजदूरी का भुगतान खाद्यान्नों में करना सम्भव न हो वहाँ पूरी मजदूरी का भुगतान नगद किया जाता था, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान शीघ्र किया जाने और किसी भी हालत में एक सप्ताह से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेन्सी मजदूरी का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थी। अकुशल कार्य के लिए दी जाने वाली मजदूरी उस क्षेत्र के लिए लागू अकुशल मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरों के बराबर थी जहाँ कार्य किया जा रहा था।

कुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी वह होगी जो या तो

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन उस कार्य के लिए निर्धारित की गई थी अथवा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, वन, आदि जैसे विभागों द्वारा निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अभाव में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इस आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के लिए दरें निर्धारित कर सकती थी।

### कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्य

उन निर्माण कार्यों की सूची दी गई है जो एन आर ई पी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गये थे—

- 1 सरकारी तथा पचायतो आदि की सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य, सड़कों के दोनों किनारों पर पौधे लगाना, नहरों के तटों पर रेलवे लाइनों आदि के साथ-साथ बेकार पड़ी भूमि पर पौध रोपण जिनमें ईंधन, चारे तथा फलदार पेड़ शामिल थे। निजी भूमि पर पौधे लगाने हेतु पौधाकुरों का वितरण, उनकी बिक्री, बशर्ते कि उनकी बिक्री-आय सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खाते में डाली जाए तथा उन्हें एन आर ई पी कार्यक्रम के कार्यों में दुबारा लगाया जाए।
- 2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्य जैसे भूमि विकास, आवास का निर्माण, पेयजल के कुँए आदि।
- 3 जल संचयन ढाँचों का निर्माण अर्थात् मानवीय उपयोग अथवा पशुओं के लिए जल उपलब्ध कराने, मछली पालन, आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण।
- 4 भूमि संरक्षण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना।
- 5 स्कूलों और औषधालयों पशु चिकित्सा केन्द्रों बालवाड़ी, भवनो, पचायत घरों, सामुदायिक केन्द्रों, ग्रामीण बैंकों के आवास के लिए भवनो, गोशालाओं, सामुदायिक मुर्गी पालन, तथा सुअर पालन गृहों, नहाने तथा कपड़ा धोने के प्लेट फार्मों, सामुदायिक बायो-गैस सयंत्रों, बीज, कीट नाशक दवाइयों, उर्वरकों, इत्यादि को रखने हेतु भण्डारों का निर्माण।
- 6 भूमि को समतल बनाने, जल निकासी नालियों, खेत की नालियों, आदि का निर्माण कार्य।

एनआरईपी कार्यक्रमो के निष्पादन एव कार्यान्वयन के लिए इन कार्यक्रमो मे पचायती राज सरस्थाओ, स्वैच्छिक सगठनो औद्योगिक गृहो आदि की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था।

### 3.4.1 भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की छठी पंचवर्षीय योजना मे अर्थात् वर्ष 1980-81 से 1984-85 के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुसार कुल मिलाकर 2,473 11 करोड रुपए 1,643 78 करोड रुपए व्यय हुए जो कि कुल व्यय का 74 55 प्रतिशत (तालिका 3 10) प्राप्त होता है। इस योजनावधि मे भौतिक प्रगति के उद्देश्य से ग्रामीणो को रोजगार सृजन मे कुल 1,774 37 मिलियन मानव दिवस की उपलब्धि इस कार्यक्रम से प्राप्त हुई थी, जिसमे व्यय प्रति रोजगार दिवस से 10 40 रुपए आकलित किया गया।

(तालिका 3 9) आकडो के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1985-86 मे कुल मिलाकर 553 46 (100 00 प्रतिशत) करोड रुपए ससाधनो के लिए प्रस्तावित किए गए जिसमे केन्द्रीय अश 229 73 (41 54 प्रतिशत) खाद्यान्न मूल्य पर 96 00 (17 35 प्रतिशत) और राज्याश 227 53 (41 11 प्रतिशत) करोड रुपए था। जबकि इसी वर्ष लक्ष्य के विरुद्ध कुल 622 35 करोड रुपए रिलीज किए गए। आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1985-86 से 1987-88 योजनावधि के अन्तर्गत ससाधनो पर प्रस्तावित धनराशि से कुछ अधिक धन रिलीज किए गए थे। परन्तु वर्ष 1988-89 मे ससाधनो पर 935 46 करोड रुपए प्रस्तावित धनराशि से कुछ कम 869 60 करोड रुपए ही रिलीज हुए, इस प्रस्तावित राशि मे से केन्द्रीय अश 407 20 (43 53 प्रतिशत) खाद्यान्न पर 123 56 (13 21 प्रतिशत) राज्याश 404 70 (43 26 प्रतिशत) करोड रुपए आकलित किया गया था।

उपरोक्त आकडो के मूल्यांकन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से वित्तीय लक्ष्यो मे वृद्धि के प्रयास किए गए क्योकि जहाँ छठी पंचवर्षीय योजना मे कुल 2,473 11 करोड रुपए प्रस्तावित किए गए थे वही सातवी योजना मे यह बढ़कर 3,117 84 करोड रुपए हो गया था।

## तालिका 3 9

भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज वित्तीय एव भौतिक प्रगति  
(1985-86 से 1988-89)  
रिलीज अश (करोड रुपए मे)

वर्ष	केन्द्रीय अश	खाद्यान्नो के मूल्य	राज्याश	कुल
1	2	3	4	5
1985-86	229 75 (36 92)	136 57 (21 94)	256 03 (41 13)	622 35 (100 00)
1986-87	249 80 (28 93)	349 01 (40 42)	264 57 (30 64)	863 38 (100 00)
1987-88	363 13 (35 09)	272 04 (26 29)	399 52 (38 61)	1034 69 (100 00)
1988-89	386 36 (44 43)	92 70 (10 66)	390 54 (44 91)	869 60 (100 00)

स्रोत Annual Report of the Ministry of Rural Development Table No 46 p 36 SI  
No IV

नोट - (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे है)

## तालिका 3 10

भारत मे छठी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय  
एव भौतिक उपलब्धियों (1980-81 से 1984-85)

वित्तीय प्रगति (Financial Progress) भौतिक प्रगति

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य (करोड रु )	व्यय (करोड रु )	प्रतिशत %	रोजगार का सृजन (मिलियन मानव दिवस)	व्यय प्रति रोजगार दिवस
1980-81	346 32	219 03	63 24	413 58	5 30
1981-82	460 37	317 63	68 99	354 52	9 00
1982-83	540 15	394 76	73 08	351 20	11 25
1983-84	535 59	393 22	73 42	302 76	13 00
1984-85	590 68	519 14	87 89	352 31	14 75
कुल	2473.11	1843.78	74.55	1774 37	10.40

स्रोत सातवी पचवर्षीय योजना, 1985-90 Vol 11, भारत सरकार योजना आयोग pp 58

### 3.4.2 भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1988-89) में तालिका 3 11 द्वारा इस कार्यक्रम की उपलब्धियों के अन्तर्गत इस वर्ष कुल मिलाकर 1,6820 08 करोड़ रुपए प्रस्तावित व्यय के द्वारा 4289 42 लाख श्रम दिवस के रोजगार सृजन का लक्ष्य निश्चित किया गया था, जिसमें 5031 51 लाख श्रम दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई थी जो कि कुल उपलब्धियों का 117 30 प्रतिशत आकलित की गयी है लेखाचित्र-10, 1985-86 से 1988-89 की उपलब्धियों को दर्शाती है। जबकि छठी योजना में 1774 37 मिलियन मानव दिवस के रोजगार सृजन की उपलब्धि प्राप्त हुई थी जैसा कि तालिका 3 10 में स्पष्ट किया गया है।

#### तालिका 3 11

भारत में NREP की उपलब्धियाँ (1985-80 से 1988-89)  
रोजगार का सृजन (लाख श्रम दिन)


वर्ष	प्रस्तावित व्यय (करोड़ रु में)	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत %
1985-86	230 00	228 00	316 41	138 78
1986-87	442 65	275 08	395 39	143 74
1987-88	480 00	363 56	370 07	101 79
1988-89	529 43	3422 78	3949 64	115 39
<b>कुल</b>	<b>1682.08</b>	<b>4289.42</b>	<b>5031.51</b>	<b>117.30</b>

स्रोत - Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92  
Table NO 45 p 35



भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) की रोजगार सृजन की उपलब्धियों (वर्ष 1985-86 से 1988-89)

लेखाचित्र 10



### 3.5 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को देश के सभी विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया था।

**उद्देश्य :**

इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे—

- 1 भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि करना जिससे परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम से कम 100 दिनों तक कार्य की गारण्टी दिलाई जा सके।
- 2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए ग्रामीण अद्योसरचना को मजबूत बनाना इसके लिए स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके।

कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्य

## कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरु किये जाने वाले निर्माण कार्य

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यक्रमों में जैसे लघु सिंचाई योजनाओं, गावों में तालाबों का निर्माण, भूमि व जल संरक्षण, भूमि का विकास तथा बेकार पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाना प्राथमिक स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण, गावों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण इत्यादि कार्यों को अपनाया गया था।

## साधन आवंटन

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्धारित मापदण्ड के आधार पर साधन आवंटित करने के लिए 50 प्रतिशत महत्त्व खेतिहर मजदूरों तथा सीमान्त किसानों की संख्या के आधार पर तथा शेष 50 प्रतिशत महत्त्व निर्धनता के आधार पर दिया जाता था।

## खाद्यान्न वितरण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों को एनआरईपी के समान एक किलोग्राम प्रति मानव-दिवस की दर से खाद्यान्न 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जाता था। कार्यक्रम के अन्तर्गत यह निर्देश दिया गया था कि कार्यस्थल के निकटतम खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जाए ताकि श्रमिकों को अधिक दूर न जाना पड़े।

## वित्तीय प्रबन्ध

यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर चालू किया गया था। राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के ही सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त होती थी।

इस प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा मुक्त किए गए (बँधुवा) मजदूरों में से निर्धन, छोटे सीमान्त किसानों, को खुले सिंचाई कुएँ मुफ्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मिलियन वैल्स स्कीम' नाम की नई योजना प्रारम्भ की गई थी। 1988-89 वर्ष के लिए 15365 करोड़ रुपये की लागत से 95930 कुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 1989-90 से इस कार्यक्रम को 'जवाहर रोजगार योजना' में मिला दिया गया है।

### 3.5.1 भारत में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

(तालिका 3 12) वर्ष 1985-86 में इस योजना के लिए कुल वित्तीय लक्ष्य 595 00 करोड़ रुपए के अनुरूप 453 17 करोड़ रुपए की पूर्ति हुई, जो कि पूर्ति का 76 16 प्रतिशत आकी गयी थी। इस समयावधि के अन्तर्गत अर्थात् 1988-89 के वर्षों में यह बढकर, 708 44 करोड़ रुपए कुल लक्ष्य के साथ 669 37 करोड़ रुपए की पूर्ति प्राप्त हुई, अर्थात् कुल उपयोग की पूर्ति का 94 48 प्रतिशत आकलित किया गया।

तालिका 3 12

भारत में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	कुल लक्ष्य (करोड़ रु में)	कुल उपयोग की पूर्ति (करोड़ रु में)	प्रतिशत %
1985-86	595 00	453 17	76 16
1986-87	707 88	635 91	89 83
1987-88	703 09	653 53	92 95
1988-89	708 44	669 37	94 48

स्रोत - Ministry of Rural Development '1991-92'

### 3.5.1 भारत में आर.एल.ई जी.पी. के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

भारत में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 2057 32 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि 2475 76 लाख मानव दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई, जिसे उपलब्धियों का 120 34 प्रतिशत तालिका 3 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार आकलित किया गया है। 1987-88 के वर्षों में 113 29 प्रतिशत की उपलब्धि हुई, और 1988-89 में 2604 19 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 2965 57 की उपलब्धि प्राप्त हुई अर्थात् उपलब्धियों का 113 87 प्रतिशत।

उपरोक्त उपलब्धि को लेखाचित्र-11 में प्रदर्शित किया गया है।

## तालिका 3 13


भारत मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की रोजगार सृजन की उपलब्धियों  
रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत मे
1985-86	2057 32	2475 76	120 34
1986-87	2364 47	° 3061 43	129 48
1987-88	2684 15	3041 06	113 29
1988-89	2604 19	2965 57	113 87

स्रोत - Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92 Table NO  
46 PNo 36 SI No V

भारत मे भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम  
की रोजगार सृजन की उपलब्धियों

लेखाचित्र 11



### 3.6 जवाहर रोजगार योजना

सातवी पचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष मे अर्थात् 1 अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम '(NREP)' 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (RLEGP) नामक दोनो रोजगार कार्यक्रमो का विलय

करके जवाहर रोजगार योजना नामक एक वृहद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था।

### उद्देश्य

- 1 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना।
- 2 सामुदायिक और सामाजिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना।
- 3 ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र जीवन स्तर में सुधार करना।

### योजना के अन्तर्गत चयनित लक्षित समूह

गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे व्यक्ति लक्षित समूह में शामिल किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा मुक्त बधुवा मजदूरों को वरीयता दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के लिए 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

### संसाधनों का आबटन

इस योजना को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में केन्द्र और राज्य के बीच 80 : 20 के अनुपात में लागत वहन करने के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

### बैंक खाता

जवाहर रोजगार योजना की निधियाँ (केन्द्रीय अंश, राज्य अंश) सभी राज्यों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/ग्राम पंचायतों द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक के बचत खाते में रखी जाती है।

### ग्राम स्तर पर कार्य योजना

देश/प्रदेश के विभिन्न राज्यों के जिलों में ग्राम स्तर पर कार्य योजना के क्रियान्वयन में सहायक विकास अधिकारी, जनपद स्तर के सभी परवेक्षीय अधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों इत्यादि की नियुक्ति की जाती है।

## जवाहर रोजगार के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्य जैसे—भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य, भूमि तथा जल संरक्षण कार्य, लघु सिंचाई कार्य जैसे सामुदायिक सिंचाई, कुओ का निर्माण आदि, तालाबों का निर्माण, सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के कार्य जैसे—औषधालयों, पंचायत घरों, शिशु ग्रहों, आगन बाड़ियों आदि का निर्माण कराया जाता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की दो उपयोजनाएँ इन्दिरा आवास योजना, दस लाख कुओ की योजना, को जिसे 1985—86 के अन्तर्गत शुरू किया गया था, और अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना में मिलाकर एक उपयोजना के रूप में चलाया जा रहा है।

### 3.6.1 भारत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

इस योजना में कार्यक्रमों के संचालन के उद्देश्य से प्रारम्भिक वर्षों में कुल 2694 30 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई थी, इसका विवरण तालिका 3 14 के आकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है जिसमें केन्द्रीय अंश 2044 90 (75 89 प्रतिशत), राज्यांश 555 18 (20 16 प्रतिशत), और खाद्यान्न पर 92 22 (3 49 प्रतिशत) करोड़ रुपये का सहयोग किया गया था। वर्ष 1990—91 में केन्द्रीय सरकार द्वारा 2000 95 (78 79 प्रतिशत) और राज्य सरकार द्वारा 538 35 (21 20 प्रतिशत) अर्थात् कुल 2539 30 करोड़ रुपये रिलीज किये गये थे। इस प्रकार इन दो वर्षों (1989—90, 1990—91) के आकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इन वर्षों की तुलना में वर्ष 1991—92 में कुछ कम 2358 75 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये। 1998—99 में 2078 44 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इन आकड़ों के मूल्यांकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्षों में जितनी अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई थी, परन्तु उसके बाद के वर्षों में वित्तीय प्रगति में कुछ कमी हुई है।

## तालिका 3 14

भारत में जवाहर रोजगार योजना की वित्तीय प्रगति  
(Financial Progress) रिलीज (करोड रु)

वर्ष	केन्द्रीय अंश	खाद्यान्य	राज्यांश	कुल
	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)
1989-90	2044 90 (75 89)	94 22 (3 49)	555 18 (20 61)	2694 30 (100 00)
1990-91	2000 95 (78 79)	-	538 35 (21 20)	2539 30 (100 00)
1991-92	1815 57 (76 97)	-	543 18 (23 01)	2358 75 (100 00)
1998-99	-	-	-	2078 44

स्रोत - Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92, Table No 46 PNo 36, SI No VI

नोट - वर्ष 1989-90 से पूर्व JRY के स्थान पर NREP एव RLEGP कार्यक्रम लागू थे।  
नोट - (कोष्ठक में प्रतिशत आकड़े दिए गये हैं)

### 3.6.2 भारत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियाँ

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजन के उद्देश्य से भारत में जवाहर रोजगार योजना द्वारा वर्ष 1989-90 में 8757 25 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 8643 87 की (98 71 प्रतिशत) उपलब्धि, तालिका 3 15 के आकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त होती है। वर्ष 1990-91 में यह उपलब्धि 94 13 प्रतिशत और 1991-92 में 109 88 प्रतिशत के अनुसार 7354 35 लक्ष्य के विरुद्ध 8081 05 की उपलब्धि प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1989-90, 1990-91, में रोजगार सृजन के लक्ष्य अधिक निश्चित किए गए, परन्तु उपलब्धि कम प्राप्त हुई। जबकि वर्ष 1991-92 की अवधि में लक्ष्य कम किन्तु उपलब्धि अधिक प्राप्त हुई थी।

सरकार द्वारा इस रोजगार सृजन में अथक प्रयास के फलस्वरूप वर्ष 1992-93 में 7537 95 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के

विरुद्ध 7821 02 (103 76 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त की गई थी। 1993-94 में इसमें वृद्धि के उपरान्त 10383 26 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 9523 45 लाख मानवदिवस अर्थात् 91 72 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी, जबकि 1994-95 में 7997 37 लाख मानव दिवस का लक्ष्य निश्चित किया गया था। 1994-95 में 93 20 प्रतिशत जबकि 1995-96 98 92 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई।

उपरोक्त तालिका के स्पष्टीकरण के फलस्वरूप यह अनुमानित होता है कि सरकार इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में प्रयास कर रही है।

### तालिका 3 15

भारत में जवाहर रोजगार योजना की भौतिक प्रगति (1989-90 से 1996-97)  
[Physical Progress] रोजगार सृजन लाख मानव दिवस

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1989-90	8757 25	8643 87	98 71
1990-91	9291 04	8745 59	94 13
1991-92	7354 35	8081 05	109 88
*1992-93	7537 95	7821 02	103 76
*1993-94	10383 26	9523 45	91 72
*1994-95	7997 37	7453 59	93 20
*1995-96	8042 80	7955 89	98 92
*1996-97	414 4	381 9	92 15

स्रोत - Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92, Table No 88, 89, 90 P No 87, 88, 89

\* Ministry of Rural Development 1995-96, Table No 118-121

## 3.7 प्रधानमंत्री रोजगार योजना

शहरों में लगातार बढ़ती बेरोजगारी एवं शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए 15 अगस्त 1993 को एक ऐसे रोजगार योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने की जिसका उद्देश्य बेरोजगारी दूर करने के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारी में उद्यमिता की भावना का विकास करना है। वर्ष 1993-94 के समय यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू थी, तथा 1 अप्रैल 1994 से इसे शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है।



इस योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के लिए उद्योग, सेवा, अथवा व्यवसाय के माध्यम से स्वतः रोजगार स्थापित करने की व्यवस्था है चयनित लाभार्थियों हेतु बैंक ऋण के साथ-साथ अनुदान एवं अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

### उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य शिक्षित साधनहीन नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक साधन, प्रोत्साहन एवं परामर्श आदि प्रदान करना है।

### पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अर्हताएँ होना आवश्यक हैं—

- 1 अभ्यर्थी कम से कम कक्षा 10 पास या फेल हो अथवा उसके समकक्ष आई टी आई या अन्य संस्थाओं से तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो।
- 2 अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 3 अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आमदनी (आय) 24,000 रु से अधिक न हो।
- 4 अभ्यर्थी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।
- 5 कम से कम 3 वर्षों से उस क्षेत्र का स्थाई निवासी हो।

### योजना लागत

एक लाख तक की लागत की परियोजना इस योजना के अन्तर्गत शामिल है यदि दो या अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप में परियोजना लागते हैं तो प्रति व्यक्ति प्रोजेक्ट लागत एक लाख तक हो सकती है।

### मार्जिन मनी

परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत उद्यमी को अपने मार्जिन मनी के रूप में कैश में लगाना आवश्यक होता है, शेष 95 प्रतिशत तक बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सामान्य ब्याज दरों पर ब्याज लगेगा।

## पूँजीगत सब्सिडी

इस योजना के अन्तर्गत सरकार परियोजना लागत की 15 प्रतिशत तक पूँजीगत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस सब्सिडी की सीमा 75,000 रुपए प्रति लाभार्थी है यह सब्सिडी लाभार्थियों को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दी जाती है।

## प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के बाद लाभार्थियों के लिए चार सप्ताह तक के अनिवार्य प्रशिक्षण का प्राविधान है।

## योजना का निरीक्षण एव क्रियान्वयन

इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण होगा। महिलाओं एव अन्य कमजोर वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना की एक विशेषता यह है कि इसमें कुछ गिरवी रखना आवश्यक नहीं है केवल इस योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियाँ ही बैंक में रखी जाएगी।

जिला, राज्य और केन्द्र के स्तर पर योजना की प्रभावशाली निगरानी के लिए एक तीन स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

### 3.7.1 प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियाँ

तालिका 3.16 के आकड़े ये प्रदर्शित करते हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में 0.80 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य संचालित किया गया था, जिसमें 0.36 (45.0 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त हुई। इस लक्ष्य 4.46 में वृद्धि के फलस्वरूप 0.31 लाख मानव दिवस की उपलब्धि 1994-95 में प्राप्त की गयी, जो कि 6.45 प्रतिशत थी। इस प्रकार इन दो वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95 योजनावधि के अन्तर्गत कुल मिलाकर 5.26 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के अनुसार 0.67 (12.7 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1998-99 में 9.1 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी।

इस प्रकार इन आकड़ों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से रोजगार सृजन की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

### तालिका 3 16

भारत में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियाँ (लाख में)

अ

वर्ष	लक्ष्य	पूति	प्रतिशत
1993-94	0 80	0 36	45 0
1994-95	4 46	0 31	6 95
योग	5 26	0 67	12 7

Source . Economic Survey- 1994-95

ब

वर्ष	माइक्रोउद्यम			सृजित रोजगार		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1996-97	2 2	1 8	81 8	4 4	2 6	59 1
1998-99	2 2	0 3	13 6	4 4	0 4	9 1
अक्टूबर 1998 तक						
योग	4.4	2.1	47.7	8.8	3.0	34.1

स्रोत :- Economic Survey '1998-99

## 3.8 सुनिश्चित रोजगार योजना

इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1993 को शुरू किया गया। पहले यह योजना चुने गए 1752 पिछड़े ब्लाकों में लागू की गयी थी किन्तु अब यह योजना देश के कुल ब्लाकों के 40 प्रतिशत में लागू की जा रही है।

**योजना का उद्देश्य**

इस केन्द्र प्रोनिधानित योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का

अशदान 80 20 के अनुपात मे है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के जरूरत मन्द पुरुषो एव महिलाओ को जो अकुशल निर्माण कार्य करने की इच्छुक हो, गैर कृषि कार्य के महीने (लीन एग्रीकल्चरल सीजन) मे वर्ष मे कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। यह रोजगार एक परिवार के 2 व्यक्तियों को ही सुलभ हो सकता है। इनमे 18 से 60 वर्ष के आयु के स्त्री पुरुष रोजगार पाने के पात्र होंगे।

### साधन आबंटन

इस योजना के अन्तर्गत व्यय 80 20 अनुपात मे केन्द्राश/राज्याश पर आधारित होगा।

### योजनान्तर्गत कराए जाने वाले कार्य

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है—

- क वाटरशेड विकास के अन्तर्गत जल सरक्षण, भू-सरक्षण, पेडो द्वारा अवरोध, वन रोपण, कृषि बागवानी, वन, चारागाह आदि।
- ख लघु सिंचाई कार्य, नहर का कार्य, आगनवाडी के लिए भवन इत्यादि।

### श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को उसी दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा जैसा कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी की दरे निर्धारित की गयी है।

योजना के कार्यान्वयन प्रगति एव अनुश्रवण राज्य/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर गठित समितियों द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वय समिति, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, और ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी इत्यादि होते हैं। अन्य विभागों की जैसे वित्त विभाग का प्रतिनिधि, नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, वन विभाग का प्रतिनिधि इत्यादि को सदस्य पद पर नियुक्त किया जाता है।

### 3.8.1 भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना के संचालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 में 600 करोड़ रुपये और 1994-95 में 1200 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई राज्य सरकार द्वारा इन योजनावधियों में कुल मिलाकर 1,884 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी, सरकार द्वारा भौतिक प्रगति के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993-94 में 494 74, 1994-95 में 2739 75 लाख श्रम दिवस का रोजगार संचालित किया गया, इसके अतिरिक्त इन वर्षों में 13,980 और 1,16,800 के लगभग निर्माण कार्य पूरे किए गए थे।

इस प्रकार भारत में वर्ष 1995-96 में, अप्रैल से जून 1995 तक दो करोड़ श्रम दिवस से अधिक रोजगार के अवसर जुटाए जा चुके हैं। भारत सरकार ने इस योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 653 30 करोड़ रुपये की राशि भेज दी है। राज्यों से मई 1995 तक इस योजना पर 107 26 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। वर्ष 1998-99 में 1571 97 (78 99 प्रतिशत) करोड़ रुपये व्यय हुए और 2376 14 लाख श्रम दिवस का रोजगार संचालित हुआ।

#### तालिका 3 17

भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ  
(वर्ष 1995-96 से 1998-99)

वर्ष	वित्तीय प्रगति करोड़ रुपये में			रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस)
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	
1995-96	1570	1816	115 67	346 53
1996-97	1970	1840	93 40	NA
1997-98	1970	1905	96 70	NA
1998-1999	1990	1571 97	78 99	2376 14

### 3.9 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल-विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए है। यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में सितम्बर 1982 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम शुरू में 50 चुने हुए जिलों में प्रारम्भ किया गया था 1994-95 में यह कार्यक्रम देश भर के 450 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा था। आठवी योजना अवधि में शेष सभी जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। महिला समूहों के सदस्यों की संख्या 10-15 के बीच रखी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक महिला वर्ग के 15,000 का रिवाल्विंग कोष स्वीकृत किया जाता है। यह राशि केन्द्र राज्य और यूनीसेफ द्वारा बराबर-बराबर हिस्से में विभाजित की जाती है।

#### बैंक ऋण

इस योजना में महिलाओं को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण की व्यवस्था कर दी जाती है बैंकों के अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा कपार्ट से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।

कार्यक्रम के सही कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी के लिए ग्राम जिला और राज्य, स्तर पर तीन स्तरीय स्टाफ पद्धति होती है।

#### 3.9.1 भारत में ड्वाकारा कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(तालिका 3 18, 3 19) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10-15 महिलाओं के समूह गठित किए जाते हैं, जिसमें वर्ष 1985-86 में महिलाओं को 6,008 समूहों में बाँटा गया, जिनकी सदस्य संख्या 1,00,966 थी, इन पर कुल 4 15 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो प्रति ग्रुप 6 90 रुपये, और प्रति सदस्य 0 41 रुपये था, 1991-92 के वर्षों में इनमें वृद्धि के पश्चात् बाटे गए 9,327 समूहों की सदस्य संख्या 20,8,492 थी, जिन पर कुल 10 72 करोड़ रुपये व्यय किया गया, इस प्रकार व्यय की गई धनराशि में से प्रति ग्रुप 11 49 रुपये और प्रति सदस्य 0 51 रुपये आकलित किया गया।

वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक महिला ग्रुप व उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप 1994-95 की अवधि में 37884 समूहों के लिए 591696 सदस्य बनाए गए थे। इनका विश्लेषण तालिका 3 19 के आकड़ों के अध्ययन के द्वारा किया गया है। इन जानकारियों के उपरान्त ऐसा ज्ञात होता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊँचा करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1997-98 में 4 60 लाख सदस्य बनाए गये हैं।

तालिका 3 18

भारत में ड्वाकरा के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति  
(1985-86 से 1991-92)

वर्ष	ग्रुपों का वर्गीकरण (संख्या में)	सदस्य (संख्या में)	कुल व्यय (करोड़ रु में)	रु प्रति ग्रुप	रु प्रति सदस्य
	a	b	c		
1985-86	6,008	1,00966	4 15	6 90	0 41
1986-87	5,545	96,132	6 93	12 49	0 72
1987-88	4,959	82,265	4 66	9 39	0 56
1988-89	5,968	98,936	7 00	11 72	0 70
1989-90	5,551	90,294	7 89	14 21	0 87
1990-91	6,835	1,08172	7 39	10 81	0 68
1991-92	9,327	2,08492	10 72	11 49	0 51

स्रोत - ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट '1991-92'

तालिका 3 19

भारत में ड्वाकरा के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियां  
(1992-93, 1997-98)

वर्ष	ग्रुपों का वर्गीकरण (संख्या में)	सदस्य (संख्या में)	कुल व्यय (लाख रुपए में)
1992-93	9029	128744	978 61
1993-94	15483	268525	1882 25
1994-95	37884	591696	5419 91
1995-96	37759	505923	5707 66
1997-98	41000	4 60	-

स्रोत - Economic Survey - 1995-96, 1997-98

### 3.10 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एकल योजना 1 अप्रैल, वर्ष 1999 को प्रारम्भ की गई है। इस योजना में पहले के स्वरोजगार तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों यथा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, तथा दस लाख कुओं योजना को समेकित कर दिया गया है।

#### उद्देश्य

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है।

#### योजना का लक्ष्य

इस योजना के द्वारा प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। कम से कम 50 प्रतिशत अनु जाति/जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया है।

#### योजना का कार्यान्वयन

इस योजना में विकास खण्ड स्तर पर प्रमुख गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है, जबकि जिला स्तर पर इस चयन की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी तथा जिला परिषदों की होती है।

समूह गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी और आत्मनिर्भर समूहों के लिए उत्तरोत्तर अधिकांश धन की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति में कम-से-कम आधे समूह पूर्णतया महिलाओं के होंगे।

#### वित्तीय व्यवस्था

योजना में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था केन्द्र और राज्यों द्वारा 75 : 25 के अनुपात में की जाती है।



## ऋण एवं सब्सिडी की पद्धति

यह योजना एक ऋण एव सब्सिडी कार्यक्रम है सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की एक समान दर पर होगी, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपए होती है, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत या 10,000 रुपए होगी। आत्म निर्भर समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत के 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 1.25 लाख रुपए होती है सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश में रोजगार-  
परक कार्यक्रमों  
का दिग्दर्शन

# उत्तर प्रदेश का मानचित्र



## अध्याय 4

- 4.0 उत्तर प्रदेश मे रोजगार परक कार्यक्रमो का दिग्दर्शन
  - 4 1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
    - 4 1 1 उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति
  - 4 2 ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
    - 4 2 1 उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति
    - 4 2 2 उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - 4 3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
    - 4 3 1 उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक प्रगति
  - 4 4 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम
    - 4 4 1 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियों
    - 4 4 2 उत्तर प्रदेश मे आर एल ई जी पी कार्यक्रमो के द्वारा रोजगार सृजन
  - 4 5 जवाहर रोजगार योजना
    - 4 5 1 उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियों
  - 4 6 ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम
    - 4 6 1 उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियों
  - 4 7 सुनिश्चित रोजगार योजना
    - 4 7 1 सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एव भौतिक प्रगति

## अध्याय 4

### उत्तर प्रदेश में रोजगार परक कार्यक्रमों का दिग्दर्शन

देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 13.91 करोड़ है अर्थात् कुल जनसंख्या का 16.44 प्रतिशत। 1981-91 के दशक के अन्तर्गत राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 25.48 प्रतिशत आकलित की गई। 473 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के घनत्व वाले इस राज्य में स्त्री-पुरुष अनुपात 879 (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएँ) है और साक्षरता 41.06 प्रतिशत पायी गई।

27वें एन.एस.एस. की गणना (1972-73 में) के समय राज्य में श्रमिकों की संख्या 377.42 लाख थी, जो कि एन.एस.एस. की 32वें गणना के अन्तर्गत मार्च 1985 में 392.42 लाख हो गयी। जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 13 वर्षों की अवधि में 15.25 लाख मजदूरों की वृद्धि हुई।

उत्तर प्रदेश राज्य में 1972-73 में कुल ग्रामीण मजदूरों की संख्या शहरो की अपेक्षा 79 प्रतिशत थी, और यही संख्या मार्च 1985 में बढ़कर 81 प्रतिशत हो गयी, 1995 में इनमें वृद्धि के द्वारा 83 प्रतिशत आकलित की गयी है। 1981 में राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यरत श्रम शक्ति (मजदूर) 31.26 प्रतिशत थी। जबकि पूरे देश में यह स्तर 36.77 प्रतिशत था। दूसरे शब्दों में राज्य में इनकी निर्भरता का अनुपात 1 : 2 : 26 था जबकि पूरे देश में यह अनुपात 1 : 1 : 72 था। 1991 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति का प्रतिशत (कार्य सहभागिता दर) 32.20 प्रतिशत है। राज्य में महिला वर्ग की जो स्थिति है उसके अनुसार 32वें एन.एस.एस. की गणना के समय राज्य के कृषि क्षेत्रों में 83 प्रतिशत था परन्तु मार्च 1995 में 84 प्रतिशत और स्वरोजगार में 81 प्रतिशत महिलाओं का योगदान है। इसके अतिरिक्त कार्यों में जैसे कि आकस्मिक कार्यों में 16 प्रतिशत तथा वेतन भोगी में 5 प्रतिशत महिलाएँ संलग्न हैं। इसका अभिप्राय यह है कि महिलाओं के लिए कृषि को छोड़कर बाहर के क्षेत्र में काम करने के कम अवसर उपलब्ध थे।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण सगठन के 27वे चक्र की गणना के अन्तर्गत 15-59 आयु वर्गों में बेरोजगारी, कुल श्रम शक्ति । संख्या का 37.5 प्रतिशत थी। एनएसएस की 32वे गणना के अन्तर्गत 43.3 प्रतिशत श्रम शक्ति बेरोजगार थी। 1984-85 के वर्षों में यह 52.9 प्रतिशत और 1994-95 में बढ़कर यह 62.5 प्रतिशत हो गयी है।

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो मुख्य स्थितियाँ हैं, वह इस प्रकार हैं—

- 1 राज्य में रोजगार के अवसर मुख्यतः कृषि क्षेत्र के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं जिसमें अधिकतर हिस्सा स्वरोजगार किसानों का है।
- 2 भूमि वितरण के अन्तर्गत भूमि का जो भी भाग किसानों के पास है उसमें असमानता है, जिसकी वजह से आवश्यकता से कम रोजगार ग्रामीण किसानों व श्रमिकों को उपलब्ध हो पाता है।
- 3 राज्य के सगठित क्षेत्र रोजगार देने की बहुत ही सीमित क्षमता रखते हैं जिसके कारण बहुत सी श्रम शक्तियाँ बेरोजगार रह जाती हैं।
- 4 घरेलू उद्योगों की कमी होने के कारण 15-59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को घर में काम करना पड़ता है क्योंकि राज्य में घरेलू उद्योगों की क्षमता सीमित है।

बेरोजगारी की ये समस्याएँ राज्य के पाँच आर्थिक क्षेत्रों में असमान रूप से फैली हुई हैं जैसे—पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी क्षेत्र, और बुंदेलखण्ड। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 49 प्रतिशत बेरोजगार हैं जो कि सबसे अधिक है, मध्य क्षेत्र में 28 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में 14 प्रतिशत और बुंदेलखण्ड में 6 प्रतिशत बेरोजगार हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ 3 प्रतिशत हैं, जहाँ राज्य की सबसे कम बेरोजगारी है। इससे यह प्रतीत होता है कि राज्य का पूर्वी क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। अतः इलाहाबाद जनपद भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रसित है। इस दृष्टिकोण से बेरोजगारी

निवारण अर्थात् रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा जिले के सन्दर्भ में की जाएगी। परन्तु इससे पहले प्रस्तुत अध्याय में एक दृष्टि डालना होगा 'उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यक्रमों के दिग्दर्शनो पर'।

तालिका 4.1 उत्तर प्रदेश की आवश्यक जानकारी कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की गई है।

1991		
1	राज्य की कुल जनसंख्या	13 91 (लाख)
2	अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या	295 88 (लाख)
3	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत	43 11 प्रतिशत
4	कुल साक्षरता प्रतिशत	41 6 प्रतिशत
5	राज्य का कुल क्षेत्रफल	294411 वर्ग किमी
6	जिला	83
7	तहसील	294
8	विकासखण्ड	901
9	न्याय पंचायत	8814
10	ग्राम पंचायत	58605
11	कुल ग्रामीण कृषक	214 (लाख)
12	कुल ग्रामीण खेतिहर श्रमिक	73 (लाख)

स्रोत - सांख्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश वर्ष 1995-96

## 4.1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

### 4.1.1 उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

देश में 2 अक्टूबर 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश राज्य में यह कार्यक्रम डीआरडीए के द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में 6827 25 लाख रुपए व्यय का लक्ष्य निश्चित किया गया, जिसमें से 7,814 29 लाख रुपए की पूर्ति हुई, जो कि व्यय का 114 45 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त वर्षों के अन्तर्गत अर्थात् 1986-87 और 1987-88 में वित्तीय लक्ष्य क्रमशः

10029 68, 11,651 58 लाख रुपए उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया गया था, परन्तु इस लक्ष्य के विरुद्ध 11,138 60 (111 05 प्रतिशत), 13030 70 लाख रुपए (111 83 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1990-91 की अवधियों में कार्यक्रम के विकास पर कुल 16,958 98 लाख रुपए व्यय हुए जो कि व्यय का 115 15 प्रतिशत आकलित किया गया, जबकि लक्ष्य 114727 97 लाख रुपए ही निर्धारित किया गया था। आकड़ों के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि इन कार्यक्रमों के निरन्तर विकास के लिए लक्ष्य से अधिक धन व्यय करने का प्रयास विभिन्न वर्षों में किया गया।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भौतिक प्रगति के अन्तर्गत परिवार को सहायता देने के लिए 1985-86 के वर्षों में 5430 परिवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 5808 परिवारों को सहायता दी गयी। 1987-88 में यह लक्ष्य बढ़कर 7661 के विरुद्ध 7933 अर्थात् 103 55 प्रतिशत प्राप्त किया गया। 1990-91 और 1991-92 की तुलना में 1989-90 के वर्षों में 5734 लक्ष्य से अधिक 6,300 (109 87 प्रतिशत) परिवारों को सहायता प्रदान की गयी। उपर्युक्त तथ्यों की इन उपलब्धियों की विवरण तालिका 4.2 के विश्लेषण के आकलन से ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा इसलिए किया गया, कि जिससे राज्य में अधिक से अधिक परिवारों को इन कार्यक्रमों के द्वारा लाभ पहुँचाया जा सके।

राज्य में उपरोक्त विश्लेषण से सम्बन्धित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को लेखाचित्र-12 में प्रदर्शित किया गया है।



## तालिका 4.2

उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति एवं भौतिक प्रगति (1985-86 से 1995-96 तक)


वर्ष	वित्तीय प्रगति लाख रुपये में			भौतिक प्रगति (सख्या' 00)		
	लक्ष्य (करोड रु)	पूर्ति (करोड रु)	प्रतिशत	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	6827 25	7814 29	114 45	5,430	5808	106 96
1986-87	10029 68	11,138 60	111 05	6,320	6,665	105 45
1987-88	11,651 58	13030 70	111 83	7,661	7,933	103 55
1988-89	13,186 37	14,733 79	111 73	6,108	6,882	112 67
1989-90	14,727 97	15,378 18	104 41	5,734	6,300	109 87
1990-91	14,727 97	16,958 98	115 15	4,681	5,088	108 69
1991-92	13,857 12	16,226 71	117 10	4,434	4,623	104 26
**1995-96	44925 00	39532 85	87 99	5,353	5,916	110 52

स्रोत - Ministry of Rural Development Annual Report 1991-92', Table No 47,88, SI No 24 P No 38, 39

\*\* Ministry of Rural Development Programme in U P '1995-96'

## लेखाचित्र 12

उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 1985-86 से 1995-96



## 4.2 ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)

### 4.2.1 उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

देश में ट्राइसेम कार्यक्रम चूँकि केन्द्र एवं राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित किया जाता है, अतः राज्यों में वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत इस कार्यक्रम पर कुल 341.32 लाख रुपए व्यय हुए थे, जिसमें केन्द्र का 9.10 (2.66 प्रतिशत) और राज्यांश 332.22 (97.33 प्रतिशत) लाख रुपए आकलित किया गया था। इसके एक वर्ष बाद (1986-87 में) केन्द्र सरकार द्वारा व्यय का 19.97 प्रतिशत अर्थात् 76.47 और राज्य द्वारा 80.03 प्रतिशत अर्थात् 306.40 लाख जो कि कुल व्यय का 382.87 लाख रुपए था। तालिका 4.3 के इन आकड़ों के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा ट्राइसेम कार्यक्रम को उपलब्ध की जाने वाली धनराशि में वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक निरन्तर वृद्धि की गई थी, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1990-91 की तुलना में 530.04 लाख रुपए से यह बढ़कर 1991-92 में 830.21 लाख रुपए कुल व्यय हुआ।

कार्यक्रमों के सफल संचालन में वित्तीय प्रगति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे कार्यक्रमों की सफलता व असफलता का पता लगाया जा सकता है, आकड़ों के अध्ययन के उपरान्त ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इन वर्षों के अन्तर्गत सरकार द्वारा कार्यक्रमों के विकास के लिए वित्तीय धनराशि की आबटन प्रक्रिया में कमी नहीं की गयी।

## तालिका 4 3

उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति (1985-86 से 1991-92)

वर्ष	वित्तीय प्रगति (लाख रुपए में)		
	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल व्यय
1985-86	9 10 (2 66)	332 22 (97 33)	341 32 (100 00)
1986-87	76 47 (19 97)	306 40 (80 03)	382 87 (100 00)
1987-88	103 98 (28 30)	263 40 (71 69)	367 38 (100 00)
1988-89	126 13 (28 19)	321 23 (71 81)	447 36 (100 00)
1989-90	156 94 (34 54)	297 33 (65 45)	454 27 (100 00)
1990-91	156 94 (29 60)	373 10 (70 39)	530 04 (100 00)
1991-92	157 00 (18 91)	673 21 (81 08)	830 21 (100 00)

स्रोत - Annual Report of the Ministry of Rural Development '1991-92' Table No 61 62 Sl No 24 P No 52 53

नोट - (कोष्ठक में प्रतिशत आकड़े दिए गए हैं)

#### 4.2.2 उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश राज्य में, ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या के आकड़े तालिका 4 4 में अंकित किए गए हैं। इन आकड़ों के अध्ययन से यह व्यक्त है कि वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रशिक्षित युवाओं की संख्या 36,578 थी, जिसमें से 12,826 प्रशिक्षित युवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के और 13,840 महिलाएं सम्मिलित थी। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार वर्षों अर्थात् 1985-86 से 1988-89 की अवधि तक प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में कुछ वृद्धि हुई, किन्तु 1989-90 के सालों में कुछ कम 36,398 युवाओं को ही प्रशिक्षित किया गया था। इसका कारण इन वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन कार्य में, कर्मचारियों में कुशलता का अभाव, व

वित्तीय कमी को ठहराया जाता है। परन्तु प्रदेश में वर्ष 1990-91 की तुलना में 1991-92 में इनमें वृद्धि के फलस्वरूप 70,430 युवाओं को कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित युवाओं एवं महिलाओं की संख्या क्रमशः 30,856, 37,590 आकलित की गई थी।

राज्य में सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था, उसमें 1985-86 में कुल 21,054 युवा स्वरोजगार कार्य में सलग्न थे। इस तथ्य की जानकारी तालिका 4.5 के आकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त होती है। 1986-87 के वर्षों में कुल 22,684 प्रशिक्षित युवा कार्यों में लगे हुए थे।

कार्य में लगे हुए युवाओं में से 95.64 प्रतिशत युवा स्वरोजगार में और 4.36 प्रतिशत युवाओं को मजदूरी रोजगार प्राप्त था।

इन आकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि मजदूरी रोजगार की तुलना में स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवा अधिक थे। इसके अतिरिक्त राज्य में 1990-91 के वर्षों में 1991-92 की अपेक्षा कार्य में लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या कुछ अधिक थी। 1995-96 के वर्षों में यह 1991-92 की तुलना में कम हुई है।

उपर्युक्त विश्लेषण से सम्बन्धित आकड़ों को लेखाचित्र संख्या 13, 14 में दर्शाया गया है।

तालिका 4 4

उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ की सख्या के आकडे  
(1985 86 से 1995-96)

वर्ष	प्रशिक्षित युवाओ की सख्या		
	कुल	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	महिलाए
1985-86	36578	12826	13840
1986-87	37542	12795	18965
1987-88	38524	14419	20839
1988-89	42977	17125	20864
1989-90	36398	15328	17814
1990-91	57195	25317	29341
1991-92	70430	30856	37590
**1994-95	62394	27102	34046
**1995-96	63721	34222	38142


Source Annual Report of the Ministry of Rural Development '1991-92' Table No 55---60 P\o 46---51

\*\*Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh - '1995-96'

उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रमो के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवा

वर्ष 1985-86 से 1995-96

लेखाचित्र 13



## तालिका 4 5

उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य में लगे प्रशिक्षित युवा


वर्ष	प्रशिक्षित युवाओं में कार्य में लगे व्यक्ति		
	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	कुल
1985-86	21,054 (100 00)	NR	21,054 (100 00)
1986-87	21,694 (95 64)	990 (4 36)	22,684 (100 00)
1987-88	21,917 (91 05)	2153 (8 94)	24,070 (100 00)
1988-89	17,812 (81 13)	1734 (8 87)	19,546 (100 00)
1989-90	20,524 (84 35)	3809 (15 65)	24,333 (100 00)
1990-91	33,503 (81 88)	7411 (18 11)	40,914 (100 00)
1991-92	31,909 (82 82)	6618 (17 17)	38,527 (100 00)
1994-95	21,016 (72 75)	7871 (27 24)	28,887 (100 00)
1995-96	24,618 (78 13)	6889 (21 86)	31,507 (100 00)

Source - Annual Report of the Ministry of Rural Development '1991-92  
Table No ---50 60 P No 46 51

†† Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'

उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार में लगे युवा  
(वर्ष 1985-86 से 1995-96)

लेखाचित्र 14



### 4.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जुलाई 1982 तक विभिन्न विभागों जैसे पी डब्लू डी इत्यादि की सहायता से संचालित किया गया, अगस्त 1982 से इस कार्यक्रम के संचालन का उत्तर दायित्व पूर्ण रूप से डी आर डी ए को दे दिया गया था। शुरुआत के सालों में (1980-81) इस पूरे कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराती थी, लेकिन 1981-82 की अवधि में केन्द्र सरकार और साथ-साथ राज्य सरकार के 50-50 के स्तर पर इस कार्यक्रम को वित्त उपलब्ध कराया गया था। राज्य में इस कार्यक्रम की एक प्रमुख बात यह हुई थी कि राज्य सरकार द्वारा बिना मूल्य के 1 किलोग्राम अनाज प्रतिश्रमिक प्रतिदिन के हिसाब से बाटा गया जो कि 150 पैसा प्रति किलो की दर से आकलित किया गया था।

#### 4.3.1 उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

इस कार्यक्रम के लागू होने के प्रारम्भिक वर्षों में 1980-81 के अन्तर्गत 2373.40 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 364.57 लाख रुपए ही व्यय हुआ (व्यय का 15.36 प्रतिशत) और इस व्यय के साथ 6.82 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त रोजगार संचालित किया गया शुरुआत के वर्षों में इस निम्नस्तर के संचालन का मुख्य कारण था कि अधिकतर प्रयास इस कार्यक्रम के प्रशासन रचना को बनाए रखने के लिए किया जा रहा था। इस कार्यक्रम का वास्तविक विकास 1981-82 तक क्षणिक हुआ जबकि भौतिक लक्ष्यों में 534.40 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लिए वित्तीय लक्ष्य 6680 लाख रुपए निर्धारित किया गया, ये वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य व पूर्ति इन सालों में 87 और 69 प्रतिशत था। ये विकास 1982-83 के वर्ष में शीघ्रता से बढ़ाया गया, जिसमें लगभग 7928.73 लाख रुपए व्यय हुआ और एक अतिरिक्त रोजगार 565.54 लाख मानव दिवस का संचालित किया गया। उसी साल भौतिकीय और वित्तीय लक्ष्य क्रमशः 101 प्रतिशत और 113 प्रतिशत था।

पूर्णत पाचवी और छठी पचवर्षीय योजना के समय 29,279 62 लाख रुपए व्यय के साथ 1912 15 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार संचालित किया गया। इस प्रभाव की आवश्यक जानकारी तालिका 4 6 से प्राप्त होती है। जो कि लेखाचित्र 15, 16 के रूप में भी प्रदर्शित है जिसमें वित्तीय व भौतिक प्रगति के आकड़ों को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में इन कार्यक्रमों की भौतिक उपलब्धियों की प्रगति के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की सूची तालिका 4 7 में ऑकलित की गई है। जिसके अनुसार प्रदेश में इस कार्यक्रमों के द्वारा 1985-86 में सामाजिक वानिकी का 23804 95 हेक्टर क्षेत्र में कार्य किया गया और ग्रामीण विकास की दृष्टि से राज्य के अन्तर्गत ग्रामों में, तालाबों, कुएँ, व पोखर तथा सड़कों के विकास, पर विशेष ध्यान देते हुए इन सालों में ही क्रमशः 374 तालाबों, 1,947 कुएँ व पोखर, 8702 10 किलोमीटर सड़कों इत्यादि की संख्या में इनका निर्माण किया गया था। उसी वर्ष 10,824 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सीधे इस कार्यक्रम के द्वारा लाभ पहुँचाया गया। 1988-89 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शीघ्रतर विकास से इन लाभान्वित जातियों की संख्या बढ़कर 12,0431 हो गई। कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल, बालवाड़ी पंचायत घरों के विकास का कार्य 1986-87, 1987-88 में क्षणिक हुआ था। जबकि 1985-86 और 1988-89 के वर्षों में इनका शीघ्रतर विकास किया गया था। जिससे इनकी संख्या 1985-86 में क्रमशः 881 से बढ़कर 1988-89 में 923 हो गयी।



## तालिका 4.6

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि  
(1980-81 से 1984-85 तक)


वर्ष	वित्तीय प्रगति (लाख रुपये में)			भौतिक प्रगति लाख मानव दिवस		
	लक्ष्य (लाख रु)	उपलब्धि (लाख रु)	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	2373 40	364 57	15 36	6 82	6 82	100 00
1981-82	6680 00	5839 07	87 41	534 40	367 15	68 70
1982-83	7026 00	7928 73	112 85	562 00	565 54	100 63
1983-84	6880 00	6895 90	100 23	550 40	459 80	83 54
1984-85 <sup>†</sup>	9775 13	8251 35	84 41	495 36	512 84	103 53
कुल	32,734 53	29,279 62	89 45	2148 98	1912 15	88 98

Source Rural Development Programme in Uttar Pradesh 1984-85, APC of-  
fice Govt of U P

\*†20 Point Programme Physical Progress March 1985

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि  
(वर्ष 1980-81 से 1984-95)


लेखाचित्र 15



उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति  
(वर्ष 1980-81 से 1984-95)

लेखाचित्र 16

रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस)



तालिका 47

उत्तर प्रदेश में एन आर ई पी के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों की प्रगति  
(1985-86 से 1988-89)

वर्ष	सामाजिक वानिकी (हेक्टर क्षेत्र)	वृक्षारोपण (लाख में)	कार्य से लाभान्वित अनु जाति/जनजाति की संख्या	तालाबों का निर्माण (संख्या में)	पानी के लिए कुएँ व पोखर संख्या में	ग्रामीण सड़कों का निर्माण (किमी)	स्कूल बालवाड़ी पचायत घर (संख्या में)	अन्य कार्य (संख्या में)
1985-86	23804 95	1042 44	10824	374	1947	8702 10	881	10446
1986-87	30423 46	708 38	4638	20	213	2155 12	153	5360
1987-88	16750 90	366 45	5684	23	53	2480 74	60	1924
1988-89	29226 81	688 10	120431	196	1281	9824 98	923	13621

Source Ministry of Rural Development Table NO 76----79 P No 70---75

## 4.4 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

### 4.4.1 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम पूर्णतः केन्द्रीय वित्तीय योजना के द्वारा 1983-84 के सालों में राज्य के सभी डी आर डी ए के द्वारा लागू किया गया। 1983-84 के सालों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्य के ऊपर 1705 लाख रुपये व्यय का लक्ष्य दिखाया था, जिसमें से केवल 130.93 लाख रुपये व्यय हुआ (व्यय का 7.68 प्रतिशत) और इस व्यय के साथ 10.53 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार संचालित किया गया था। 1984-85 के वर्षों में 8599.18 लाख रुपये कोष से राज्य के लिए पारित किया गया, और 7695.86 लाख रुपये की उपलब्धि प्राप्त हुई यह उपलब्धि व्यय का 89.50 प्रतिशत थी, उस साल के लिए भौतिक लक्ष्यों की दृष्टि से 456.34 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार निर्धारित किया गया, जबकि इसके विरुद्ध रोजगार में 505.62 लाख मानव दिवस की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त हुई (उपलब्धि का 110.80 प्रतिशत)।

इस प्रकार पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के द्वारा राज्य में 516.15 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार संचालित किया गया, और इस पर व्यय होने वाली राशि 7826.79 लाख रुपये आकलित की गई। उपर्युक्त तथ्यों की जानकारी के आकड़े तालिका 4.8 में विश्लेषित किए गए हैं। सरकार द्वारा ससाधन उपलब्ध कराने के दृष्टि कोण से केन्द्र सरकार ने प्रदेश में छठी व सातवीं योजना (1985-86) के प्रारम्भिक वर्षों में 10,169.40 लाख रुपये के कुल ससाधन इन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को निर्धारित किये थे, जिसके विरुद्ध 11,329.40 लाख रुपये के कुल ससाधन अवमुक्त हुए, और 11,595.05 लाख रुपये के ससाधन प्रदेश में प्रयुक्त किए गए, इस प्रकार कुल अवमुक्त व प्रयुक्त ससाधनों का 102.34 प्रतिशत तालिका 4.9 में आकलित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में आर एल ई जी पी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के भौतिक विकास और खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए

विभिन्न निर्माण कार्यों को अपनाया गया था। जिसमें राज्य के अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा मुक्त बधुवा मजदूरों के लिए छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, सबसे अधिक वर्ष 1987-88 में 25,709 मकानों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना के द्वारा किया गया था जो उन्हें निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। चूँकि यह योजना इस कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में शुरू की गई थी बाद में यह जवाहर रोजगार योजना का अंग बन गई, किन्तु 1996 में इसे जवाहर रोजगार योजना से पृथक कर एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया है। इस योजना के द्वारा वर्ष 1986-87 में 5307 हेक्टर क्षेत्र में सामाजिक वानिकी तथा 723 50 लाख वृक्षारोपण का कार्य सड़को के दोनों किनारों पर किया गया अन्य निर्माण कार्यक्रमों में, लघु सिंचाई का कार्य 3449 हेक्टर, 1987-88 व 1988-89 में क्रमशः 922 05, 141 हेक्टर क्षेत्र में सम्पन्न किया गया था।

#### तालिका 4 8

उत्तर प्रदेश में आर एल ई जी पी की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ  
(1983-84 से 1984-85)

वर्ष	भौतिक प्रगति (लाख मानव दिन)			वित्तीय प्रगति (लाख रु में)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1980-83	-	-	-	-	-	-
#1983-84	54 95	10 53	19 16	1705 00	130 93	7 68
#1984-85	456 34	505 62	110 80	8599 18	7695 86	89 50
<b>कुल योग</b>	<b>511.29</b>	<b>516 15</b>	<b>100.95</b>	<b>10304.18</b>	<b>7826.79</b>	<b>75.96</b>

स्रोत - # Rural Development Programme in U P 1984-85 APC Office Govt of Uttar Pradesh

\*\* Point Programme, Physical Progress March 1985

## तालिका 4 9

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की वित्तीय उपलब्धियाँ

निर्धारित ससाधन (लाख रु में)			अवमुक्त ससाधन			
वर्ष	कैश	कुल ससाधन	कैश	कुल अवमुक्त ससाधन	प्रयुक्त ससाधन	प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	8523 00	10169 40	8723 00	11329 40	11595 05	102 34
1986-87	8738 00	12441 14	8848 87	14652 01	11749 82	80 19
1987-88	8437 00	12877 57	8123 50	12986 71	11018 08	84 84
1988-89	10600 00	12493 55	14105 26	15998 81	12965 20	81 04

स्रोत - Ministry of Rural Development Table No 80---83 P No 76---80 SI No 23

#### 4.4.2 उत्तर प्रदेश में आर.एल.ई.जी.पी. कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार सृजन

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के द्वारा 1985—86 के वर्षों में 385 लाख मानव दिवस रोजगार संचालित करने का लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित किया गया था, किन्तु लक्ष्य से अधिक 535 95 लाख मानव दिवस का व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ जो कि उपलब्धियों का 139 21 प्रतिशत था। तालिका 4 10 के आकड़ों के विश्लेषण से ऐसा स्पष्ट है कि वर्ष 1985—86 से 1988—89 की अवधि में राज्य में लक्ष्य से अधिक रोजगार संचालित करने का प्रयत्न किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन कुल वर्षों की अवधि के अन्तर्गत 1703 55 लाख मानव दिवस के एक अतिरिक्त रोजगार सृजन के विरुद्ध 2124 13 लाख मानव दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार इन कार्यक्रमों के द्वारा राज्य के ग्रामीण बेरोजगारों को वृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

1988—89 के बाद इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विलय कर दिया गया। उपरोक्त आकड़ों का प्रदर्शन लेखाचित्र 17 में किया गया है।

तालिका 4 10


उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की भातिक उपलब्धियों

रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस)			
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	385 00	535 95	139 21
1986-87	390 00	527 61	135 28
1987-88	500 85	515 84	102 99
1988-89	427 70	544 73	127 36
योग	1703 55	2124 13	124 68

Source - Ministry of Rural Development

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उपलब्धियों

लेखाचित्र 17



## 4.5 जवाहर रोजगार योजना

### 4.5.1 उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों

देश में जवाहर रोजगार योजना की प्रारम्भिक शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1 अप्रैल 1989 में हुई जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को मिला दिया गया। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर केन्द्र सरकार ने 41364 90 (77.38 प्रतिशत) और राज्य ने 12087 82 लाख रुपये (22.61 प्रतिशत) का व्यय दिखाया था। अतः कुल 53452 72 लाख रुपये व्यय किया गया। 1990-91 और 1991-92 के सालों में क्रमशः 48538 62, व 44547 01 लाख रुपये व्यय हुआ, इन आकलनों से ऐसा ज्ञात होता है कि राज्य के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के प्रारम्भिक वर्षों (1989-90) की अपेक्षा 1990-91 और 1991-92 के सालों में योजना के विकास पर कुछ कम धन उपलब्ध कराया गया। भौतिक प्रगति की दृष्टि से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प बेरोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही 1989-90 के वर्षों में 1436 28 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 1624 93 लाख मानव दिवस अर्थात् उपलब्धियों का 113.13 प्रतिशत अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन हुआ। 1990-91 में 1628 27 लाख मानव दिवस, 95.61 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई जबकि राज्य में रोजगार संचालित करने के लिए 1703 11 लाख मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1991-92 में इस योजना का सम्भावित परिणाम लक्ष्य से कुछ अधिक निकला क्योंकि 1562 14 लाख मानव दिवस का (106.07 प्रतिशत) एक अतिरिक्त रोजगार संचालित किया गया था जोकि लक्ष्य (1472 69) के विरुद्ध था। इन योजनावधियों के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन का प्रयास राज्य में किया गया। वर्ष 1995-96 में 90 प्रतिशत की वृद्धि रोजगार में प्राप्त की गई। उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण, तालिका 4.11 में किया गया है। जिसे लेखाचित्र सख्या क्रमशः 18, 19 में भी प्रदर्शित किया गया है।



उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य 1994-95 के वर्षों में किए गए, उनकी भौतिक प्रगति की उदाहरणात्मक सूची तालिका 4.12 में निम्नवत् प्रदर्शित की गयी है, जिनमें राज्य के गावों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार अन्य निर्माण कार्य भी शामिल किए गए। सरकार और पंचायतों आदि की सामुदायिक भूमि पर 4922.20 हेक्टर क्षेत्र में सामाजिक वानिकी, सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 16145.70 हेक्टर क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्य किया गया था। इन्हीं वर्षों में भूमि संरक्षण तथा भूमि विकास का कार्य क्रमशः 5293.42, 344.48 हेक्टर क्षेत्र में शुरू किए गए। मानव अथवा पशु या सिंचाई अथवा मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध करवाने हेतु गावों में 643 तालाबों का निर्माण व उनका नवीनीकरण किया गया।

ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु राज्य के अन्तर्गत 16671.36 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के कार्य जैसे 856 स्कूल भवन का निर्माण कराया गया।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों और प्रदेश के मुक्त बधुवा मजदूरों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत क्रमागत 26,300 भवनों का निर्माण इन वर्षों में किया गया। उपर्युक्त विवरणों से प्राप्त जानकारी के द्वारा यह अनुमानित होता है कि उत्तर प्रदेश में इस योजना के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक निर्माण कार्यों की प्रगति के प्रयास किए जा रहे हैं।

## तालिका 4 11

उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों  
(1989-90 से 1995-96)


वर्ष	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति (रोजगार सृजन लाख मानव दिवस)		
	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल व्यय (लाख रु में)	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1989-90	41364 90 (77 38)	12087 82 (22 61)	53452 72 (100 00)	1436 28	1624 93	113 13
1990-91	38830 87 (79 99)	9707 75 (20 00)	48538 62 (100 00)	1703 11	1628 27	95 61
1991-92	35637 61 (80 00)	8909 40 (19 99)	44547 01 (100 0)	1472 69	1562 14	106 07
1995-96**	1667 00 (80 00)	416 75 (20 00)	2083 75 (100 00)	137 04	124 33	90 73

स्रोत - ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट - 1991-92 तालिका संख्या-88, 89, 90, पेज नं 87, 88, 89।

\*\*Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'


उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना की वित्तीय उपलब्धियों

## लेखाचित्र 18



उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन

लेखाचित्र 19



तालिका 4 12

उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में भौतिक उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	विवरण	
1	सामाजिक वानिकी (हे क्षेत्र)	4922 20
2	लघु सिंचाई कार्य (हे क्षेत्र)	16145 70
3	भूमि संरक्षण कार्य (हे क्षेत्र)	5293 42
4	भूमि विकास कार्य (हे क्षेत्र)	344 48
5	लाभान्वित कार्य अनुसूचित जाति/अनु जनजाति (संख्या)	58319
6	वृक्षारोपण (संख्या लाख में)	582
7	गाँव में तलाबों का निर्माण (संख्या)	643,
8	पानी पीने के कुओं व पोखर इत्यादि का निर्माण (संख्या)	17996
9	ग्रामीण सड़कों का निर्माण (किलोमीटर)	16671 36
10	आई ए वाई के अन्तर्गत भवनों का निर्माण (संख्या)	26300
11	स्कूल भवन	856
12	अन्य कार्य	16689

## 4.6 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

### 4.6.1 उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ में वर्ष 1982 में, 50 चुने हुए जिलों में शुरू किया गया था। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की उपयोजना के रूप में प्रदेश में यह कार्यक्रम वर्ष 1983-84 से क्रियान्वित किया गया।

उत्तर प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय कोष से कुल 29 लाख रुपए इन कार्यक्रमों पर व्यय किया गया और 600 महिला ग्रुप बनाए गए जिनकी कुल सदस्य संख्या 11,523 थी, इस कुल व्यय धनराशि में से निर्मित प्रति ग्रुपों पर 4,833 रुपए, व प्रति सदस्यों पर 252 /रुपए, व्यय हुए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 में इस कार्यक्रम के द्वारा 1040 महिला ग्रुप बनाए जा चुके थे, जिनकी सदस्य संख्या 17,992 थी, इस प्रकार प्रति महिला ग्रुपों और सदस्यों पर क्रमशः 13461, 778 रुपए व्यय आकलित किया गया। जबकि इन्हीं वर्षों में कुल व्यय धनराशि 140 लाख रुपए थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षों के अन्तर्गत अर्थात् 1991-92 तक प्रदेश में 1345 बनाए गए महिला ग्रुपों की सदस्य संख्या 50199 थी। इन कार्यक्रमों के विकास पर कुल 119 लाख रुपए का कुल व्यय दिखाया गया जो कि इस व्यय की गई धनराशि में से निर्मित प्रति ग्रुपों पर 8847 रुपए तथा प्रति सदस्य पर 237 रुपए तालिका 4.13 में विश्लेषित किया गया है। वर्ष 1995-96 में 24974 लाख रुपए व्यय हुआ जो कि व्यय का 42 प्रतिशत है। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में इस कार्यक्रम का चरणवार विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, और अधिकतर उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें महिलाएं कम पढ़ी-लिखी हों, यह इसलिए किया जाता है जिससे प्रदेश के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सबसे पिछड़े हुए महिलाओं व शिशुओं के विकास को सबसे पहले लाभ प्राप्त हो सके।

## तालिका 4 13 (अ) \*

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डी डब्लू सी आर ए) के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (1985-86 से 1991-92)

वर्ष	वित्तीय प्रगति (करोड़ रु में)			भौतिक प्रगति (सख्या में)		
	केन्द्रीय कोष से अवमुक्त	कुल व्यय	निर्मित ग्रुप	रु प्रति ग्रुप	सदस्य	रु प्रति सदस्य
1985-86	0 59	0 29	600	4833	11523	252
1986-87	0 75	0 73	746	9785	17843	409
1987-88	0 96	0 56	1675	3343	21739	257
1988-89	1 07	0 92	946	9725	20087	458
1989-90	0 44	1 40	1040	13461	17992	778
1990-91	1 28	0 93	1335	6966	21154	439
1991-92	1 04	1 19	1345	8847	50199	237

स्रोत - 'ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट '1991-92'

## तालिका 4 13 (ब)

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष (1992-93 से 1995-96)

वर्ष	वित्तीय प्रगति (लाख रु में)			भौतिक प्रगति (सख्या में)	
	केन्द्रीय कोष से अवमुक्त	कुल व्यय	प्रतिशत	निर्मित ग्रुप	सदस्य
1992-93	168 19 (100 00)	55 70	33 11	1281	19621
1993-94	111 10 (100 00)	74 91	67 43	1441	76232
1994-95	121 50 (100 00)	237 47	195 45	1709	79864
1995-96	600 29 (100 00)	249 74	41 60	2252	22929

Source Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'

## 4.7 सुनिश्चित रोजगार योजना

### 4.7.1 सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

उत्तर प्रदेश राज्य में सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की (तालिका 4 14) के आकड़ों से यह स्पष्ट है कि इस योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कुल 647 68 लाख रुपये व्यय हुए यह व्यय 18 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1995-96 में 62 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई। इन्हीं वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 318 23 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार सृजित हुआ इसमें कुल रोजगार का 47 प्रतिशत अनुसूचित जाति को और 51 प्रतिशत रोजगार अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हुआ। उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् एक निष्कर्ष यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1993-94 से 1995-96 की योजनावधि में रोजगार सृजन की उपलब्धियों में वृद्धि हुई।

#### तालिका 4 14

उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ  
(1993-94 से 1995-96)

वर्ष	वित्तीय प्रगति (लाख रुपये में)			भौतिक प्रगति (लाख मानव दिवस)			
	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत	कुल रोजगार दिवस	SC	ST	अन्य
1993-94	3507 81	647 68	18 46	15 00	NR	NR	NR
1994-95	16597 63	8908 28	53 67	165 63 (100 00)	66 29 (40 02)	5 47 (3 30)	93 87 (56 67)
1995-96	27139 35	16731 98	61 65	318 23 (100 00)	151 91 (47 73)	5 30 (1 66)	161 02 (50 59)

स्रोत  
नोट

Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'  
(कोष्ठक में प्रतिशत आकड़े दिए गए हैं)

इलाहाबाद जनपद में  
रोजगार व आर्थिक स्थिति  
का निरूपण

## अध्याय - 5

### 5.0 इलाहाबाद जनपद में रोजगार व आर्थिक स्थिति का निरूपण

- 5 1 इलाहाबाद जनपद
- 5 2 चयनित विकास खण्ड
  - 5 2 1 मूरतगज विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद
  - 5 2 2 फूलपुर विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद
  - 5 2 3 जसरा विकासखण्ड इलाहाबाद जनपद
- 5 3 भूमि का आकार एव उपयोगिता
- 5 4 व्यावसायिक ढाचा
- 5 5 इलाहाबाद जनपद मे औद्योगीकरण की प्रगति



## अध्याय - 5

# इलाहाबाद जनपद में रोजगार व आर्थिक स्थिति का निरूपण

### 5.1 इलाहाबाद जनपद

पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जनपद धनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7261 00 वर्ग किलोमीटर है। 1901 से 1991 तक की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या एव ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के प्रति दशक प्रतिशत अन्तर को तालिका 5.1 में प्रदर्शित किया गया है जिसमें ग्रामीण एव नगरीय क्षेत्रों के 90 वर्षों (1901 से 1991) में वृद्धि को क्रमशः 206.8, 370.4 आकलित किया गया। इनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 से 1991 में, जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों के आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रदेश में 377 के विरुद्ध और पूरे देश के 276 की तुलना में वर्ष 1981 में इस जिले की जनसंख्या का घनत्व 523 प्रतिवर्ग किलो मीटर था। जिले की कुल जनसंख्या (1981 में) 37,970,33 और आबाद ग्रामों की संख्या 3,514 थी, जो कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 49,21,313 व आबाद ग्रामों की संख्या 3,539 हो गयी।

इस प्रकार वर्ष 1971-81 के दशक में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर +25.49 प्रतिशत के विरुद्ध जिले की जनसंख्या वृद्धि +29.37 प्रतिशत और वर्ष 1991 में 30 प्रतिशत आकलित की गयी है। जिले में वर्ष 1981 में 30,21,445 ग्रामीण व्यक्ति थे, जबकि इसके विरुद्ध वर्ष 1991 में 38,98,948 है। जनपद में कुल साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत 1981 में 28 तथा 1991 में 42.79 प्रतिशत पाया गया है, जिनमें पुरुष व स्त्रियों में साक्षरता दर क्रमशः 59.1 प्रतिशत, 23.5 प्रतिशत अर्थात् जनपद में कुल 16,64,096 साक्षर व्यक्ति हैं।

वर्तमान समय में इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामों की संख्या 3945 और नगरीय कस्बों की संख्या 18 है। ग्रामों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि ही इस जिले की मुख्य स्थाई जीविका है। ग्राम विकास में कृषि एक अहम भूमिका रखती है अतः कृषि विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गैर कृषि क्षेत्र में 1981 तक पूर्णकालिक काम करने वालों में अन्य काम करने वाले व्यक्ति 2536 प्रतिशत थे, जबकि कृषि क्षेत्र में काश्तकार 4628 प्रतिशत व खेतिहर मजदूर 2284 प्रतिशत थे।

वर्ष 1981 में इलाहाबाद जिले में 72618 क्षेत्रफल वर्ग किमी में कुल अनुसूचित जाति 9,31,075 व अनुसूचित जनजाति की संख्या 256 एव उनके परिवारों की संख्या 6,57,475 थी, 1991 वर्ष में इनकी संख्या बढ़कर 1203847 हो गई है इनमें 528 प्रतिशत पुरुष व 472 प्रतिशत स्त्रियां शामिल हैं इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 2204, और कुल 7,94970 परिवार सम्मिलित हैं।

उपरोक्त तथ्यों से सम्बन्धित इलाहाबाद जिले के विभिन्न आवश्यक जानकारीयों की तालिका 51 से 54 में प्रदर्शित की गयी है। और इन तालिकाओं के आकड़ों को अग्रांकित लेखाचित्र 20, 21 के माध्यम से भी दर्शाया गया है।


## तालिका 5 1

जनपद मे जनगणना के अनुसार प्रति दशक आबाद ग्रामो की सख्या, जनसख्या तथा प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर (1901-1991)

जनगणना वर्ष	आबाद ग्रामो की सख्या	कुल	जनसख्या		प्रति दशक % अन्तर		
			ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1901	3473	1488129	1270783	217346	—	—	—
1911	3505	1464931	1264147	200784	-2 00	-0 52	-8 00
1921	3525	1402350	1215471	186879	-4 00	-4 00	-7 00
1931	3533	1489303	1275150	214153	6 00	5 00	15 00
1941	3540	1808866	1509581	299285	22 00	18 00	40 00
1951	3524	2044117	1677990	366127	13 00	11 00	22 00
1961	3526	2438376	1994412	443964	19 00	19 00	21 00
1971	3531	2937278	2395175	542103	21 00	20 00	22 00
1981	3514	3797033	3021445	775588	29 00	26 00	43 00
1991	3539	4921313	3898948	1022365	30 00	29 00	32 00
1901-91	—	—	—	—	230 7	206 8	370 4

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994-95, तालिका सख्या 9, पृष्ठ सख्या 28 ।

जनपद इलाहाबाद की जनसख्या मे जनगणना के अनुसार प्रतिदशक जनसख्या मे वृद्धि  
लेखाचित्र-20



## तालिका 5 2


इलाहाबाद जनपद मे कुल ग्रामीण जनसख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसख्या वृद्धि

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	गत दशक मे % वृद्धि
1971	23,95,175 (100 0)	1244391 (51 9)	1150784 (48 0)	20 10
1981	30,23,445 (100 0)	15,84,096 (52 4)	14,39,949 (47 6)	26 20
1991	38,98,948 (100 0)	20,63,534 (52 9)	18,35,414 (47 0)	29 00

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका-6, पृष्ठ संख्या 23।  
नोट- (कोष्ठक मे प्रतिशत आकड़े दिए गए है।)

जनपद इलाहाबाद मे कुल ग्रामीण जनसख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसख्या वृद्धि  
लेखाचित्र 21

## कुल ग्रामीण जनसख्या



## तालिका 5 3

इलाहाबाद जनपद मे अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसख्या एव परिवार

वर्ष	क्षेत्रफल वर्ग (किमी )	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			परिवारो की सख्या
		कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	
1971	7255 8	733913 (100 0)	374989 (51 0)	358924 (48 9)	256 (100 0)	145 (56 6)	111 (43 4)	544779
1981	7261 8	931075 (100 0)	484594 (52 0)	446481 (47 9)	256 (100 0)	145 (56 6)	111 (43 4)	657475
1991	7261 0	1203847 (100 0)	635313 (52 8)	568534 (47 2)	2204 (100 0)	1254 (56 9)	950 (43 1)	794970

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका-7, पृष्ठ सख्या 24, 25।  
नोट- (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

## तालिका 5 4

इलाहाबाद जनपद मे साक्षर व्यक्तियो का प्रतिशत  
(1971 से 1991)

वर्ष	कुल जनसख्या	कुल साक्षर व्यक्ति	साक्षरता का प्रतिशत
1971	2937278	701293	23 9
1981	3797033	1062932	28 0
1991	4921313	1664096	33 8

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994

## 5.2 चयनित विकास खण्ड

## 5.2.1 मूरतगंज विकास खण्ड, इलाहाबाद जनपद

इलाहाबाद जिले के चायल तहसील के अन्तर्गत आने वाला मूरतगज विकास खण्ड जनपद के द्वाबा सम्भाग मे स्थित है, जिला मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 34 किलोमीटर और विकास खण्ड के कार्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी 2 किलो मीटर है। मूरतगज मे जनसख्या का घनत्व 584 प्रति वर्ग किलो मीटर है। इस विकास खण्ड मे निवास करने वाली प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की

सड़को की लम्बाई वर्ष 1991 में 72.4 किलोमीटर, जो कि वर्ष 1992-93 के आकलन के दौरान 74 किमी हो गई और प्रति हजार वर्ग पर कुल पक्की सड़को की लम्बाई 432.5 किलोमीटर पायी गयी।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मूरतगज विकास खण्ड में कुल 1,22,915 ग्रामीण व्यक्ति हैं, जिनमें 65,747 (53.5 प्रतिशत) पुरुष और 57,168 (46.5 प्रतिशत) स्त्रिया हैं। गत दशक में कुल 17.10 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई।<sup>1</sup>

इस विकास खण्ड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के 35.6 प्रतिशत व्यक्ति हैं, जो कि अन्य दो चयनित (फूलपुर, जसरा) विकास खण्ड के प्रतिशत दर से अधिक हैं। इसका अभिप्राय यह है मूरतगज में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की संख्या फूलपुर और जसरा विकास खण्ड की अपेक्षा अधिक है।

फूलपुर और जसरा विकास खण्डों की अपेक्षा मूरतगज विकास खण्ड में साक्षरता दर कुछ कम, अर्थात् कुल जनसंख्या के 21.1 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में 35 प्रतिशत मुख्य कर्मकर हैं जबकि कुल मुख्य कर्मकरों से कृषि में लगे कर्मकरों का प्रतिशत 40.6 और पारिवारिक उद्योग में 1.1 प्रतिशत कर्मकर है। अतः उक्त आकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस विकासखण्ड में अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है क्योंकि पारिवारिक उद्योगों की तुलना में कृषि व्यवसाय में काम करने वालों का प्रतिशत अधिक है।

इस विकास खण्ड के कृषकों द्वारा प्रति हेक्टर सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादन का मूल्य प्रचलित भावों पर 8222 रुपये निर्धारित किया गया। इस क्षेत्र में कृषि सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से सकल सिंचित क्षेत्र 117.1 प्रतिशत है। जिसमें कुल नलकूपों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का भाग लगभग 100 प्रतिशत है।

1 सांख्यिकीय पत्रिका, इलाहाबाद जनपद, (उत्तर प्रदेश) वर्ष 1994, तालिका-6, पृष्ठ संख्या 23

## 5.2.2 फूलपुर विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद

इलाहाबाद जनपद में फूलपुर विकासखण्ड फूलपुर तहसील और गंगापार सम्भाग में स्थित है, जिला मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 43 और विकास खण्ड के कार्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। ये विकासखण्ड धनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 665 प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

वर्ष 1992-93 के आकलन के अनुसार यहाँ निवास करने वाली प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 767 तथा प्रति हजार वर्ग पर 5105 किलोमीटर थी।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में कुल ग्रामीण व्यक्तियों 149918 के 52.1 प्रतिशत पुरुष और 47.8 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। इस प्रकार जहाँ मूरतगज में 17.10 प्रतिशत, जसरा में 15.50 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध फूलपुर में गत दशकों में 35 प्रतिशत की वृद्धि जनसंख्या में सरकारी सांख्यिकी द्वारा आकलित की गई है।

इससे ये ज्ञात होता है कि इन गत दशकों में मूरतगज और जसरा विकास खण्ड की अपेक्षा फूलपुर क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने वाले श्रम शक्ति में भी वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप रोजगार प्राप्त कर्मकर कुल जनसंख्या के 33 प्रतिशत हैं। इन कुल मुख्य कर्मकरों में कृषि क्षेत्र में 18.9 प्रतिशत एवं पारिवारिक उद्योगों में 3.1 प्रतिशत कर्मकर, कार्यशील हैं, अतः इन मुख्य तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का अधिकांश भाग कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। कृषि में सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत 143.1 है।

क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र में प्रति सौ आबाद ग्रामों पर गोबर गैस सयंत्रों की संख्या 233.8 और विद्युतीकृत ग्राम कुल आबाद ग्रामों के 99.3 प्रतिशत है।

### 5.2.3 जसरा विकास खण्ड, इलाहाबाद जनपद

इलाहाबाद जनपद के जमुनापार समभाग में जसरा विकास खण्ड स्थित है, यह विकासखण्ड बारा तहसील के अन्तर्गत आता है। जिला मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 19 किलोमीटर और निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी केवल 1 किलोमीटर है।

इस विकास खण्ड में जनसंख्या का घनत्व अन्य दो चयनित विकास खण्ड (मूरतगज, फूलपुर) के विरुद्ध अर्थात् कुछ कम 417 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़को की लम्बाई 925 किलोमीटर है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार गत दशक में कुल जनसंख्या में 155 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई। यहाँ निवास करने वाली कुल ग्रामीण जनसंख्या 1,12,399 लाख है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 225 प्रतिशत और 303 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये हैं।

कुल मुख्य कर्मकर 358 प्रतिशत है, जबकि समस्त विकास खण्ड में केवल 332 प्रतिशत ही कर्मकर हैं। जसरा विकास खण्ड में कुल मुख्य कर्मकरों में कृषि क्षेत्र में 318 प्रतिशत (समस्त विकास खण्ड में 302 प्रतिशत) और पारिवारिक उद्योगों में 23 प्रतिशत (समस्त विकास खण्ड में 32 प्रतिशत) कर्मकर लगे हुए हैं।

चयनित विकास खण्डों की विवरण तालिका के आकड़ों से ये स्पष्ट हुआ कि फूलपुर विकास खण्ड की अपेक्षा मूरतगज और जसरा में अधिकतर कार्यशील श्रम शक्ति कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई है।

इस विकास खण्ड में कृषि विकास की दृष्टि से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से सकल सिंचित क्षेत्रफल 1489 प्रतिशत है।

चयनित विकास खण्डों की उपर्युक्त तथ्यों की आवश्यक जानकारी तालिका 55, 56, 57 से प्राप्त होती है।



## तालिका 5.5

इलाहाबाद जनपद मे चयनित विकास खण्डो की ग्रामीण जनसख्या वृद्धि जनगणना  
वर्ष - 1991 के आधार पर

चयनित विकास खण्ड	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	गत दशक मे % वृद्धि
मूरतगज	1,22,915 (100 0)	65,747 (53 5)	57,168 (46 5)	17 10
फूलपुर	149918 (100 0)	78,160 (52 1)	71,758 (47 8)	35 00
जसरा	112399 (100 0)	60,462 (53 8)	51,937 (46 2)	15 50
स्रोत नोट-	सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका-6, पृष्ठ सख्या 23, (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)			

## तालिका 5 6

चयनित विकास खण्डो मे प्रमुख मदो का विवरण, वर्ष 1991

प्रमुख मद	मूरतगज	फूलपुर	जसरा
1 जनसख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर	584	665	417
2 अनु जाति/जन जा का कुल जनसख्या से प्रतिशत	35 6	23 3	22 5
3 प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई	72 4	75 4	89 0
4 साक्षर व्यक्तियो का कुल जनसख्या से प्रतिशत	21 1	28 2	30 3
5 प्रति हजार वर्ग किमी पर कुल पक्की सडको की लम्बाई	355 6	490 5	473 9
6 कुछ मुख्य कर्मकारो का कुल जनसख्या से प्रतिशत	35 0	33 1	35 8
7 कृषि मे लगे कर्मकरो का कुल मुख्य कर्मकरो से प्रतिशत	40 6	18 9	31 8
8 पारिवारिक उद्योग मे कर्मकरो का कुल मुख्य कर्मकरो से प्रतिशत	1 1	3 1	2 3

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका-3, पृष्ठ सख्या 7

## तालिका 5 7

चयनित विकास खण्डो मे प्रमुख मदो का विवरण, वर्ष 1992-93

प्रमुख मद	मूरतगज	फूलपुर	जसरा
1 प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई	74 0	76 7	92 5
2 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर कुल पक्की सडको की लम्बाई	432 5	510 5	385 8
3 विधुतिकृत ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत	100 0	99 3	90 8
4 प्रति हे सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादकता मूल्य (प्रचलित भावो पर) रु	8222	9675	8654
5 सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	117 1	143 1	148 9
6 कुल नलकूपो द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	100 0	59 4	14 7
7 प्रति सौ आबाद ग्रामो पर गोबर गैस सयत्रो की सख्या	209 5	233 8	78 9

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका-3, पृष्ठ सख्या 8, 9, 10, 11, 12

इलाहाबाद जनपद एव चयनित विकास खण्डो मे रोजगार एव आर्थिक स्थितियो के निरूपण हेतु, जिले मे भूमि उपयोगिता, व्यावसायिक स्तरो के आधार पर जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण, जिले के अन्तर्गत औद्योगीकरण की प्रगति, कृषि एव गैर, कृषि उद्यमो की स्थापना एव उनमे कार्यरत श्रमिको के आकडे इत्यादि कारको को सरकारी सांख्यिकी के आकडो की तालिकाओ के माध्यम से प्रस्तुत करके विभिन्न जानकारिया प्राप्त की गयी, जिसे इस अध्याय मे क्रमबद्ध विश्लेषण किया गया है -

### 5.3 भूमि का आकार एवं उपयोगिता

इलाहाबाद जिले मे रोजगार एव आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के अन्तर्गत यह पाया गया है कि वर्ष 1990-91 मे भूमि का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 738242 लाख हेक्टेयर था, जिसमे 28142 हेक्टेयर (3 8 प्रतिशत) भूमि वनो के अन्तर्गत थी ऊसर एव कृषि के अयोग्य 32856 हेक्टेयर (5 प्रतिशत) भूमि वर्ष 1990-91 मे पायी गयी जबकि 1992-93 के सालो मे ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि की सख्या कम अर्थात् 29387 हेक्टेयर

(4 प्रतिशत) हो गयी चूकि इन वर्षों मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 727425 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 1994-95 मे 731415 लाख हेक्टेयर और 1996-97 मे 518673 लाख हेक्टेयर ही कुल प्रतिवेदित क्षेत्र अनुमानित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि 1990-91 की तुलना मे 1992-93 के वर्ष मे ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि मे कमी हुई क्योकि 4 प्रतिशत है। इसके विरुद्ध 8244 हेक्टेयर (113 प्रतिशत) भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायो के लिए उपयोग मे लायी गई। इसी प्रकार जिले मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के 924 प्रतिशत अर्थात् 671949 हेक्टेयर भूमि सकल बोए गए क्षेत्र के अन्तर्गत आती थी। परन्तु वर्ष 1996-97 मे सकल बोया गया क्षेत्र 51 प्रतिशत ही है।

उक्त तथ्यो की पुष्टि भूमि उपयोगिता सम्बन्धी आकडो की तालिका 58 के तुलनात्मक अध्ययन से होती है।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद जनपद मे चयन किए गए तीन मुख्य विकास खण्ड (मूरतगज, फूलपुर, जसरा) की आर्थिक स्थितियो के आकलन के अनुसार वर्ष 1996-97 के सालो मे भूमि आकार का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र मूरतगज मे 21839 हेक्टेयर, फूलपुर मे 22529 हेक्टेयर और जसरा मे 26958 हेक्टेयर है। ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि इन विकास खण्डो मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के क्रमश 46, 58 और 48 प्रतिशत पायी गयी। इस प्रकार जसरा मे 1318 हेक्टेयर ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि के विरुद्ध लगभग 3125 हेक्टेयर (116 प्रतिशत) भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगो मे जैसे भूमि पर उद्योगो कारखानो की स्थापना, होटल निर्माण, दुकान इत्यादि के लिए प्रयोग मे लायी गयी क्योकि कृषि व्यवसाय के मौसमी होने से शेष खाली महीनो मे रोजगार के अवसर कम हो जाते है, जबकि गैर कृषि क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर अधिक होते है जिससे इस विकास खण्ड मे कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगो मे लाई गयी भूमि के प्रतिशत क्षेत्र मे वृद्धि हुई, जबकि मूरतगज और फूलपुर मे, जसराकी तुलना मे कम अर्थात् केवल 83 प्रतिशत तथा 108 प्रतिशत भूमि क्षेत्र ही अन्य उपयोग मे लायी गयी है।

अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि मूरतगज और फूलपुर मे वनो के अन्तर्गत क्षेत्र मे कोई भूमि उपलब्ध नही थी, बल्कि केवल जसरा विकास खण्ड मे 2 हेक्टेयर भूमि पर वन पाए गए।

उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट करते है कि इलाहाबाद जिला एव चयनित विकास खण्डो मे 1990-91 से 1993-94 के वर्षों मे भूमि आकार के मूल्याकन से यह कहा जा सकता है कि भूमि को व्यवसायात्मक व विभिन्न आर्थिक प्रयोग मे लाने से इन जिलो एव विकास खण्डो की रोजगार व आर्थिक स्थितियो मे कुछ सुधार हुआ परन्तु वर्ष 1996-97 के वर्ष मे भूमि उपयोग का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र कम है। भूमि को विभिन्न आर्थिक प्रयोग मे लाने की पुष्टि अग्र लेखाचित्र 22, 23 मे प्रदर्शित है।

तालिका 58

इलाहाबाद जनपद में भूमि उपयोगिता वर्ष 1990-91 से 1996-97

वर्ष	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन (हे)	कृषि योग्य बजर भूमि (हे)	वर्तमान परती भूमि (हे)	अन्य परती भूमि (हे)	ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि (हे)	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि (हे)	चारागाह (हे)	अन्य बागो वृक्षो एव झाडियो (हे)	(लाख हेक्टेयर)	
										शुद्ध बोया गया क्षेत्र	सकल बोया गया क्षेत्र
1990-91	738242	28142	25663	44538	33991	32856	81253	2223	14834	475550	676295
	(100)	(38)	(35)	(60)	(46)	(45)	(110)	(03)	(20)	(644)	(916)
1991-92	729493	28142	27834	47598	34865	29985	82231	2206	13810	471622	665478
	(100)	(38)	(38)	(65)	(47)	(41)	(113)	(03)	(18)	(644)	(912)
1992-93	727425	28141	22235	46483	37441	29387	82441	2101	13655	473621	671949
	(100)	(38)	(30)	(63)	(51)	(40)	(113)	(03)	(19)	(651)	(924)
1996-97	518673	19463	15526	33508	26331	20427	56525	1724	8873	336296	264725
	(100)	(38)	(30)	(65)	(50)	(40)	(110)	(03)	(17)	(648)	(510)

स्रोत जनपद इलाहाबाद सांख्यिकीय पत्रिका, वर्ष 1994, तालिका 17, पृष्ठ स 35-36

†† सांख्यिकीय पत्रिका वर्ष 1998, पृष्ठ संख्या-62

(नोट कोष्ठक में प्रतिशत आकड़े दिए गए हैं।)

तालिका 59

चयनित विकास खण्डो मे भूमि उपयोगिता वर्ष 1996-97

चयनित विकासखण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन (हे)	कृषि योग्य बजर भूमि (हे)	वर्तमान परती भूमि (हे)	अन्य परती भूमि (हे)	ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि (हे)	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि (हे)	चारागाह (हे)	अन्य बागो वृक्षो एव झाडियो (हे)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे)
मूरतगज	21839 (100 0)	-	1367 (6.3)	1828 (8.4)	751 (3.4)	996 (4.6)	1817 (8.3)	63 (0.3)	280 (1.3)	13945 (63.8)
फूलपुर	22529 (100 0)	-	632 (2.8)	484 (2.1)	569 (2.5)	1312 (5.8)	2448 (10.8)	175 (0.8)	329 (1.5)	16588 (73.6)
जसरा	26958 (100 0)	2 (0.0)	422 (1.5)	2252 (8.4)	1285 (4.7)	1318 (4.8)	3125 (11.6)	13 (0.0)	122 (0.4)	18427 (68.4)


1142

स्रोत जनपद इलाहाबाद सांख्यिकीय पत्रिका, वर्ष 1994, तालिका 17, पृष्ठ स 35 36  
(नोट कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

जनपद-इलाहाबाद में भूमि उपयोगिता  
वर्ष 1996-97 (लाख हेक्टर)

लेखाचित्र 22


1996-97



कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 5.18

जनपद इलाहाबाद में विभिन्न साधनों द्वारा श्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल हेक्टेयर  
 वर्ष 1996-97

लेखाचित्र - 23



## 5.4 व्यावसायिक ढाँचा

किसी भी व्यवसाय (कृषि एव गैर कृषि क्षेत्र) में कार्यशील जनसंख्या के वर्ग में मुख्यतः कारीगर, कृषक, कर्मकर, कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक इत्यादि आते हैं जो कि जनपद में विभिन्न व्यावसायिक स्तरों पर जैसे— पशुपालन, जंगल लगाना, खान खोदना, वृक्षारोपण पारिवारिक व गैर पारिवारिक व्यवसाय, निर्माण कार्य, व्यापार एव वाणिज्य इत्यादि में मजदूरी रोजगार व स्वरोजगार पर कार्यरत हैं। अतः इलाहाबाद जनपद में वर्ष 1971 से 1991 के दशकों में व्यावसायिक स्तरों पर जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण की विश्लेषण तालिका 5 10 की सरकारी सांख्यिकी से यह स्पष्ट होता है कि इनमें वर्ष 1971 में 9,48,714 कुल मुख्य कर्मकर उपर्युक्त व्यवसायात्मक कार्यों से जुड़े हुए थे। जिनकी संख्या में हुई वृद्धि के पश्चात् वर्ष 1991 तक 15,52,562 हो गई। इनकी संख्या में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि इन गत दशकों में जिले में रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये। इस प्रकार विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए कुल मुख्य कर्मकरों में 6,71,700 अर्थात् 43.3 प्रतिशत कर्मकर कृषक श्रेणी के थे। कृषि श्रमिकों की संख्या 4,02,745 (26 प्रतिशत) पशुपालन जंगल लगाने, और वृक्षारोपण, में 8,171 (0.5 प्रतिशत) कर्मकर लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त व्यापार एव वाणिज्य में 6.7 प्रतिशत तथा 11.9 प्रतिशत अन्य कर्मकार भी सम्मिलित थे। उक्त आकड़े लेखाचित्र 24 में प्रदर्शित किये गये हैं।

इन्हीं अवधियों के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण की सरकारी सांख्यिकी की तालिका 5 11 के तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि चयनित विकास खण्डों में से (मूरतगज, फूलपुर, जसरा) कुल मुख्य कर्मकरों की संख्या कुछ अधिक फूलपुर में आकलित की गयी थी अर्थात् यहाँ पर कुल मुख्य काम करने वाले 4,96,60 थे। जबकि मूरतगज में 4,30,11 तथा जसरा में 4,02,37 कर्मकर पाए गए। यह ज्ञात होता है कि गत दशकों में जसरा में, मूरतगज और फूलपुर की अपेक्षा रोजगार चाहने वाले कर्मकरों की वृद्धि में भी कमी हुई, जिसके कारण मूरतगज और फूलपुर की अपेक्षा जसरा में मुख्य कर्मकर कुछ कम थे। इन क्षेत्रों में मुख्य कर्मकरों में कृषक कर्मकरों का प्रतिशत 48.5 जबकि फूलपुर में कर्मकर कृषक 60.1 प्रतिशत पाये गये।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि मूरतगज और फूलपुर विकास खण्डों में गत दशकों में रोजगार के अवसरों में भी कुछ वृद्धि हुई।



तालिका 5 10

इलाहाबाद जनपद में रोजगार के अनुसार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 1971-1991 तक

वर्ष	कर्मकर कृषक	संख्या कृषि श्रमिक	पशुपालन		उद्योग		पारिवारिक	गैर- पारिवारिक	निर्माण कार्य	व्यापार		यातायात		अन्य कर्मकर	कुल मुख्य कर्मकर
			जगल लगाना	वृक्षारोपण	खान खोदना	खान खोदना				एव वाणिज्य	एव संचार	एव सग्रहण	एव संचार		
1971	422523 (44 5)	269252 (28 4)	3346 (0 4)	3346 (0 4)	1555 (0 2)	1555 (0 2)	45114 (4 7)	35284 (3 7)	4811 (0 5)	45788 (4 8)	45788 (4 8)	17423 (1 8)	17423 (1 8)	103618 (10 9)	948714 (100 0)
1981	520358 (54 8)	256860 (46 3)	4311 (0 3)	4311 (0 3)	21007 (1 9)	21007 (1 9)	62047 (5 5)	64774 (5 7)	8425 (0 7)	53674 (4 7)	53674 (4 7)	29730 (2 6)	29730 (2 6)	285196 (25 4)	1124461 (100 0)
1991	671700 (43 3)	402745 (26 0)	8171 (0 5)	8171 (0 5)	4847 (0 3)	4847 (0 3)	54658 (3 5)	71459 (4 6)	15377 (0 9)	103565 (6 7)	103565 (6 7)	34705 (2 3)	34705 (2 3)	185335 (11 9)	1552562 (100 0)

स्रोत जनपद इलाहाबाद सांख्यिकीय पत्रिका वर्ष 1994, तालिका 8, पृष्ठ स 26, 27  
(नोट कोष्ठक में प्रतिशत आकड़े दिए गए हैं।)

तालिका 5 11

चयनित विकासखण्ड मे रोजगार के अनुरूप जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 1991

चयनित विकासखण्ड	कर्मकर कृषक	सख्या कृषि श्रमिक	पशुपालन		उद्योग		पारिवारिक		गैर- पारिवारिक		निर्माण		व्यापार		यातायात		अन्य कर्मकर	कुल मुख्य कर्मकर
			जगल	लगाना	खान	खोदना	खान	खोदना	पारिवारिक	गैर- पारिवारिक	कार्य	एव वाणिज्य	सम्रहण एव सचार					
मुरतगज	19129	17477	80		13		476		561		289		1105		904		2977	43011
	(44 5)	(40 6)	(0 2)		(0 03)		(1 10)		(1 3)		(0 7)		(2 6)		(2 1)		(6 9)	(100 0)
फूलपुर	29860	9410	217		35		1542		3619		318		1556		476		2627	49660
	(60 1)	(18 9)	(0 4)		(0 07)		(3 1)		(7 3)		(0 6)		(3 1)		(0 9)		(5 3)	(100 0)
जसरा	19538	12800	242		155		936		1164		297		1650		500		2955	40237
	(48 5)	(31 8)	(0 6)		(0 4)		(2 3)		(2 9)		(0 7)		(4 1)		(1 2)		(7 3)	(100 0)

[142]


स्रोत इलाहाबाद जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, वर्ष 1994, तालिका 8 पृष्ठ स 26 27  
(नोट कोष्ठक मे प्रतिशत आकड़े दिए गए है।)

इलाहाबाद जनपद में मुख्य कर्मकरो में विभिन्न कर्मकरो के आकडे .

लेखाचित्र 24

वर्ष 1991

लाख सख्या



## 5.5. इलाहाबाद जनपद में औद्योगीकरण की प्रगति

जिले में वर्ष 1990-91 से 1992-93 में औद्योगीकरण की प्रगति को देखने से यह जानकारी प्राप्त हुई कि इलाहाबाद में पजीकृत कारखानों की संख्या वर्ष 1990-91 में 445 व 1992-93 में 372 थी। इन्हीं सालों के अन्तर्गत कार्यरत कारखानों क्रमशः 211, 212 थे। इन कार्यरत कारखानों में से 1990-91 के वर्ष में 169 और 1992-93 में 163 कारखानों से रिटर्न प्राप्त किया गया था जिसमें औसत रूप से दैनिक कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की संख्या 1990-91 में 23476 तथा 1992-93 की अवधियों के अन्तर्गत 25520 आकलित की गई।

इस प्रकार इन उद्यमों में कार्यरत श्रमिकों के सहयोग द्वारा कुल उत्पादन से वर्ष 1990-91 में 7064672 और 1992-93 में 5410640 हजार रुपये के उत्पादन मूल्य को प्राप्त किया गया अतः यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1990-91 की तुलना में 1992-93 में उत्पादन मूल्य में कमी हुई।

उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका 5.12 से प्राप्त की गई है।

इलाहाबाद जनपद में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 5 13 के आकड़ों से ज्ञात होता है, जिसके अनुसार इलाहाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 5616 कृषि उद्यम स्थापित किए गए, इन्हीं वर्षों (अर्थात् 1990) में नगरों में इनकी संख्या 2571 थी। अकृषि उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में 36030 व नगरीय क्षेत्रों में 28102 पायी गयी थी। इस अवधि के अन्तर्गत कुल मिलाकर कृषि व अकृषि उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में 41646, और नगरों में 30673 स्थापित किए गए।

इन जानकारियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्यमों की संख्या कुछ अधिक पाई गई जिससे गत वर्षों में जिले के ग्रामीण व्यक्तियों के रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई।

यह ज्ञात होता है कि इन उद्यमों में सामान्यतया अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत पुरुष और स्त्री श्रमिकों को मिलाकर नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अधिक अर्थात् 91113 श्रमिक और नगरों में 76641 श्रमिक उद्यम कार्य से जुड़े हुए थे।

अतः यह कहा जा सकता है कि इन उद्यमों में सामान्यतया अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों के रोजगार सृजन में वृद्धि नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्राप्त की गयी।

सामान्यतया केवल भाड़े पर रोजगार में लगे हुए व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के विरुद्ध नगरीय क्षेत्र में कुछ अधिक थे। वर्ष 1997-1998 में विभिन्न संस्थाओं के आधीन कार्यशील ग्रामीण उद्योग में 14385 और लघु उद्योग में 919 व्यक्ति कार्यरत पाये गये। ग्रामीण एवं लघु उद्योग को कुल 15303 व्यक्ति कार्यरत है। (तालिका 5 14)

## तालिका 5 12

## इलाहाबाद जनपद मे औद्योगीकरण की प्रगति

क्रम संख्या	प्रमुख मद	1989-90	1990-91	1992-93
1	पजीकृत कारखाना	354	445	372
2	कार्यरत कारखाना	216	211	212
3	कारखाने जिनसे रिटर्न प्राप्त हुए है।	196	169	163
4	औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक एव कर्मचारियों की संख्या	36345	23476	25520
5	उत्पादन मूल्य (हजार रु में)	5155000	7064672	5410640
स्रोत	सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1998 तालिका-35, पृष्ठ संख्या 87,			

## तालिका 5 13-

ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों मे औद्योगिक प्रगति (कृषि व गैर कृषि)  
के आकड़े (आर्थिक गणना वर्ष 1990)

मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1 उद्यमों की संख्या			
1 1 कृषि	5616	2571	8187
1 2 अकृषि	36030	28102	64132
1 3 योग	41646	30673	72319
2 संस्थाओं की संख्या जिनमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत है। (कृषि + अकृषि)	6240	9556	15796
3 स्वकार्य उद्यमों की संख्या (कृषि+अकृषि)	35406	21117	56523
4 उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)			
4 1 पुरुष	76279	68536	144815
4 2 स्त्री	14834	8105	22939
4 3 योग	91113	76641	167754
5 भाड़े पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति			
5 1 पुरुष	28768	34591	63359
5 2 स्त्री	5603	3229	8832
5 3 योग	34371	37820	72191

स्रोत

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994, तालिका-60, पृष्ठ संख्या 102

## तालिका 5 14

विभिन्न प्रकार के सरथाओ के आधीन कार्यशील इकाईयो की  
सख्या एव कार्यरत व्यक्ति वर्ष 1997-98

सरथाओ का नाम	पचायत द्वारा	श्रम समिति द्वारा	औद्योगिक सहकारी समिति द्वारा	पजीकृत सरथाओ द्वारा	व्यक्ति उद्योगपतियो द्वारा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1 खादी उद्योग	—	—	—	29	—	29
2 खादीग्रामोद्योग द्वारा परिवर्तित ग्रामीण उद्योग	—	—	57	82	2783	2922
3 लघु उद्योग इकाइया						
3 1 इजीनियरिंग	—	—	—	5	48	53
3 2 रासायनिक	—	—	—	6	8	14
3 3 विधायन	—	—	—	2	3	5
3 4 हथकरघा	—	—	4	—	46	50
3 5 रेशम	—	—	—	—	3	3
3 6 नारियल की जटा	—	—	—	—	7	7
3 7 हस्तशिल्प	—	—	—	—	85	85
3 8 अन्य	—	—	6	9	—	15
4 योग (1+2)	—	—	57	111	2783	2951
5 योग (3 1 से 3 8)	—	—	10	22	200	232
योग ग्रामीण एव लघु उद्योग (4+5)	—	—	67	133	2983	3183
6 कार्यरत (ग्रा उद्योग) व्यक्तियो की सख्या (1&2 मे)	—	—	860	525	13000	14385
7 लघु उद्योग इकाईयो मे कार्यरत व्यक्ति (3 1 से 3 8)	—	—	85	110	723	918
योग (6+7)	—	—	945	635	13723	15303

स्रोत

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1998, तालिका-36, पृष्ठ सख्या 88

चयनित ग्रामों की सामाजिक,  
आर्थिक एवं रोजगार  
की स्थितियां



## अध्याय 6

- 6.0. चयनित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार की स्थितियाँ
- 6.1. चयनित ग्रामों की भूमि उपयोगिता
- 6 2 चयनित ग्रामों की जनसंख्या एवं पारिवारिक संरचना
- 6 3 चयनित ग्रामों की सामाजिक एवं रोजगार की स्थितियाँ
- 6 3 1 कालूपुर ग्राम की सामाजिक स्थिति
- 6 3 2 कालूपुर ग्राम में ससाधन और रोजगार
- 6 3 3 सिकन्दरा ग्राम की सामाजिक स्थिति
- 6 3 4 सिकन्दरा ग्राम में ससाधन और रोजगार
- 6 3 5 पल्हना ग्राम की सामाजिक स्थिति
- 6 3 6 पल्हना ग्राम में ससाधन और रोजगार
- 6 3 7 मौली ग्राम की सामाजिक स्थिति
- 6 3 8 मौली ग्राम में ससाधन और रोजगार
- 6 3 9 इरादतगज ग्राम की सामाजिक स्थिति
- 6 3 10 इरादतगज ग्राम में ससाधन और रोजगार
- 6 3 11 अमरेहा ग्राम की सामाजिक स्थिति
- 6 3 12 अमरेहा ग्राम में ससाधन और रोजगार

## अध्याय 6

# चयनित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार की स्थितियाँ

इलाहाबाद जिले में चयनित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार परिस्थितियों का आकलन कुछ तथ्यों जैसे—कृषि परिस्थितियाँ सामाजिक संरचना एवं संसाधन विभिन्न व्यवसायों में कार्यशील जनसंख्या की रोजगार स्थिति, ग्रामीण संरचना के विकास में रोजगार कार्यक्रम की गतिविधियाँ इत्यादि के आधार पर आकड़ों को एकत्रित किया गया है जिनका क्रमबद्ध विश्लेषण इस अध्याय में किया जा रहा है।

### 6.1 चयनित ग्रामों की भूमि उपयोगिता

इलाहाबाद जनपद में भूमि का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 738242 हेक्टेयर है इसमें बजर भूमि 25663 हेक्टेयर और ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि 32856 हेक्टेयर है।

चयनित ग्रामों में भूमि का कुल क्षेत्रफल 1454 89 हेक्टेयर आकलित किया गया है। जिनमें बजर भूमि कुल 288 53 हेक्टेयर और कृषि योग्य भूमि 891 56 हेक्टेयर पायी गयी है। दूसरे शब्दों में कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत क्षेत्र बजर है और लगभग एक तिहाई अर्थात् 61 प्रतिशत क्षेत्र कृषि भूमि के योग्य है।

तालिका 6.1 में प्रदर्शित भूमि उपयोगिता के आकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कालूपुर ग्राम से सिकन्दरा ग्राम में भूमि का कुल क्षेत्रफल कम है। अर्थात् इस गाँव में 98 34 हेक्टेयर के विरुद्ध कालूपुर ग्राम में 216 11 हेक्टेयर है। इसमें से 42 49 हेक्टेयर कृषि योग्य बजर भूमि व्यर्थ पडी हुई है जो औसत क्षेत्र के 20 प्रतिशत है। कुल 146 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, समुचित क्षेत्र का 68 प्रतिशत आकलित की गई है।

लगभग 13 प्रतिशत कृषि हेतु अप्रयुक्त भूमि समुचित प्रबन्ध की

कमी के कारण कृषि उत्पादन में योगदान नहीं दे सकी है। इस गाव में सिंचाई के मुख्य स्रोत विद्युत चलित नलकूप थे जिनके द्वारा 82 प्रतिशत अर्थात् 119 79 हेक्टेयर क्षेत्रों का सिंचाई कार्य सम्भव हुआ, जबकि सिकन्दरा ग्राम में समुचित कृषि क्षेत्र के शुद्ध सिंचित क्षेत्र 43 प्रतिशत आकड़ों के अनुसार ज्ञात किया गया है। असिंचित क्षेत्र लगभग 57 प्रतिशत है, इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कालूपुर ग्राम से इस गाव में कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र कम और असिंचित क्षेत्र (57 प्रतिशत) अधिक है। कालूपुर ग्राम में असिंचित क्षेत्र 18 प्रतिशत ही है।

पल्हना ग्राम (221 78 हेक्टेयर) से मौली ग्राम में भूमि का कुल क्षेत्रफल (318 90 हेक्टेयर) अधिक है। पल्हना ग्राम में 12 प्रतिशत भू क्षेत्र जबकि मौली ग्राम में 19 प्रतिशत भू क्षेत्र चारागाह, और गोचर के कारण अनुपलब्ध है। 41 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र पल्हना ग्राम में, जबकि मौली ग्राम में शुद्ध कृषित क्षेत्र का 35 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, इसमें से 20 प्रतिशत क्षेत्रों की सिंचाई विधुन्मय नलकूपों द्वारा और शेष 15 प्रतिशत भूमि क्षेत्रों की सिंचाई कुओ द्वारा की जाती थी। विश्लेषण से एक तथ्य यह भी स्पष्ट हुआ कि इस गाँव में असिंचित क्षेत्र 65 प्रतिशत जबकि पल्हना ग्राम में 58 प्रतिशत भाग ही असिंचित है। अर्थात् पल्हना ग्राम के कुल 154 19 हेक्टेयर कृषि भूमि में 90 25 हेक्टेयर क्षेत्र असिंचित, जबकि मौली ग्राम में कुल 209 64 हेक्टेयर कृषि भूमि में 135 98 हेक्टेयर भू क्षेत्र असिंचित आकलित किया गया है।

औसत चयनित ग्रामों से इरादतगज ग्राम में भूमि का कुल क्षेत्रफल अधिक है, अर्थात् 406 72 हेक्टेयर है। आकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि अमरेहा ग्राम में कृषि योग्य भूमि कुल उपलब्ध भू क्षेत्र का 76 प्रतिशत है। भूमि का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 193 04 हेक्टेयर आकलित किया गया। चयनित ग्रामों से इरादतगज में भूमि का कुल क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी कृषि योग्य भूमि कुल 172 8 हेक्टेयर पायी गई जबकि मौली ग्राम में 209 64 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध थी।

ग्रामों की भूमि उपयोगिता के विश्लेषण से यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ कि चयनित ग्रामों में से कालूपुर ग्राम में असिंचित क्षेत्र सबसे कम 26 31

हेक्टेयर अर्थात् 18 प्रतिशत ही है। जिसका अभिप्राय यह है कि इस गाव में कृषि कार्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। इस ग्राम में सबसे अधिक 82 प्रतिशत भू क्षेत्र पर सिंचाई कार्य के लिए विद्युत चलित नलकूपों का प्रयोग किया गया।

## 6.2 चयनित ग्रामों की जनसंख्या एवं पारिवारिक संरचना

वर्ष 1981 की जनगणनानुसार चयनित ग्रामों की जनसंख्या 12,407 और कुल 2184 परिवार आकलित किये गये थे। वर्ष 1991 में कुल 15,075 जनसंख्या वृद्धि आकलित की गई है इनमें 2,169 परिवार सम्मिलित हैं।

इस प्रकार तालिका 62 के आकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1991 में चयनित ग्रामों से पल्हना और मौली ग्राम की कुल जनसंख्या एवं परिवारों में अधिक वृद्धि पायी गई।

(तालिका 63) प्रतिदर्श में सम्मिलित 87 परिवारों के जातिवार विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इसके अन्तर्गत अन्य पिछड़ी और हरिजन जाति के क्रमशः 31, 34 परिवार अर्थात् औसत (87) परिवारों के 36 प्रतिशत एवं 39 प्रतिशत हैं जबकि मुस्लिम वर्ग के 9 परिवार जिसे 10 प्रतिशत आकलित किया गया है। प्रतिदर्श में सामान्य जाति के 13 अर्थात् 15 प्रतिशत परिवार पाये गये हैं। इस प्रकार सामान्य जाति के अन्तर्गत कुल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के क्रमशः 4, 6, 3 परिवार सम्मिलित हैं।

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित विभिन्न जाति वर्ग के परिवारों में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के अधिक परिवार पाये गये। इसके उपरान्त यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि चयनित ग्रामों में से इरादतगज ग्राम में एक भी परिवार सामान्य जाति के नहीं है इसके अतिरिक्त सिकन्दरा और पल्हना ग्राम से चयनित कुल 14 और 16 परिवारों में क्रमशः 50, 43 प्रतिशत परिवार हरिजन जाति के आकलित किये गये हैं।

## 6.3 चयनित ग्रामों की सामाजिक एवं रोजगार की स्थितियाँ

चयनित ग्रामों की सामाजिक एवं रोजगार स्थितियों का विश्लेषण अलग-अलग ग्रामों के आधार पर किया गया है।

### 6.3.1 कालूपुर ग्राम की सामाजिक स्थिति

गाँव में केवल कृषि कार्य हेतु विद्युत उपलब्ध की गयी थी। भूमि क्षेत्र को 2 ट्रेक्टरों और 45 बैलों के जोड़ों की सहायता से जोता जाता था। इन गाँवों में करीब 65 दूध देने वाले जानवर घरेलू व व्यावसायिक उपयोग के लिए रखे गये थे।

गाँव में शिक्षा व्यवस्था के लिए दो प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर बेसिक स्कूल (मिश्रित) और एक सीनियर बेसिक स्कूल (बालक) थे। सेकेंडरी शिक्षा की सुविधा फूलपुर विकासखण्ड के शहर में केवल उपलब्ध थी। इस गाँव में बने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और मातृ एवं बाल कल्याण केन्द्रों के द्वारा ग्रामवासियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त होती थी, गाँव की कार्य प्रणाली की व्यवस्था के लिए एक ग्राम सेवक भी नियुक्त किया गया था जो समय-समय पर ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायतों को गाँव की आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं और स्थितियों के विषय में जानकारी देते थे। गाँव में पेयजल के स्रोत के लिए 6 पक्के कुएँ और 5 हैंडपाइप थे। इस गाँव से 5 किमी से कुछ कम दूरी पर डाक व तार सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध थी यहाँ एक बस स्टेशन भी बना था ग्रामवासी अपनी आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय महीने के प्रत्येक सप्ताह में आने वाले मंगलवार, और शनिवार बाजार के दिन करते थे।

### 6.3.2. कालूपुर ग्राम में संसाधन और रोजगार

इस गाँव में विद्युत का प्रयोग अधिकतर केवल कृषि कार्यों के लिए ही उपलब्ध कराया गया। सर्वेक्षण द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि गाँव के मुख्य पक्के मार्गों को छोड़कर भीतरी हिस्सों के कुछ आम रास्ते कंक्रीट के बने हुए थे परन्तु कुछ साल पहले इन मार्गों को श्रम दान द्वारा ईटों से निर्मित कराया गया था। गाँव का दूसरा मार्ग जो कि वहाँ के निवासियों द्वारा अपने पैसे के ईटों से निर्मित किया गया था। ये कार्य 18 दिन में स्थानीय मजदूरों द्वारा 20 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से संचालित किया गया।

गाँव के 22 व्यक्तियों को 2 से 10 बिसवा सामुदायिक भूमि प्राप्त हुई। ट्राइसेम योजना के द्वारा पिछड़ी जाति के पाँच युवकों ने कालीन

बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और दो ने अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित किया। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत गाँव की 10 महिलाओं ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें से प्रत्येक को सिलाई मशीन व दूसरे समान खरीदने के लिए 1500/- रुपए का लोन दिया गया था।

लेकिन यह योजना अधिक सफल न हो सकी जैसा कि सर्वेक्षण से यह पता चला कि 6 लाभान्वित महिलाओं में से 3 की मशीनें दो या तीन महीने के पश्चात ही खराब हो गयी, जबकि 3 ने मशीन खरीदा ही नहीं था, उन्होंने फण्ड का गलत इस्तेमाल किया।

दो व्यक्तियों ने आईआरडीपी के अन्तर्गत मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस गाँव में आईआरडीपी के अन्तर्गत दो व्यक्ति लाभान्वित हुए—जिसमें से एक ने रिक्शा खरीदने के लिए 3000/- रुपए का लोन प्राप्त किया, और दूसरे ने दुकान खरीदने के लिए 5,000/- रुपए का लोन लिया। 4 व्यक्ति दो हरिजन और दो पिछड़ी जाति को मिलाकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भैस खरीदने के लिए दरखास्त दिया, लेकिन 7-8 वर्षों के प्रयत्नों के पश्चात भी उनकी इस सुनवाई के लिए कार्यक्रम के द्वारा किसी प्रकार की सरकारी कार्यवाही नहीं हुई। आईआरडीपी के अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनके नाम दर्ज किए गए थे 9500/- रु का फण्ड उपलब्ध कराया गया (इनमें से 5500/- रु निर्माण कार्यों के लिए तथा 4,000/- रु अन्य समान खरीदने के लिए दिये गये थे। आईआरडीपी के अन्तर्गत ही भवन निर्माण के द्वारा 13 घर हरिजनों के लिए बनाये गये, और उसमें से केवल 8 घर लाभान्वित द्वारा अधिकार में लिया गया। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में कार्यक्रम के द्वारा एक पानी पीने के पक्के कुएँ हरिजनों के लिए निर्मित किए गये। जवाहर रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्यों में गाँव के 10 मजदूरों ने तीन से 6 महीने तक का रोजगार प्राप्त किया था।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से ये ज्ञात होता है कि पिछले कुछ सालों के अन्तर्गत गाँव में चलाए गए रोजगार कार्यक्रम के द्वारा रोजगार के कई तरीके अपनाए गए जिससे ग्रामीण सरचना और रोजगार सृजन की गतिविधियों का विकास हो सके, परन्तु रोजगार कार्यक्रम की कुछ

अपनी समस्याओं जैसे—प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों में संगठन का अभाव, वित्तीय कमी, इसके अतिरिक्त गाँव में औद्योगिक विकास (कुटीर उद्योगों) की कमी के कारण ग्रामीणों के बीच रोजगार अवसरों के कोई मुख्य परिणाम सर्वेक्षण द्वारा इस दिशा में नहीं देखा गया।

### 6.3.3. सिकन्दरा ग्राम की सामाजिक स्थिति

गाँव की सामाजिक स्थिति के अवलोकन से यह विदित हुआ कि यहाँ के किसानों द्वारा 35 बैलों के जोड़े और केवल एक ट्रैक्टर की सहायता से भूमि जोती जाती थी। इस गाँव में 5 पक्के कुएँ और 4 हैंडपाइप पानी पीने के लिए प्रयोग किये जाते थे। इसके अतिरिक्त नल के पानी की भी व्यवस्थाएँ उपलब्ध पायी गयी। 4 प्राइमरी स्कूल और एक सीनियर बेसिक तथा दो जूनियर हाई—स्कूल गाँव में शैक्षिक सुविधाओं के केन्द्र थे। इस गाँव में बने एक चिकित्सालय और दो रजिस्टर्ड प्राइवेट चिकित्सक द्वारा ग्रामीणजनों को समय—समय पर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होती रहती थी। गाँव में डाकघर, बस स्टेशन भी बने हुए थे।

ग्रामीणजनों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदने के लिए यहाँ बाजार एक सप्ताह के दो दिन रविवार और गुरुवार को लगाये जाते थे। गाँव में कृषि सुविधा की दृष्टि से शीत गोदामों का निर्माण नहीं हुआ, जिससे यहाँ के कृषकों को अपने निकटतम स्थित फूलपुर नगर के शीत गोदामों में कृषि उपज की सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों को रखने जाना पड़ता था समाचार पत्रों से ग्रामवासियों को प्रत्येक दिन की देश विदेश में घटित—घटनाओं और कृषकजनों के परिवारों को कृषि उपज के प्रचलित मूल्य की सूचनाएँ प्राप्त होती रहती थी।

### 6.3.4. सिकन्दरा ग्राम में संसाधन और रोजगार

ये गाँव विद्युतीकरण से वंचित था केवल कृषि कार्य हेतु विद्युत उपलब्ध थी। आई आर डी पी के अन्तर्गत कोई भी ग्रामवासी को किसी भी प्रकार का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। सर्वेक्षण के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक व्यक्ति को भैस खरीदने के लिए लोन पास किया गया था, लेकिन

सरकारी परेशानियों के कारण वे इस लाभ को प्राप्त नहीं कर सके। गाँव में सभी घर कच्चे बने हुए थे गाँव में चलाए जाने वाले जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गृहों का निर्माण नहीं कराया गया था। केवल एक मकान जो कि ग्राम प्रधान का था उसके स्वयं के पैसे से पक्की ईंटों से निर्मित किया गया था। केवल 10 व्यक्तियों के नाम अधिकतर 3 बिसवा से 20 बिसवा भूमि दर्ज की गयी थी जिनमें से अधिकतर दर्जित भूमि ऊसर और बंजर पायी गयी जो कि कृषि के लिए अप्रयुक्त थी। यहाँ ग्रामीण औद्योगीकरण के नाम पर केवल दो आटे की चक्की स्थापित थी। ट्राइसेम योजना के द्वारा यहाँ किसी भी ग्रामवासियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ—केवल एक युवक ने ट्राइसेम योजना से प्राप्त लोन के द्वारा साइकिल की दुकान खोली थी। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गाँव में एक पुराने नाले का पुर्ननिर्माण कराया गया जिसमें किसी भी ग्रामवासी को कोई रोजगार नहीं मिला था, क्योंकि ये सभी कार्य ठेकेदारों द्वारा पूर्ण किए गए थे। गाँव में सिंचाई कार्य के लिए नहर खुदवाए गए।

### 6.3.5 पल्हना ग्राम की सामाजिक स्थिति

यहाँ के कृषक परिवारों के पास कृषि सुविधा के लिए आधुनिक कृषि औजारों में 2 ट्रैक्टर 2 थ्रेसर और लोहे के हल थे। इन क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु विद्युत अपूर्ति नहीं करायी गयी थी।

गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, एव चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा हेतु, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भी स्थापित किए गए। ग्राम प्रधान ग्राम योजना की कार्य प्रणालियों तथा विभिन्न सामाजिक सुविधाओं के प्रबन्ध एव संचालन के लिए नियुक्त थे। ग्रामीण जनो के पेय जल स्रोतों की व्यवस्था कुएँ के पानी के अतिरिक्त 4 सरकारी हैण्डपाइप द्वारा उपलब्ध होती थी। गाँव में डाकघर संचार सम्बन्धी सुविधाओं के लिए बने हुए थे।

सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार बाजार के दिन के लिए निश्चित किया गया था जहाँ से पल्हना ग्राम के निवासी अपनी दैनिक उपभोग व आवश्यकता की वस्तुएँ क्रय करते थे।



### 6.3.6 पल्हना ग्राम में संसाधन और रोजगार

इस गाँव तक पहुँचने के लिए मुख्य पक्की सड़को को छोड़कर गाँव की गलियाँ मजबूत ईंटों से पक्की नहीं बनी हुई थी। एनआरईपी (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) के द्वारा 1984 के सालों में 8,000 रुपए का फण्ड इनके निर्माण कार्यों के लिए ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराया गया था परन्तु इनके द्वारा प्राप्त धनराशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया। इस गाँव से बाहर केवल मुख्य सड़को के किनारे 5 विद्युत के खम्भे पाए गये। गाँव में केवल कृषि कार्य हेतु ही विद्युत उपलब्ध थी। इस गाँव में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत किसी भी ग्रामवासी को कोई प्रेरणात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया गया, परन्तु फिर भी इस गाँव के 12 युवकों ने पम्पसेट, हैण्डपम्प की मरम्मत तथा बिजली की वायरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चार-पाँच किसानों के द्वारा अपने खेतों के किनारे कुल मिलाकर 20 पौधे बोए गये थे इसके अतिरिक्त और कोई भी कार्य सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा इस गाँव में नहीं हुआ।

कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत केवल एक प्रौढ शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया और इसे गाँव के एक मैट्रिक पास युवक के द्वारा चलाया जा रहा था। आईआरडीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव की 15 महिलाएँ बडी, पापड और मसाला पिसाई के व्यवसायों में लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त और कोई भी विकास कार्य इस गाँव में दर्ज नहीं किया गया था।

### 6.3.7 मौली ग्राम की सामाजिक स्थिति

सर्वेक्षण के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस गाँव में केवल कृषि कार्य हेतु ही विद्युत उपलब्ध थी। 1 ट्रैक्टर और 35 बैलें के जोड़ों की सहायता से कृषि भूमि को जोता जाता था। सिवाय एक प्राइमरी स्कूल के गाँव में कोई दूसरी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ गाँव से 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकती थी। ग्रामवासियों के पेयजल स्रोत के लिए 8 पक्के कुएँ और केवल 2 हैण्डपाइप पाये गये। इसके अतिरिक्त 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जाने से डाकघर और संचार

सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होती थी। यहाँ ग्रामवासियों को अपने आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने के लिए 5 से 10 किलोमीटर की दूरी अन्तर्गत स्थित ग्रामीण बाजार जाना पड़ता था। अतः यह कहा जा सकता है कि इस गाँव में सामाजिक सुविधाओं का विकास पूर्णतया नहीं हुआ।

### 6.3.8 मौली ग्राम में संसाधन और रोजगार

मौली ग्राम के मुख्य सड़को पर प्रकाश के लिए केवल 6 बिजली के खम्भे पाये गये थे। इसके अतिरिक्त गाँव के भीतरी हिस्सों में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस गाँव में लागू आई आर डी पी कार्यक्रम के द्वारा 7 लाभान्वितों में से प्रत्येक को 3,000 रुपए का लोन दिया गया, जिनमें से 4 लाभान्वितों को भैंस खरीदने के लिए 3 लाभान्वितों को तागे के लिए यह सहायता उपलब्ध करायी गयी। एक दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी और उसने पास के भरवारी नगर में अपना दुकान स्थापित किया था। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत तीन महिलाओं ने अगर्बन्ती बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया, परन्तु वित्तीय कमी के कारण वे स्वयं इस व्यवसाय को स्थापित करने में असफल हुईं। इन तीन महिलाओं के अतिरिक्त गाँव के बेरोजगार पाँच युवक बढईगीरी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, इसमें से एक युवक ने अपना कारखाना भी स्थापित किया था इस गाँव के 8 हरिजन परिवारों को 5 से 12 बिसवा भूमि उपलब्ध कराया गया। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्यों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव के 10 व्यक्तियों ने 200 पेड़ लगवाए, जिसमें से केवल 30 पेड़ ही जीवित पाये गये। इस गाँव के प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षित बेरोजगार युवक को (प्रशिक्षण प्राप्त) शिक्षक के रूप में रोजगार प्राप्त कराया गया था। जे आर वाई कार्यक्रम के द्वारा भवन निर्माण के कार्यों में इस गाँव के 10 पुरुष कर्मकर्मियों को करीब दो महीने के लिए रोजगार दिया गया।

### 6.3.9 इरादतगंज ग्राम की सामाजिक स्थिति

इस गाँव में कृषि कार्य के लिए विद्युत उपलब्ध नहीं थी कृषक परिवारों द्वारा 2 ट्रैक्टरों और 50 जोड़ी बैलों की सहायता से भूमि क्षेत्रों को जोता जाता था।

गाँव में शिक्षा की व्यवस्था के लिए 2 प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त एक सीनियर बेसिक स्कूल और एक जूनियर हाईस्कूल थे। इस गाँव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। गाँव में एक नदी भी पायी गयी। 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर डाकघर, विभिन्न सामाजिक सुविधाओं के केन्द्र तथा ग्रामीण बाजार इत्यादि उपलब्ध थे।

### 6.3.10 इरादतगंज ग्राम में संसाधन और रोजगार

यह गाँव विद्युतीकरण से वंचित था। यहाँ कृषि कार्य के लिए विद्युत उपलब्ध नहीं करायी गई। इस गाँव से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर केवल 5 विद्युत के खम्भे सड़क के किनारे लगे हुए थे। गाँव से 10 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगीकरण की दृष्टि से एक आटे की चक्की और रूई धुनने की मशीन स्थापित की गई थी, जो कि इस गाँव के दो बेरोजगार युवकों के द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से प्राप्त 5,000 रुपये की सहायता राशि और उसके स्वयं के पैसे चलाई जा रही थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाभान्वित-कृषक परिवारों को हल, बैल खरीदने के लिए 2,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी। आई आर डी पी के अन्तर्गत 6 लाभार्थी महिलाओं में से 4 महिलाओं ने अगरबत्ती बनाने और 2 हरिजन महिला ने सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें से एक महिला ने 15,00 रुपये का लोन प्राप्त करके सिलाई मशीन से घर पर सिलाई का कार्य प्रारम्भ किया था। सर्वेक्षण के द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि 1987-88 के सालों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर डी पी) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में एक पेयजल कुएँ का निर्माण करवाया गया था। इसी कार्यक्रम में सामाजिक वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत 4 हरिजन जाति के मजदूरों द्वारा इस गाँव की रेलवे स्टेशनों के पास, लाइनो के किनारे 150 पेड़ लगवाये गये। जिनमें से केवल 25 पेड़ ही जीवित पाये गये, इसके अतिरिक्त और कोई भी विकास कार्य उन वर्षों में इस कार्यक्रम के द्वारा नहीं हुआ।

गाँव में लागू जवाहर रोजगार योजना के द्वारा एक स्वच्छ शौचालयों तथा खेत की नालियाँ बनाने के निर्माण कार्य में गाँव के 10 मजदूरों को 60 दिन का एक अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ।

### 6.3.11 अमरेहा ग्राम की सामाजिक स्थिति

यहाँ कृषक परिवारों के पास कुल मिलाकर 75 जोड़ी बैल कृषि भूमि की जुताई के लिए उपयोग किये जाते थे।

गाँव में शैक्षिक सुविधाओं के कोई केन्द्र नहीं थे, परन्तु गाँव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर यह सुविधा उपलब्ध थी। सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इन गाँवों में विभिन्न सामाजिक व आवश्यक सुविधाएँ जैसे—चिकित्सा, डाक व तार की व्यवस्थाएँ, संचार सुविधा, ग्रामीण बाजार इत्यादि सभी गाँव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर स्थित थे। पेय जल स्रोत के रूप में केवल कुएँ और नल का पानी ही उपलब्ध थे, जबकि 2 सरकारी हैण्डपाइप गाँव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी के अन्तर्गत पाये गये।

गाँव के सभी मकान कच्चे निर्मित थे केवल एक मकान जो कि ग्राम प्रधान का था पक्की ईंटों से बना हुआ था।

### 6.3.12 अमरेहा ग्राम में संसाधन और रोजगार

अमरेहा ग्राम का सम्पूर्ण भाग विद्युतीकरण से वंचित था परन्तु यहाँ केवल कृषि कार्य के लिए ही विद्युत उपलब्ध थी जिसका अधिकतर लाभ सामर्थ्यवान कृषक ही उठा पाते थे। इस गाँव से 2 किलोमीटर पहले लम्बी मुख्य सड़को के किनारे 7 विद्युत के खम्भे पाये गये थे। भीतरी हिस्से में स्थित होने के कारण सरकार द्वारा गाँव में विद्युत का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया। गाँव के लगभग सभी घर कच्चे खपरैल या फूस से निर्मित थे।

सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गाँव की 3 किलोमीटर तक लम्बी मुख्य पक्की सड़को का निर्माण कार्य 1987—88 के सालों में एनआरईपी के द्वारा कराया गया था, परन्तु इसमें गाँव के किसी भी व्यक्ति को कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये सभी कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये गये थे। इसके अतिरिक्त इन सड़को के दोनों किनारों पर सामाजिक वानिकी कार्य के अन्तर्गत पौधे लगाए गए जिसमें गाँव के 15 मज़दूरों को 30 दिन का एक अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ था।

जवाहर रोजगार योजना के प्रारम्भ होने के तीन वर्ष के पश्चात इस गाँव में कुछ बजर भूमि पर पौध रोपण का कार्य किया गया, जिसमें ईंधन तथा चारे के पेड़ सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकास कार्य इस कार्यक्रम के द्वारा नहीं हुआ।

आईआर डी पी के अन्तर्गत गाँव के 3 कृषक परिवारों ने नए हल बैल खरीदने के लिए लोन प्राप्त करने की दरखास्त की थी परन्तु 4 वर्ष के प्रयत्नों के बाद 1994 के सालों में इनमें से केवल एक कृषक परिवार को 3,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गई।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ही एक हरिजन लाभार्थी कृषक परिवार को कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों के लिए 15,000 रुपये का जमानत मुक्त ऋण प्राप्त हुआ। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत लाभान्वित दो हरिजन कारीगरों—एक—ताला बनाने वाले और दूसरा—चमड़े का काम करने वाले को 2000 रुपये की लागत के समानों की आपूर्ति की गई थी।

उपरोक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अतिरिक्त और कोई भी विकास कार्य इन कार्यक्रमों द्वारा इस गाँव में दर्ज नहीं कराया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई। अतः यह कहा जा सकता है कि जो भी कार्यक्रम इन गाँव में चलाए गए उनका कोई विशेष प्रभाव ग्रामीण संरचना और रोजगार सृजन के विकास पर नहीं पड़ा है।

तालिका 6.1

चयनित ग्रामों में भूमि उपयोग सम्बन्धी आँकड़ों का वर्गीकरण

हेक्टेयर में

ग्राम	सिंचित क्षेत्र व साधन							
	भूमि का कुल क्षेत्रफल	कृषि योग्य बजर भूमि	कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि	कृषि योग्य भूमि	नलकूप/विद्युन्मय नलकूप	कुआ	असिंचित क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	
कालूपुर	216 11 (100 00)	42 49 (19 66)	27 52 (12 73)	146 10 (67 60)	119 79*	-	26 31 (18 0)	
सिकन्दरा	98 34 (100 00)	6 88 (6 99)	28 73 (29 21)	62 73 (63 78)	22 66*	4 05 (6 45)	36 02 (57 42)	
पल्हना	221 78 (100 00)	40 87 (18 42)	26 72 (12 04)	154 19 (69 52)	46 54 (30 18)	17 40 (11 28)	90 25 (58 53)	
मौली	318 90 (100 00)	47 75 (35 11)	61 51 (19 28)	209 64 (65 73)	41 28*	32 38 (15 44)	135 98 (64 86)	
इरादतगज	406 72 (100 00)	136 38 (33 53)	97 54 (23 98)	172 8 (42 48)	16 59 (9 60)	11 33 (6 55)	144 88 (83 84)	
अमरेशा	193 04 (100 00)	14 16 (7 33)	32 78 (16 98)	146 1 (75 68)	95 91*	13 36 (9 14)	36 83 (25 20)	
योग	1454 89 (100 00)	288 53 (19 83)	274 8 (18 9)	891 56 (61 3)	342 77 (38 5)	78 52 (8 8)	470 27 (52 7)	

स्रोत :- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, इलाहाबाद जनपद, (उत्तर प्रदेश) वर्ष 1991

नोट - 1 कॉलम (2) में प्रदर्शित आँकड़ों को आधार (100) मानकर कॉलम 3, 4 5 के प्रतिशत आँकड़े ज्ञात किये गये हैं।

2 कॉलम (5) में प्रदर्शित आँकड़ों को आधार (100) मानकर कॉलम 6, 7, 8 के प्रतिशत ज्ञात किये गये हैं।

\* विद्युन्मय नलकूप

तालिका 6 2

चयनित ग्रामो मे वर्ष 1981, 1991 की जनगणना के अनुसार  
जनसख्या एव परिवारो के आकडे

चयनित ग्राम	कुल जनसख्या		कुल परिवार	
	1981	1991	1981	1991
कालूपुर	2605	2890	433	412
सिकन्दरा	1878	2010	209	287
	<b>4483</b>	<b>4900</b>	<b>642</b>	<b>699</b>
पल्हना	2551	2782	489	397
मौली	1431	2774	309	375
	<b>3982</b>	<b>5556</b>	<b>798</b>	<b>772</b>
इरादतगज	2220	2353	493	366
अमरेहा	1722	2266	251	332
	<b>3942</b>	<b>4619</b>	<b>744</b>	<b>698</b>
<b>कुल योग</b>	<b>12407</b>	<b>15075</b>	<b>2184</b>	<b>2169</b>

स्रोत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका इलाहाबाद जनपद (उत्तर प्रदेश) वर्ष 1981, 1991

तालिका 6 3

चयनित परिवारो का जातिवार वर्गीकरण

ग्राम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	अन्य पिछडी जाति	हरिजन	मुस्लिम	कुल
कालूपुर	1 (5 88)	2 (11 76)	1 (5 88)	5 (29 41)	6 (35 29)	2 (11 76)	17 (100 00)
सिकन्दरा	—	—	1 (7 14)	5 (35 71)	7 (50 00)	1 (7 14)	14 (100 00)
पल्हना	2 (12 5)	1 (6 25)	—	4 (25 00)	7 (43 75)	2 (12 05)	16 (100 00)
मौली	—	1 (7 69)	—	5 (38 46)	6 (46 15)	1 (7 69)	13 (100 00)
इरादतगज	—	—	—	8 (57 14)	4 (28 57)	2 (14 28)	14 (100 00)
अमरेहा	1 (7 69)	2 (15 38)	1 (7 69)	4 (30 76)	4 (30 76)	1 (7 69)	13 (100 00)
कुल योग	4 (4 59)	6 (6 89)	3 (3 44)	31 (35 63)	34 (39 08)	9 (10 34)	87 (100 00)

स्रोत - सर्वेक्षण

चयनित परिवारों की  
सामाजिक, आर्थिक  
दशाओं का दिग्दर्शन



## अध्याय 7

- 7.0. चयनित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन
- 7.1. व्यावसायिक ढाँचा
- 7.2. पारिवारिक संरचना
- 7.3. भूमि उपयोग
- 7.4. परिसम्पत्तियों का विवरण
- 7.5. आय का विवरण

# चयनित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन

एक परिवार/या एक व्यक्ति के रोजगार स्थितियों का विश्लेषण करने । पहले उस परिवार/व्यक्ति के सामाजिक-आर्थिक पटतल की जाँच कर लेना अधिक मूल्यवान होगा । अतः परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण परिवारों की संख्या, परिवार में कार्यशील सदस्य, भूमि उपयोग, परिसम्पत्तियाँ, आय का विवरण इत्यादि से सम्बन्धित जानकारियों को आँकड़ों के माध्यम से एकत्रित करके इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है ।

### 7.1 व्यावसायिक ढाँचा

किसी भी परिवार में कार्यशील व्यक्तियों का विभिन्न व्यवसायों में सलग्न होना व्यावसायिक ढाँचा कहलाता है । व्यावसायिक ढाँचा आर्थिक क्रियाओं की संरचना को भी स्पष्ट करता है । सामान्यतः व्यवसायों को तीन वर्गों, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है । इनमें प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाएँ यथा पशुपालन, वन, मत्स्य, इत्यादि क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं । जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के अधिकांश कार्यशील सदस्य इन व्यवसायों में सलग्न होते हैं, और इस प्रकार एक परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसायों के द्वारा रोजगार को प्राप्त करते हैं ।

चयनित परिवारों द्वारा उस रोजगार को मुख्य व्यवसाय माना गया, जिससे एक परिवार को अधिकतम आय प्राप्त होती है । अतः व्यावसायिक ढाँचे को ध्यान में रखते हुए प्रतिदर्श में सम्मिलित 87 परिवारों को तीन मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है—

- 1 कृषक, 2 गैर कृषक, 3 मजदूर वर्ग

#### 1. कृषक वर्ग

इस वर्ग में सीमान्त कृषक, लघु कृषक और अन्य कृषक आते हैं ।

## 2. गैर कृषक वर्ग

इस वर्ग के अन्तर्गत कारीगर, व्यापारी, परिवहन सेवक, पेशवर नौकर, इत्यादि सम्मिलित है।

## 3. मजदूर वर्ग

इस समूह के अन्तर्गत कृषि मजदूर और गैर कृषि मजदूर दोनों ही वर्ग सम्मिलित है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि गैर कृषक और मजदूर वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कुछ परिवार भूमि के कुछ छोटे टुकड़े के ही अधिकारी थे जो उन्हें पौत्रिक सम्पत्ति के रूप में पूर्वजों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा दर्ज की हुई भूमि के रूप में प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से प्राप्त भूमि के टुकड़े छोटे होने के कारण, उनसे उपज कम मात्रा में प्राप्त होती थी, जो कि दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में कहीं अधिक कम था। अतः इन्हीं कारणों से उनके पास भूमि होते हुए भी उन्हें कृषक के वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया। व्यावसायिक ढाँचे के विश्लेषण के लिए चयनित परिवारों का वर्गीकरण, आकड़ों के माध्यम से क्रमशः तालिका 71, 72 में किया गया है। इन आँकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि चयनित परिवारों के अन्तर्गत 21 प्रतिशत कृषक परिवार 26 प्रतिशत गैर कृषक परिवार तथा 53 प्रतिशत मजदूर पाये गये। यहाँ इस तथ्य की ओर भी इंगित किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में इतनी शक्ति (क्षमता) नहीं थी कि वह ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। इसके अतिरिक्त जनसंख्या की अधिकता से भूमि के टुकड़े खण्डित और छोटे हो जाने के कारण बेरोजगारी जैसी समस्याएँ अग्रसित हो गई थी।

चयनित कृषक परिवारों की श्रेणी तीन वर्गों से मिलकर बनी थी। कुल कृषक परिवारों की श्रेणियों में लगभग 56 प्रतिशत सीमान्त कृषक, 33 प्रतिशत लघु कृषक तथा 11 प्रतिशत अन्य कृषक थे।

कुल मिलाकर खेती करने वाले परिवारों के 89 प्रतिशत सीमान्त और लघु कृषक थे, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में 91 प्रतिशत था। इसका अभिप्राय यह है कि चयनित ग्रामों में कृषि कार्य की आर्थिक दशा तुलनात्मक रूप से राज्य की अपेक्षा कमजोर थी।

मजदूर परिवारो मे 59 प्रतिशत कृषि श्रमिक और 41 प्रतिशत गैर कृषि श्रमिक पाये गये, गैर कृषि मजदूर परिवार की तुलना मे कृषि मजदूर अधिक थे। इस प्रकार कृषि मजदूरों के पास गैर कृषि मौसमो के अन्तर्गत खाली समय मे कोई रोजगार प्राप्त न होने के कारण ये श्रमिक अपनी आवश्यकता के लिए समीप के शहरो मे गैर कृषि कार्यों जैसे कुली, होटल के नौकर, दुकानो मे नौकरी, इत्यादि करते थे, और इनमे से कुछ गैर कृषि मजदूर, अकौशल पूर्ण कार्य, उन ग्रामो मे स्थापित छोटे मोटे उद्योगो जैसे—दियासलाई बनाने के कारखाने, कागज की लुगदी बनाने इत्यादि मे सलग्न थे। सर्वेक्षण के द्वारा प्राय यह भी देखा गया कि मशीनीकरण के कारण भी बहुत से मजदूर स्थानान्तरित हुए और यह स्थानान्तरण गाँव के कृषि मजदूर का गैर कृषि क्षेत्रो मे शहर की ओर रोजगार की तलाश मे हुआ था। इसके अतिरिक्त गैर कृषि कार्य के मजदूरों को मिलाकर गाँव के कारीगर और हस्तशिल्पी भी स्थानान्तरित हुए।

### तालिका 7.1

कृषक गैर कृषक एवं मजदूर वर्ग के परिवारों के प्रतिशत आकडे

श्रेणी	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
<b>कृषक वर्ग</b>		
1 सीमान्त कृषक	10	55 55
2 लघु कृषक	6	33 33
3 अन्य कृषक	2	11 11
<b>योग</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>
<b>गैर-कृषक वर्ग</b>		
1 कारीगर	11	47 82
2 मिश्रित व अन्य	12	52 17
<b>ब्यावसायिक वर्ग</b>		
<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>100.00</b>
<b>मजदूर-वर्ग</b>		
1 कृषि मजदूर	27	58 69
2 गैर—कृषि मजदूर	19	41 30
<b>योग</b>	<b>46</b>	<b>100.00</b>

## 7.2 पारिवारिक संरचना

तालिका 7 2 से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श में लगभग पाँचवा हिस्सा कृषक वर्ग का, चौथाई से अधिक गैर कृषक वर्ग, तथा शेष आधे से कुछ अधिक मजदूर वर्ग के परिवार हैं।

कृषक वर्ग में सर्वाधिक प्रतिशत सीमान्त कृषक का है जबकि गैर कृषक वर्ग में कारीगर एवं अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवार आते हैं। इसमें अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवारों का प्रतिशत कारीगर परिवारों से कुछ अधिक है। मजदूर वर्ग के अन्तर्गत कृषि मजदूर (31 प्रतिशत) गैर कृषि मजदूर (21.8 प्रतिशत) से अधिक है। यह स्पष्ट है कि प्रतिदर्श में कृषि मजदूर परिवारों के उपवर्ग का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है।

जब हम विभिन्न वर्गों—उपवर्गों के अन्तर्गत परिवार के औसत आकार पर दृष्टिपात करते हैं तो हम यह देख पाते हैं कि कृषक वर्ग (8.44) एवं गैर कृषक वर्गों (6.83) के परिणाम का औसत आकार (6.6) से अधिक है, जबकि मजदूर वर्ग का औसत परिवार आकार (5.76) कम है। स्पष्ट है कि कृषक वर्ग का औसत परिवार आकार अधिक है।

इस वर्ग के अन्तर्गत भी अन्य कृषक वर्ग का परिवार आकार अधिक (10.0) है। इसी प्रकार गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवार का औसत आकार 7.42 कारीगर परिवारों के औसत (6.18) से अधिक है। यह भी देखने में आता है कि कारीगर परिवारों का औसत आकार प्रतिदर्श के औसत आकार से कम है। मजदूर वर्ग के अन्तर्गत कृषि मजदूर परिवारों का औसत आकार गैर कृषि मजदूर परिवारों से कम है।

उपरोक्त निष्कर्ष सामान्यतः प्रचलित इस धारणा की पुष्टि करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कृषक वर्ग बड़े परिवार की आकांक्षा रखते हैं तथा मजदूर वर्ग थोड़े कम बड़े परिवार रखते हैं, जबकि मजदूर वर्ग अपने परिवार को थोड़ा छोटा रखने का प्रयास कर रहे हैं।

जब हम परिवार में कार्यशील सदस्यों की संख्या वर्गों के उपवर्गों पर दृष्टिपात करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि प्रति परिवार प्रतिदर्श में औसत कार्यशील सदस्यों की संख्या 3.1 है। यह संख्या कृषक वर्ग के लिए सर्वाधिक (5.5) तथा गैर कृषक वर्ग के लिए न्यूनतम (2.26) है। मजदूर वर्ग के लिए यह औसत (2.5) है।


तालिका 7 2

चयनित परिवारो की सख्या और कर्मकरो का मानक वर्गीकरण

व्यावसायिक वर्ग	परिवारो की सख्या		परिवार मे कार्यशील सदस्यो की सख्या	
	कुल	प्रति परिवार	परिवार मे सदस्यो की सख्या	परिवार का औसत आकार
अ कृषक वर्ग	18	(20.68)	152	8.44
1 सीमान्त कृषक	10	(11.5)	86	8.6
2 लघु कृषक	6	(6.9)	46	7.67
3 अन्य कृषक	2	(2.3)	20	10.0
ब गैर कृषक वर्ग	23	(26.43)	157	6.83
1 कारीगर	11	(12.6)	68	6.18
2 मिश्रित व अन्य	12	(13.8)	89	7.42
व्यावसायिक वर्ग				
स मजदूर वर्ग	46	(52.87)	265	5.76
1 कृषि मजदूर	27	(31.0)	150	5.55
2 गैर कृषि मजदूर	19	(21.8)	115	6.05
कुल योग	87	(100.00)	574	6.6
			266	3.1

स्रोत : सर्वेक्षण

## पारिवारिक संरचना



इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिन परिवारों का आकार बड़ा है वहाँ कार्यशील सदस्यों की संख्या भी औसतन अधिक है जबकि यह संख्या गैर कृषक वर्ग तथा मजदूर वर्ग के लिए कम है। उपवर्गों के अनुसार कृषि मजदूर परिवार तथा मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग वाले परिवारों में कार्यशील सदस्यों की संख्या सबसे कम (215, 216) है जबकि सीमान्त कृषक परिवारों के लिए यह संख्या सर्वाधिक (73) है।

### 7.3 भूमि उपयोग

तालिका (73) विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आकड़ों के माध्यम से, प्रतिदर्श में औसत परिवारों के पास उपलब्ध भूमि क्षेत्र 3483 हेक्टेयर पाया गया। इनमें से 2718 हेक्टेयर क्षेत्र की भागीदारी कृषक वर्ग को प्राप्त थी, और शेष बची हुई 765 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र गैर कृषक वर्ग में सम्मिलित कारीगर एवं मिश्रित व्यावसायिक वर्ग के परिवारों तथा मजदूर वर्ग के

अधिकार में थी। ये सभी परिवार भूमि क्षेत्रों के छोटे भाग में कृषि करते थे, वे अपने मुख्य व्यावसाय से प्राप्त आय के अतिरिक्त इस भूमि क्षेत्र को पूरक व्यवसाय के रूप में प्रयोग करते थे। यह भी देखा गया कि इनमें से कुछ परिवार ऐसे थे उन्हें छोटे भूमि क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होते हुए भी उनसे पर्याप्त उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती थी, परन्तु फिर भी यह सन्तुष्टि बनी हुई थी कि वे भूमि के मालिक हैं।

प्रतिदर्श में सम्मिलित औसत कृषक परिवार 1 51 हेक्टेयर भूमि क्षेत्रों के मालिक थे। जब हम कृषक वर्गों की भूमि उपयोगिता पर दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट है कि सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कृषकों के पास कुल 7 50 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध पायी गयी इनमें से एक सीमान्त कृषक को 0 75 हेक्टेयर क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राप्त थी। लघु कृषक के प्रति परिवार (1 62 हे) से अधिक अन्य कृषक वर्ग के प्रति परिवारों को (4 98 हेक्टेयर) भूमि उपलब्ध थी। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि लघु कृषक के औसत परिवारों के पास कुल 9 72 हेक्टेयर ही भूमि उपलब्ध थी जबकि अन्य कृषक के परिवारों के पास कुल 9 96 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राप्त थी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य कृषक परिवार की भूमि उपयोगिता पर एक महत्वपूर्ण विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्श में गैर कृषक वर्ग और मजदूर वर्गों से अधिक कृषक वर्ग को भूमि की भागीदारी प्राप्त हुई। मजदूर वर्ग के औसत परिवार 0 08 हेक्टेयर और गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कारीगर व मिश्रित व्यावसायिक वर्ग के प्रति परिवार क्रमशः 0 12, 0 22 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के अधिकारी थे।

## 7.4 परिसम्पत्तियों का विवरण

एक परिवार की रोजगार स्थितियों को सम्पत्ति का आकार भी प्रभावित करता है। अतः प्रतिदर्श में औसत परिवारों द्वारा रखी गई परिसम्पत्ति की कुल कीमत रूपए 4,77,663 अर्थात् प्रति परिवार औसत कीमत रूपए 5,490 थी। इसकी पुष्टि तालिका 7 3 के आकड़ों के विश्लेषण से होती है। प्रतिदर्श में कृषक वर्ग के औसत परिवार 2,78,000 रूपए की सम्पत्ति के भागीदार थे। आँकड़ों के अध्ययन से, कृषक वर्गों की परिसम्पत्ति के आकार में एक बड़ी विभिन्नता प्रदर्शित होती है इसमें सीमान्त कृषक वर्ग



के प्रति परिवार 9,000 रुपये कीमत के सम्पत्ति के भागीदार थे, वही अन्य कृषक के प्रति परिवारो के पास 37,000 रुपये की सम्पत्ति पायी गयी। इसी प्रकार जब हम प्रतिदर्श मे गैर कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग के परिसम्पत्तियो के विवरण पर दृष्टिपात करते है तो स्पष्ट है कि गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कारीगर परिवारो के पास मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवारो की अपेक्षा परिसम्पत्ति अधिक है। इस प्रकार कारीगरो के प्रति परिवार 4,413 रुपए की सम्पत्ति रखते थे वही मिश्रित व्यावसायिक परिवारो द्वारा प्रति परिवार 3,029 रुपये की सम्पत्ति पायी गयी। मजदूर वर्ग के प्रति परिवार 2,495 रुपये की परिसम्पत्ति के भागीदार थे।

उपरोक्त विश्लेषण सामान्यत इस तथ्य की पुष्टि करते है कि मजदूर वर्ग के पास परिसम्पत्ति कम उपलब्ध थी।

गाँव के गरीब व पिछडे समुदाय के सदस्यो के पास कम परिसम्पत्ति उपलब्ध होने के कारण रोजगार मे वृद्धि प्राप्त करने के सीमित अवसर ही उपलब्ध होते थे।

### तालिका 7 3

चयनित परिवारो मे व्यावसायिक वर्गो के आधार पर आय और परिसम्पत्तियो का विवरण

वर्ग	भूमि उपयोग(हेक्टेयर)		परिसम्पत्ति (रुपये मे)	
	कुल	प्रति परिवार	कुल	प्रति परिवार
<b>अ कृषक वर्ग</b>	27 18	1 51	2,78,000	15,444
1 सीमान्त कृषक	7 50	0 75	90,000	9,000
2 लघु कृषक	9 72	1 62	1,14,000	19,000
3 अन्य कृषक	9 96	4 98	74,000	37,000
<b>ब गैर कृषक वर्ग</b>				
1 कारीगर	1 32	0 12	48,543	4,413
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	2 65	0 22	36,350	3,029
<b>स मजदूर वर्ग</b>	3 68	0 08	1,14,770	2,495
<b>कुल योग</b>	<b>34.83</b>	<b>0.40</b>	<b>4,77,663</b>	<b>5,490</b>

स्रोत सर्वेक्षण

## 7.5 आय का विवरण

आय यद्यपि रोजगार का परिणाम है, दूसरे शब्दो मे एक व्यक्ति की उसके रोजगार मार्ग को आगे बढ़ाने अर्थात् वृद्धि करने मे सहायता करती

है, एक सम्पन्न व्यक्ति अधिक पूँजी वाले कार्य या व्यवसाय का चयन कर सकता है, जबकि एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास परिसम्पत्ति व आय के स्रोत कम उपलब्ध होते हैं।

अतः इस दृष्टिकोण से परिवारों की आय के विवरण का विश्लेषण करने के लिए उनकी रोजगार परिस्थितियों का ज्ञान रखना मूल्यवान है। अग्रलिखित तालिका 74 में आकड़ों के अनुसार चयनित परिवारों द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त कुल आय 4,40,484 रुपये के द्वारा औसत परिवारों की वार्षिक आय 5,063 रुपये आकलित की गई, चयनित परिवारों द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से उपार्जित आय का औसत हिस्सा क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत था। स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार द्वारा प्राप्त आय से गैर कृषि मजदूर परिवार की तुलना में एक किसान परिवार की आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी। आकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि चयनित परिवारों की आय में काफी विभिन्नता थी, जिसके अन्तर्गत औसत मजदूर और कारीगरों के प्रति परिवार वार्षिक आय से क्रमशः 4,079 रुपये और 4,870 रुपये उपार्जित करते थे। जबकि (स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार) सीमान्त किसानों के प्रति परिवार 5,250 रुपये और लघु कृषकों के प्रति परिवार ने 7,530 रुपये प्राप्त किया। इसका अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर परिवारों की आय में ऐसा अन्तर उनकी परिसम्पत्तियों के आकार में विभिन्नता के कारण था।

यथार्थ रूप से देखने पर यह अनुमानित किया जा सकता है कि मजदूर और कारीगर परिवारों के अतिरिक्त सीमान्त कृषकों की आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई थी। विभिन्न व्यावसायों से जुड़े हुए प्रति परिवारों की औसत वार्षिक आय 6,390 रुपये आकलित की गई, जबकि लघु कृषकों के प्रति परिवारों को औसत 7,530 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लघु कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति मजदूर कारीगर सीमान्त कृषक वर्गों की अपेक्षा अच्छी थी। अन्य कृषकों की औसत वार्षिक आय 12,460 रुपये प्रति परिवार पायी गयी। गाँव

में उच्च सामाजिक जातियों ने कमजोर वर्ग के अधिकतर रोजगार अवसरों को अपने अधिकार में ले रखा था, जिसके कारण मजदूर वर्ग, कारीगर और सीमान्त कृषक अपनी आर्थिक कमजोरियों के कारण उपलब्ध श्रम शक्ति के होते हुए भी अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में असक्षम थे।

तालिका 75 से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित व्यावसायिक वर्गों में कृषक वर्ग ने अपने कुल आय का स्वरोजगार से 83.5 प्रतिशत, और दैनिक मजदूरी रोजगार से 16.5 प्रतिशत आय प्राप्त किया। इसमें सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कृषकों के औसत परिवार अपनी कुल आय का 78 प्रतिशत स्वरोजगार से प्राप्त करते थे, जबकि लघु कृषक परिवार अपनी कुल आय का स्वरोजगार से 82 प्रतिशत और अन्य कृषक परिवारों ने शत-प्रतिशत प्राप्त किया। इनके विश्लेषण से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि बड़े कृषक परिवार अपनी सुदृढ़ आर्थिक स्थितियों के कारण वाणिज्यिक कार्यों में अधिक पूँजी निवेश करते थे, जिससे वे नियमित रूप से एक अच्छी आय प्राप्त कर लेते थे। और सम्मत इन्हीं वाणिज्यिक निवेशों के कारण बड़े कृषक वर्ग को गैर कृषक वर्ग से अधिक आय प्राप्त हुई। यह भी स्पष्ट हुआ कि औसत मजदूर परिवार ने अपने दैनिक मजदूरी से 73 प्रतिशत और स्वरोजगार से 28 प्रतिशत आय प्राप्त किया। औसत कारीगर परिवार को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से कुल आय का क्रमशः 71 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत प्राप्त हुआ। एक मुख्य तथ्य यह देखा गया कि गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कारीगर व मिश्रित व्यावसायिक परिवार अपने पारम्परिक व्यवसायों को मजदूरी रोजगार से अधिक महत्त्व देते थे क्योंकि पारम्परिक व्यवसायों जैसे—बढईगीरी, लोहारी, दर्जी, इत्यादि कार्य परिश्रम वाले और उनकी दैनिक मजदूरी (मजदूरी रोजगार) की तुलना में अधिक प्रतिफल देने वाले थे। इस प्रकार घर बैठे इन कार्यों को करने से एक सन्तुष्टि होती थी जो कि इन्हें अपने पत्रिक व्यवसाय को करने की प्रेरणा देती थी। उनका यह मत कि यदि वे दैनिक मजदूरी के लिए जाते भी हैं तो उनके परिवार के अन्य सहायक सदस्य जैसे (बच्चे, महिलाएँ और वृद्ध जन) घर में बेकार रह जायेंगे। उनका यह भी विचार था कि वे अपने

सहायक सदस्यों की सहायता से पारम्परिक व्यवसायों द्वारा अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं उसकी तुलना में जिनमें दैनिक मजदूरी पर नित्य रोजगार से जो वे केवल स्वयं उपार्जित कर सकते थे।

लगभग कुछ ऐसा ही विचार सीमान्त कृषकों का भी था, वे दूसरे के खेतों में पूरे दिन रोजगार प्राप्त करने की तुलना में अपने छोटे भूमि के टुकड़े पर लगभग आधे दिन का रोजगार प्राप्त करना अधिक पसन्द करते थे। सम्भवतः इन्हीं तथ्यों के कारण कारीगरों और सीमान्त किसानों का स्वरोजगार से प्राप्त आय, मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय की तुलना में कहीं अधिक था।

उपरोक्त परिणामों से एक निष्कर्ष यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रतिदर्श में कृषक वर्ग, गैर कृषक वर्ग का स्वरोजगार से प्राप्त आय का हिस्सा मजदूर वर्ग के स्वरोजगार से प्राप्त आय से अधिक था।

उपयुक्त विश्लेषण से चयनित परिवारों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात् ये स्पष्ट होता है कि चयनित परिवारों के अन्तर्गत सम्मिलित पिछड़े कमजोर वर्ग के व्यावसायिकों को भूमि सम्पत्ति से रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हुए और इसलिए इनमें से अधिकतर सदस्यों को गैर कृषि कार्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा मुख्य तथ्य यह प्राप्त हुआ कि लघु कृषक और अन्य कृषक परिवार जो कुल मिलाकर औसत चयनित परिवारों के लगभग 9 प्रतिशत थे को छोड़कर शेष परिवारों की आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई थी। केवल बड़े किसान ही अपनी सम्पन्नता के कारण बड़े व्यावसायिक कार्यों से जुड़े हुए थे। सम्भवतः इन्हीं कारणों से चयनित परिवारों में कृषक वर्ग और गैर कृषक वर्गों, की आय में

एक बड़ी मात्रा में असामान्यताएँ विद्यमान थीं।

तालिका 74

चयनित परिवारों के द्वारा स्वरोजगार और दैनिक मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय का विवरण

व्यावसायिक वर्ग	स्वरोजगार से प्राप्त आय			दैनिक मजदूरी से प्राप्त आय			स्वरोजगार + मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय	
	कुल	प्रति परिवार	कुल	प्रति परिवार	कुल योग	प्रति परिवार	कुल योग	प्रति परिवार
अ कृषक वर्ग								
1 सीमान्त कृषक	1,02,362	5,687	20,238	1,124	1,22,600	6,811		
2 लघु कृषक	40,950	4,095	11,550	1,155	52,500	5,250		
3 अन्य कृषक	36,492	6,082	8,688	1,448	45,500	7,530		
ब गैर कृषक वर्ग	24,920	12,460	-	-	24,920	12,460		
1 कारीगर	38,049	3,459						
2 मिश्रित व अन्य	70,476	5,873	15,521	1,411	53,570	4,870		
व्यावसायिक वर्ग			6,204	517	76,680	6,390		
स मजदूर वर्ग	51,612	1,122						
कुल योग	2,62,499	3,017	1,36,022	2,957	1,87,634	4,079	4,40,484	5,063

स्रोत : सर्वेक्षण

तालिका 7.5

चयनित परिवारों के द्वारा कुल प्राप्त आय में स्वरोजगार और दैनिक  
मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आंकड़े

व्यावसायिक वर्ग	स्वरोजगार	दैनिक मजदूरी रोजगार	कुल योग
<b>अ. कृषक वर्ग</b>	83.5	16.5	100.00
1 सीमान्त कृषक	78.0	22.0	100.00
2 लघु कृषक	80.8	19.2	100.00
3 अन्य कृषक	100.0	—	100.00
<b>ब. गैर कृषक वर्ग</b>			
1 कारीगर	71.0	29.0	100.00
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	91.9	8.1	100.00
<b>स. मजदूर वर्ग</b>	27.5	72.5	100.00
<b>कुल योग</b>	<b>59.6</b>	<b>40.4</b>	<b>100.00</b>

स्रोत : सर्वेक्षण

# चयनित परिवारों का रोजगार ढाँचा

## अध्याय 8

### 8.0. चयनित परिवारों का रोजगार-ढॉचा

8.1 औसत रोजगार

8 2 चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

8 3 कृषि और गैर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी रोजगार

8 4 विभिन्न फसल मौसमो मे स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

8 5 कर्मकरो के व्यवसाय के अनुसार रोजगार



## अध्याय 8

# चयनित परिवारों का रोजगार ढाँचा

---

यह रोजगार योजनाओं के घोषित उद्देश्यों में से एक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर कार्य गैर कृषि मौसम की अवधियों में ही लिया जाता है, इस समय अधिकतर ग्रामीण मजदूर बिना काम के या अर्द्ध बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार के मौसम में कृषि क्षेत्रों में लगभग 6 महीने तक खाली समय रहता है।<sup>1</sup>

मोती लाल गुप्ता ने यह निरीक्षण किया कि कृषक और खेती करने वाले श्रमिकों के लिए एक साल में चार से छ महीने बेरोजगारी का मौसम रहता है।<sup>2</sup>

अतः रोजगार को मौसमी प्रभाव द्वारा भी चित्रित किया गया है।

जुलाई के मौसम में खरीफ फसलों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य जैसे जोतना, बीज बोना, पौधे लगाना इत्यादि वर्षा के प्रारम्भ होने से पहले शुरू किये जाते हैं और ये कार्य सितम्बर माह तक चलते हैं। इस समय के अन्तर्गत स्थानीय मजदूर पर्याप्त काम के अवसरों को प्राप्त कर लेते हैं। अक्टूबर से दिसम्बर के माह में बीच के समय में रबी फसलों को लगाने के बाद कृषि में लगभग मार्च के मध्य समय (खाली समय) को गैर मौसम के रूप में चित्रित किया गया है।

इस प्रकार कृषि क्षेत्रों में मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उद्धृत सालों को महीने के चार भागों में विभाजित किया गया—जैसे 1 जुलाई—सितम्बर, 2 अक्टूबर—दिसम्बर, 3 जनवरी—मार्च, 4 अप्रैल—जून।

सर्वेक्षण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों से रोजगार सम्बन्धी आकड़ों को एकत्र किया गया। इस प्रकार विभिन्न व्यावसायिक

- 
- 1 The Slack Agriculture Seas on frequently extends from three to six months' Fourth five year Plan-A Draft Outline, Planning Commission, Govt of India, New Delhi, 1966, pp 110
  - 2 Motilal Gupta "Problems of Unemployment in India" Nedandsche, Economische Hooge School the Rotterdam 1955, pp 29

कर्मकर परिवारो द्वारा प्राप्त रोजगार के विषय मे जो जानकारीया प्राप्त की गई। इनका विश्लेषण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

## 8.1 औसत रोजगार

चयनित परिवारो मे 266 कर्मकर पाये गये, उनमे से 204 पुरुष, 49 महिलाएँ और 13 बाल कर्मकर सम्मिलित थे। कर्मकर परिवारो ने आलोच्य वर्ष मे 53 679 दिन का कुल रोजगार प्राप्त किया। इसका अभिप्राय यह है कि एक औसत श्रमिक को 202 दिनो का वार्षिक रोजगार, अर्थात् प्रतिमाह 17 दिन के लिए मिला। अग्रलिखित तालिका 8 1 के आकडो से यह स्पष्ट होता है कि एक पुरुष कर्मकर को वार्षिक रोजगार 214 अर्थात् एक महीने मे 18 दिन के लिए, जबकि एक महिला कर्मकर ने 182 दिन के वार्षिक रोजगार को प्राप्त किया अर्थात् प्रतिमाह 15 दिन और बाल कर्मकर ने वर्ष मे 85 दिन रोजगार प्राप्त किया जो कि प्रति कर्मकर प्रतिमाह 7 दिन हुआ।

## 8.2 चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

कर्मकर परिवारो द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे भाग लेने वाले श्रमिको का निरीक्षण करने के पश्चात् यह पाया गया कि अधिकाशत स्वरोजगार मे सम्मिलित वर्ग पारिवारिक व्यवसायो जैसे कि कृषि, घरेलू उद्योग, और व्यापार इत्यादि से सम्बन्धित स्वरोजगार मे लगे हुए थे। कर्मकरो के स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के विश्लेषण को आकडो के एकत्रीकरण की अग्रलिखित तालिका 8 2 व लेखाचित्र 26 मे प्रस्तुत किया गया है। इसके अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर एक औसत कर्मकर ने साल मे क्रमश 111 दिन और 91 दिन के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार को प्राप्त किया जिसे क्रमश 55 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के भाग मे आकलित किया गया है। प्राय यह भी देखा गया कि स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार का हिस्सा पुरुष महिलाओ और कर्मकर बच्चो मे भिन्न था। एक औसत (204) पुरुष कर्मकर को 117 दिन (55 प्रतिशत) और 97 दिन (45 प्रतिशत) के लिए स्वरोजगार व मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त एक महिला (49) कर्मकर 182 दिन के वार्षिक कुल रोजगार के अन्तर्गत 109 दिन (60 प्रतिशत) स्वरोजगार, और 73 दिन (40 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार प्राप्त करती थी

और बाल कर्मकर कुल 85 वार्षिक रोजगार दिन में 24 दिन अर्थात् 28 प्रतिशत स्वरोजगार एवं 61 दिन (72 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार में भाग लेते थे। अतः यह स्पष्ट है कि महिला कर्मकरों को पुरुषों की तुलना में मजदूरी रोजगार के लिए कम अवसर प्राप्त हुआ। इसका कारण यह था कि महिलाओं को कृषि व अन्य निर्माण कार्यों में मजदूरी पर रोजगार के केवल सीमित अवसर ही प्राप्त थे जबकि पुरुष कर्मकर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों के अतिरिक्त समीप के शहरों में जैसे—होटल, बाजार, दुकान, निजी व्यवसाय तथा स्टेशन बस स्टाप इत्यादि में मजदूरी पर रोजगार सरलता से प्राप्त कर लेते थे। परन्तु महिलाओं के लिए घरेलू बोझ और दूसरे सामाजिक पुर्ननिर्देशों के कारण ऐसा अवसर प्राप्त करना असम्भव था। कार्यशील सदस्यों में कारीगर, सीमान्त कृषक वर्ग के अतिरिक्त मजदूर श्रमिकों के बच्चों का एक बड़ा भाग भी रोजगार में सम्मिलित था, इन कर्मकर सदस्यों के बच्चे स्कूल जाने के बजाय कृषि में मजदूरी करते थे। वे जानवरों को चराने के अतिरिक्त बड़े किसानों और गाँव प्रमुख के घरों में घरेलू कार्यों में भी लगे हुए पाये गये थे। आकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन बाल श्रमिकों की भागीदारी स्वरोजगार की अपेक्षा मजदूरी रोजगार में अधिक थी। इस तथ्य का एक मुख्य कारण यह भी था कि अधिकांश बाल श्रमिक शहर के समीप गैर कृषि कार्यों में सलग्न पाये गये थे इसलिए इनकी स्थिति मजदूरी रोजगार में स्वरोजगार की अपेक्षा अधिक अच्छी पायी गयी।

### 8.3 कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार

सर्वेक्षण के समय यह देखा गया कि चयनित 266 कर्मकरों ने औसत रूप से कृषि क्षेत्रों में 44 दिन और गैर कृषि क्षेत्रों में 47 दिन के (रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 दिन को जोड़कर) के लिए मजदूरी रोजगार प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र मजदूरी रोजगार द्वारा क्रमशः 48 प्रतिशत और 52 प्रतिशत अंश देते थे जो यह सूचित करता है कि चयनित कर्मकरों को गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र से कम मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में अधिकतर स्थानीय मजदूर बड़े या मध्यम कृषकों के खेतों में साधारणतः मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त करते थे। लेकिन आधुनिक यंत्रों जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, थ्रेसर डिब्लर्स

इत्यादि के अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण अब पहले से कही अधिक कृषि मजदूर गैर कृषि क्षेत्रों में समीप के शहरों की तरफ स्थानान्तरित हुए। तालिका 8.3 और 8.4 इस तथ्य को प्रस्तुत करती हैं कि एक औसत पुरुष कर्मकर ने कृषि क्षेत्र की तुलना में गैर कृषि क्षेत्रों से अधिक मजदूरी रोजगार को प्राप्त किया, जबकि महिला कर्मकरों को गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र से अधिक मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। आकड़ों के स्पष्टीकरण से इस तथ्य के विषय में यह कहा जा सकता है कि एक औसत पुरुष कर्मकर को कृषि क्षेत्र से 44 दिन और गैर कृषि क्षेत्र से 53 दिन का (रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 दिन को जोड़कर) रोजगार प्राप्त हुआ जबकि एक महिला कर्मकर कृषि क्षेत्र से 48 दिन और गैर कृषि क्षेत्र से केवल 25 दिन का रोजगार प्राप्त करती थी। दूसरे रूप में इसका अभिप्राय यह है कि पुरुष कर्मकर को कुल मजदूरी रोजगार का कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र से क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत और महिला कर्मकर को 66 प्रतिशत और 34 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हुआ।

चयनित गाँव से सर्वेक्षण के द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि गैर कृषि क्षेत्र बाल कर्मकर को रोजगार दिलाने में अधिक प्रमुखता रखते थे क्योंकि प्राप्त आकड़ों से यह स्पष्ट है कि एक आदर्श बाल कर्मकर ने गैर कृषि क्षेत्र से 44 दिन अर्थात् अपने कुल मजदूरी रोजगार का 72 प्रतिशत रोजगार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि महिला कर्मकरों ने कृषि क्षेत्र के बाहर रोजगार के सीमित अवसर प्राप्त थे, जबकि पुरुष कर्मकरों के कृषि क्षेत्र से बाहर रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए।

### तालिका 8.1

#### चयनित कर्मकर परिवारों का वार्षिक रोजगार

श्रेणी	कर्मकरों की संख्या	कुल रोजगार दिन	रोजगार दिवस	
			प्रति कर्मकर	प्रतिमाह
पुरुष	204	43,656	214	18
स्त्री	49	8,918	182	15
बच्चे	13	1,105	85	7
<b>कुल योग</b>	<b>266</b>	<b>53,679</b>	<b>202</b>	<b>17</b>

तालिका 8 2

चयनित कर्मकर परिवारो के वार्षिक रोजगार दिवस के अन्तर्गत  
स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के आकडे


कर्मकर	रोजगार दिवस	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार
पुरुष	214 (100 0)	117 (54 7)	97 (45 3)
स्त्री	182 (100 0)	109 (59 9)	73 (40 1)
बच्चे	85 (100 0)	24 (28 2)	61 (71 8)
औसत	202 (100 0)	111 (54 95)	91 (45 04)

स्रोत - सर्वेक्षण

नोट - (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिये गये है)

चयनित कर्मकर परिवारो के वार्षिक रोजगार दिवस के  
अन्तर्गत स्वरोजगार

लेखाचित्र - 26



तालिका - 8 3

चयनित कर्मकरो का वार्षिक रोजगार

श्रेणी	मजदूरी रोजगार				(प्रतिकर्मकर दिवस)	
	स्वरोजगार	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	रोजगार कार्यक्रम	कुल	योग
	1	2	3	4	(2+3+4)	(1+5)
पुरुष	117 (9 8)	44 (3 6)	42 (3 5)	11 (0 9)	97 (8 1)	214 (17 8)
स्त्री	109 (9 1)	48 (4 0)	24 (2 0)	1 (0 1)	73 (6 1)	182 (15 2)
बच्चे	24 (2 0)	17 (1 4)	33 (2 8)	11 (0 9)	61 (5 1)	85 (7 1)
औसत	111 (9 3)	44 (3 6)	38 (3 2)	9 (0 75)	91 (7 6)	202 (16 8)

स्रोत सर्वेक्षण  
नोट (कोष्ठक में दिन प्रति कर्मकर प्रतिमाह के आकड़े दिए गए हैं।)

चयनित कर्मकरो का वार्षिक रोजगार ढाँचा

श्रेणी	स्वरोजगार	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	रोजगार कार्यक्रम	कुल	योग
	1	2	3	4	(2+3+4)	(1+5)
पुरुष	23868	8976	8494	2318	19788	43656
स्त्री	5341	2368	1153	56	3577	8918
बच्चे	312	215	431	147	793	1105
योग	29,521	11,559	10,078	2521	24,158	53,679

तालिका 8 4

चयनित कर्मकर परिवारों का कुल मजदूरी रोजगार के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र के तुलनात्मक आकड़े

श्रेणी	रोजगार के आकड़े		
	कुल मजदूरी रोजगार	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र
पुरुष	97 (100 0)	44 (45 4)	53 (54 6)
स्त्री	73 (100 0)	48 (65 8)	25 (34 2)
बच्चे	61 (100 0)	17 (27 9)	44 (72 1)
औसत	91 (100 0)	44 (48 4)	47 (51 6)

स्रोत सर्वेक्षण  
नोट (कोष्ठक में प्रतिशत आकड़े दिये गये हैं)

## 8.4 विभिन्न फसल मौसमों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

तालिका 85 के आकड़े इस तथ्य को प्रकाशित करते हैं कि चयनित कर्मकर परिवारों का रोजगार कृषि मौसम के द्वारा प्रभावित था। यह ज्ञात हुआ कि जुलाई से सितम्बर और अप्रैल से जून माह में (जो कि कृषि व फसल के प्रमुख समय से जुड़ा हुआ है) एक आदर्श कर्मकर 56 और 55 दिन का कुल रोजगार प्राप्त करते थे। जबकि अक्टूबर—दिसम्बर और जनवरी—मार्च माह के अन्तर्गत क्रमशः 49 दिन और 42 दिन का कुल रोजगार प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक आदर्श कर्मकर को जुलाई से सितम्बर माह में 19 दिन और अप्रैल से जून माह के अन्तर्गत 18 दिन प्रतिमाह कुल रोजगार प्राप्त हुआ। जबकि अक्टूबर—दिसम्बर, जनवरी—मार्च माह में क्रमशः 16 और 14 दिन प्रतिमाह कुल रोजगार प्राप्त कर पाते थे। जुलाई—सितम्बर माह में बीज रोपाई के कारण, और अप्रैल जून माह में प्रमुख फसलों की कटाई व गेहूँ के पैदावार का मौसम होने के कारण कर्मकरों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हुआ जबकि जनवरी—मार्च का यह माह रोजगार की दृष्टि से सबसे अधिक मन्द समय है। इस समय रबी फसलों के अन्तर्गत कृषि से सम्बन्धित छोटे—कार्य जैसे सिंचाई इत्यादि किए जाते हैं जिसमें केवल थोड़े कर्मकरों की आवश्यकता होती है। यह भी ज्ञात हुआ कि इन मौसमों (जुलाई—सितम्बर और अप्रैल—जून) में कर्मकरों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए जबकि मन्द मौसम (जनवरी—मार्च, अक्टूबर—दिसम्बर) में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हुए विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहाँ जुलाई से सितम्बर माह में औसत कर्मकर को 30 दिन अर्थात् प्रतिमाह 10 दिन का स्वरोजगार और 26 दिन (प्रतिमाह 8 दिन) मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि मन्द मौसम (जनवरी—मार्च) के माह में 19 दिन मजदूरी रोजगार, और 23 दिन (7 दिन प्रतिमाह) का स्वरोजगार औसत कर्मकरों ने प्राप्त किया। इसी प्रकार अप्रैल—जून माह में (रबी फसलों की कटाई और जायद फसल के समय) औसत कर्मकर 24 दिन मजदूरी पर रोजगार व 31 दिन अर्थात् 11 दिन प्रतिमाह स्वरोजगार में सलग्न पाये गये। उपरोक्त विश्लेषण के परिणामों से एक मुख्य तथ्य यह भी ज्ञात हुआ कि कर्मकरों का व्यवसाय कृषि मौसमों से भी प्रभावित था, इसमें गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में कृषि मौसमों से मजदूरी रोजगार अधिक प्रभावित हुआ।

## तालिका 8 5

विभिन्न फसल मौसमों में चयनित कर्मकरों का स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार  
(प्रति कर्मकर दिवस)

फसल माह	मुख्य कृषि फसल	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	कुल योग
जुलाई-सितम्बर	खरीफ फसलों की बुवाई	30	26	56
	व निराई गुड़ाई	(10 0)	(8 6)	(18 6)
अक्टूबर-दिसम्बर	खरीफ फसल की कटाई और रबी की बुवाई	27	22	49
		(9 0)	(7 3)	(16 3)
जनवरी-मार्च	रबी फसलों की निराई गुड़ाई	23	19	42
		(7 7)	(6 3)	(14 0)
अप्रैल-जून	रबी तथा जायद फसलों की कटाई	31	24	55
		(10 3)	(8 0)	(18 3)
<b>कुल योग</b>		<b>111</b>	<b>91</b>	<b>202</b>
		<b>(9 3)</b>	<b>(7 6)</b>	<b>(16 8)</b>

स्रोत सर्वेक्षण  
(कोष्ठक में दिन प्रतिमाह के आकड़े दिये गये हैं)

कृषि में मन्द मौसम में कम रोजगार प्राप्त होता था जबकि इस समय अधिकांश श्रमिक दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए चले जाते थे। इस प्रकार कृषि में मौसमी प्रभाव को देखने के पश्चात् कुछ बड़े कृषकों का यह कहना था कि उन्हें इन समयों में विशेष रूप से (पौधों को लगाने और गेहूँ की फसल कटाई के समय) नित्य मजदूरी पर प्राप्त होने वाले मजदूरों की कमी रहती थी जिसके कारण उन्हें इन समयों में श्रमिकों की तलाश करनी पड़ती थी।

कृषि में ऐसे तथ्यों को देखने के पश्चात् क्लार्क और हैसवेल ने कहा है कि "बेरोजगारी मौसमी है और वर्ष भर निरन्तर नहीं बनी रहती थी, प्रस्तुत किया गया तर्क भी अस्पष्ट रह जाता है कृषि प्रणाली में मांग के मुख्य अवसरों पर मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए, विशेष रूप से फसल की कटाई और बुवाई के समय, जबकि वास्तविक रूप से साधारणतः श्रम शक्ति की कमी होती है।" "The unemployment is seasonal and not continued throughout the year, the argument presented also remains intact The farming system will be geared to the availability of la-

1 Clark C and M Haswell "The Economics of subsistence Agriculture, 4th edition (1970) Macmillan pp 97)



hour at the times of peak demand-usually at seeding and harvest times-when there is generally an actual shortage of manpower

डा वी डी मेहता ने कृषि क्षेत्र के मौसमी और अनिश्चित रोजगार के विषय में कहा है कि "Agriculture is essentially seasonal in character There are always periods of both reduced activity and inactivity-long and short"<sup>2</sup>

## 8.5 कर्मकरों के व्यवसाय के अनुसार रोजगार

एक परिवार का रोजगार ढॉचा उस व्यवसाय के द्वारा सीधे प्रभावित होता है जो उस परिवार द्वारा किये जाते हैं। इसलिए विभिन्न व्यावसायिक वर्गों से जुड़े हुए कर्मकरों के रोजगार ढॉचे का अध्ययन करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एकत्रित किये गये आकड़े तालिका 8 6 में यह सूचित करते हैं कि स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मकर एक वर्ष में औसत 202 दिन कुल रोजगार प्राप्त करते थे। प्रतिदर्श में सम्मिलित कर्मकरों में कृषि श्रमिक, और गैर कृषि श्रमिक, को एक वर्ष के अन्तर्गत क्रमशः 182 और 192 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सीमान्त कृषक औसत 209 दिन का एक अच्छा रोजगार भागो का उपभोग करते थे, जबकि एक कारीगर ने 207 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त किया। लघु कृषको के प्रति कर्मकरों के लिए 223 दिन का वार्षिक रोजगार आकलित किया गया। अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवारों के प्रति कर्मकर 227 दिन के रोजगार में लगे हुए देखे गये थे। इन आकड़ों को लेखाचित्र 27 के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है।

अन्य कृषक परिवार के प्रति कर्मकरों ने अधिक से अधिक 248 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त किया इन कृषक परिवारों के रोजगार में वृद्धि भूमि जोतो के औसत आकार के बड़े होने से तथा विभिन्न वाणिज्यिक कार्यों में सलग्न होने से सम्बन्धित था। तालिका 8 6 से यह भी सूचित हुआ कि कृषि श्रमिक एक साल में 40 दिन (22 प्रतिशत) स्वरोजगार और 142 दिन (78 प्रतिशत) के लिए मजदूरी रोजगार प्राप्त किया। तालिका 8 7 में सकलित आकड़ों के द्वारा इन्हे प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया है

---

2 Mehta, V D "Poverty and Employment in Rural India" (A Paradox) NBS Publishers and Distributors, New Delhi, 1987, pp 1

इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गैर कृषि श्रमिकों की स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार में भागीदारी लगभग कृषि श्रमिकों के समान थी क्योंकि गैर कृषि श्रमिकों ने स्वरोजगार और मजदूरी में क्रमशः 43, 149 दिन रोजगार प्राप्त किया। इस प्रकार कारीगरों, सीमान्त कृषकों, और मिश्रित व अन्य व्यावसायिक धंधों से जुड़े हुए परिवारों के स्वरोजगार और मजदूरी में प्राप्त रोजगार के अवसर परस्पर भिन्न थे। स्वरोजगार में भागीदारी की यह विविधता कारीगरों में 70 प्रतिशत और अन्य व्यावसायिक वर्ग के कार्यशील सदस्यों में 76 प्रतिशत पायी गयी। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि कारीगरों की स्थिति श्रमिकों से भिन्न थी, इस तथ्य से एक विचार यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक सम्पत्तिहीन गरीब व्यक्ति थे इसलिए वे रोजगार के लिए अधिकतर मजदूरी श्रम के ऊपर निर्भर रहते थे, परन्तु कारीगरों के परिवार अपने पैंत्रिक व्यवसाय जैसे कि बढईगीरी, दर्जी, लोहारी इत्यादि कार्यों को महत्व देते हुए वे इनके द्वारा कुल मिलाकर एक अच्छा स्वरोजगार का अवसर प्राप्त कर लेते थे। सीमान्त कृषकों ने औसत 209 दिन के लगभग 73 प्रतिशत स्वरोजगार और 27 प्रतिशत मजदूरी रोजगार प्राप्त किया। वे वर्ष के अधिकतर समयों में अपने छोटी जोत के भूमि के टुकड़ों से लगाव होने के कारण इनसे जुड़े रहते थे और पूर्ण रोजगार की तुलना में अर्द्ध बेरोजगार रहना अधिक पसन्द करते थे जिसके कारण उन्होंने मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार की अपेक्षा कम दिनों के लिए प्राप्त किया। लघु कृषक को अपने कुल वार्षिक रोजगार में अधिक हिस्सा स्वरोजगार के द्वारा 93 प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि मजदूरी रोजगार का भाग उनके कुल रोजगार का केवल 8 प्रतिशत था।

उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित कृषक और गैर कृषक वर्ग की रोजगार में भागीदारी मजदूर वर्ग से अधिक प्राप्त थी। मजदूर वर्ग के परिवार मजदूरी रोजगार पर अधिक निर्भर पाये गये इसलिए इस वर्ग की स्वरोजगार की अपेक्षा मजदूरी रोजगार में भागीदारी अधिक आकलित की गई है।

तालिका 8 6

चयनित कर्मकर परिवारों का व्यवसाय के अनुसार रोजगार ढाँचा

(प्रतिकर्मकर दिवस)


व्यावसायिक वर्ग	स्वरोजगार	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	रोजगार कार्यक्रम	कुल	योग
1	2	3	4	5	(3+4+5)	(2+6)
<b>अ कृषक वर्ग</b>						
1 सीमान्त कृषक	152	33	15	9	57	209
2 लघु कृषक	206	2	13	2	17	223
3 अन्य कृषक	246	—	—	2	2	248
<b>ब गैर कृषक</b>						
1 कारीगर	145	22	26	14	62	207
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	172	26	28	1	55	227
<b>स मजदूर वर्ग</b>						
1 कृषि मजदूर	40	109	22	11	142	182
2 गैर कृषि मजदूर	43	28	107	14	149	192
<b>द औसत</b>						
	111	44	38	9	91	202

स्रोत सर्वेक्षण

चयनित कर्मकर परिवारों का व्यवसाय के अनुसार रोजगार ढाँचा

लेखाचित्र 27

कुल स्वरोजगार  
कुल मजदूरी रोजगार,



तालिका 8 7

चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा कुल रोजगार से प्राप्त स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे

व्यावसायिक वर्ग	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	कुल रोजगार दिवस
<b>अ कृषक वर्ग</b>			
1 सीमान्त कृषक	152 (72.7)	57 (27.3)	209 (100.00)
2 लघु कृषक	206 (92.4)	17 (7.6)	223 (100.00)
3 अन्य कृषक	246 (99.2)	2 (0.8)	248 (100.00)
<b>ब गैर कृषक वर्ग</b>			
1 कारीगर	145 (70.0)	62 (30.0)	207 (100.00)
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	172 (75.8)	55 (24.2)	227 (100.00)
<b>स मजदूर वर्ग</b>			
कृषि मजदूर	40 (22.0)	142 (78.0)	182 (100.00)
गैर कृषि मजदूर	43 (22.4)	149 (77.6)	192 (100.00)
औसत	111 (54.9)	91 (45.0)	202 (100.00)

स्रोत सर्वेक्षण

कर्मकरो के मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडो से यह प्रकाशित हुआ कि औसत कर्मकर कृषि क्षेत्र मे मजदूरी पर रोजगार 48 प्रतिशत और गैर कृषि क्षेत्रो मे 52 प्रतिशत (रोजगार कार्यक्रम के 9.8 प्रतिशत को जोडकर) प्राप्त किया। इसके अन्तर्गत कृषि श्रमिक कृषि क्षेत्र से 77 प्रतिशत जबकि गैर कृषि श्रमिक केवल 19 प्रतिशत ही मजदूरी रोजगार प्राप्त करते थे। दूसरे शब्दो मे कृषि श्रमिक ने एक वर्ष मे 109 दिन कृषि कार्यों से जबकि एक गैर कृषि श्रमिक को 28 दिन मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मजदूरी रोजगार के विषय मे कारीगरो की स्थिति कृषि क्षेत्र की अपेक्षा गैर कृषि क्षेत्रो मे उत्तम पायी गयी। कारीगर गैर कृषि कार्यों से 40 दिन (रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 दिन जोडकर) अर्थात् 65 प्रतिशत और कृषि कार्यों से 22 दिन (36 प्रतिशत) मजदूरी पर रोजगार प्राप्त किया। एक आदर्श सीमान्त कृषक

का कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार में योगदान क्रमशः 58 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि कृषि श्रमिक और सीमान्त कृषक कृषि क्षेत्र में मजदूरी रोजगार को अधिक महत्व देते थे जबकि गैर कृषि श्रमिक और कारीगर परिवार गैर कृषि क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार को महत्व देते थे।

तालिका 8 8  
कर्मकर परिवारों के मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकड़े

व्यावसायिक वर्ग	दिवस	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	रोजगार कार्यक्रम
<b>अ कृषक वर्ग</b>				
1 सीमान्त कृषक	57	57.9	26.3	15.8
2 लघु कृषक	17	11.8	76.5	11.8
3 अन्य कृषक	2	—	—	100.0
<b>ब गैर कृषक वर्ग</b>				
1 कारीगर	62	35.5	41.9	22.6
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	55	47.3	50.9	1.8
<b>स मजदूर वर्ग</b>				
1 कृषि मजदूर	142	76.8	15.5	7.7
2 गैर कृषि मजदूर	149	18.8	71.8	9.4
औसत	91	48.4	41.8	9.8

#### स्रोत सर्वेक्षण

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का आकलन करना विशेष रूप से एक बहुत ही जटिल कार्य है। इन क्षेत्रों में कुछ ग्रामवासी काम करने के लिए नहीं जाते हैं, जबकि उनके लिए कार्य के बहुत से अवसर उपलब्ध रहते हैं। कुछ ग्रामीण जन ऐसे भी हैं जो अन्य व्यावसायिक अवसरों के होते हुए भी अपने पारिवारिक कार्यों (पैत्रिक व्यवसाय) को ही करना अधिक पसन्द करते हैं, और इस प्रकार वे शेष समय में बेरोजगार रहते हैं।

बेरोजगारी के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न मत भी प्रकट किया गया है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार "वे कर्मकर जो रोजगार में लगे हुए हैं सप्ताह में दिए गए कितने घण्टे की मजदूरी पर कार्य करते हैं परन्तु बेरोजगार उन्हें जिन्होंने एक कार्य भी नहीं किया है, जबकि वे कार्य की तलाश में थे।"

श्रम नीति के द्वारा पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए प्रति साल 250 मानव दिवस को अनुमानित किया गया है।

मोती लाल गुप्ता के अनुसार एक कर्मकर के पूर्ण रोजगार का नमूना 250 दिन प्रतिवर्ष अनुमानित किया गया है।<sup>2</sup>

बी डी मेहता के अनुसार एक कर्मकर के पूर्ण रोजगार का नमूना 300 दिन प्रति वर्ष था।<sup>3</sup>

मोहम्मद मासूम ने भी 300 दिन के पूर्ण रोजगार के नमूने को स्वीकारा।

इलाहाबाद जिले के सर्वेक्षण अध्ययन के समय 250 मानव दिवस को पूर्ण रोजगार के नमूने के स्तर के रूप में लिया गया है। इस नमूने के आधार पर यह पाया गया कि एक आदर्श कर्मकर एक वर्ष में 48 दिन और एक महीने में 4 दिन बेरोजगार रहते थे। तालिका 8.9 से यह ज्ञात होता है कि कृषि मजदूर एक साल में 68 दिन और गैर कृषि मजदूर 58 दिन बेरोजगार थे। आकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि कारीगर 43 दिन और सीमान्त कृषक 41 दिन के लिए बेरोजगार पाये गये, जिसे प्रतिमाह क्रमशः 4 व 3 दिन आकलित किया गया।

लघु कृषक परिवार एक वर्ष में 27 दिन अर्थात् प्रतिमाह 2 दिन बेरोजगार थे। विभिन्न व्यावसायों से जुड़े हुए कर्मकर एक साल में 23 दिन और प्रतिमाह 2 दिन बेरोजगार पाये गये। जबकि अन्य कृषक परिवार लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करते थे उदाहरण के लिए नमूने के 250 दिनों के पूर्ण रोजगार स्तर के विरुद्ध 248 दिन।

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि प्रतिदर्श में कृषक, गैर कृषक और मजदूर वर्गों में से सबसे अधिक कृषि मजदूर और गैर कृषि मजदूर बेरोजगार पाये गए दूसरी ओर प्रतिदर्श में सबसे कम बेरोजगारी अन्य कृषक परिवारों में पायी गयी।

---

2 Motilal Gupta, "Problems of Unemployment in India" 1955, pp 29 )

3 V D Mehta "Poverty and Unemployment in Rural India" NBS Publishers and Distributors, New Delhi, 1987, pp 15

### तालिका 8.9

विभिन्न व्यावसायिक वर्गों से सम्बन्धित कर्मकर परिवारो मे बेरोजगारी के आकडे

व्यावसायिक वर्ग	वार्षिक प्रति कर्मकर रोजगार	वर्ष	प्रतिमाह
<b>अ कृषक वर्ग</b>			
1 सीमान्त कृषक	209	41	3
2 लघु कृषक	223	27	2
3 अन्य कृषक	248	2	0.2
<b>ब गैर कृषक वर्ग</b>			
1 कारीगर	207	43	4
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	227	23	2
<b>स मजदूर वर्ग</b>			
1 कृषि मजदूर	182	68	6
2 गैर कृषि मजदूर	192	58	5
औसत	202	48	4

**नोट** (वर्ष मे 250 दिन को पूर्ण रोजगार (Full Employment days) का दिन मानकर बेरोजगारी की दर ज्ञात की गई है)

सर्वेक्षण के द्वारा यह भी विदित हुआ कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए है जैसे कि प्रतिदर्श मे मजदूर वर्गों मे कृषि मजदूर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी रोजगार पर अधिक निर्भर पाये गये कृषि क्षेत्र से हटाये जाने पर दूसरे रोजगार अवसरों की कमी के कारण ये बेरोजगार रहते थे, इसके अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रो मे रोजगार की तलाश करनी पडती थी। चूँकि कृषि क्षेत्रो मे अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है।

अत छिपी हुई बेरोजगारी के विषय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा किये गये अध्ययन कार्यों के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार है— श्री एम एल गुप्ता ने 1953 मे ग्रामीण क्षेत्रो की छिपी हुई बेरोजगारी के विस्तार पर कार्य किया, उन्होंने अनुकूलतम आर्थिक जोत का विचार प्रस्तुत किया उनके अनुसार एक अनुकूलतम जोत वह होती है जो कृषि करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए पूर्ण रोजगार जुटा सके।<sup>4</sup>

इरी सन्दर्भ में श्री आहूजा ने 1970-71 के एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया कि राजस्थान में कृषि क्षेत्रों में रवि फसलों के मारसम के समय 36.2 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूर थे।<sup>5</sup> श्री भारद्वाज और दवे ने श्रमिकों की मांग और पूर्ति के आधार पर अनुमान लगाया कि 5.2 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूर थे।<sup>6</sup> श्री माथुर ने 1955 में आकड़ों के विश्लेषण द्वारा अनुमान लगाया कि यूपी (उत्तर प्रदेश) में 8.8 प्रतिशत, पंजाब में 4.5 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 31.1 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूर थे।<sup>7</sup>

नुआरवलि जिले के एक साविलपुर गाँव में अध्ययन के पश्चात् श्री मेहरा ने भारतीय कृषि में 17.1 प्रतिशत अतिरिक्त श्रम शक्ति को आकलित किया।<sup>8</sup>

मि साधवी ने 1956-57 में मेसूर जिले के दो गाँव के अध्ययन के पश्चात् यह ज्ञात किया कि कृषि में 47.20 प्रतिशत अतिरिक्त श्रम शक्ति थी।

श्री रूद्रा ने अतिरिक्त श्रम का कुछ निम्न अनुमान लगाया—हुगली जिले के 148 खेतों के आकड़ों का विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि कृषि उत्पादन को प्रभावित किये बिना 27 प्रतिशत पुरुष श्रम शक्ति को हटाया जा सकता है।<sup>9</sup>

- 
- 5 Ahuja, K "Agricultural Under Employment in Rajasthan", Economics and Political Weekly, September 1973, pp 101-6
  - 6 Bhardwaj, V.P. and P.K. Dave "Measurement of Rural Unemployment in Gujarat" Artha Vikas January-June 1976
  - 7 Mathur, A "The Anatomy of Disguised Unemployment" Oxford Economic Paper July 1964, pp 161-193
  - 8 Mehra, S "Surplus Labour in Indian Agriculture Indian Economic Review, Vol-I April, 1966 pp 114-26
  - 9 Rudra, A "Direct Estimation of Surplus Labour in Agriculture Economic and Political Weekly February, 1973, pp 277-80



पार्था सारथी और रामाराव के अनुसार 1971-72 के अन्तर्गत पश्चिमी गोदावरी जिले (आन्ध्रप्रदेश) में कृषि में 20.6 प्रतिशत बेरोजगारी थी।<sup>10</sup>

NSS के 32वें दौर में 1977-78 के वर्षों में आकड़ों के एकत्रीकरण के अनुसार मि. सुब्राह्मनियम ने बेरोजगारी की दर को आन्ध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के कृषि श्रमिकों के लिए 16.49 प्रतिशत अनुमानित किया (पुरुषों के लिए 14.04 प्रतिशत और स्त्रियों के लिए 21.18 प्रतिशत खेतिहर श्रमिकों के लिए 2.49 प्रतिशत और अन्य दूसरों के लिए 4.42 प्रतिशत)<sup>11</sup>

उपरोक्त निष्कर्षों से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृषि से अतिरिक्त श्रम शक्ति को हटाने के लिए गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए।

---

10 Partha Sarathy, G G D RamaRao, "Employment and Unemployment Among Rural Household - A study of West Godavari District Economic and Political Weekly-Review of Agriculture December 29, 1973 pp 118-32

11 Subrahmanyams "Poverty Unemployment and Perspective of Development" Chugh Publications Allahabad 1987 pp 99)

रोजगार कार्यक्रमों के  
अन्तर्गत रोजगार और  
आय का सृजन

## अध्याय 9

- 9.0. रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन
- 9.1 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित परिवारो द्वारा प्राप्त रोजगार
- 9.2 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा विभिन्न मौसमो मे प्राप्त रोजगार
- 9.3 चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय

## अध्याय 9

# रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन

---

### 9.1 रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित परिवारों द्वारा प्राप्त रोजगार

प्रस्तुत अध्याय में रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारों के द्वारा प्राप्त रोजगार सृजन का उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि चयनित 87 परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या 574 थी जिनमें कुल 266 कर्मकर पाये गये। रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में चयनित कर्मकर परिवारों को कुल 2,521 मानव दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ अर्थात् प्रति कर्मकर को 9 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ। तालिका 91 के आकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि चयनित 266 कर्मकरों में 204 पुरुषों (11 दिन प्रति कर्मकर), 49 महिलाएँ (1 दिन प्रति कर्मकर) और 13 बच्चों (11 दिन प्रति कर्मकर) ने रोजगार प्राप्त किया। इससे एक तथ्य यह स्पष्ट हुआ कि महिला कर्मकरों को पुरुष कर्मकर की तुलना में बहुत ही कम रोजगार उपलब्ध हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि सामाजिक रीति रिवाजों के कारण महिलाएँ कार्य स्थल पर जाने में सकोच करती थी, इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों के दूर होने के कारण महिलाएँ पहुँचने में असमर्थ थी। इन कार्यक्रमों द्वारा कुल रोजगार सृजन का हिस्सा पुरुष, महिला और बाल कर्मकरों में परस्पर क्रमशः 92 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 6 प्रतिशत था जो यह सूचित करता है कि महिला और बाल कर्मकरों की तुलना में पुरुष कर्मकर को कार्यक्रम के द्वारा अधिक रोजगार प्राप्त हुआ।

अग्रलिखित तालिका 92 में प्रदर्शित आकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न व्यावसायिक कार्य से जुड़े हुए 204 पुरुष कर्मकरों में कृषि श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक, कारीगर और सीमान्त किसान रोजगार योजनाओं के मुख्य लाभ प्राप्तकर्ता थे। रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार में उनका हिस्सा कुल 2318 मानव दिवस का था अर्थात् कुल रोजगार के 2521 दिन का 92 प्रतिशत। जिनमें गैर कृषि श्रमिक और

कारीगरो के प्रति कर्मकर 14 दिन का अन्य व्यावसायिक कार्यों से जुड़े हुए परिवारो की अपेक्षा अधिक रोजगार प्राप्त किया। जबकि औसत कृषि श्रमिक के प्रति कर्मकर को केवल 11 दिन और सीमान्त कृषको के प्रति कर्मकर 9 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त हुआ। जैसा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कृषि श्रमिको की तुलना मे गैर कृषि श्रमिक इन कार्यक्रमो के द्वारा अधिक रोजगार पाते थे, ऐसा इसलिए था क्योकि इन योजनाओ के अन्तर्गत गैर कृषि काम अधिकतर पूरे साल उपलब्ध रहता था। कृषि श्रमिक इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत केवल कृषि से सम्बन्धित कार्यों मे मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करते थे, जबकि गैर कृषि श्रमिको और कारीगरो के विषय मे ऐसी स्थिति नही थी। वे रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यों (गैर कृषि कार्य) को करते थे और सम्भवत इन्ही तथ्यो के कारण गैर कृषि मजदूरो ने कृषि श्रमिको की अपेक्षा इन कार्यक्रमो के द्वारा अधिक रोजगार प्राप्त किया। लघु कृषक (1 से 2 हेक्टेयर भूमि को रखने वाले) इन कार्यक्रमो के द्वारा अधिक दिन का रोजगार प्राप्त नही हुआ जैसे कि वर्ष मे प्रति कर्मकर 2 दिन के लिए रोजगार प्राप्त करते थे। आकडो के अध्ययन के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि, अन्य कृषको से सम्बन्धित परिवार इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत वर्ष मे 2 दिन का रोजगार प्राप्त किया क्योकि अपने भूमि जोतो मे कार्य के अवसरो की अधिकता के कारण तथा कम मजदूरी दर पर वे इन कार्यक्रमो मे रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास नही करते थे। इसके अतिरिक्त मिश्रित व अन्य व्यावसायिक धन्धो से जुड़े हुए प्रति कर्मकरो को भी इन कार्यक्रमो के द्वारा कम दिन का ही रोजगार प्राप्त हुआ।

### तालिका 9.1

#### चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त रोजगार दिवस

श्रेणी	कर्मकरो की सख्या	कुल रोजगार दिवस	प्रति कर्मकर दिवस
पुरुष	204	2318	11
स्त्री	49	56	1
बच्चे	13	147	11
<b>कुल</b>	<b>266</b>	<b>2521</b>	<b>9</b>

तालिका 9 2

विभिन्न व्यावसायिक वर्ग में सम्मिलित कर्मकरो द्वारा प्राप्त रोजगार

व्यावसायिक वर्ग	पुरुष				स्त्री				बच्चे				योग		
	कर्मकरो की संख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस	कर्मकरो की संख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस	कर्मकरो की संख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस	कर्मकरो की संख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस	कर्मकरो की संख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस
कृषक वर्ग															
सीमान्त कृषक	57	627	11	12	11	1	4	33	8	73	671	9			
लघु कृषक	16	37	2	5	-	-	-	-	-	21	37	2			
अन्य कृषक	5	10	2	-	-	-	-	-	-	5	10	2			
गैर कृषक वर्ग															
कारीगर	20	329	17	5	14	3	1	10	10	26	353	14			
मिश्रित व अन्य	21	30	1	5	-	-	-	-	-	26	30	1			
व्यावसायिक वर्ग															
मजदूर वर्ग															
कृषि मजदूर	44	625	14	10	9	1	4	15	4	58	649	11			
गैर कृषि मजदूर	41	660	16	12	22	2	4	89	22	57	771	14			
योग	204	2318	11	49	56	1	13	147	11	266	2521	9			

स्रोत - सर्वेक्षण

## 9.2 रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा विभिन्न मौसमों में प्राप्त रोजगार

सर्वेक्षण से प्राप्त तालिका 9 3 के आकड़ों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सन्दर्भ वर्ष में प्रत्येक माह में सृजित कृषि मौसमों के दिनों को मिलाकर कुल 53,679 मानव दिवस के रोजगार सृजन के अन्तर्गत (266) कर्मकरों ने 2521 दिन का रोजगार, रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया। इस प्रकार कुल 53,679 मानव दिवस रोजगार के अन्तर्गत 24158 दिन मजदूरी रोजगार सृजित हुआ। आकड़ों को विश्लेषण की दृष्टि से प्रत्येक माह में प्राप्त किये गये विभिन्न कृषि मौसमों के अनुसार व्यस्त समय से लेकर मंद समय तक के दिनों में विभाजित किया गया इससे यह ज्ञात हुआ कि कुल रोजगार दिन में जुलाई-सितम्बर और अप्रैल-जून माह के व्यस्त मौसम की तुलना में जनवरी-मार्च के माह में कम दिन रोजगार के लिए उपलब्ध हुआ। जुलाई-सितम्बर माह में कुल 6,646 दिन के मजदूरी रोजगार के विरुद्ध जनवरी-मार्च के मन्द समय में 5,165 दिन और रोजगार कार्यक्रम द्वारा 891 दिन रोजगार उपलब्ध हुआ।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि औसत कर्मकरों द्वारा रोजगार कार्यक्रम के दिन कुल रोजगार के दिन का 47 प्रतिशत और मजदूरी रोजगार का 104 प्रतिशत प्राप्त किया गया। सरकारी वार्तालापो व पूछताछ के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि, गैर कृषि से सम्बन्धित ग्रामीण कार्य जैसे कि लिक रोडों, नालों, सिंचाई के लिए नहरों तथा भवन इत्यादि के निर्माण कार्य एक बार प्रारम्भ हो जाने पर उन्हें लगातार समयों में पूरा करने का प्रयास किया गया, क्योंकि कर्मचारियों व ऑफिसरों का यह विचार था कि यदि भूमि से सम्बन्धित इस प्रकार के कार्यों को अधूरा छोड़ दिया जाएगा, तो बरसात के मौसम में निर्माण कार्य में कठिनाई हो सकती है। अतः इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण गरीब मजदूरों को मंद मौसम में कृषि से सम्बन्धित रोजगार दिलाने की अपेक्षा गैर कृषि कार्य ही जैसे ग्रामीण परिसम्पत्तियों का निर्माण इत्यादि कराते थे। क्योंकि रोजगार कार्यक्रमों के ऑफिसर व कर्मचारी सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की अपेक्षा अपने लक्ष्य की पूर्ति में अधिक रूचि रखते थे।

सक्षेप में यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य आवश्यकता के आधार पर नहीं अपितु लक्ष्य को पूरा करने के लिए किये गये।

आकड़ों के विश्लेषण से यह सूचित होता है कि विभिन्न कृषि मौसमों में व्यावसायिक वर्गों के अन्तर्गत चयनित औसत (266) कर्मकर रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा 9 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त करते थे। जबकि कर्मकरों के द्वारा औसत 91 दिन वार्षिक मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ था।

यह भी देखा गया कि चयनित औसत कर्मकरों में सम्मिलित एक कृषि श्रमिक जुलाई-सितम्बर और अक्टूबर-दिसम्बर के माह में 2 से 3 दिन और जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून के माह में क्रमशः 5 और 1 दिन कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार प्राप्त करते थे अर्थात् इन परिवारों के कर्मकरों द्वारा रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न कृषि मौसमों में कुल 11 दिन का वार्षिक रोजगार आकलन किया गया। इसके विरुद्ध में एक गैर कृषि श्रमिक और कारीगर परिवारों ने विभिन्न कृषि मौसमों में औसत 14 दिन का वार्षिक रोजगार, रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त किया। आकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त एक तथ्य यह निकलता है कि एक कृषि श्रमिक कर्मकरों की तुलना में गैर कृषि कर्मकरों को रोजगार कार्यक्रमों से अधिक दिन का रोजगार प्राप्त हुआ दूसरा मुख्य तथ्य यह भी था कि रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में गैर कृषि से सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता थी। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि विभिन्न कृषि मौसमों में एक सीमान्त कृषक को कुल 57 दिन के वार्षिक मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ और रोजगार कार्यक्रमों से प्रत्येक महीने के कुल 9 दिन वार्षिक रोजगार प्राप्त किया। एक लघु कृषक परिवार को 17 दिन के वार्षिक मजदूरी रोजगार और प्रत्येक माह में औसत 2 दिन इन कार्यक्रमों से वार्षिक रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार तालिका यह भी स्पष्ट करती है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित औसत कर्मकर परिवार जुलाई-सितम्बर और अप्रैल-जून के प्रत्येक महीने में औसत 2 दिन इन कार्यक्रमों से रोजगार प्राप्त करते थे और जनवरी-मार्च के मजदूरी मौसम में तीन दिन रोजगार प्राप्त किया। इस प्रकार बेरोजगार परिस्थितियों में रहने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य उपलब्ध रहता था, परन्तु स्थानीय ठेकेदारों की उपस्थिति के कारण इन कार्यों से ग्रामीण बेरोजगार गरीब



परिवार लाभ नहीं उठा पाते थे क्योंकि अधिकतर कार्य उन्ही ठेकेदारों के नियमित कराये जाते थे। इन्ही कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजनाएँ ग्रामीण गरीबों को स्थानीय ठेकेदारों के शोषण से मुक्त नहीं करा सकी थी। अतः हमारी ये परिकल्पना कि “रोजगार योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियान्वित की गईं” उपयुक्त नहीं रही, क्योंकि स्थानीय ठेकेदारों की उपस्थिति से इनके कार्य संचालन में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि नमूने के एक आदर्श कर्मकर को प्रति माह केवल 0.75 दिन का ही रोजगार प्राप्त हुआ। इससे गरीब ग्रामीण मजदूरों के रोजगार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई जिससे ग्रामीण गरीबों की बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सकता। अतः ये परिकल्पना कि “रोजगार परक योजनाओं से ग्रामीण बेरोजगारी नियंत्रित” हुई है उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है। दूसरी यह परिकल्पना कि रोजगार परक कार्यक्रमों से ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है विशेष रूप से सार्थक नहीं है क्योंकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार से प्राप्त आय के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार सम्भव नहीं हुआ।

### तालिका 9.3

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकारों द्वारा विभिन्न मौसमों में प्राप्त रोजगार

माह	रोजगार कार्यक्रमों के दिवस से प्रतिशत					
	कुल रोजगार दिवस	मजदूरी रोजगार	रोजगार कार्यक्रम	कुल रोजगार से %	मजदूरी रोजगार से %	
जुलाई-सितंबर (खरीफ बुवाई)	14,822	6,846 (26)	400 (2)	27	58	
अक्टूबर-दिसम्बर (खरीफ+कटाई+रबी बुवाई)	13,030	5,772 (22)	723 (3)	55	12.5	
जनवरी-मार्च (निराई-गुडाई)	11,280	5,165 (19)	891 (3)	79	17.3	
अप्रैल-जून (रबी कटाई)	14,547	6,375 (24)	507 (2)	35	8.0	
<b>योग</b>	<b>53,679</b>	<b>24,158 (91)</b>	<b>2,521 (9)</b>	<b>47</b>	<b>10.4</b>	

स्रोत : सर्वेक्षण

### 9.3. चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा रोजगार कार्यक्रमों से प्राप्त आय

सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारों को 2521 दिन के रोजगार, सृजन के द्वारा कुल 22,592 रुपए की आय उपार्जित हुई जो कि प्रति परिवार 259 रुपए आकलन की गई जिसे तालिका 9 4 में प्रस्तुत किया गया है।

आकड़ों के अध्ययन से यह भी सूचित होता है कि व्यावसायिक वर्गों में सम्मिलित अन्य कृषक और मिश्रित व अन्य व्यावसायिक कार्यों से जुड़े हुए परिवार को आय कम प्राप्त हुई, इसका कारण यह है कि इन परिवारों को रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा कम दिन रोजगार उपलब्ध हुआ। सर्वेक्षण के द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि 27 कृषि श्रमिक के परिवार कुल 7290 रुपए की आय रोजगार कार्यक्रमों से प्राप्त करते थे जिसमें प्रत्येक परिवार को 270 रुपए की आय उपार्जित हुई। इसके विरुद्ध गैर कृषि श्रमिकों के 19 परिवार 7,410 रुपए की कुल आय रोजगार से प्राप्त किया जिसे प्रति परिवार 390 रुपए आकलित किया गया। इन आकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि कृषि श्रमिक परिवारों की अपेक्षा गैर कृषक परिवार को रोजगार के द्वारा अधिक आय प्राप्त हुई इस तथ्य का एक मुख्य पहलू यह है कि कृषि श्रमिक परिवार अधिकांशतः कृषि से सम्बन्धित कार्यों में व्यस्त रहते थे। केवल गैर कृषि मौसमों में ही उन्हें रोजगार की आवश्यकता पड़ती थी। जबकि प्रतिदर्श में मजदूर वर्ग से गैर कृषि श्रमिक परिवारों ने कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि कार्यों में अभिरूचि रखने के कारण रोजगार कार्यक्रमों से अधिक आय प्राप्त किया। क्योंकि वे पूरे साल रोजगार कार्यक्रमों में भाग लेते थे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि रोजगार कार्यक्रमों से कारीगरों की कुल 3,652 रुपए की आय की तुलना में, सीमान्त कृषक को 2,000 रुपए की आय उपार्जित हुई। इन सबके विपरीत 240 रुपए की कुल आय लघु कृषक परिवार प्राप्त करते थे जिसमें लघु कृषकों को 40 रुपए, प्रति परिवार आय प्राप्त होती थी।

अग्रलिखित तालिका 9 5 में विभिन्न व्यावसायिक वर्गों के अन्तर्गत

चयनित प्रति परिवार कर्मकरो की कुल आय, और इसमे सम्मिलित मजदूरी आय का प्रतिशत, रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार आय के आकलन के आधार पर किया गया है। इससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित एक कृषक वर्ग के परिवार कुल 3151 रुपये की आय प्राप्त करते थे इसके अन्तर्गत उनकी कुल 2,251 रुपये की मजदूरी आय जोड़ी गयी थी। रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार 270 रुपये, उनकी कुल आय का लगभग 9 प्रतिशत और मजदूरी आय का 12 प्रतिशत आकलित किया गया। सर्वेक्षण के द्वारा एक गैर खेतिहर श्रमिक को मजदूरी उपभोग का 10 प्रतिशत और कुल आय का 7 प्रतिशत रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार 390 रुपये की आय के द्वारा जाना गया।

इसी प्रकार औसत परिवार मे सम्मिलित एक कारीगर और सीमान्त किसानो के रोजगार उपार्जन से क्रमश 332 रुपए (उनकी कुल आय का लगभग 7 प्रतिशत) और 200 रुपए (उनकी कुल आय का 4 प्रतिशत) आकलित किया गया। लघु कृषक परिवारो द्वारा प्रति परिवार 1,448 रुपये की मजदूरी आय, को जोडकर कुल 7,530 रुपये की आय प्राप्त की गई। रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त प्रति परिवार 40 रुपये, उनकी कुल आय का 0.5 प्रतिशत और मजदूरी आय का 3 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर तालिका 9.5 मे एकत्र किये गये आकडो के विश्लेषण के उपरान्त इस निष्कर्ष का सक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है कि प्रतिदर्श मे औसत प्रति परिवारो की मजदूरी आय (2,046) रुपये को जोडकर कुल 5,063 रुपये की आय आकलित की गई जो कि रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त 259 रुपये उनकी कुल आय का क्रमश 5.1 प्रतिशत और मजदूरी आय का 12.6 प्रतिशत है अत इसका अभिप्राय यह है कि इन कार्यक्रमो से उपार्जित आय उनकी आर्थिक सहायता के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्योंकि रोजगार कार्यक्रमो द्वारा चयनित परिवारो को 22,592 रुपये की सहायता दिये जाने के बाद भी प्रति परिवार औसत आय 5063 से 5322 रुपये प्राप्त हुई, जो कि गरीबी रेखा के मानक 6,400 रुपये से काफी नीचे रही।

तालिका 9 4

रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त चयनित परिवारो की आय

व्यावसायिक वर्ग	कुल परिवार	रोजगार कार्यक्रम से प्राप्त आय	प्रति परिवार आय
<b>कृषक वर्ग</b>			
सीमान्त कृषक	10	2,000	200
लघु कृषक	6	240	40
अन्य कृषक	2	200	100
<b>गैर कृषक वर्ग</b>			
1 कारीगर	11	3,652	332
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	12	1,800	150
<b>मजदूर वर्ग</b>			
कृषि मजदूर	27	7,290	270
गैर कृषि मजदूर	19	7410	390
<b>योग</b>	<b>87</b>	<b>22,592</b>	<b>259</b>

स्रोत सर्वेक्षण

तालिका 9 5

कुल आय मे मजदूरी रोजगार एव रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय के प्रतिशत आकडे

व्यावसायिक वर्ग	कुल आय (प्रति परिवार)	मजदूरी आय (प्रति परिवार)	रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय (प्रति परिवार)	कुल आय से %	मजदूरी आय से %
<b>कृषक वर्ग</b>					
सीमान्त कृषक	5,250	1,155	200	3.8	17.3
लघु कृषक	7,530	1,448	40	0.5	2.8
अन्य कृषक	12,460	—	100	0.8	—
<b>गैर कृषक वर्ग</b>					
कारीगर	4,870	1,411	332	6.8	23.5
मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	6,390	517	150	2.3	29.0
<b>मजदूर वर्ग</b>					
कृषि मजदूर	3,151	2,251	270	8.6	12.0
गैर कृषि मजदूर	5,398	3,961	390	7.2	9.8
औसत	5,063	2,046	259	5.1	12.7

स्रोत सर्वेक्षण

उपर्युक्त विश्लेषण से मुख्य निष्कर्ष यह है कि रोजगार कार्यक्रमों ने ग्रामीण परिवारों को इतना लाभान्वित नहीं किया जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति अपेक्षा के अनुरूप सुधर सके।

स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय 4,40,484 रुपए में रोजगार कार्यक्रमों द्वारा उपार्जित कुल 22,592 रुपए की आय जोड़ने पर कुल 4,63,076 रुपए की आय प्राप्त की गई जो कि प्रति परिवार औसत 5,322 रुपए आकलित की गई यह वर्तमान मानक 6400 रु की गरीबी रेखा से काफी नीचे रही है।

इस तथ्य से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि सरकार द्वारा रोजगार संचालन का कार्यक्रम रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने में कोई विशेष सफल नहीं रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

## अध्याय 10

### 10.0 निष्कर्ष एवं सुझाव

10.1 निष्कर्ष

10.2 रोजगार कार्यक्रमों की समस्याएँ

10.3 रोजगार कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के सुझाव

10.4 रोजगार कार्यक्रमों के विषय में ग्रामीणों एवं कर्मचारियों के विचार

## अध्याय 10

# निष्कर्ष एवं सुझाव

### 10.1 निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए —

- 1 87 परिवारों के प्रतिदर्श में कृषकों के 18 और गैर-कृषकों के 23 एव मजदूर वर्ग के 46 परिवार सम्मिलित पाये गये। प्रतिदर्श में कृषक परिवारों में तीन श्रेणियों के परिवार सम्मिलित थे। सीमान्त कृषक (10) लघु कृषक (6) अन्य कृषक (2) गैर-कृषक वर्ग में कारीगर व मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवार पाये गये जबकि मजदूर वर्ग में कृषि मजदूर और गैर कृषि मजदूर थे। प्रतिदर्श में सम्मिलित परिवारों में सदस्यों की संख्या 574 थी जिनमें 266 अर्थात् 46.3 प्रतिशत कार्यशील सदस्य थे। चयनित परिवारों की भूमि जोतो का औसत आकार 0.40 हेक्टेयर आका गया है।
- 2 इन परिवारों की कुल रुपये 4,77,663 की सम्पत्ति थी जो प्रति परिवार औसत सम्पत्ति थी 5,490 रुपये आकलित की गयी रोजगार के द्वारा कुल रुपये 4,40,484 मात्र की आय स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त की गई जो प्रति परिवार रुपये 5,063 वार्षिक आय के रूप में थी। चयनित कर्मकर परिवारों की आय में विभिन्नताओं के कारण ही लघु कृषक और अन्य कृषक परिवारों को छोड़कर शेष परिवार गरीब व कमजोर आर्थिक स्थिति के थे।
- 3 चयनित परिवारों में सम्मिलित 266 कर्मकरों में 204 पुरुष, 49 महिलाएँ और 13 बाल कर्मकर पाये गये। चयनित कर्मकर परिवारों ने आलोच्य वर्ष में 53,679 दिन का कुल रोजगार प्राप्त किया अर्थात् औसत श्रमिक को 202 दिन का वार्षिक रोजगार



उपलब्ध हुआ जो कि 17 दिन प्रतिमाह आकलित किया गया। औसत श्रमिक (266) के 202 दिन के वार्षिक रोजगार में 111 दिन का स्वरोजगार और 91 दिन का मजदूरी रोजगार सम्मिलित था। औसत कर्मकरो को कृषि मौसम के मन्द मौसम में 42 दिन अर्थात् 14 दिन प्रतिमाह और व्यस्त मौसम में 55 दिन अर्थात् 18 दिन प्रतिमाह का रोजगार प्राप्त हुआ।

- 4 इस प्रकार औसत कर्मकर को मन्द मौसम में वार्षिक कुल 42 दिन में 19 दिन (6 दिन प्रतिमाह) कृषि क्षेत्र में मजदूरी रोजगार और 23 दिन स्वरोजगार प्राप्त हुआ। जबकि व्यस्त मौसम में वार्षिक कुल 55 दिन में 24 दिन (8 दिन प्रतिमाह) स्वरोजगार प्राप्त किया। इससे यह प्रतीत होता है कि कृषि मौसमों का गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में मजदूरी रोजगार पर विशेष प्रभाव पडा।
- 5 जहाँ तक बेरोजगारी का प्रश्न है 250 दिन के पूर्ण रोजगार के स्तर के विरुद्ध चयनित परिवारों के औसत कर्मकर एक साल में 48 दिन अर्थात् एक महीने में 4 दिन बेरोजगार रहते थे।
- 6 रोजगार कार्यक्रमों द्वारा चयनित कर्मकर परिवारों को आलोच्य वर्ष में कुल 2,521 मानव दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ जो कि प्रति कर्मकर 9 दिवस का रोजगार आकलित किया गया। 204 पुरुषों को 2318 मानव दिवस (11 दिन प्रतिकर्मकर) 49 महिलाएँ 56 दिन (1 दिन प्रति कर्मकर) और 13 बच्चों को 147 दिन (11 दिन प्रतिकर्मकर) रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुरुष कर्मकरो ने कुल रोजगार कार्यक्रमों से प्राप्त रोजगार का 92 प्रतिशत प्राप्त किया और महिला एवं बाल कर्मकरो को क्रमशः 2,6 प्रतिशत ही रोजगार प्राप्त हुआ। 2521 मानव दिवस के रोजगार सृजन के द्वारा कुल 22,592 रुपए की आय उपार्जित की गई जो कि प्रति परिवार 259 रुपए थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अतिरिक्त आय को सम्मिलित करने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले एक औसत परिवार की आमदनी में कोई विशेष सुधार सम्भव नहीं हुआ।

- 7 आकडो के विश्लेषण से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला कि कृषि मजदूर बुवाई और कटाई के समय रोजगार कार्यक्रमो मे भाग नही लेते थे क्योकि इन अवसरो पर उन्हे कृषि कार्यों मे ही पर्याप्त रोजगार मिल जाता था जबकि गैर कृषि मजदूर और कारीगर इन मौसमो मे भी रोजगार कार्यक्रमो मे कार्य करने के लिए उपलब्ध रहते थे ।
- 8 सर्वेक्षण से यह भी विदित हुआ कि कृषि मजदूर रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत केवल कृषि से सम्बन्धित कार्यों मे ही अभिरूचि रखते पाये गये जबकि गैर कृषि मजदूर और कारीगरो के विषय मे ऐसी स्थिति नही थी वे रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यों को भी करते थे । सम्भवत इसी कारण से गैर कृषि मजदूरो ने कृषि मजदूरो की अपेक्षा इन कार्यक्रमो से अधिक रोजगार प्राप्त किया जबकि अन्य धन्धो से जुडे हुए कर्मकरो ने इन कार्यक्रमो से कम दिन का रोजगार प्राप्त किया क्योकि वे अपने मुख्य व्यवसाय जैसे व्यापार इत्यादि से अधिक आय प्राप्त करते थे ।
- 9 आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्न कृषि मौसमो मे रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कृषि मजदूर परिवारो ने कुल 11 दिन प्रति कर्मकर का वार्षिक रोजगार प्राप्त किया जबकि गैर कृषि मजदूर परिवारो को कुल 14 दिनो का वार्षिक रोजगार उपलब्ध हुआ जो कि कृषक मजदूरो की अपेक्षा अधिक था ।
- 10 सर्वेक्षण से एक और उल्लेखनीय तथ्य प्रस्तुत हुआ कि पुरुष कर्मकरो की तुलना मे स्त्री कर्मकरो को बहुत ही कम रोजगार उपलब्ध हुआ । स्त्री कर्मकर सामाजिक परिस्थितियो तथा कार्यस्थल की दूरी के कारण रोजगार कार्यक्रमो का अपेक्षित लाभ प्राप्त नही कर सकी ।
- 11 रोजगार कार्यक्रमो के मूल्याकन से यह भी विदित हुआ कि इन कार्यक्रमो के लक्ष्यो की पूर्ण प्राप्ति नही की जा सकी । समय—समय पर इनके सचालन मे आने वाली अनेक समस्याओ से रोजगार कार्यक्रमो के क्रियान्वयन मे बाधा उपस्थित होती रही जिनसे लक्ष्य प्राप्ति न हो सकी । कुछ प्रमुख समस्याए जैसे कार्यक्रमो मे

ठेकेदारों की उपस्थिति कर्मचारियों में सहयोग एवं समन्वय की कमी, जनसहभागिता का अभाव, कार्यक्रमों में समायोजन का अभाव, कार्य की रूप रेखा एवं उनके कार्यान्वयन में कमी, कार्यक्रमों में प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों का अभाव, धन के आबटन में उत्पन्न अनियमितताएँ इत्यादि उल्लेखनीय बाधाएँ थीं।

- 12 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह परिकल्पना कि रोजगार योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियान्वित की गईं पुष्ट नहीं हुईं क्योंकि स्थानीय ठेकेदारों की उपस्थिति से इनके कार्य संचालन में बाधाएँ उपस्थित हुईं थीं।  
अन्य अवांछित समस्याओं ने भी कार्यक्रमों को विधिवत सम्पन्न नहीं होने दिया।
- 13 यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य आवश्यकता के आधार पर नहीं अपितु लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए गये। मन्द मौसम में रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा गरीब मजदूरों से कृषि से सम्बन्धित रोजगार दिलाने की अपेक्षा गैर कृषि कार्य कराये गये।
- 14 एक औसत कर्मकर को प्रतिमाह 0.75 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ इससे गरीब ग्रामीण मजदूरों के रोजगार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। यह परिकल्पना भी कि रोजगार-परक योजनाओं से ग्रामीण बेरोजगारी नियंत्रित हुई है पुष्ट नहीं हुई।
- 15 यह परिकल्पना कि रोजगार-परक कार्यक्रमों से ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है सिद्ध नहीं हुई क्योंकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार से प्राप्त आय के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार सम्भव नहीं हुआ।
- 16 स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय में रोजगार कार्यक्रमों द्वारा उपार्जित आय जोड़ने पर कुल 4,63,076 रुपए की आय प्राप्त की गयी जो कि प्रति परिवार औसत 5,322 रुपए आकलित की गई यह वर्तमान मानक 6400 रुपए की गरीबी रेखा से काफी नीचे रही है इस तथ्य से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि सरकार द्वारा रोजगार संचालन का कार्यक्रम रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने में कोई विशेष सफल नहीं रहा है।

## 10.2 रोजगार कार्यक्रमों की समस्यायें

हमारे देश की भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यहाँ की लगभग 74.3 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इस प्रकार प्रत्येक चार भारतीय में से तीन भारतीय गाँवों में रहते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 34 प्रतिशत है, तथा देश के निर्यात मूल्य का लगभग 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से ही आता है। अतः यह निर्विवाद है कि भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि, सिंचाई, पशुपालन, परिवहन एवं संचार स्वास्थ्य सहकारिता, ग्रामीण उद्योग आदि के विकास पर विशेष बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त कृषि का मौसमी स्वरूप तथा लघु एवं कुटीर उद्योग की दयनीय स्थिति, और गरीब परिवार की भूमिहीन महिलाओं, इत्यादि को व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने एवं अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु विभिन्न रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। जिससे ग्रामीणों की रोजगार की व्यवस्था एवं गरीबी को दूर किया जा सके।

जैसा कि आधुनिक भारत के निर्माता प. जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा है —

‘ग्रामीण भारत की बेरोजगार एवं अपूर्ण रोजगार प्राप्त जनता की परेशानियों को कम करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रयास है।’

विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन से यह विदित हुआ कि इनका लाभ लगभग कुछ ग्रामीण गरीबों तक पहुँच रहा है। लक्ष्य प्राप्ति में भी कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त हुई, परन्तु आय बढ़ाने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियाँ लगभग आधी ही रही हैं। समय-समय पर इनके संचालन कार्य में आने वाली समस्याओं से रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधा उपस्थित होती रही जिससे लक्ष्य प्राप्त न हो सकी। रोजगार कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार प्रस्तुत हैं —

---

1. शिवेन्द्र नारायण सिंह “ग्रामीण बेरोजगारी एवं रोजगार योजनाएँ” कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 1989, पृष्ठ सं 35

## 1. कर्मचारियों में सहयोग एवं समन्वय की कमी अथवा जनसहभागिता का अभाव :

रोजगार कार्यक्रमों का लाभ उन लोगों को प्राप्त नहीं हो सका है, जिनके लिए ये योजनाएँ शुरू की गई थीं। इसका प्रमुख कारण जनसाधारण की इन योजनाओं के प्रति अज्ञानता, तथा कार्यक्रम सम्बन्धी इन योजनाओं की जटिल प्रक्रियाएँ हैं, इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों के प्रति, कर्मचारियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव भी पाया जाता है जिसके फलस्वरूप वे अपने व्यक्तियों को कार्यक्रमों का लाभ दिलाने में सफल हो जाते हैं, तथा जरूरतमद वंचित रह जाते हैं।

## 2. कार्यक्रमों में समायोजन का अभाव

सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय स्तर पर बनाये गये कार्यक्रम, सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू कर दिए जाते हैं जबकि इन कार्यक्रमों में क्षेत्र-विशेष के अनुसार आवश्यक समायोजन का अभाव है। उदाहरण स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ मैदानी क्षेत्रों से पूर्णतः भिन्न हैं केवल इतना ही नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किये जानेवाले इन कार्यक्रमों का समायोजन वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। अतः कार्यक्रम की इन समस्याओं से लोगों को पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो सका है।

## 3. कार्य की रूपरेखा एवं उनके कार्यान्वयन में कमी

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा जिला परिषदों द्वारा नई योजना में नए कार्यों को शुरू कर दिया जाता है तथा अधूरे कामों को पूरा करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, और न ही नई योजना में नए कार्यों को शुरू करने से पहले उनके प्राथमिक सर्वेक्षण की कोई व्यवस्था की जाती है। जिससे कार्यों को उचित ढंग से संचालित करने में कठिनाईयाँ आती हैं।

## 4. कार्यक्रमों में ठेकेदारों की उपस्थिति

रोजगार कार्यक्रमों की प्रमुख समस्या ठेकेदारों की उपस्थिति है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले अधिकांश कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये जाते हैं। ठेकेदारों की इस उपस्थिति से इन कार्यक्रमों के कार्यों का लाभ

उन बेरोजगार गरीब परिवारों को प्राप्त नहीं हो पाता जो कि वास्तव में इन कार्यों के अधिकारी हैं।

## 5. कार्यक्रम में प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों का अभाव

योजनाओं में सम्मिलित प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों के अभाव के कारण समय-समय पर कार्यक्रमों के सफल कार्य संचालन में कठिनाईयाँ उपस्थित होती रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम चुनने, और उस पर अभल करने की योजना, बनाने का पूरा अधिकार निष्फल हो जाता है, और इस प्रकार कार्य का संचालन नियमित नहीं हो पाता है।

## 6. धन के आबंटन में अनियमितता

कार्यक्रम हेतु, धन के आबंटन तथा वास्तविक प्राप्ति की अवधि में पर्याप्त अन्तर होता है। इसका प्रमुख कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा धन का व्यर्थ कार्यों में खर्च होना, तथा निर्धारित धनराशि से कम धन वितरित करना, इत्यादि समस्याएँ पायी जाती हैं। जिसके फलस्वरूप विभिन्न जिलों में कार्यरत कार्यक्रमों के संचालन कार्य में धनराशि विलम्ब से प्राप्त (वितरित) होती है। जिससे रोजगार और परिसम्पत्तियों को उद्देश्यों के अनुरूप ठीक ढंग से पारित करने में विलम्ब होता है। अतः धन के आबंटन में अनियमितता रोजगार कार्यक्रमों की समस्याओं से जुड़ी है।

## 7. कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्ति में रूचि

अधिकारी वर्ग द्वारा इन कार्यक्रमों के केवल लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष बल दिया जाता है प्रायः वास्तविक लाभार्थी को खोजने में उनकी रूचि कम होती है। उदाहरण के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम में लाभार्थी को प्रशिक्षण हेतु भेजने से पूर्व उनकी रूचि आदि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता परिणामस्वरूप प्रशिक्षण के बाद भी लाभार्थी उस व्यवसाय को नहीं अपनाता। वस्तुस्थिति यह है कि लक्ष्य प्राप्ति ही अधिकारी की कुशलता एवं कार्यक्षमता का मापदण्ड बन गई है।

## 8. प्रशासनिक इकाइयों में समन्वय का अभाव :

हमारे देश में ग्रामीण प्रशासन बहुस्तरीय है एक ओर जिलाधिकारी, एस डी एम, तहसीलदार, चिकित्सक, शिक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, ग्रामीण

कार्यकर्ता आदि योजना के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा दूसरी ओर पचायती राज के प्रतिनिधि – सरपच, पच प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला प्रमुख आदि होते हैं। वे जिला प्रशासन में अधिकांश शहरी क्षेत्रों से आते हैं जो ग्रामीण परिवेश से पूर्णतः परिचित नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख अधिकारी होता है जिसे एक ओर पचायती राज के प्रतिनिधियों को सन्तुष्ट करना होता है तथा दूसरी ओर वह जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी भी होता है। इस प्रकार अधिकारों की सीमितता के कारण वह न तो अपने कर्मियों पर पर्याप्त नियंत्रण रख पाते हैं और न ही साधनों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में समन्वय स्थापित कर पाते हैं।

## **9. स्थानीय संस्थाओं की गैर मौजूदगी :**

जिला ग्रामीण विकास एजेंसिया अपने विभिन्न कार्यरत विभागों के माध्यम से भी स्थानीय संस्थाओं की गैर उपस्थिति के कारण कार्यक्रमों के कार्य निरीक्षण में समन्वय स्थापित करने में असफल रही हैं क्योंकि स्थानीय संस्थाओं की उपस्थिति से कार्यों को सुनिश्चित ढंग से संचालित किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाएँ समय-समय पर परियोजना के कार्यों पर भी दृष्टि रख सकती हैं।

## **10. सरकारी सेवाओं की मानसिकता :**

रोजगार कार्यक्रमों में सलग्न कर्मचारियों की ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति, परम्पराओं और समस्याओं के प्रति कोई अभिरूचि नहीं होती, अतः नियुक्ति के साथ ही वे अपने स्थानान्तरण हेतु प्रयत्नशील हो जाते हैं। जिससे इन कार्यक्रमों के संचालन में कठिनाई आती है। आवासीय तथा शहरी सुख सुविधाओं की कमी के कारण ये लोग अपनी नियुक्ति अवधि में भी गावों में रुकना नहीं चाहते।

उपरोक्त रोजगार योजनाओं की समस्याओं की विवेचना से यह दृष्टिगोचर होता है, कि ये कार्यक्रम अपने इच्छित तरीके से न तो ग्रामीण आय को मजबूत कर सकी, और न ही ग्रामीण बेरोजगारी को मिटा सकी। अतः इन कार्यक्रमों की आशातीत सफलता के लिए इनकी क्रियान्वयन प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, तथा कार्यक्रम की सफलता लक्ष्य-प्राप्ति पर आधारित न होकर लाभ परिमाण पर आधारित होनी

चाहिए। इन समस्याओं के निराकरण तथा रोजगार योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश व सुझाव हैं —

### **10.3. रोजगार परक कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के सुझाव**

#### **1. प्राथमिक सर्वेक्षण की तैयारी :**

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को प्रारम्भ करने से पहले उनका प्राथमिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है, जिससे कर्मचारियों द्वारा कार्य के गुण और दोषों पर विचार करके उसमें सुधार किया जा सके इससे कार्यक्रमों के संचालन कार्य में सुविधाजनक रूप से सफलता प्राप्त होती है।

#### **2. ठेकेदारों पर पाबंदी**

रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी कोई भी काम ठेकेदारों से नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए कोई बिचौलिया या मध्यस्थ एजेन्सी को भी शामिल नहीं करना चाहिए। जिससे मजदूरों का शोषण न हो सके और मजदूरी का पूरा लाभ बेरोजगार श्रमिकों को मिले इसके अतिरिक्त ठेकेदारों या बिचौलियों को दिए जाने वाले कमीशन से लागत न बढ़े। क्योंकि इनकी उपस्थिति रोजगार योजनाओं के मुख्य लक्ष्यों को निश्फल कर देती है।

इसका एक उपयुक्त उपाय यह भी हो सकता है कि शिक्षित युवकों को अपना एक संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए अथवा स्थानीय कार्यकर्ता को भी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हें इस प्रकार के कार्यों में सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रयत्न से कई प्रकार की समस्याओं जैसे — ठेकेदारों पर पाबंदी, योजनाओं की तकनीकी समस्याएँ, इत्यादि पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

#### **3. जनसाधारण की सम्पत्ति का रख रखाव :**

योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों को सम्बन्धित विभागों को सौंप देना चाहिए। ग्रामीणों की सम्पत्तियों की देखभाल के लिए उचित प्रबन्ध होना चाहिए।



चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय सस्थाओ को भी शामिल किया जा सकता है।

#### **4. नगद मजदूरी का भुगतान**

रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत खाद्यान्न के रूप मे मजदूरी का भुगतान किया जाता है, खाद्यान्नो मे मिलावट होने से मजदूरो को आपत्ति होती है। अत सभी मजदूरो को मजदूरी का नगद भुगतान किया जाना चाहिए।

रोजगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य स्थल पर मजदूरो को दी जाने वाली सुविधाए जैसे पीने का पानी उपलब्ध कराना, आराम करने के लिए शैड, तथा मजदूर महिलाओ के बच्चो के बालगृह के लिए मजदूरी मे से कोई कटौती नहीं करनी चाहिए।

#### **5. वित्तीय अनुमोदन की शीघ्रतर स्वीकृति**

वित्तीय एजेन्सियो (जैसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार) को योजना सम्बन्धी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु शीघ्र वित्त निर्गत करना चाहिए। जिससे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणो के विभिन्न विभागो के माध्यम से प्रत्येक जिलो मे धन वितरित किया जा सके, जिससे योजना सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यों को भी उद्देश्यो के अनुसार पूरा किया जा सकता है।

#### **6. गैर मौसम में कार्यों का कार्यान्वयन**

रोजगार योजनाओ द्वारा कार्य मुख्य रूप से गैर मौसम मे कराया जाना चाहिए, जब कृषि क्षेत्र मे श्रमिको को कम रोजगार उपलब्ध होता है, तभी गरीब ग्रामीण जन रोजगार योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है। इसलिए योजना को लागू करने वाली एजेन्सियो को ये निर्देशित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण कार्य गैर कृषि मौसम के समय मे किये जाने चाहिए।

#### **7. स्त्री श्रमिकों के लिए कार्य की व्यवस्था**

रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत साधारणत कठिन परिश्रम वाले कार्य जैसे नालो की खुदाई, निर्माण सम्बन्धी कार्य, ग्रामीण सडको की मरम्मत

इत्यादि महिला श्रमिकों के लिए उपयुक्त नहीं होता इसके अतिरिक्त ये सभी कार्य गाँव से कुछ दूर के क्षेत्रों में भी किये जाते हैं जहाँ महिला श्रमिक कार्य स्थलों के दूर होने के कारण पहुँच पाने में असमर्थ होती हैं। अतः रोजगार योजनाओं को उन सभी कार्यों को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने की प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें महिला श्रमिकों की भागीदारी को सरलता से सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कि पौध गृह का रख रखाव, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, दरी कालीन की बुनाई, अगरबत्ती बनाना, पापड़, अचार मुरब्बा बनाना इत्यादि।

## 8. प्रशिक्षकों को सुविधाएँ

योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे स्थानीय बाजार में उनके स्वरोजगार हेतु समानों की सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण इस लक्ष्य को निष्फल कर देती है। इसके अतिरिक्त आवश्यक कच्चे माल के क्रय हेतु वित्तीय कमी भी उन्हें स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने में असमर्थ होती है। अतः रोजगार योजनाओं द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। उदाहरणार्थ ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रारम्भ होते ही प्रशिक्षण की अवधि के समय टूलकिट सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धनराशि स्वरोजगार/सवेतन दोनों श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को देनी चाहिए। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि आवश्यक कच्चे माल की व्यवस्था व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि में प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से धनराशि कोष से उपलब्ध करायी जाए।

## 9. कोष के प्रयोग में सावधानी

रोजगार कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य व्यर्थ कार्यों में व्यय नहीं करना चाहिए। इससे रोजगार कार्यक्रमों के उपयोगी कार्य पद्धतियों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः कोष में निर्धारित धनराशि को उपयोगी कार्यों में व्यय करके धन का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे रोजगार और ग्रामीण परिसम्पत्तियों को पारित हुए उद्देश्यों के अनुसार बनाया जा सके।

## 10.

योजना द्वारा कार्यक्रम को रेखांकित करते समय ग्रामीणों के दृष्टिकोणों को आत्म विश्वास में लेना चाहिए जिससे वे अपने आप को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अहसास कर सकें और परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, एव रख रखाव इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों में आवश्यक सहयोग दे सकें।

## 11.

कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका चयन इस प्रकार से किया जाए जिससे कि पचायत के प्रत्येक गाँव को लाभ मिल सके।

## 12.

कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अर्थ संरचना एव विशेषज्ञों की कमी को यथाशीघ्र दूर किया जाए तभी इन कार्यक्रमों के संचालन कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है।

## 13.

रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पचायतों उन सभी प्रधान क्षेत्रों एव संसाधनों पर विशेष दृष्टि रखें जिनके निजी क्षेत्र के हाथों में चले जाने के बाद रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पचायतों की उपलब्धियों एव समस्याओं का भी समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

## 14.

कार्य का चयन, स्थल का चयन, कार्य का निम्न स्तर, एव मजदूरी भुगतान, सम्बन्धी कोई शिकायत होने पर उसके शीघ्र जाँच की व्यवस्था हो। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध शीघ्र उचित कारवाई भी होनी चाहिए।

## 15.

रोजगार कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रत्येक ग्रामीण मजदूर को रिकार्ड बुक दिया जाना चाहिए जिसमें उनका परिचय पत्र भी शामिल होना

चाहिए। जिस प्रकार का भी रोजगार और मजदूरी का भुगतान वह प्राप्त करते हैं, उसे रिकार्ड बुक में अच्छी तरह दर्ज करवाना चाहिए।

यदि उपरोक्त उपयो पर विशेष ध्यान दिया जाता है तो नि सन्देह रोजगार परक कार्यक्रम आशा के अनुकूल प्रभावकारी सिद्ध होंगे तथा उनके द्वारा गरीबी और बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सकेगा। परन्तु यह तभी संभव है जबकि इन कार्यक्रमों के वास्तविक लाभार्थियों अर्थात् ग्रामीण वर्गों – विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, कृषि श्रमिकों, एवं महिलाओं, को जागृत किया जाए और तथ्यों की उन्हें सही जानकारी दी जाए इसके बिना दलालों एवं बिचौलियों के द्वारा उनका शोषण होता रहेगा और रोजगार कार्यक्रमों के संचालन कार्यों में बाधा पहुँचती रहेगी।

इसी सन्दर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन है कि “हम जो भी योजना तैयार करें उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखों देशवासी, जो मात्र अपनी जीविका पूर्ण कर पाते हैं उनको इससे कितना लाभ प्राप्त हुआ है।”

## **10.4 रोजगार कार्यक्रमों के विषय में ग्रामीणों एवं कर्मचारियों के विचार**

इलाहाबाद जनपद के चयनित ग्रामों में सर्वेक्षण के समय रोजगार कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियों तथा समस्याओं को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण इलाहाबाद के कार्यालय के कर्मचारियों एवं मुख्य विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से जाना गया इसके अतिरिक्त कुछ चयनित ग्रामों के ग्रामवासियों के द्वारा भी इसे जानने का प्रयास किया गया। प्रस्तुत अध्याय में रोजगार कार्यक्रमों के विषय में ग्रामीणों एवं कर्मचारियों द्वारा दिए गए विचारों के कुछ बिन्दु इस प्रकार निम्नवत हैं

- 1 रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले निर्माण सम्बन्धी कार्यों में श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाए।
- 2 रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा श्रमिकों को निरन्तर रोजगार मिलना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण कृषि श्रमिकों के लघु तथा सीमान्त

कृषक परिवारो को गैर कृषि मौसम मे भी रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके ।

- 3 कुछ ग्रामीण जनो एव कर्मचारियो का यह भी सुझाव था कि कार्य स्थल गाँव के समीप होना चाहिए, जिससे पुरुष श्रमिको के अतिरिक्त इन कार्यक्रमो मे हिस्सा लेने वाले विशेषकर महिला व बाल श्रमिक बिना किसी कठिनाई के कार्य स्थल तक पहुँच सके ।
- 4 रोजगार मे सम्मिलित होने वाली महिला श्रमिको के साथ कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहिए । उन्हे पुरुष श्रमिको के समान कार्य मे बराबर हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए इसके अतिरिक्त कार्यक्रमो के अन्तर्गत उनके अनुसार उपर्युक्त कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए ।
- 5 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य श्रमिको को उपलब्ध होते है उन्हे ठेकेदारो के द्वारा कराया जाता है । अत कार्यक्रम मे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए । जिससे श्रमिको को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके ।
- 6 रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा परिसम्पत्तियो के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए ।
- 7 रोजगार कार्यक्रमो से जुडे हुए कार्य को करने वाले श्रमिको व मजदूरो को फावडे, खुदाल, खडाजा इत्यादि समान समय पर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे मजदूरो को कार्य करने मे सुविधा उपलब्ध हो सके ।
- 8 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरो के नियमित मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मजदूरी भुगतान श्रमिको को कैश व नगद किया जाए ।
- 9 रोजगार पर जाने वाली महिला श्रमिको के बच्चो की देखभाल की समुचित व्यवस्था कार्य स्थल पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

- 10 कुछ ग्रामीण जनो का यह भी सुझाव था कि रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत रहने के लिए जिन भवनो का निर्माण कार्यदायी सस्था द्वारा किया गया है उसको कार्याध्यक्ष शीघ्र अधिग्रहण करले और उनमे पाई गई कमियो को शीघ्र दूर कराये ।
- 11 कार्यक्रमो के अन्तर्गत जिन भवनो का निर्माण कराया जाए उन प्रत्येक भवनो मे उथले नलकूपो की व्यवस्था की जाए ।
- 12 कार्यक्रम द्वारा आबटित धनराशि के प्रयोजन को ध्यान मे रखते हुए सर्वप्रथम अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की शीघ्र प्राथमिकता दी जाए ।
- 13 प्रत्येक ग्रामो मे इन कार्यक्रमो द्वारा पशुओ का टीकाकरण एव उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।
- 14 योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर चल रहे कार्य के समय स्थल बोर्ड पर श्रमिको की देय न्यूनतम मजदूरी का उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे कि श्रमिको को इसका ज्ञान हो सके ।
- 15 कार्यक्रम द्वारा श्रमिको को देय मजदूरी का भुगतान कार्य स्थल पर ही प्रत्येक सप्ताह मे स्थानीय व्यक्तियो जैसे – ग्राम प्रधान, सरपच, पच, क्षेत्र समिति के सदस्यो की उपस्थिति मे किया जाए ।
- 16 पुरुष और महिला श्रमिको को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जानी चाहिए और पुरुष तथा महिला श्रमिको मे कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहिए ।
- 17 योजनान्तर्गत कार्यान्वित परियोजनाओ के कार्यस्थल पर श्रमिको को यथावश्यक निम्न सुविधाओ पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे – पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, श्रमिको के शिशुओ के लिए शिशु सदन की सुविधा ।
- 18 कार्यक्रम द्वारा श्रमिको को मजदूरी के रूप मे उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न का मूल्य भारत सरकार द्वारा योजना के लिए समय-समय पर निर्धारित मूल्यो से अधिक नहीं होना चाहिए ।

- 19 जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाए जाने वाले 10 लाख कूप योजनान्तर्गत ग्रामो के अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषको के खेतो मे नि शुल्क बोरिंग की व्यवस्था सुलभ कराया जाए ।
- 20 इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऐसे अनुसूचित जाति/जनजाति के और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वे परिवार जो भूमिहीन, आवासहीन तथा निर्धन है उनको आवासीय आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाए ।
- 21 रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा प्रत्येक जिले के ग्रामो मे सफाई व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम नालियो, व सडको का निर्माण कराया जाना चाहिए ।
- 22 ग्रामीणो के अनुसार—स्वरोजगार मे स्थापित युवाओ के द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री की समस्या रहती है । अत जनपद मे ऐसे विभागो को चिन्हित किया जाए जो इस प्रकार सामग्री का उपभोग करते हो । इसके अतिरिक्त अधिकारियो की अध्यक्षता मे यह प्रयास किया जाए कि शासकीय सस्थाए इस उत्पादित माल को क्रय करे ।

# सन्दर्भ सूची (BIBLIOGRAPHY)

- 1 Adke, A S (1974), Rural Construction in India, Dharwar, Karnataka University
- 2 Agarwal, S N , (1944) The Gandhian Plan, Allahabad, Padma Publications
- 3 Appu, P S (1975) Agrarian Structure and Rural Development, New Delhi, Training Division, Cabinet Secretariat
- 4 Arora, R C (1978), Industry and Rural Development, New Delhi Asian Centre for Development Administration, (1976), Strategies of Rural Development in Asia A Discussion, Kuala-Lumpur ACDA
- 5 Aiyanger, K V R (1957) Akhil Bharat Sarva Seva Sangh, Planning for Sarvodaya, Kashi
- 6 All India Khadi and Village Industries Board, (1956), Building from Below Bombay
- 7 Anuvatham Eddy, Association of Voluntary Agencies for Rural Development, YMCA Publishing House
- 8 Athvale, M C (1973), Small Farmer's Development Agencies M P, Jabalpur, Agro Economics Research Centre
- 9 Aziz Abdul, (1980), Organising Agricultural Labourers in India, a Proposal, ISER, Bangalore, Minerva Associates Publication
- 10 Baden powell, B H , (1974), The Land System of British India, Delhi Oriental Publishers
- 11 Banerji, Hiranmay, (1966), Experiments in Rural Reconstruction, Calcutta Viswa Bharti



- 12 Banerjee, P K (1977) Indian Agricultural. Economics, Financing Small Farmers, New Delhi, Chetna Publications
- 13 Bawa D S , (1975) Rural Project Planning Methodology and Case Studies, New Delhi
- 14 Basham, A L , (1966) Aspects of Ancient Indian Culture, Bombay, Asia
- 15 Bepin Behari (1976) Rural Industrialisation in India, Delhi Vikas
- 16 Bhattacharya, S N , (1970), Community Development An Analysis of the Programme in India, Calcutta, Academic Publishers
- 17 Bhatnagar, S (1976), Rural Local Government in India, New Delhi, Ajanta Book International.
- 18 Bosselmann, Axel, (1978), Indian Rural Development Its Instruments and Post Independent Reality, Summer Semester
- 19 Brahmanand P R , (1978), Planning for a Futureless Economy, Bombay, Himalaya
- 20 Braibanti, Ralphan Spengler, Joseph Jcede, (1963) Administration and Economic Development in India, London, Cambridge University
- 21 Brayhe, FL (1954), Socrates in An Indian Village, Calcutta, Oxford University Press
- 22 Brown, D H Agricultural Development in Indian's Districts Cambridge University Press
- 23 Carter, Anthony T , (1974), Elite Politics in Rural India Political Stratification and Political Alliance in Work in Maharashtra, Cambridge, Cambridge University Press
- 24 Chakravarty, T K , (1980), Development of Small and Marginal Farmer and Agricultural Labourers, Hyderabad, National Institute of Rural Development
- 25 Chaturvedi, H R , (1977), Bureaucracy and the Local Community Dynamics of Rural Development, Bombay, Allied

- 26 Choudhary, P , (1972), Readings in Indian Agricultural Development London, George Allen and Unwin Ltd
- 27 Connelle, J ,B Das Gupta, R. Laishley, and M Lipton, (1976) Migration from Rural Areas, Delhi, Oxford University Press
- 28 Connelle, John & M Lipton (1977) Assessing Village Labour Situations in Development Countries, New Delhi, Oxford University Press
- 29 Dasli, V (ed), (1970), Infrastructure for the Indian Economics Bombay Vaia,
- 30 Dandekar, V M , and N Rath, (1971), Poverty in India, Poona, Gokhale School of Political Economy
- 31 Dantwala, M L (1973) Poverty in India Then and Now 1870-1970, Bombay Macmillan
- 32 Das gupta, Sugata, (1962), A Poet and a Plan (Tagore's Experiments in Rural Reconstruction) Calcutta Thacker Spink & Co,
- 33 Deogaonkar, (1980), Administration for Rural Development in India, New Delhi, Concept
- 34 Desai, A R (1978), Rural Sociology in India, Bombay, Indian Society of Agricultural Economics 1961 (1953), Rural India in Transition, Bombay, Popular Prakashan
- 35 Dholkia, J , (1977), Unemployment and Employment Policy in India, New Delhi, Sterling
- 36 Dube, S C , (1958), India's Changing Villages, London, Routledge and Kegan Paul
- 37 Dutta, B , (1960), The Economics of Industrialisation, Calcutta, World Press
- 38 Dwivedi, R-C(1972) New Strategy of Agricultural Development in India, Meerut, Loyal Book Depot
- 39 Dubhasi, PR , (1970), Rural Development Administration in India, Bombay, Popular Prakashan

- 40 Franda, Marcus F (1978), Rural Development, Bengali Marxiststyle
- 41 Hanover NH, American University field  
 -(1979) Small is Politics Organisational Slternative in India's Rural Development, New Delhi, willey Eastern limited
- 42 Gandhi, M K , (1970), Gandhi Ji on Rural Development, New Delhi, Department of Community Development Co-operation (1966)The Village Reconstruction(ed) by A T, Hingorani, Bombay, Bharatiya Vidya Bhanvan (1965) On Rural Reconstruction, New Delhi, Ministry of Information and Broadcasting
- 43 -Ganguli, B N , (1966), Problems of Rural India, Calcutta, Calcutta University (1973) Gandhi's Social Philosophy Perspective and Relevance, Delhi Vikas
- 44 Ganorker, P L , (1978) Youth Participation in Agriculture and Development, Allahabad, Chugh Publications
- 45 Ghosh, B N (1977), Disguised Unemployment in Underdevelopment Countries, New Delhi, Haritage Publishers
- 46 Grover, D and Rayappa PH , (1980) Employment Planning for the Rural Poor, Bangalore, Institute for Social and Economic Change
- 47 Gupta, A P , (1977), Fiscal Policy for Employment Generation in India, New Delhi, Tata Mcgraw Hill
- 48 Gupta, M L (1955) Problems of Unemployment in India, New Delhi
- 49 Haldipur, R N (1974), Local Government, Rural Development and Micro-Level Planning, New Delhi, Training Division, Department of Personel and Administrative Reforms Cabinet Secretari at

- 50 Haldipur, R N , V R K Pramahansa, (ed) (1970), Local Government Institutions in Rural India Some Aspects, Hyderabad, National Institute of Community Development
- 51 Hargopal, G , (1980), Administrative Leadership and Rural Development in India, New Delhi, Light & Life Publishers
- 52 Hiramani, A B , (1977), Social Change in Rural India A study of the Village in Maharashtra, B R. Sub Corpn
- 53 Hoda, M , (1974), Problems of Unemployment in India, Bombay, Allied
- 54 Hunter, Guy , (1970) The Administration of Agricultural Development, Lessons from India, London Oxford
- 55 Hunter, Guy & A Botttrall, (ed), (1974) Serving the Small Farmer Policy Choices Indian Agricultural Development, The Over seas Development Institute
- 56 Inamder, M R (ed) (1954), Indian Council of World Affairs, Rural Development Schemes in India, New Delhi
- 57 Jain, N P , (1970), Rural Reconstruction in India and China, Sterling New Delhi
- 58 Jain, S C , (1967), Community Development and Panchayati Raj in India, Calcutta, Allied Publishers
- 59 Kapoor, Sudarshan, (1958), India Village Service, A Development Programme in Uttar Pradesh, Delhi, Delhi School of Social Work
- 60 Katju, K N (1953) Rural Development Through Self help, New Delhi, Community Project Administration
- 61 Khusio, A M , (1968) Reading in Agricultural Development, Bombay, Allied
- 62 Krishan, Ram , (1966), Grassroots of Agricultural and Community Development Programme in India, Bombay, Allied

- 63 Krishnamachari, V T , (1962), Community Development in India, Delhi, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India
- 64 Kumarappa, J C , (1960) An Over all Plan for Rural Development, Rajghat, Akhil Bharat Serva Seva Sangh
- 65 Mandal, G P , (1961), Problems of Rural Development, Calcutta, World Press
- 66 Mazumdar, N A , (1961), Some Problems of Unemployment, Bombay, Popular Prakashan
- 67 Mehta, S R , (1984) Rural development policies and Programmes, New delhi, Sage
- 68 Mellor, John W , Weaver, F Thomas, Uma Lele J and Simon, R Sheldon , (1972) Development Rural India, Plan and Practice, Bombay, Indian Reprint Lalvani Publishing House
- 69 Mellor, John and Mohinder, (1974), Modernising Agriculture, Employment and Economic growth, A Simulation Model, Ithaca Cornell University Press
- 70 Mishra, R P and K V Sundram (ed), (1979) Rural Area Development Perspective and Approaches, New Delhi, Sterling
- 71 Mukherjee, B (1961) Community Development in India, Bombay, Orient Longman
- 72 Mukhtar Singh, Chowdhury, (1946), Rural Reconstruction, Allahabad kitabistan
- 73 Mishra, R P , and K V, Sundram (ed), (1980) Multi Level Planning and Integrated Rural Development in India, New Delhi, Heritage
- 74 Mishra, S N (1977), Pattern of Emerging Leadership in Rural India, Associated Book Agency

- 75 Mehta, V D , (1987), "Poverty and Unemployment in Rural India" NBS Publishers and Distributors, New Delhi
- 76 Narayana, D L , et al (ed), (1980) Planning for Employment, New Delhi Sterling
- 77 Narayana, D L , (1970), Studies in Rural India, Triupati, Ventkateswar University
- 78 Padhy, K C , (1980), Commercial Bank and Rural Development, New Delhi, Asian Publication Services.
- 79 Panchamadikar, K C & J Pamchandikar (1978), Rural Modernisation in India A Study in Development Infrastructure, Bombay, Popular Prakashan
- 80 Pandey, V P , (1967), Village Community Projects in India, Bombay, Agra
- 81 Parthasarathy, G , (1976), Agricultural Development and Small Farmers, Bombay, Vikas Publication
- 82 Potter, David C , (1964), Government in Rural India An Introduction to Contemporary District Administration, London, London School of Economics and Political Science
- 83 Prasad M , (1958), Social Philosophy of Mahatma Gandhi Gorakhpur, Viswavidyalaya Prakashan
- 84 Rao, R V , (1978), Rural Industrialisation in India the Changing World, Delhi, Concept
- 85 Samant, B B and A K Mishra , (1978), Evaluation of Drought-Prone Programme, Baroda, Panchmahal
- 86 Sen, A K , (1975), Employment Technology and Development, Oxford Clarendon Press
- 87 Saran Paramatma, (1978), Rural Leadership in the Context of India's Modernisation Vikas, Bombay
- 88 Sen, L K (ed), (1972), Readings in Micro Rural Planning and Rural Growth Centre Hyderabad, National Institute of Community Development

- 89 Sen, Sudhir (1943) Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction, Calcutta Viswa Bharti
- 90 Seshan, K , (1976) Political linkage and Rural Development, New Delhi, National
- 91 Sharma, S K and S L Malhotra, (1977), Integrated Rural Development, Approach, Strategy and Perspective, New Delhi, Abhinav Publications
- 92 Singh, V B , (1964), "Agrarian Relations in India" in edited book Agriculture, Land Reforms and Economic Development, Vol III PWN-Polish Scientific Publishers, Warsa
- 93 Subrahmanyama S (1980) Poverty Unemployment and Perspective of Development' Chugh Publications, Allahabad
- 94 Sheoi, P V , (1975), Agricultural Development in India A New Strategy in Management Delhi, Vikas, 1975
- 95 Singh, S , (1976), Modernisation of Agricultural, New Delhi, Heritage
- 96 Singhvi, L M (ed) (1977) Unemployment problems in India, New Delhi, National
- 97 Srinivasam, T N , and P K Bardhan (eds), (1974), Poverty and Income Distribution in India, Calcutta, Statistical Publishing Society
- 98 Sivastav U K and P S George, (1977), Rural Development in Action The Experience of Voluntary Agency, Bombay, Somaya Prakashan
- 99 Sivastav, U K (1978) Managment of Drought Prone Areas, Delhi, Abhinav Prakashan
- 100 Thimmah, G(1971), Studies in Rural Development Institute for Social and Economic Change, Bangalore, Chugh publications, Allahabad

- 101 Troleman, Thomas and Freebairn, K Donaied (ed), (1973),  
Food Population and Employment the Impact of the Green  
Revalution New Delhi, Praeger Publication
- 102 Vekantappiah, B (1974), Recent Tjends in Rural Development  
Objectives and Programme Waltair, A V Press
- 103 अवध प्रसाद, गॉधी जी और औद्योगीकरण ।
- 104 आर सी दत्ता, भारत का आर्थिक इतिहास ।
- 105 एम एल झिगन, विकास का अर्थशास्त्र एव आयोजन ।
- 106 मिश्रा एव पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था ।
- 107 डॉ सत्या, भारत मे उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद ।
- 108 दत्ता एव सुन्दरम्, भारतीय अर्थव्यवस्था ।
- 109 रजनी पाम दत्ता, आज का भारत ।
- 110 डा बद्री विशाल त्रिपाठी, भारतीय अर्थव्यवस्था ।

### **Government of India Publications.**

Ministry of Community Development and Co-operation, A  
Guide to Community Development Annual Reports 1966-74

Ministry of Agriculture Report 1992-93

#### **Planning Commission**

- First Five Year Plan, New Delhi, 1952
- Review of First Five Year Plan, New Delhi-1957
- Second Five Year, New Delhi 1956
- Third Five Year Plan, New Delhi, 1962
- Fourth Five Year Plan, New Delhi, 1969
- Draft Fifth Five Year Plan, New Delhi 1976-79
- Sixth Five Year Plan (1980-85), New Delhi August 1980
- Seventh Five Year Plan (1985-90) New Delhi, 1984.
- Eight Five Year Plan, New Delhi (1992-97)



- Census of India 1961 New Delhi, 1964
- Census of India 1971, New Delhi, 1971.
- Census of India 1981, New Delhi, 1981
- Census of India 1991, New Delhi, 1991

## REPORTS

- 1 Reports of the Committee of Experts on Unemployment Estimates, 1990
- 2 National Sample Survey Reports
- 3 National Commission on Agriculture Interim Report on Whole Village Development Programme, New Delhi, 1992
- 4- आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1994-95, 1998-99।
- 5 जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, इलाहाबाद जनपद वर्ष 1981, 1991।
- 6 सांख्यिकी पत्रिका उत्तर प्रदेश वर्ष 1995-96
- 7 सांख्यिकी पत्रिका, जनपद इलाहाबाद वर्ष 1994-95, 1997-98।
- 8 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की मार्ग निर्देशिका (वर्ष 1994-95)
- 9 ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट बुक (1994-95)

## SELECTED ARTICLES

Administrative Change, Special Number on Rural Development, July-Dec 1975

Ahmed, Yunus J , Administration of Integrated Rural Development Programme

A Note on Methodology-International Labour Review, 1975

AVARD, Voluntary Organisations and Rural Development, VA, XIV  
(1) Jan, Feb , 1972

Ahmed Iftekhar "Employment in Bangladesh-Problems and Prospects",

- A Paper Presented at the International Economic Association conference held in Dacca, January-1993 (Memorographed)
- Ahuja, K 'Agricultural Under employment in Rajasthan, Economic & Political Weekly, September 1973, pp 101-6
- Bardhan, P K On the Incidence of Poverty in Rural India of Sixties, Economic and Political Weekly, Annual Number, Feb , 1973,
- Bhardwaj, V P and P K Dave "Measurement of Rural Unemployment in Gujarat" Artha vikas, January-June, 1976
- Charyulu, U V N , Voluntary Organisations in Rural Development, Kurukshetra XX VIII (15) May, 1980
- Dantwala, M L , Some Neglected Issues in Employment Planning, Economics & Political Weekly. (EPW), Vol 13, The Annual Number, 1978
- Das Gupta, S , The Hardcore Gandhi's Social and Economics Thought, K G , Vol 15, Number 10, July 1967
- Decision-Special Issue on Rural Development, Vol 6, Number 4, October, 1979
- Dubhasi, P R , Approaches to Integrated Rural Development in India Administrative and Organisation Issues, Administrative Change, 6 (1-2) July, 1978-June, 1979
- Etienne, G , Economic Growth and Social Values Some Indian Village and Districts Resurveyed, 1963-64/1975, C D and PR Digest, Vol 8 Number, July, 1976
- Gaikwad, V R , Management of Rural Development Programme Organisational Deficiencies and Strategies for Improve (IJPA) 1-2 (4) October-Dec 1975
- Horbst, P G , Note on Rural India, N L I Bulletin 12 (16), 1976
- Iyer, K G , Orissa, A Study of Poverty and Bondage, NLI Bulletin, (10), 1978

- Johnston, Bruce F, and Tella, G S., 'Strategy for Agricultural Development, Journal of Farm Economics (JFE), May-1964
- Krishan Raj, Unemployment in India, Economic and Political Weekly (EPW), 8 March-1973
- Unemployment in India, Journal of Agricultural Economics, Vol XXVIII No 3, July september, 1973 pp 123
- Mathur, A , Anatomy to Disguised Unemployment, Oxford Economics Papers 16, (2) July 1966 , July 1964, pp 161-163
- Mehra, S Surplus Labour in Indian Agriculture, Indian Economic Review Vol I, April, 1966, pp, 114-26
- Minhas, B S , Rural Development for Weaker Sections, Experience and Lessons 24 1, July, 1970
- Mishra, G P, Rural Unemployment and land Ceiling policy Journal of Social and Economic Studies, Sept , 1974
- 'Distributional Effects of Rural Development Strategies' A case study Economic and Political Weekly, 14 (39) 1979
- Ojha, P D , Configuration of Indian Poverty Inequality and Levels of Living, RBI-Bulletin, Vol-24, 1970.
- Padhy, K C , Intergrated Rural Development, Economic Times (ET), April 1979
- Partha Sarathy G ,G D Rama Rao,  
Employment and Unemployment Coming Rural Household-A Study of West Godavari District, Economic and Political Weekly, Review of Agriculture December 29, 1973, pp 118-32
- Rudra, A . "Direct Estimation of Surplus Labour in Agriculture", Economic & Political Weekly, February, 1973, pp 277-80
- Robinson Joah, Disguised Unemployment, Economic Journal, 46 June, 1936.
- Saigal K , Management of Rural Development Programme at the District Level, Management in Government, 9 (3) 1971

Shah, S M , Growth Centre as a Strategy for Rural Development .

India's Experience EDCC. 22 Jan 1974

Talok singh, Integrated Rural Development, kurukshetra, Jan, 1977

Tripathi, P M , AVARDS Strategies for Rural Development, VA 16

(1) 1974

Visaria, P M , and C Employment Planning for weaker Sections in

Rural India, Economic and Political Weekly, 13, (6-7) 1978

Vyas, V S , Farm and Non-farm Employment in Rural Areas-A

Perspective for Planning, Economic and Political weekly, 13,

(6-7) 1978

## **MAGAZINES AND JOURNALS**

Agricultural Situation in India

American Economic Review.

Co-operative News Digest

Community Development and Panchayati Raj Digest

Economic Studies

Financing Agriculture

Harijan

Indian Finance

Indian Management

Indian Economic Review

Indian Economic Journal

Indian Journal of Economic

Indian Journal of Labour Economics

Indian Journal of Industrial Relations

Indian Journal of Public Administration

International Development Review

International Labour Review

Journal of Farm Economics

Khadi Gramodyog

Kuruskshetra

Monthly Commentary on Indian Economic condition

Reserve Bank of India Bulletin

Southern Economist

Social Welfare

State Bank Monthly Review

The Economics and Political Weekly

Varta

Yojana

### **News Papers**

Financial Express, New Delhi Edition

Times of India, New Delhi Edition.

The Economic Times, New Delhi Edition